# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

**अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का अट्ठाइसवां दिवस [संख्या: 13**

**मंगलवार,**

**08 मार्च 2022**

**(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे**
**राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)**

**(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)**

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्नकाल। श्री गुलाब चन्द कटारिया। माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा। कोई रिकार्ड नहीं होगा।

**श्रीमती ममता भूपेश** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): 000

**श्री अध्यक्ष**: प्लीज बैठें। मंत्री जी, आप नीचे बैठें। अंकित नहीं होगा। प्रश्नकाल में नहीं होता है। सीखें कुछ चीज को।

### दुष्कर्म के दर्ज प्रकरण

**190. श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में 01 जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक नाबालिग एवं छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म व बलात्कार के कितने मामले दर्ज किये गये? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में से कितने दोषियों को गिरफ्तार किया गया व कितनों को सज़ा हुई तथा कितने प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किया गया व कितने प्रकरणों में अब तक चालान प्रस्तुत करना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म व बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को रोकने हेतु कोई कार्ययोजना बनायी गयी है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) प्रदेश में नाबालिग एवं छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म/ बलात्कार के 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक कुल प्रकरण 5793 दर्ज हुए हैं। जिलावार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(2) प्रदेश में नाबालिग एवं छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म/बलात्कार के मामलों में वर्ष 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक कुल 6628 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 129 प्रकरणों में 398 आरोपियों को न्यायालय से सज़ा हुई, कुल 4631 प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश किया तथा कुल 283 प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश किया जाना शेष है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर अंकित है।

(3) पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर आदेश, निर्देश, परिपत्र जारी किये गये हैं जो परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए किये जा रहे उपायों का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)**

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, पोक्सो एक्ट के तहत कितने दिन में चालान पेश करना अनिवार्य कर रखा है? ये जो आपके 5793 केस हैं, उनमें से आपने 4631 का चालान किया है तो पोक्सो एक्ट की धारा के अनुसार कितने दिन में चालान कर देना चाहिए और उसकी पालना इनमें कितने केसेज में नहीं हुई है?

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 15 दिन के अन्दर-अन्दर मोटे तौर पर चालान पेश कर दिया जाता है पोक्सो एक्ट में, कोशिश यह रहती है। अब मेरे पास वह सूची नहीं है कि कितने में चालान पेश हुआ पर यह तो मैं आपको बताता हूं कि कुल मिलाकर जो प्रकरण दर्ज हुए वे 5793 हुए और उसके बाद जो चालान पेश हुए वे 4631 में हो गये। अब रहा सवाल इस बात का कि इनमें एफआर भी लगी तो 879 में एफआर लग गयी और इसके बाद लम्बित जो प्रकरण रहे वे 283 रहे। अब 283 जो प्रकरण लम्बित रहे उनके कारणों को भी मैं आपको बता देता हूं। इसके साथ-साथ जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए वह 6628 हुए। कुल 129 प्रकरणों में न्यायालय के द्वारा सज़ा दी गयी जिनमें 398 आरोपियों को सज़ा हुई। सवाल यह आता है और आपने कहा कि कितने दिन में मोटे तौर पर चालान पेश किया जाता है, तो 15 दिन का कायदा बना रखा है कि 15 दिन के अन्दर-अन्दर चालान पेश किया जाना चाहिए पर कई बार दो महीने भी हो जाते हैं। अण्डर लॉ तो मैंडेटरी दो महीने हैं, लेकिन कोशिश यह रहती है कि 15 दिन के अन्दर-अन्दर चालान पेश कर दिया जाये। आप चाहें तो मैं आपको वह भी बता दूं कि कैसे-कैसे मुकदमे थे जिनमें 15 दिन के पहले भी चालान पेश हो गया।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): मैं केवल आपसे इतना ही जानना चाहता हूं कि पोक्सो एक्ट के तहत तो 60 दिन में चालान होना ही चाहिए लेकिन इसकी पालना, इनमें जो चालान आपने किया, आपके पास अभी फिगर नहीं हो तो बाद में भी दें कि आखिर ये जो 4631 चालान किये हैं उनमें कितने केस ऐसे हैं जिनमें दो महीने की अवधि पार होने के बाद किये हैं?

दूसरा, जो चालान हुए हैं, आपकी पोक्सो कोर्ट कितनी हैं और उनमें तीन साल में सिर्फ 129 केस में केवल फैसला हुआ है, सज़ा हुई है। इसका मतलब 2.78 परसेंट केस में, जितने केस में चालान पेश हो गया, उसके तहत सज़ा हुई है। इसलिए ही सबसे ज्यादा नाबालिग बच्चियों के साथ जो रेप की घटनाएं बार-बार हो रही हैं, उनका कारण यही है कि पोक्सो एक्ट के तहत आपने कोर्ट तो बना दी लेकिन उस कोर्ट में ठीक प्रकार से हमारी एविडेंस समय पर नहीं जाने के कारण से तीन साल में इतने ही हुए हैं। मेरे जो ध्यान में आता है उसमें लगभग 50 से अधिक कोर्ट हैं और प्रत्येक कोर्ट का साल में अगर एक भी फैसला हो तो अब तक तीन साल में 150 फैसले तो होने ही चाहिए जबकि 129 ही हुए तो वे पोक्सो कोर्ट साल में एक केस में भी सज़ा करने में सफल नहीं हो रही है तो क्यों?

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जो लम्बित प्रकरण हैं जिनमें सज़ा नहीं हो पाती, उसके 5-7 कारण हैं। जैसे हाई कोर्ट का स्टे आ गया, एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आयी, गिरफ्तारी पेंडिंग रह गयी, पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रह गया, इस तरीके के कई मामले ऐसे होते हैं जो लम्बित के लम्बित रह जाते हैं। सवाल इस बात का है कि 15 दिन के अन्दर-अन्दर चालान पेश करें। दो महीने का टाइम है और दो महीने के टाइम के अलावा भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 9 दिन के अन्दर-अन्दर चालान पेश हो गया आपके कोटखावदा का। इसी तरीके से पिलानी, झुन्झुनूं में 26 दिन के अन्दर-अन्दर उसको सज़ा भी हो गयी। चालान ही पेश नहीं हुआ, सज़ा भी हो गयी। इसके बाद आप देखेंगे तो कांकरोली, राजसमन्द में 30 दिन के अन्दर-अन्दर आजीवन कारावास हो गया। इसी प्रकार से पादुकलां जिला नागौर में 30 दिन के अन्दर-अन्दर फांसी की सज़ा हो गयी। सवाई माधोपुर में दो महीने के अन्दर-अन्दर दुष्कर्मी को सज़ा हो गयी। चार महीने की अवधि में पुष्कर, अजमेर में हो

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

गयी। नवलगढ़ में कुल मिलाकर साढ़े चार माह में सज़ा हो गयी। इस तरीके से बाकायदा सब इंस्पेक्टर के लेवल का केस आफिसर नियुक्त किया जाता है और अगर महिला मिल जाती है तो महिला को बनाया जाता है और कोशिश यह की जाती है कि किसी प्रकार से जल्दी हो। लेकिन तफ्तीश, तफ्तीश के बाद में चालान और चालान के बाद में फिर अदालतों की तारीखें, ये सब कई कारण ऐसे बनते हैं। हाई कोर्ट से स्टे आ गया, एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आयी वगैरह कई कारण इस प्रकार के बनते हैं।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकण्ड। अध्यक्ष महोदय, विषय की गम्भीरता को समझकर पोक्सो एक्ट कोर्ट बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि इस प्रकार के केसेज का निर्णय जल्दी होकर सज़ा मिल जाये। जो आपने बताया कि इतनी कोर्ट है और इतनी कोर्ट होने के बाद राजस्थान में अगर तीन साल में 129 में ही सज़ा होती है, जितने केस में चालान पेश किये तो हमारी यह स्थिति अच्छी नहीं है। कृपा करके इसके लिए आपने केस आफिसर लगा रखे हैं, वहां या तो प्रोपर मॉनिटरिंग नहीं है क्योंकि जहां-जहां ठीक प्रकार से केस की मॉनिटरिंग हुई वहां सज़ा हुई है। मेरा आपसे निवेदन इतना है कि जिस प्रकार के व्यभिचार हो रहे हैं इनको कंट्रोल करने का एक मात्र आपके पास तरीका यही है कि पोक्सो एक्ट के तहत जो कार्यवाही करनी है, जो केस आफिसर के तहत सज़ा दिलवानी है उसमें जितनी हमारी तत्परता रहेगी उतना ही इस पर कंट्रोल होगा, जो नहीं हो रहा है। तीन साल में 129 केस में केवल सज़ा हुई।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न। माननीय मंत्री जी, बोल रहे हो?

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह बात सही है पर पोक्सो एक्ट की अदालतों की कुल मिलाकर 54 ही तो संख्या है। अब संख्या भी कम है और पोक्सो अदालतें और खुलें तो हो सकता है कि इनमें ज्यादा जल्दी से जल्दी फैसला हो जाये। लेकिन मोटे तौर पर बात यह है कि यह गम्भीर चिन्तन का विषय है कि जिस प्रकार से युवकों में अमानवीय प्रवृत्ति घर करती जा रही है उसका मुख्य कारण जो देखने में मिलता है वह सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से बेरोकटोक अश्लील सामग्री परोसी जाती है उसके कारण ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिलता है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

दिक्कत यह आती है, जैसे अभी आपने कार्ययोजना पूछी तो कार्ययोजना में जो कुछ आपके वक्त में हुआ वह भी अच्छा हुआ और उसको हमने और बढ़ाया है, जो आपको परिशिष्ट पर दिया है।

इसके अलावा भी मेरे पास यह है कि राजस्थान पब्लिक सेफ्टी बिल, 2022 पेश हो चुका है और अगर यह पास हो जाता है, तो नोटिफाइड एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगाना, बिलकुल मेंडेटरी होगा। इसी के साथ-साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, उनमें पब्लिक बटन लगाने को कहा गया। पब्लिक बटन लगे और कोई ऐसी घटना हो तो फट से बटन दबा दिया जाय।

इसी प्रकार से मुख्य मंत्री जी ने 500 व्हिकल्स इमरजेंसी रिस्पोन्स सिक्योरिटी सिस्टम की घोषणा की है, उसमें भी यह बटन लगेगा। मैं यह समझता हूं कि हर कोशिश इस बात की है, सरकार की मंशा बिलकुल साफ है कि किसी प्रकार से इसमें रुकावट आनी चाहिए और गिरावट आयी भी है। 2018 से लेकर आज तक का जितना भी रिकार्ड आपने पूछा है, उसमें भी कुछ न कुछ गिरावट आयी है और जल्दी-जल्दी फैसले भी हुए हैं। फिर भी इसमें और गुंजाइश है। उसके लिए सुझाव जो आप दे रहे हैं, स्वागत योग्य हैं, बहुत अच्छी बात है।

**श्री अध्यक्ष**: श्री छगनसिंह।

## आहोर में विद्यालयों का क्रमोन्नयन

**191. श्री छगनसिंह** (आहोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में कितने विद्यालय ऐसे हैं, जिनको नियमों में आने के उपरान्त भी क्रमोन्नत नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार रा.उ.मा. विद्यालय गुडा-बालोतान में विज्ञान संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

**शिक्षा मंत्री** (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) राज्य में स्थानीय समुदाय/क्षेत्र की मांग/आवश्यकता के आधार पर क्रमोन्नति के मापदण्ड पूर्ण करने वाले विद्यालयों के प्रस्ताव निदेशालय के पत्रांक-25 दिनांक 08.02.2022 द्वारा समस्त जिला शिक्षाधिकारियों से चाहे गये हैं, जिसके तहत विधान सभा क्षेत्र आहोर के निम्नांकित 07 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को भी चिह्नित किया गया है-

(शिक्षा मंत्री)

1. रा.प्रा.वि. मंडला, ब्लाक आहोर।
2. रा.बा.प्रा.वि. मेघवालों का वास, गुडा बालोतान।
3. रा.प्रा.वि. तोडमी, ब्लाक आहोर।
4. रा.प्रा.वि. रातानाडा, ब्लाक आहोर।
5. रा.प्रा.वि. नोसरा की ढाणी, ब्लाक आहोर।
6. रा.प्रा.वि. नं. 2 भवरानी, ब्लाक आहोर ।
7. रा.प्रा.वि. अलावा सी, ब्लाक आहोर।

उक्त में से क्रम संख्या 01 से 02 पर अंकित विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा निदेशालय स्तर से समेकित प्रस्ताव प्राप्त होने पर शेष 05 विद्यालयों को वित्तीय उपलब्धता एवं निर्धारित मानदण्डों तथा समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर विश्लेषण करने के पश्चात् क्रमोन्नति की कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नवीन/अतिरिक्त संकाय खोलने के मापदण्डानुसार अतिरिक्त संकाय खोले जाने हेतु प्रस्तावित विद्यालय की कक्षा-10 में 100 विद्यार्थियों का नामांकन होना आवश्यक है।

आलौच्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुडा बालोतान, जिला जालौर में कक्षा-10 में 43 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तथा उक्त ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में संचालित राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय की कक्षा-10 में 39 छात्राएं अध्ययनरत हैं। इस प्रकार दोनों विद्यालयों में कुल 82 विद्यार्थी उपलब्ध हैं, जो निर्धारित मानदण्डानुसार न्यून है।

उक्त विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने हेतु अभी तक किसी भी माध्यम से कोई प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

**श्री छगनसिंह** (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि विधान सभा क्षेत्र आहोर में कितने ऐसे विद्यालय हैं? इन्होंने सूचना प्राथमिक विद्यालय जैसे मंडला, तोडमी, रातानाडा, नोसरा की ढाणी, भवरानी, अलावा सी और गुडा बालोतान की दी है। यह प्राथमिक विद्यालय की हैं।

ऐसे भी कई गांव हैं, जैसे कुडतरा, बिजली, बोकड़ा, बरवा, गोविन्दला, ये उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। यहां माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सख्त आवश्यकता है। क्या मंत्री महोदय इन विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की मंशा रखते हैं? यदि हां, तो कब?

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (शिक्षा मंत्री): इन्होंने केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रश्न पूछा था, उच्च माध्यमिक के बारे में पूछेंगे तो उसके बारे में भी बता दूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। श्री मनोज कुमार।

## सुजानगढ़ नगर परिषद् क्षेत्र में ड्रेनेज परियोजना

**192. श्री मनोज कुमार** (सुजानगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार की एक लाख से अधिक आबादी के नगर परिषद् क्षेत्रों में ड्रेनेज परियोजनाएं बनाने की कोई कार्ययोजना है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में जनवरी, 2022 तक कितने नगर परिषद् क्षेत्रों में ड्रेनेज परियोजना स्वीकृत हो चुकी है तथा कितनों में शेष है? क्या सरकार नगर परिषद् सुजानगढ़ हेतु ड्रेनेज परियोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नगर परिषद् क्षेत्रों को छोड़कर कुछ नगरपालिका क्षेत्रों में पहले से ड्रेनेज परियोजना स्वीकृत हो चुकी है? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**स्वायत्त शासन मंत्री** (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी नहीं। वर्तमान में एक लाख से अधिक आबादी के नगर परिषद् क्षेत्रों में ड्रेनेज हेतु कोई नीति नहीं है। आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कार्ययोजना तैयार की जाती है।

(2) प्रदेश में जनवरी, 2022 तक नगर परिषद् क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी ड्रेनेज परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

| पूर्ण | प्रगतिरत | प्रस्तावित | स्वीकृत |
|---|---|---|---|
| 1. भरतपुर (वर्तमान में नगर निगम)<br>2. जैसलमेर<br>3. सवाई माधोपुर<br>4. सीकर<br>5. चूरू<br>6. बांसवाड़ा | -- | 1. बून्दी<br>2. सुजानगढ़ | 1. बारां<br>2. चूरू<br>3. झुंझुनूं |

(स्वायत्त शासन मंत्री)

इसके अतिरिक्त प्रदेश में नगर निगम, परिषदों एवं पालिकाओं द्वारा अपने स्तर पर ड्रेनेज संबंधी कार्य किये गये हैं।

बजट घोषणा 2022-23 के अन्तर्गत नगर परिषद् सुजानगढ़ में ड्रेनेज सिस्टम हेतु डीपीआर तैयार करने की घोषणा की गयी है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिनांक 19.01.2022 को कार्यादेश जारी किया गया है।

(3) प्रदेश में जनवरी, 2022 तक नगरपालिका क्षेत्रों में ड्रेनेज परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

| **पूर्ण** | **प्रगतिरत** | **प्रस्तावित** | **स्वीकृत** |
|---|---|---|---|
| -- | 1. लक्ष्मणगढ़<br>2. फतेहपुर | 1. नवलगढ़<br>2. भवानीमण्डी<br>3. रतनगढ<br>4. बेगूं<br>5. मकराना<br>6. डीडवाना<br>7. मुकुन्दगढ़ | -- |

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, इसमें एक बात चैक कर लें, पूर्ण में भी चूरू लिखा हुआ है और स्वीकृत में भी चूरू लिख रखा है भाग संख्या-2 में। चैक कर लें।

अगला प्रश्न। श्री शंकर सिंह रावत।

## टाटगढ़ क्षेत्रीय वन अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें

**193. श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) टाटगढ़ रावली वन्य अभयारण्य में पदस्थापित क्षेत्रीय वन अधिकारी कब से पदस्थापित हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी की मिलीभगत से बेशकीमती लकड़ी को काटकर बेचे जाने का प्रकरण विभाग के ध्यान में आने के पश्चात् विभाग द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों द्वारा शिकायतें की गयी हैं? क्या सरकार द्वारा उक्त के विरुद्ध

(श्री शंकर सिंह रावत)

जांच करवायी गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

**वन मंत्री** (श्री हेमाराम चौधरी): (1) रावली टाटगढ़ अभयारण्य में पदस्थापित क्षेत्रीय वन अधिकारियों की सूची एवं पदस्थापन अवधि परिशिष्ट-ए पर संलग्न है।

(2) क्षेत्रीय वन अधिकारी, रावली के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उप वन संरक्षक, वन्यजीव, राजसमन्द द्वारा सहायक वन संरक्षक, वन्यजीव, भीम के नेतृत्व में दिनांक 25.02.2021 को जांच टीम का गठन किया गया। सहायक वन संरक्षक, वन्यजीव, भीम द्वारा दिनांक 02.03.2021 को जांच की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

(3) जी हां। क्षेत्रीय वन अधिकारी, रावली के विरुद्ध प्रश्नकर्ता क्षेत्र के माननीय विधायक श्री शंकर सिंह रावत के शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं। शिकायत प्राप्त होने पर उप वन संरक्षक, वन्यजीव, राजसमन्द द्वारा सहायक वन संरक्षक, वन्यजीव, भीम के नेतृत्व में दिनांक 25.02.2021 को जांच टीम का गठन किया गया। सहायक वन संरक्षक, वन्यजीव, भीम द्वारा दिनांक 02.03.2021 को जांच की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-बी पर संलग्न है।

**(सूची एवं प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह बड़ागुड़ा क्षेत्र, समदरिया तालाब के पास सन्नी रिसोर्ट बना हुआ है। इस सन्नी रिसोर्ट में कौन लोग रुकते हैं और वे क्या काम आते हैं? यह थोड़ा आप बता देंगे। उसमें सिर्फ लकड़ी के ठेकेदार, कीमती लकड़ी के ठेकेदार रुकते हैं और एक पिंजरा रखा हुआ है, जो शेर पकड़ने के काम आता है। उस पिंजरे को शाम को जंगल में छोड़ देते हैं, बकरा बांधकर।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ रहे हैं।

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): क्या यह सही है? मतलब, मैं यह पूछना चाह रहा हूं, वहां पर पैंथर का शिकार करने के लिए, गांव के किसी व्यक्ति की हिम्मत है, जो पैंथर को पकड़कर ले आये?

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न पूछें।

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा यह शिकार करवाया जाता है।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न का रूप दें, क्या यह सही है।

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, क्या इसको बन्द करने के लिए आपने जांच कमेटी बनायी है? उसमें ग्रामीण क्षेत्र के सारे सरपंच, एक-दो बदमाश हो सकते हैं, सारे के सारे बदमाश नहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, फिर आप, प्रश्न नहीं पूछना चाहते हो?

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): उनको साथ में लेकर आप जांच करवायेंगे क्या इन चोरों को पकड़ने के लिए?

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप ही सप्लीमेंट्री कर लें। मैं कटारिया जी को अलाऊ कर रहा हूं। कटारिया जी, आप पूछें।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें आपने जांच करने के लिए 25.02.2021 को जो जांच टीम बनायी, उसने आपको 02.03.2021 को रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट को मैंने देखा। उसमें कहा कि कैर की लकड़ी जंगल से नहीं कटी है, प्राइवेट खातेदार से कटी है तो प्राइवेट खातेदार ने ये पेड़ काटने के लिए स्वीकृति तहसीदार से ले रखी थी क्या?

**श्री हेमाराम चौधरी** (वन मंत्री): प्राइवेट खातेदार ने तहसीलदार से परमिशन नहीं ले रखी थी तो हमारे विभाग ने तहसीलदार और पटवारी को लिखा और वह जो लकड़ी पकड़ी गयी, वह गाड़ी जब्त की गयी। गाड़ी जब्त करके उनसे जुर्माना भी वसूल किया गया है जिसका आप कहें तो मैं बता दूं। उन्होंने जो प्राइवेट गाड़ी पकड़ी है, उस पर जुर्माना भी लगाया है। इस रेंज रावली स्तर पर कुल 24 लाख 29 हजार 837 रुपये प्राप्त हुए हैं। यह जो गाड़ी पकड़ी है उसका जुर्माना 1 लाख 11 हजार रुपये इनसे वसूल किये गये हैं। वह राजस्व भूमि पर काटी गयी थी तो वैसे तो यह तहसीलदार का काम है लेकिन फिर भी यह हमारे संज्ञान में आया तो उन्होंने इस पर 1 लाख 11 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया है, जिसकी रिपोर्ट है वह भी मेरे पास डिटेल है, आप कहें तो मैं बता सकता हूं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): यह माननीय सदस्य की शिकायत के बाद जो जांच हुई, उसके कारण से वसूल हुआ या आपके अपने स्वविवेक से ही हुआ?

**श्री हेमाराम चौधरी** (वन मंत्री): यह जो गाड़ी जिसकी शिकायत

(श्री हेमाराम चौधरी)

माननीय सदस्य ने की, वह गाड़ी है RJ-06-GB-3438, इस गाड़ी पर ही 1 लाख 11 हजार जुर्माना किया है। उसकी जांच भी करवायी है। जुर्माना तो उसके बाद में, यह जुर्माना जो हुआ उसका मैंने कहा न 24.2. ...(व्यवधान) में यह वाहन चालक और इनके बयान लिये तो उससे मालूम हुआ कि यह वन विभाग में से नहीं कटी है, यह राजस्व भूमि में से लकड़ी कटी है, फिर भी उनसे जुर्माना वसूल किया गया। उसके अलावा और भी कई मामलों में जुर्माने वसूल किये गये हैं। इस प्रकार यदि लकड़ी काटी गयी है तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस रेंज रावली में 24 लाख 29 हजार 837 रुपये 2018 से लेकर 2022 तक वसूले गये हैं और डिवीजन स्तर पर 1 करोड़ 47 लाख 94 हजार 892 रुपये वसूले गये हैं, जो इस प्रकार की अवैध लकड़ी, ये कैर की काट रहे हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

**श्री अध्यक्ष**: मैं सप्लीमेंट्री कर लेता हूं। माननीय मंत्री जी, यहां पर एक कीमती लकड़ी है, उस लकड़ी को काटने की प्रेक्टिस होती है, उसके लिये माननीय सदस्य ने कहा है। आप विभाग को निर्देशित करें कि वह लकड़ी जो वहां पर कट रही है वह कैसे रिकार्ड की कि वह रेवेन्यू से हुई? उनका आरोप यह है कि अधिकारी से मिलकर इस तरह की लकड़ी का वहां पर अवैध कटान हो रहा है, उसको रोकने के लिये निर्देश करें।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकंड। इसमें जो आपकी सूचना हमें दी है उसमें आपने लिखा है कि 'टाटगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र के बाघमाल बीट में तीन-चार माह पुराने आठ कैर के कटे हुए पेड़ के ठूंठ मिले, जिनकी एफआईआर 17/33, दिनांक 27.11.2020 को दर्ज हुई है।' रिपोर्ट 2020 की दर्ज है और आपने जांच कब शुरू की? जब इन्होंने शिकायत की 2021 में फरवरी के महीने में तो आपने जांच की, तो जब यह एफआईआर दर्ज हो गयी 2020 में तो आपका विभाग क्या कर रहा था?

**श्री हेमाराम चौधरी** (वन मंत्री): मुकदमे दर्ज हुए उनकी सबकी प्रति, एफआईआर की कापियां सारी मेरे पास पड़ी हैं तो विभाग कार्यवाही कर रहा है। इनकी शिकायत मिली और माननीय सदस्य कल भी मेरे से मिले थे और मुझे एक शिकायत दी है जिसमें इन्होंने फोटो भी दी है, जिसमें ये कैर की लकड़ी कटने के फोटो हैं। अब ये फोटो वन विभाग के हैं या बाहर की जमीन के, यह मैं कह नहीं सकता, यह तो जांच से ही स्पष्ट होगा। इन्होंने पहले जो

(श्री हेमाराम चौधरी)

शिकायत की उसकी जांच हुई, उसमें तो इनकी जांच में कुछ मिला नहीं, लेकिन कल इन्होंने जो शिकायत दी और एक अलग से इन्होंने रिसोर्ट की बात कही, वैसे रिसोर्ट की जानकारी मुझे नहीं है कि रिसोर्ट कहां पर है और इसमें नहीं लिखा है। कल आपने जो शिकायत दी उसमें रिसोर्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा, तब मैंने इन माननीय सदस्य से कहा था कि इस प्रकार के रिसोर्ट का जैसा इन्होंने वर्णन किया अगर ऐसी बात है तो आप मुझे लिखित में दे दें तो मैं जयपुर से कोई स्पेशल टीम गठित करके, उसको भेज करके जांच करवा लूंगा। इस प्रकार कैर की लकड़ी कटती है, कीमती लकड़ी है, कोई भी अगर उसमें संलिप्त होगा, चाहे हमारे विभाग का अधिकारी होगा चाहे कोई दूसरे प्राइवेट आदमी होंगे, तो उन पर कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। वैसे नियमित कार्यवाही होती है इनके खिलाफ, फिर भी कहीं कोई अधिकारी अगर उनसे मिल करके ऐसा कुछ कर रहा है, यह मैं नहीं कहता कि यह चीज असम्भव है, हो सकता है यह सम्भव है अधिकारी और वो लकड़ी काटने वाले आपस में मिल जायें तो फिर जब बाड़ ही खेत को खाने लग जाये तो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर इस प्रकार की बात है, आपने मेरे को जो शिकायत दी उसमें तो रिसोर्ट का हवाला नहीं है। मैंने इनसे कल ही कहा कि आप मुझे अलग से लिख करके दे दें उस रिसोर्ट के बारे में, तो उसकी जांच भी करवा लेंगे। अगर कोई भी बेईमानी करता है, कोई अगर इस प्रकार कैर की लकड़ी काटता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही कराने में कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है और मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। श्री रामलाल मीणा।

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: प्लीज बैठें आप। गंदी बात है। प्लीज बैठें। आप अगली बार अच्छे ढंग से तैयारी करके आयें ताकि कटारिया जी को बोलने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है। प्लीज। अगला प्रश्न। श्री रामलाल मीणा।

## प्रतापगढ़ की पंचायतों में प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान शिविर

**194. श्री रामलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में शिविर लगाकर जनता की कई समस्याओं का समाधान किया

(श्री रामलाल मीणा)

गया है तथा उक्त शिविरों से जनता को कई जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है? यदि हां, तो जिला प्रतापगढ़ में कितनी पंचायतों में उक्त शिविर लगाने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले में शेष रही ग्राम पंचायतों में उक्त शिविर व फोलोअप शिविर लगाकर जनता को राहत पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राजस्व मंत्री** (श्री रामलाल जाट): (1) जी हां। जिला प्रतापगढ में प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत कुल 235 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर प्रस्तावित शिविरों में से 211 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें जनता को कई जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है।

जिला प्रतापगढ़ में 24 शिविरों का आयोजन किया जाना शेष है।

(2) जी हां। प्रदेश में कोविड के दृष्टिगत गृह (ग्रुप-7) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)गृह-7/2021 दिनांक 05.01.2021 के अनुसरण में प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत शिविरों को आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया है।

आमजन को राहत पहुंचाने हेतु शेष रहे शिविर एवं गिरदावर सर्किल पर Follow up शिविरों का आयोजन, शीघ्र ही सदस्य की भावना भी है और अभी सदन चल रहा है इसके बाद हम जल्दी ही शुरू करेंगे।

**श्री रामलाल मीणा** (प्रतापगढ़): सबसे पहले तो मैं इस नये कार्य के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी का और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और शेष रही पंचायतों के शिविर कब आयोजित होंगे? कई ऐसी पंचायतें जिले में जो रह गयीं, जहां गरीब आदिवासियों को भूमि आबंटित नहीं हुई है माननीय मंत्री जी।

**श्री अध्यक्ष**: बोल दिया, उत्तर सुन नहीं लिया। जैसे ही विधान सभा खतम होगी शुरू हो जायेंगे। माननीय सदस्य, बैठें।

**श्री रामलाल मीणा** (प्रतापगढ़): ये निर्देशित करें।

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठें, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। श्री जगसी राम।

## आबूरोड के सांतपुर व तलहटी तालाब को विकसित किये जाने की योजना

**195. श्री जगसी राम** (रेवदर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार की आबू रोड के सांतपुर व तलहटी तालाब को पर्यटन की दृष्टि से पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किये जाने की योजना है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अहमदाबाद के कांकरिया तालाब की तर्ज पर उक्त दोनों ही तालाबों को पर्यटन व पिकनिक स्पॉट बनाकर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा पर्यटकों से आय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**पर्यटन मंत्री** (श्री विश्वेन्द्र सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं जवाब देना चाहूंगा। (1) वर्तमान में आबू रोड के सांतपुर तालाब एवं तलहटी तालाब को पर्यटन की दृष्टि से पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किये जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्तमान में उक्त तालाबों को पर्यटन व पिकनिक स्पॉट बनाये जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विभाग में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य स्वीकृत किये जाते हैं लेकिन इसके साथ-साथ मैं माननीय सदस्य को एक जानकारी और देना चाहूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी, प्रश्न का उत्तर है। सप्लीमेंट्री में जवाब दें, प्लीज। माननीय सदस्य।

**श्री जगसी राम** (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगा कि आपने बताया कि विकसित किये जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नम्बर-2 पर बताया कि प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य स्वीकृत किये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगा कि नगर सुधार न्यास, आबू की 34वीं एवं 38वीं बैठक में सांतपुर तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य रुपये 134.5 लाख का लिया गया जिसमें रुपये 35 लाख के...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, नगरपालिका का प्रश्न नहीं है। आप प्रश्न पूछें।

**श्री जगसी राम** (रेवदर): मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। इन्होंने मना किया है न इसके सन्दर्भ में मैं...

**श्री अध्यक्ष**: यह नगरपालिका का है।

**श्री जगसी राम** (रेवदर): नहीं, इसी का है।

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठें, प्लीज। अगला प्रश्न। श्री नरेन्द्र नागर।

**श्री जगसी राम** (रेवदर): सर, मेरा सवाल है।

**श्री अध्यक्ष**: प्लीज, विचाराधीन नहीं है। आप बैठें। अंकित नहीं होगा।

## प्रश्न संख्या 196

अगला प्रश्न। श्री नरेन्द्र नागर।

**(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें।)**

अगला प्रश्न। श्रीमती गंगा देवी।

## बगरू में कृषि उपज मण्डी की स्थापना

**197. श्रीमती गंगा देवी** (बगरू): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट घोषणा के अनुरूप विधान सभा क्षेत्र बगरू के मुख्यालय पर स्वतंत्र रूप से कृषि उपज मण्डी की स्थापना हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, जमीन आबंटन एवं मण्डी यार्ड निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय पर स्वतंत्र रूप से कृषि उपज मण्डी की स्थापना के साथ विपणन कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? प्रस्तावित कार्ययोजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, कृषि विपणन** (श्री मुरारी लाल): (1) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2020-21 में कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर के गौण मण्डी यार्ड बगरू को स्वतंत्र मण्डी बनाये जाने की घोषणा की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून के क्रम में राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम में संशोधन किये जाने से राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों का प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य मण्डी/गौण मण्डी प्रांगण तक ही सीमित रह जाने से कृषि उपज

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)
मण्डी समितियों की आय में विपरीत प्रभाव होने के फलस्वरूप नवीन स्वतंत्र मण्डियों की स्थापना की कार्यवाही को उपादेयता, औचित्य व आवश्यकता के आधार पर विस्तृत आकलन एवं विश्लेषण कर चरणबद्ध तरीके से करने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापिस लिये जाने के फलरूवरूप मण्डी अधिनियम के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन के उपरान्त मण्डी समितियों की आय में वृद्धि सम्भावित है। इसके पश्चात् चरणबद्ध रूप से बगरू सहित बजट में घोषित सभी गौण मण्डियों को स्वंतत्र मण्डी बनाने की कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लिये जाने के फलरूवरूप मण्डी अधिनियम के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन के उपरान्त मण्डी समितियों की आय में वृद्धि सम्भावित है। इसके पश्चात् चरणबद्ध रूप से बगरू सहित बजट में घोषित सभी गौण मण्डियों को स्वंतत्र मण्डी बनाने की कार्यवाही की जावेगी।

कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), जयपुर के अधीन गौण मण्डी यार्ड बगरू दिनांक 18 अप्रैल, 1975 से स्थापित है जिसमें कृषि जिन्सों के विपणन का कार्य संचालित है।

**श्रीमती गंगा देवी** (बगरू): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी की घोषणा थी और वह चाहते हैं कि जनता का भला हो। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में इसे घूमते हुए सालभर हो गया। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि इसे कब शुरू करेंगे और कब तक पूरा कर देंगे?

**श्री मुरारी लाल** (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, गौण मण्डी यार्ड, बगरू को स्वतंत्र मण्डी बनाने के लिये धारा 3 की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। केन्द्र सरकार द्वारा 01 दिसम्बर, 2021 को कृषि कानून वापस ले लिये हैं। मण्डी अधिनियम में भी मण्डी क्षेत्र के प्रावधानों को सम्मिलित किये जाने के संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके पश्चात् मण्डी यार्ड में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही धारा 4 की कार्यवाही करके आपकी मण्डी का गठन किया जायेगा।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। श्री रामलाल।

## मेजर ध्यान चन्द स्टेडियम योजना

**198. श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामलाल शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में मेजर ध्यान चन्द स्टेडियम योजना प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो उक्त योजना में क्या-क्या प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में जिला जयपुर में कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि के स्टेडियम तैयार किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ब्लाक गोविंदगढ़ में भी स्टेडियम बनाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल** (श्री अशोक): (1) जी हां। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 61 के अनुसार मेजर ध्यान चन्द स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लाक में खेल स्टेडियमों के विकास कार्य करवाये जाने हेतु विधायक, सांसद निधि/जन प्रतिनिधि/जन सहयोग/सीएसआर/स्थानीय निकाय से प्राप्त राशि के बराबर राशि मैचिंग ग्रांट के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिकतम राशि रुपये 25.00 लाख दी जायेगी।

(2) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम खरकडी जिला जयपुर में विधायक कोष से राशि रुपये 200.00 लाख की अनुशंसा की गई है। राशि प्राप्त होने पर निर्माण कार्य करवाये जायेंगे।

वर्तमान में जयपुर जिले में इस योजना के तहत किसी स्टेडियम का निर्माण नहीं किया गया।

(3) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर स्टेडियम निर्माण का विचार किया जाता है।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने स्वीकार किया कि जयपुर जिले में अभी मेजर ध्यान चन्द स्टेडियम एक भी नहीं बना है। दूसरी बात, यह है कि मेरी खुद की विधान सभा में ग्राम पंचायत फतेहपुरा के खेल स्टेडियम के सारे कागजात, एक फोटो और विधायक कोष की अनुशंसा का पत्र मैं आपके कार्यालय में देकर गया था, उसका उल्लेख भी आपने इसमें नहीं किया। तीसरा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप डीएमएफटी फंड को भी इसमें समावेश करना चाहते हो ताकि इस योजना को धरातल पर क्रियान्वित किया जा सके?

**श्री अशोक** (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीन बातें पूछीं। पहली बात तो कि जयपुर में किसी भी स्टेडियम का काम क्यों नहीं चल रहा है? इसका खंड 2 में मैंने बता दिया कि केवल कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने इस योजना के तहत प्रपोजल भिजवाया है। उस योजना के तहत प्रपोजल आ गया है और जैसे ही उनका पैसा पीडी अकाउंट में आता है, उसका टेंडर हम लोग हमारे विभाग का पैसा मिलाकर काम शुरू कर देंगे। दूसरा, आपने कहा कि एक पंचायत में एक खेल स्टेडियम का काम चल रहा है और उसके प्रपोजल आपने भेजे हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह योजना ब्लाक स्तर की योजना है, इसमें ग्राम पंचायत स्तर का कोई उल्लेख नहीं है और वहां पर इस योजना के तहत कोई काम नहीं हो सकता है। तीसरा क्या सवाल था, वह एक बार वापस पूछ लेंगे तो मैं और बता दूंगा।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन तो इतना ही था कि हमारे ब्लाक में सिर्फ एक ही ग्राम पंचायत का चयन हमने किया है। उसके राजस्व के जितने दस्तावेज थे, वह सारे हमने दे दिये। विधायक कोष की अनुशंसा भी दे दी।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, पंचायत समिति से प्रस्ताव बनाकर भेज दें, उस पंचायत का इसमें हो जायेगा। अगला प्रश्न। श्री जोराराम कुमावत।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): जो जिले में डीएमएफटी फंड है, क्या उसका समावेश करना चाहते हो?

**श्री अध्यक्ष**: डीएमएफटी की अलग गाइडलाइन है, उसमें सब चीजें अलाउ हैं। श्री जोराराम कुमावत।

## तखतगढ़ (सुमेरपुर) के कन्या महाविद्यालय में स्वीकृत पद

**199. श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के क़स्बा तखतगढ़ में कन्या महाविद्यालय कब स्वीकृत हुआ? वर्तमान में उक्त महाविद्यालय में कौन-कौनसे विषय संचालित हैं व कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कन्या महाविद्यालय में कितने व कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं व कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार

(श्री जोराराम कुमावत)

रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उक्त महाविद्यालय कहां संचालित है? क्या सरकार उक्त महाविद्यालय हेतु भूमि आबंटन कर भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**श्री रामलाल जाट** (राजस्व मंत्री) (श्री राजेन्द्र यादव, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री के स्थान पर): (1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के कस्बा तखतगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय दिनांक 09.06.2021 को स्वीकृत किया गया है। उक्त महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, हिंदी साहित्य, इतिहास, गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र विषय संचालित है तथा इस महाविद्यालय में 124 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

(2) राजकीय कन्या महाविद्यालय, तखतगढ़ में शैक्षणिक व अशैक्षणिक वर्ग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है।

विभिन्न विषयों में सहायक आचार्य के 918 रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासमय रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) वर्तमान में उक्त महाविद्यालय अस्थायी रूप से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय (खेड़ावास परिसर भवन) तखतगढ़ में संचालित है।

उक्त महाविद्यालय हेतु भूमि आबंटन किया जा चुका है। भवन निर्माण की कार्यवाही यथाशीघ्र प्रारम्भ की जावेगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)**

**श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, तखतगढ़ में कन्या महाविद्यालय दिनांक 09.06.2021 को स्वीकृत किया गया था और उसमें सिर्फ आर्ट्स विषय शुरू किया है, वाणिज्य और विज्ञान विषय वहां नहीं है, जिस कारण आज भी छात्राएं 25-50 किलोमीटर दूर पढ़ने जाती हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वाणिज्य और विज्ञान विषय खोलने की सरकार मंशा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, इतने पद खाली हैं और एक वाणिज्य खुला कर और खाली कराओगे। 10 में से 3 पद भरे हुए हैं, पहले इनको भरने दो फिर वाणिज्य आयेगा।

अगला प्रश्न। श्री गोपाल लाल शर्मा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, देख लिया, 10 में से 3 पद भरे हुए हैं वाणिज्य खुला कर बच्चों के साथ क्या करोगे? प्लीज।

## प्रश्न संख्या 200

अगला प्रश्न। श्री गोपाल लाल शर्मा।

**(अनुपस्थित कृपया आगे देखें।)**

अगला प्रश्न। श्री ज्ञानचंद पारख।

## पाली में एमनेस्टी स्कीम में प्रकरणों का निस्तारण

**201. श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली में जीएसटी लागू होने से पूर्व के राज्य के विभिन्न करों के कितने विवादित प्रकरण थे?

(2) सरकार द्वारा उक्त विवादित प्रकरणों के निस्तारण हेतु लागू की गई एमनेस्टी स्कीम-2021 के अन्तर्गत उक्त जिले में अब तक कितने प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है एवं शेष कौन-कौनसे प्रकरण लम्बित हैं?

(3) क्या सरकार अब उक्त लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु उक्त स्कीम की अवधि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी अवधि व नहीं, तो किन-किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) पाली जिले में जीएसटी लागू होने के पूर्व की अवधि (अर्थात् 01.07.2017 तक) के विभिन्न करों के 19371 विवादित प्रकरण लम्बित थे।

(2) एमनेस्टी स्कीम 2021 के अन्तर्गत विवादित प्रकरणों में से दिनांक 06.03.2022 तक 15700 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। शेष 3671 प्रकरणों की सूची Annexure-A पर संलग्न है।

(3) जी हां। एमनेस्टी स्कीम-2021 में willingness हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुति की अवधि दिनांक 31.10.2021 को समाप्त हो चुकी थी, लेकिन बजट

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

2022-23 में नई एमनेस्टी स्कीम-2022 दिनांक 23.02.2022 को अधिक छूट के साथ लायी गयी है। इस स्कीम के तहत willingness प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 31.08.2022 रखी गयी है।

**(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)**

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिये तो आपको धन्यवाद कि आपने स्कीम की अवधि बढ़ा दी। मेरा एक निवेदन रहेगा कि ऑडिट और एंटीइवेजन के प्रकरणों को आपने केन्द्रीकृत कर दिया। पाली का किसी का ऑडिट का प्रकरण है तो उसे जयपुर आना पड़ता है और एक बार नहीं, कोई पेपर कम हो तो दुबारा, तिबारा भी आना पड़ता है। आप इतनी छूटें दे रहे हो तो मेहरबानी करके यह छूट भी दे दो कि वहां के जो ऑडिट या एंटीइवेजन के प्रकरण हैं, वह वहीं निपट जायेंगे या उसकी ऑनलाइन व्यवस्था करेंगे या नहीं करेंगे? इन दोनों में से एक का आप जवाब दे दो।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह तो प्रश्न से अलग चीज है। आपकी जो परेशानी है, इसको दिखवा लेंगे।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): मेरी परेशानी नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, यह गलत बात है, मंत्री जी बोल रहे हैं और आप खड़े हो रहे हैं।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने जो सुझाव दिया है कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो आप अगर पत्र देंगे तो उस सुझाव को करवा देंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है। जो एमनेस्टी स्कीम-2021 थी और 2022 में एमनेस्टी स्कीम यहां बजट में अनाउंस की गई, उसमें बहुत सारे बिन्दु ऐसे हैं जिनमें सारी चीजें कवर हो जायेंगी। मोटे तौर पर एमनेस्टी स्कीम के तहत 496 करोड़ का नकद राजस्व प्राप्त हुआ था लेकिन कर के रूप में 2496 करोड़ रुपये की छूट दी गई, उसका परिणाम यह निकला कि आपके इतने केसेज निकल गये। एमनेस्टी स्कीम-2022 में अधिक छूट के साथ, पहले जो 2021 वाली थी, उसमें न्यायालयों में जो लम्बित प्रकरण थे, वह कवर नहीं होते थे, अब से उनको भी कवर किया है। उनमें भी किसी प्रकार की छूट दे दी जायेगी। अगर कोई व्यक्ति 40 प्रतिशत कर जमा करता है तो बाकी 60 प्रतिशत तो माफ हो ही गया, उसके साथ-साथ 100 परसेंट

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

ब्याज माफ हो गया, पैनल्टी माफ हो गई और accrued interest वगैरह सब माफ हो गये। इसी के साथ-साथ सरकारी विभाग, निगमों, उपक्रमों और भारत सरकार के रक्षा विभाग के विरुद्ध चल रही मांगों को भी एमनेस्टी स्कीम-2022 में खतम कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत उन व्यापारियों को भी लाभ दिया गया है जो निर्धारण एक्स-पोर्ट आदेशों को री-ओपन करने तथा रेक्टिफिकेशन हेतु निवेदन करने की अवधि से संबंधित प्रावधानों में शिथिलता प्रदान की गई और उन्हें और सरल बना दिया गया है।

एक सबसे बड़ी बात यह कर दी गई कि अगर किसी के पास मान लीजिए, चल और अचल सम्पत्ति नहीं है तो उसका सारा राइट आफ कर दिया है। प्रोफेशनल टैक्स से संबंधित मांग को ही समाप्त कर दिया। एमनेस्टी स्कीम में इतने बड़े फायदे निकाले गये हैं तो मैं यह समझता हूं कि निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। लेकिन फिर भी जो आपने सुझाव दिया है कि वहां जाओ, यहां आओ, उसके लिये आप पत्र लिखोगे तो उसको एग्जामिन करा लेंगे।

## प्रश्न संख्या 202

**श्री अध्यक्ष**: श्री सतीश पूनियां।

**(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें।)**

अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़।

## अजमेर में आनासागर झील का संरक्षण

**203. श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) (श्रीमती अनिता भदेल के स्थान पर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर आनासागर झील के चारों तरफ झील संरक्षण हेतु किस-किस खसरा नम्बरों को सुपर इम्पोज कराकर कितनी भूमि अवाप्त की गई? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आनासागर झील में वैटलैण्ड हेतु भी भूमि अवाप्त की गई है? यदि हां, तो खसरा नम्बरों को सुपर इम्पोज कराकर अवाप्त भूमियों के नक्शों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दोनों कार्यों हेतु कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की गई व उक्त अवाप्त भूमि का किस-किस खातेदार को कितना-कितना मुआवजा दिया गया? अवाप्त भूमि का पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

**नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री** (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) आनासागर झील के चारों ओर झील संरक्षण हेतु 171 बीघा 03 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का अवाप्ति अवार्ड दिनांक 10.10.2014 को जारी किया गया है। उक्त खसरा नम्बरों का राजस्व मानचित्र में सुपर इम्पोज नहीं किया गया है। अवाप्तशुदा खसरा नम्बरों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। वैटलैण्ड हेतु कुल 215 बीघा 14 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई है। आनासागर वैटलैण्ड योजना हेतु अवाप्त भूमि के खसरा नम्बरों का राजस्व मानचित्र में सुपर इम्पोज नहीं किया गया है।

(3) आनासागर झील संरक्षण योजना में कुल 171 बीघा 03 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि अवाप्त की गई है। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। आनासागर झील क्षेत्र में वैटलैण्ड निर्माण योजना में कुल 215 बीघा 14 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई है। सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

आनासागर झील संरक्षण योजना एवं वैटलैण्ड निर्माण योजना हेतु अवाप्त भूमि के किसी भी खातेदार को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

**(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयी)**

**श्री अध्यक्ष**: क्या कोई सप्लीमेंट्री बनता है?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि अवाप्त भूमि के किसी भी खातेदार को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। क्या यह सही है कि बिना लैण्ड एक्विजिशन एक्ट के और एक्विजिशन के बिना आप किसी भी खातेदार की जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं? क्या यह भी सही है कि आपने बिना मुआवजे के खातेदार की भूमि का म्यूटेशन एडीए के नाम से खोल दिया? क्या यह भी सही है कि आपने कहा कि सुपर इम्पोज नहीं किया तो आपने किस आधार पर इस योजना के अन्दर भूमि एक्वायर की? उसका क्या आधार था? यह बताने की कृपा करें।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भूमि अवाप्त क्यों की गयी? यह आपका सवाल था।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): बिना मुआवजे के आपने भूमि कैसे अवाप्त की?

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं मुआवजे पर भी आता हूं। भूमि अवाप्त करने का मुख्य कारण यह था कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 5464/2007 दिनांक 08.02.2009 को जिला कलेक्टर को पारित निर्देश के क्रम में जीवों को संरक्षित करने और बरसात के पानी की आवक सुनिश्चित करने और वेटलैण्ड निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ करने की कार्यवाही की गयी। यह हाई कोर्ट के आर्डर से की गयी। सवाल यह है कि आनासागर झील संरक्षण योजना हेतु जो अवार्ड जारी किया गया, 75 करोड़ 43 लाख का तो एक अवार्ड जारी हुआ और दूसरा 33 करोड़ 5 लाख का जारी किया गया। आप पूछ रहे हैं कि आपने मुआवजा क्यों नहीं दिया? आपकी यही मुख्य बात थी। मुआवजा इसलिये नहीं दिया, क्योंकि हमें कब्जा नहीं मिला और कब्जा किसने रोका? हाई कोर्ट ने कब्जा रोका। मैं आपको हाई कोर्ट का डिसिजन पढ़कर बता देता हूं। 2012 में हाई कोर्ट ने यह कहा कि "it is directed that even while acquisition proceedings may continue, petitioner shall not be dispossessed from his land in issue without prior permission of the court." जो आज तक नहीं मिली। जब तक कब्जा नहीं मिलेगा, तब तक मुआवजा नहीं मिलेगा। अगर मुआवजा मिल जायेगा तो एसीबी का केस बन जायेगा कि कब्जा तो मिला नहीं और तुमने कैसे मुआवजा दे दिया, कुल मिलाकर यही बात है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): अध्यक्ष महोदय...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप मंत्री को सुनना नहीं चाहते हैं, खड़े हो गये। आप बैठें। अगला प्रश्न। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

## छबड़ा में वन भूमि पर अवैद्ध निर्माण

**204. श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष) (श्री प्रताप सिंह के स्थान पर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के वन खण्ड, बापचा के ग्राम भटखेड़ी के आस-पास की वन भूमि पर अवैध निर्माण हो रहे हैं? यदि हां, तो किन-किन के द्वारा अवैध निर्माण किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अतिक्रमणों को हटाये जाने के लिये जिला प्रशासन एवं विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**वन मंत्री** (श्री हेमाराम चौधरी): (1) जी हां। कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां अधीनस्थ क्षेत्र में वन खण्ड, बापचा के गांव भटखेड़ी के आस-पास वन भूमि पर हुए आवासीय अतिक्रमण संबंधित विवरण परिशिष्ट-ए के अनुसार है।

(2) जी हां। अतिक्रमण के संबंध में दिनांक 09.01.2021 को विभाग द्वारा सर्वे कराया जाकर सीमाज्ञान किया गया तथा अतिक्रमण हटाने के लिए दिनांक 25.01.2021 को क्षेत्रीय वन अधिकारी, छबड़ा, बारां द्वारा अतिक्रमियों को नोटिस जारी किए गए, जिसके पश्चात् अतिक्रमियों के द्वारा प्रकरण माननीय न्यायालय ACJM छबड़ा में प्रस्तुत किया गया, जिसका प्रकरण सं. 05/2021 एवं 06/2021 है, जो माननीय न्यायालय ACJM, छबड़ा में विचाराधीन है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): आपने स्वयं ने माना कि 25.01.2021 को क्षेत्रीय वन अधिकारी छबड़ा, बारां द्वारा अतिक्रमियों को नोटिस जारी किया और कोर्ट में केस गया, लेकिन कोर्ट से कोई स्टे नहीं है। तब से लेकर अब तक विभाग कार्यवाही करने में अपने आपको सक्षम क्यों नहीं मानता है?

**श्री हेमाराम चौधरी** (वन मंत्री): कोर्ट में स्टे नहीं है, लेकिन यह कोर्ट में लम्बित है। फिर भी इनको नोटिस तो दिया हुआ है। नोटिस देने के बाद जब मैंने अधिकारियों को यह कहा कि कोर्ट से स्टे नहीं है तो आपने इसके बारे में आगे कार्यवाही क्यों नहीं की? मैंने ये निर्देश दे दिये हैं कि आपने नोटिस दिये हैं और जब स्टे नहीं है तो आपको उस पर कार्यवाही करनी चाहिये। मैंने ACJM कोर्ट के निर्णय को पढ़ा है, उसमें वास्तव में स्टे नहीं है। इसमें कुल आठ लोगों के कब्जे हैं। वैसे इनके पक्के मकान बने हुए हैं और बहुत वर्षों से बने हुए हैं इसलिए हटाना भी कठिन है फिर भी नोटिस दिया है। जो भी कानूनी रूप से हटाने के लिए सम्भव होगा, उसके लिए अधिकारियों को निर्देश देंगे कि वे हटायें।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): जब आपने कोर्ट का भी रेफरेंस दे दिया कि कोर्ट से स्टे नहीं है। विभाग इसको मानता है कि अतिक्रमण है तो कार्यवाही में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होते हुए भी यह काम क्यों रुका हुआ है? इसका मतलब है कि आप जान-बूझकर उनको अवसर दे रहे हैं कि आप उनके अतिक्रमण को नहीं हटायें।

**श्री हेमाराम चौधरी** (वन मंत्री): उसमें एक चीज है कि उसमें सीमा का भी विवाद है। जो स्टे है, वह इस वन भूमि का नहीं है। उनकी दूसरी निजी भी भूमि का है। उनका यह कहना है कि ये जो हमारे मकानात बने हुए हैं ये निजी भूमि में हैं, वन भूमि में नहीं हैं, यह विवाद भी है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): यह बात होती तो कोर्ट इतना तो समझती कि कोर्ट उसको स्टे दे देती। कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, इसका मतलब है कि उनका पक्ष कमजोर है।

**श्री हेमाराम चौधरी** (वन मंत्री): कोर्ट ने स्टे दिया है, लेकिन वन विभाग की भूमि के लिए नहीं दिया। निजी खातेदारी की भूमि है, जिसके लिए वह कोर्ट में गया है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी, विभाग अतिक्रमण मान रहा है। उस जमीन पर स्टे नहीं है तो डायरेक्शन देकर डिमोलिश करने में क्या तकलीफ है?

**श्री हेमाराम चौधरी** (वन मंत्री): मैंने कहा कि स्टे दूसरे खसरे का है।

**श्री अध्यक्ष**: इससे क्या सम्बन्ध है? विभाग मान रहा है कि वन भूमि पर अतिक्रमण है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उस पर स्टे नहीं है तो प्राइवेट से क्या सम्बन्ध है? विभाग को तो अपनी भूमि पर कार्यवाही करनी है। उस कार्यवाही को करने में क्या तकलीफ है?

**श्री हेमाराम चौधरी** (वन मंत्री): हमारा विभाग मान रहा है कि हमारी जमीन है, लेकिन राजस्व विभाग की भी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि वह राजस्व भूमि हो और उसे डिमोलिश कर दें।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी, I am extremely sorry. वह आदमी कोर्ट में चला गया। कोर्ट में उसको रिलीफ नहीं मिला। जब रिलीफ नहीं मिला तो एक्शन लेना है। हमें एक्शन लेने में क्या तकलीफ है?

**श्री हेमाराम चौधरी** (वन मंत्री): मेरा कहना है कि इसका सीमा ज्ञान करा लेते।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी, यह आपका काम नहीं है। जो इफेक्टेड पार्टी थी, वह कोर्ट में गयी। कोर्ट में भी उन्होंने यह आर्ग्यूमेंट दिया, फिर भी कोर्ट में स्टे नहीं मिला, तो फिर हम उसमें प्रोटेक्ट करने का काम क्यों कर रहे हैं? विभाग का काम यह है कि हमारी भूमि पर यदि अतिक्रमण है, हमने नोटिस दिये हैं, कोर्ट से स्टे नहीं है, विभाग अपने अधिकारियों को निर्देश दे कि इस पर कार्यवाही करें।

**श्री हेमाराम चौधरी** (वन मंत्री): जब कल प्रश्न लगा था तो उस समय ही मैंने इनको कह दिया था कि आपने नोटिस देने के बाद उसके आगे कार्यवाही क्यों नहीं की, आपको कार्यवाही करनी चाहिए। तब इन्होंने कोर्ट के स्टे वाली बात बतायी।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी, आपका काम डायरेक्शन देने का है।

**श्री हेमाराम चौधरी** (वन मंत्री): इनको अतिक्रमण हटाने के डायरेक्शन दे दिये हैं।

**श्री अध्यक्ष**: ठीक है, काफी है। अगला प्रश्न। श्री अमीन खां।

## बाड़मेर व जैसलमेर के पटवार मण्डल

**205. श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) (श्री अमीन खां शिव के स्थान पर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने पटवार मंडल हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कितने पटवार मंडल हैं व उक्त में से कितने पटवार मण्डलों में पटवारियों के पद रिक्त हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

**राजस्व मंत्री** (श्री रामलाल जाट): (1) प्रदेश में कुल 10833 पटवार मंडल हैं। पटवार मण्डलों की जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में तहसीलवार स्वीकृत एवं रिक्त पटवार मण्डलों की सूचना का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाड़मेर और जैसलमेर में जो इतने पद रिक्त हैं, इनको कब तक भरा जाएगा और दूसरा मेरा प्रश्न है कि पंचायत मुख्यालयों पर जहां पटवार मण्डल नहीं है, उन सभी पंचायत मुख्यालयों पर पटवार मंडल खोलने का विचार रखती है?

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न बाद में। पहले वाला भाग जवाब दें।

**श्री रामलाल जाट** (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सूचना बाड़मेर और जैसलमेर की चाही है। ये पद खाली हैं, जिनकी प्रक्रिया में 5610 पद मुख्य मंत्री जी ने जो बजट में था अनाउंस किया, उसके एग्जाम भी

(श्री रामलाल जाट)

हो गये हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से और उसका परिणाम जारी होने के बाद दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही रेवेन्यू बोर्ड के माध्यम से चल रही है। लगभग 11 हजार उन्होंने हमें सत्यापन के लिए भेजा है। सत्यापन की कार्यवाही उपरान्त तुरंत हम यह पद जल्दी भर देंगे क्योंकि इसमें महीने-डेढ़ महीने का समय लगेगा। 11 हजार लोगों का सत्यापन हो रहा है, उसके बाद हम तुरंत पद भर देंगे।

## प्रश्न संख्या 206

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। श्री सुरेश टाक।

**(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)**

## प्रश्न संख्या 207

अगला प्रश्न। श्रीमती चन्द्रकान्ता।

**(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें।)**

अगला प्रश्न। श्री सुमित गोदारा।

## लूणकरणसर कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़कों का निर्माण

**208. श्री सुमित गोदारा** (लूणकरणसर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार लूणकरणसर कृषि उपज मण्डी द्वारा साबनीया से नाईयों की ढ़ाणी (उदासर) तीन कि.मी., राजपुरा हुड्डान से मेघवालों की ढ़ाणी तीन कि.मी. तक सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कृषि उपज मण्डी के विभिन्न मदों में 28 जनवरी, 2022 तक कितनी राशि उपलब्ध है? मदवार राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, कृषि विपणन** (श्री मुरारी लाल): (1) कृषि उपज मण्डी समिति लूणकरणसर द्वारा साबनीया से नाईयों की ढ़ाणी (उदासर) 3 कि.मी. राशि 90.00 लाख रु. एवं राजपुरा हुड्डान से मेघवालों की ढ़ाणी 3 कि.मी. राशि 84.00 लाख रु. की सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 23.02.2022 प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव सड़क निर्माण स्वीकृति हेतु निर्धारित मापदण्ड दिनांक 31.12.2014 के तहत परीक्षणाधीन है।

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, लूणकरणसर की 28 जनवरी, 2022 को विभिन्न मदों में उपलब्ध बचत राशि का विवरण निम्नानुसार है-

| **मण्डी यार्ड निर्माण हेतु** | **सड़क निर्माण हेतु** | **एच.आर.डी. व पी.एच. एम. हेतु** | **भूमि अवाप्ति हेतु** | **कुल उपलब्ध बचत** |
|---|---|---|---|---|
| 36% | 24% | 20% | 20% | |
| 261.16 | 308.81 | 257.34 | 257.34 | 1084.65 |

**श्री सुमित गोदारा** (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 3 करोड़ 8 लाख की राशि लूणकरणर कृषि उपज मण्डी में है और मैंने दोनों सड़कों के प्रस्ताव, जो लम्बे समय से चल रहे हैं जैसे कि बगरू विधायक ने भी कहा कि...

**श्री अध्यक्ष**: आप प्रश्न पूछिए।

**श्री सुमित गोदारा** (लूणकरणसर): मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। जब मुख्य मंत्री 1000 किलोमीटर सड़क की घोषणा करते हैं, बजट उपलब्ध है तो मण्डी सचिव आपको ये कागज तुरंत क्यों नहीं भेजते? जब इतने समय से आपको...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछना सीखिए?

**श्री सुमित गोदारा** (लूणकरणसर): प्रश्न ये है कि क्या आप इन सड़कों को स्वीकृत करने की मंशा रखते हैं? साथ ही सचिवों को पाबन्द करें कि जब प्रस्ताव विधायक भेजते हैं तो उनको तुरंत आगे प्रक्रिया में जो मापदण्ड में आते हैं, उनको स्वीकृत कराएं।

**श्री मुरारी लाल** (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, पहले तो माननीय सदस्य महोदय के प्रस्ताव अभी हाल ही में दिनांक 23/02/2022 को ही प्राप्त हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लम्बे समय से विचाराधीन है। दूसरा, जो मण्डी समिति में रोड स्वीकृत की जाती हैं, वे ही रोड स्वीकृत की जाती हैं जो राज्य सरकार या भारत सरकार की योजनाओं में सम्मिलित नहीं है और बजट हमारे पास उपलब्ध होता है। बजट उपलब्ध है आपका तो उसका हम परीक्षण करवा लेंगे और उसमें आएगा तो निश्चित ही स्वीकृत करेंगे। वैसे तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बार निहाल कर दिया दस-दस करोड़ एक-एक को दिये हैं, उसमें मिसिंग लिंक का काम ले सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न।

**श्री सुमित गोदारा** (लूणकरणसर): अध्यक्ष जी...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आपकी हां भर ली, फिर भी बहस कर रहे हैं। श्री अर्जुन लाल। बैठें प्लीज। अलाउ नहीं है। आपने लिखकर भेजा है। पूछिए। आप बैठें प्लीज, रिकार्ड नहीं होगा।

**श्री सुमित गोदारा** (लूणकरणसर): 000

**श्री अध्यक्ष**: प्लीज बैठिए। आप नीचे बैठिए। आपको कह दिया कि कर देंगे। समझ में नहीं आया?

**श्री सुमित गोदारा** (लूणकरणसर): 000

**श्री अध्यक्ष**: आपने सुना नहीं। बैठिए प्लीज। Don't argue. आर्ग्यू नहीं करें। आपको कह दिया कि आपके प्रस्ताव अभी आये हैं, स्वीकृत कर देंगे, पैसा उपलब्ध है। फिर क्या चाह रहे हैं आप? बैठिए प्लीज।

## कपासन के आई.टी.आई. केन्द्रों में स्वीकृत ट्रेड

**209. श्री ललित कुमार ओस्तवाल** (बड़ी सादड़ी): (श्री अर्जुन लाल जीनगर के स्थान पर): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में सरकारी आई.टी.आई. केन्द्रों पर कौन-कौन से ट्रेड की कितनी-कितनी सीटें स्वीकृत हैं तथा कितने-कितने प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सरकारी आई.टी.आई. में प्रशिक्षण देने के लिए स्वीकृत इंस्ट्रेक्टरों में से किस-किस ट्रेड के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार अब उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**श्री सुमित गोदारा** (लूणकरणसर): 000

**श्री अध्यक्ष**: I will not allow you next time even when you raise any question. हां, बिलकुल। आप अध्यक्ष की बात को नहीं मानेंगे, I will deprive you.

**राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता** (श्री अशोक): (1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में राजकीय आई.टी.आई. में स्वीकृत व्यवसायों, सीटों एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) कपासन विधान सभा क्षेत्र में संचालित सरकारी औद्‌योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसायवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न है।

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

जी हां। चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन स्थान का आबंटन किया जाता है। वर्तमान में अनुदेशकों (इंस्ट्रक्टर) के पदों पर प्रक्रियाधीन भर्ती का विवरण परिशिष्ट-03 के रूप में संलग्न है। शेष रिक्त पदों पर डीजीटी भारत सरकार के मापदण्डानुसार सेवा नियमों में संशोधन उपरान्त भर्ती कार्यवाही की जा सकेगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री ललित कुमार ओस्तवाल** (बड़ी सादड़ी): आई.टी.आई., राशमी का भवन जो कैम्प कपासन में चल रहा है, उसको राशमी में कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? आई.टी.आई. राशमी और आई.टी.आई. कपासन के रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

**श्री अशोक** (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला सवाल तो यह है कि आई.टी.आई. राशमी को कब शुरू किया जायेगा, तो इस जुलाई के सेशन में आई.टी.आई. राशमी में शुरू हो जायेगी।

रिक्त पदों का, एक रिक्त पद तो इस नई पोस्टिंग में मैकेनिकल डीजल की जो नई जॉइनिंग है, उससे भर चुकी है। बाकी आगे जो भर्तियां होंगी, इस बार 374 भर्तियां निकली थी, उसमें से 50 की अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई हैं, 324 की जॉइनिंग हो गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैकेंसी काफी हैं और काउंसलिंग के माध्यम से जो वे अपनी चोइस से वेंकेंट पोस्ट बताते हैं, वहां पर पदों पर लगाया जाता है। यहां पर केवल एक ही अभ्यर्थी ने इस कपासन की पोस्ट को मांगा और उसको काउंसलिंग में जगह मिल गयी है। आगे जब काउंसलिंग होगी, जो भी अभ्यर्थी इसके अन्दर मांगेगा, उसको मिल जायेगी, कोई दिक्कत नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

## नदबई में नवीन कन्या महाविद्यालय

**210. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना** (नदबई): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार विधान सभा क्षेत्र नदबई के नगरपालिका उच्चैन में नवीन कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**श्री रामलाल जाट** (राजस्व मंत्री) (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा के स्थान पर): बजट भाषण वर्ष 2022-23 में विधान सभा क्षेत्र नदबई के नगरपालिका, उच्चैन में नवीन कन्या महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। बजट घोषणा की प्रति परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न है कुछ?

**श्री जोगिन्दर सिंह अवाना** (नदबई): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

**श्री जोगिन्दर सिंह अवाना** (नदबई): **...**कि इस बजट सत्र में बच्चियों के लिए कालेज खोली है।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न है या नहीं है? बैठिए प्लीज। अगला प्रश्न, श्रीमती कृष्णा पूनियॉ। प्रश्नकाल समाप्त होने में अभी समय बाकी है।

## सादुलपुर में शुभ शक्ति योजना के लाभार्थी

**211. श्री गोपाल लाल मीना** (जमवारामगढ़) (श्रीमती कृष्णा पूनियॉ के स्थान पर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में शुभ शक्ति योजना में वर्ष 2018 से 2021 तक कितने अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं व कितने अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार शेष रहे अभ्यर्थियों को कब तक भुगतान किए जाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, श्रम** (श्री सुखराम विश्नोई): (1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में शुभ शक्ति योजना में वर्ष 01.01.2018 से 31.12.2021 तक कुल 3,122 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 152 हिताधिकारियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

(2) माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसरण में शुभ शक्ति योजना के आवेदनों के निस्तारण की प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री गोपाल लाल मीना** (जमवारामगढ़): धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: धन्यवाद। मैं खुद ही प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री जी, यह जो शुभ शक्ति योजना है, उस योजना का लाभ सही ढंग से लोगों को मिले, उसके लिए विभाग क्या निर्देश दे रहा है?

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष जी, शुभ शक्ति योजना 2016 में लागू की गयी। इस सैस वसूली से जो भवन बनते हैं, एक परसेंट वसूली से इनकी तमाम योजना शुभ शक्ति, छात्रवृत्ति, प्रसूति सहायता, दुर्घटना बीमा, तमाम इसी सैस से वसूल किये जाते हैं। 2018 में शुभ शक्ति योजना में 1 लाख 92 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे हमें। एक हजार 56 करोड़ रुपये बकाया थे। टोटल 2018 में सभी जो योजनाएं थीं, शुभ शक्ति के अलावा 2385 करोड़ रुपये 2018 में ये बकाया छोड़ कर गये थे। हमने 2021 में चूंकि सिलिकोसिस है, मृत्यु सहायता है, शिक्षा सहायता है, पशु सहायता है, ये थोड़ी जरूरी होने की वजह से इनको रोककर समय-समय पर करने का निर्णय लेकर ये चारों जो योजनाएं हैं, इनमें राशि खर्च की गयी। अभी जो बजट पेश किया है माननीय मुख्य मंत्री जी ने, इसमें घोषणा की है कि आने वाले तीन महीने में क्रमबद्ध तरीके से सभी जिलाध्यक्षों को लिखा गया है कि शुभ शक्ति योजना के तहत तमाम आवेदनों का निस्तारण किया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी, आखिरी मेरा निवेदन है कि शुभ शक्ति योजना में जेन्युइन आदमी को लाभ नहीं मिल रहा है। पाली के माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा उसमें 33 परसेंट, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि विभाग निर्देशित करें उसमें जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिये बिकॉज, हर आदमी जो काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, मकान बनाने में काम कर रहा है, उन आदमियों को लाभ देने की योजना है। जिस तरह का विभाग का काम है, उसमें उन आदमियों को लाभ नहीं मिल रहा है। कृपया इस योजना को प्रभावशाली लागू करने के लिये जो भी निर्देश देने आवश्यक हैं, वह देने का काम करें।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

**(अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)**

**(समय: 12.00 बजे)**

(श्री अध्यक्ष)

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री बाबुलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के कोटडा क्षेत्र के सहकारी बैंकों में बी.सी. के खाते बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसींद हु रडा के बदनौर सीएचसी में नई व आधुनिक एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(3) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से सिरोही तहसील के भुतगाव में जनता जल योजना के तहत संचालित पेयजल टंकी गिर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत बड़ी में गंदे पानी के निकासी की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से बिजली कम्पनियों द्वारा अपने विजिलेंस अधिकारियों को धरपकड़ हेतु टारगेट आधारित आदेश देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत शहर में सीवरेज नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से परिवाद संख्या 58/2014 के प्रकरण में नगर विकास न्यास कोटा के ले-आउट प्लान में फेरबदल करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर की मुख्य सड़कों पर वर्षाकाल के दौरान नदियों के पानी के वेग से प्रतिवर्ष होने वाली जनहानि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से ऊर्जा विभाग के अधीन अजमेर डिस्कॉम में कनिष्ठ अभियन्ता से सहायक अभियन्ता पदों पर नियमानुसार पदोन्नति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के गांवों में कम वोल्टेज होने से 33 केवी जीएसएस की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

(11) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगरपालिकाओं के मेयर, सभापति, अध्यक्षों के अधिकार व भत्तों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से भ्रष्ट आबकारी अधिकारियों द्वारा, अनुज्ञा शुल्क की राशि वसूल नहीं किये जाने सम्बन्धी प्रकरण में की गयी विभागीय जांच में अधिकारियों को समान रूप से दण्डित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर स्थित सर्कुलर रोड पर फूस की कोठी योजना की बेशकीमती जमीन पर एडीए द्वारा अतिक्रमण को नियमित किये जाने की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(14) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से सामोद स्थित वीर हनुमान मन्दिर में पूर्व में संचालित रोप-वे का पुन: संचालन करने के सम्बन्ध में।

(15) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से नहर निकालने हेतु पत्थर गढ़ी किये जाने से डिकालोनी एरिया के वापस कालोनी एरिया में सम्मिलित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में खेगरों की भागल पंचायत के समेता व धामधर गांवों में भूमि अवाप्ति में विसंगति के कारण गांव में मूलभूत सुविधाएं तथा विकास अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर

36]नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त-08 मार्च 2022-विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(श्री अध्यक्ष)

भी माननीय सदस्य श्री रामलाल शर्मा, श्री रामप्रताप कासनियां एवं श्री धर्मनारायण जोशी को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

# नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल, सदस्य की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत पात्र परिवारों के नाम आवास प्लस सोफ्टवेयर पर अपलोड नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से चम्बल सिंचाई अभियन्ताओं की लापरवाही के कारण एक्सप्रेस वे निर्माण के दौरान सिंचाई तन्त्र प्रभावित होने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती इन्द्रा, सदस्य की ओर से कार्मिक विभाग द्वारा एल शेप रोस्टर में पदोन्नति प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के पदों पर सामान्य श्रेणी के कार्मिकों की पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री लक्ष्मण मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सांभरिया बराला सड़क पर ढूंढ नदी की क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री जोगिन्दर सिंह अवाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नदबई के मुख्यालय नदबई में प्रातः भ्रमण के लिये नवीन सेंट्रल पार्क की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से सरकार द्वारा प्रतिमाह 15,000 लीटर मुफ्त पानी दिये जाने की घोषित योजना का लाभ अजमेर के वंचित उपभोक्ताओं को दिये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती मनीषा पंवार, सदस्य की ओर से टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (TEQIP) Faculities को MoU के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष में बजट का प्रावधान सुनिश्चित करते हुए नियमित करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा आबू में सिंचाई हेतु बांधों से नहरें निकाले जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्रीमती मंजु देवी, सदस्य की ओर से नागौर ज़िले की तहसील जायल में दधिमति माताजी गोठ मांगलोद अति प्राचीन ऐतिहासिक मन्दिर का जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले दम्पत्ति को भारत रत्न प्रदान करने के लिये प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भिजवाये जाने सहित 11 सूत्रीय मांगें पूरी किये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर जिला उदयपुर में रोडवेज बसें बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती सफिया जुबेर, सदस्य की ओर से अलवर ज़िले में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज खोलने की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

## बधाई एवं आभार

### महिला दिवस पर शुभकामनाएं

माननीय सदस्य, आज महिला दिवस है। महिला दिवस के अवसर पर, आप सबकी तरफ से मैं महिला दिवस पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आपकी भावनाओं को भी इसके साथ जोड़ता हूं।

### वसुन्धरा राजे, श्रीमती, पूर्व मुख्य मंत्री को जन्म दिवस पर शुभकामनाएं

आज महिला दिवस के अवसर पर हमारी भूतपूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी का जन्म दिवस भी है, इसलिये मैं उनको भी आप सबकी तरफ से शुभकामना देता हूं।

श्री रामलाल शर्मा।

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

### सामोद के वीर हनुमान मन्दिर में रोप-वे का पुन: संचालन

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे

(श्री रामलाल शर्मा)

स्थगन पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान लाखों लोगों की आस्था का केन्द्र वीर हनुमान मन्दिर की ओर ले जाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, वीर हनुमान मन्दिर के प्रति लाखों लोगों की आस्था है। हर माह लगभग एक से सवा लाख आदमी दर्शन करते हैं। एक हजार सीढ़ियां चढ़कर वीर हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन लोगों को करने पड़ते हैं। विगत साल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा करोड़ों रुपये के विकास कार्य इस मन्दिर के प्रांगण के अन्दर करवाये गये। रसोइयां बनवाई गयीं, पार्किंग की व्यवस्था की गयी। पानी की माकूल व्यवस्था की गयी, लाइटों की व्यवस्था की गयी। मन्दिर कमेटी व एक प्राइवेट कम्पनी के मध्य एक एमओयू हुआ, उस एमओयू के तहत एक रोप-वे का संचालन भी किया गया। अध्यक्ष महोदय, अप्रैल, 2019 के अन्दर यह रोप-वे शुरू किया गया। 2019 में शुरू होने के बाद 27 जून, 2019 को इस रोप-वे को यह कहकर बन्द कर दिया गया कि इसकी तकनीकी के अन्दर कुछ परमिशन नहीं ली गयी, उस आधार पर इसको रोका जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों ही विभाग एक तरफ राजस्व रिकार्ड देखते हैं, तो यह रोप-वे जो लगा हुआ है, वह राजस्व रिकार्ड के अन्दर मन्दिर की खातेदारी जमीन है। दूसरी तरफ अगर वन विभाग का देखते हैं तो वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन के अन्दर कहते हैं कि यह जमीन हमारी है। दो विभागों की लड़ाई में लाखों लोगों की आस्था के केन्द्र पर यह रोप-वे बन्द पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार तत्काल दोनों विभागों को एक साथ बिठाकर, इसकी जो भी कमी-खामी है उसको दुरुस्त करके लोगों की भावना को देखते हुए इस रोप-वे को पुन: संचालन करने का काम करें। आपने अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: रामप्रताप कासनियां।

**(समय: 12.08 बजे)**

**(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)**

## सिंगरासर माइनर में जल की उपलब्धता

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे

(श्री रामप्रताप कासनियां)

स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सिंगरासर माइनर के नाम से लगातार पिछले 15 वर्षों से आंदोलन चलता आ रहा है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने 2012-13 के बजट के अन्दर पेज नम्बर 12, पैरा संख्या-28 पर बजट भाषण में अपने श्रीमुख से यह प्रवचन कहे थे कि एटा सिंगरासर माइनर लघु सिंचाई परियोजना, जिला श्रीगंगानगर में से लगभग 1 हजार 966 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु निर्माण कार्य करवाया जायेगा। यह 100 क्यूसेक की नहर है। उस समय चुनाव था, चुनाव के टाइम यह घोषणा की गयी थी।

सभापति महोदय, मेरे कहने का अर्थ है कि, इसी तरह से सरकार ने मृगतृष्णा पैदा करने के लिये बजट भाषण 2022-23 में पेज संख्या 81, पैरा संख्या-141 पर भादरा, नोहर, तारानगर के कुल 30 बारानी गांवों को सिद्धमुख नहर व साहवा लिफ्ट कैनाल से सिंचित कर नहरी क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिये एक उच्च स्तरीय कमेटी बनायी है।

इसी तरह से सिंगरासर माइनर के लिए आन्दोलन के समय सरकार ने एक उच्चस्तरीय कमेटी बनायी थी और आन्दोलन के टाइम सरकार के साथ जो वार्ता हुई, उस वार्ता के अन्दर सरकार ने यह भरोसा दिलाया कि इन्दिरा गांधी नहर को दुबारा पक्का करेंगे। पक्का करने से जो पानी बढ़ेगा ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: धन्यवाद। दो मिनट का टाइम था।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। पानी जो बढ़ेगा उस पर अधिकार सिंगरासर माइनर के लोगों का होगा। मैं कोई भादरा के लोगों के खिलाफ नहीं हूं। मैं इस बात के खिलाफ हूं कि यह मृगतृष्णा कब मिटेगी? चुनाव को देखकर घोषणा करने का काम जो सरकार कर रही है, एक तरफ तो आपके पास पेयजल उपलब्ध नहीं है और दूसरी तरफ आप भूमि सिंचित करने की बात कह रहे हो। इससे अच्छा है कि एक बार किसानों को यह कह दो, नहीं तो मैं आपको यह चेतावनी देना चाहता हूं कि सिंगरासर माइनर का आन्दोलन बहुत भारी संख्या में होगा। सरकार के कण्ट्रोल में आने की स्थिति नहीं रहेगी, यह मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं।

**श्री सभापति**: श्री धर्मनारायण जोशी।

**(समय: 12.11 बजे)**

**(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)**

## समेता व धामधर (मावली) में भूमि अवाप्ति में विसंगति के चलते मूलभूत सुविधाओं का अभाव व अवरुद्ध विकास

**श्री धर्मनारायण जोशी** (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लकड़वास पंचायत की नई पंचायत बनी खेगरों की भागल, वहां पर यह दो गांव हैं- धामधर और समेता। पहली बार मैं वहां समेता गया अभी तीन महीने पहले, पूरे गांव वालों ने मुझे बुलाया। वह आर.एस.एम.एम. की माइन्स के एरिया में है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि गांव के लोगों की यह स्थिति है, मुझे ऐसा लगा कि किसी आदिवासी परिवार में जन्म लेकर जैसे उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। आजादी के 70 साल बाद भी आप और हम, कोई सी भी सरकार हो उनका धणी-धोरी कोई नहीं है, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। माइन्स के एरिया में वहां दिन भर ब्लास्ट होता है और लोगों के घरों की दीवारें टूट गयीं। सरकार ने एक आदेश जारी किया और आदेश यह जारी किया कि 2001 की डी.एल.सी. रेट से उनको मकानों और खेतों का मुआवजा दिया जायेगा।

मैंने अभी वहां के डी.एम., आर.एस.एम.एम. से बात की तो उन्होंने यह कहा कि कमिश्नर के साथ मीटिंग में जो तय हो गया वही होगा और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मेरी आपसे यह विनम्र प्रार्थना है, अभी उन्होंने पन्द्रह दिन पहले वहां पानी बन्द कर दिया। मैं वहां पर गया, आपको आश्चर्य होगा कि वहां पर जो पानी पी रहे हैं, टंकी मैंने देखी तो टंकी खुली हुई थी। उसमें कबूतर भी पानी पी रहा है, उसमें कुत्ते भी पानी पी रहे हैं और लोग वहां पर उसकी टोंटी में से पानी भरकर पी रहे हैं।

मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि समेता गांव को वर्तमान डी.एल.सी. रेट से उनके खेतों और घरों का मुआवजा दिया जाये और वहां पर सड़क और पानी की व्यवस्था की जाये, नहीं तो उनको बाहर कहीं जहां पर बसाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में से उनको आवास आबंटित भी किया जाये।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

मेरी आपसे यह पुन: प्रार्थना है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उन दोनों गांवों के लोगों को राहत प्रदान करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: 295, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (अनुपस्थित)।

श्री संदीप शर्मा।

## नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

### चम्बल सिंचित क्षेत्र में एक्सप्रेस-वे निर्माण में लापरवाही

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा में भारत माला परियोजना के तहत निर्माणाधीन 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण के उपरान्त भविष्य में कोटा का विकास होगा परन्तु इसके निर्माण में सी.ए.डी. के अधिकारियों की अनदेखी और निर्माण कम्पनी की अनदेखी और लापरवाही के कारण किसानों की समस्या बढ़ा दी है। इस वे के निर्माण के दौरान सी.ए.डी. के सिंचाई तंत्र का मूल स्वरूप बिगड़ गया है। नहरों, ड्रेन और धोरों की चौड़ाई काफी कम कर दी है। किसानों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा है तथा रास्ता खराब हो गया है।

कम्पनी द्वारा वे निर्माण के दौरान हुई अनियमितताओं की सी.ए.डी. के अभियंताओं द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। सी.ए.डी. अभियंताओं ने एन.ओ.सी. भी जारी की थी परन्तु संरचनाओं को पहले जैसा नहीं बनाया जा रहा है। कई जगह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और निर्माण कम्पनी ने सी.ए.डी. की अनुमति बिना ही संरचनाओं को बदल दिया है। उपखण्ड अधिकारी, दीगोद और लाखेरी द्वारा राजस्व रिकार्ड के अनुसार करवाये गये सर्वे में करीब 57 जगहों पर ड्रेन और धोरों की चौड़ाई कम पायी गयी है तथा मेहरणा, झाडगांव, रामनगर और सुल्तानपुर सब-ब्रांच को पूरी तरह बदल दिया गया है तथा सिंचाई तंत्र की संरचनाएं निर्मित की जा रही हैं उनकी चौड़ाई माप में अत्यन्त कम निकली है। इससे 142 संरचानाएं दायीं मुख्य नहर, 39 संरचनाएं बायीं मुख्य नहर व 29 किलोमीटर क्षेत्र में कोटा जिले में सिंचाई तंत्र प्रभावित होगा जिससे लाखों किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

(श्री संदीप शर्मा)

अत: मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इस लोक महत्व के विषय पर विचार करते हुए चम्बल सिंचाई क्षेत्र में एक्सप्रेस-वे के निर्माण के दौरान सिंचाई तंत्र के स्वरूप को सुधार करने के निर्देश दें ताकि हाड़ौती के किसानों को सिंचाई के लिए नहर का पानी निर्बाध रूप से मिल सके। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती इन्द्रा (अनुपस्थित), श्री लक्ष्मण मीणा। श्री लक्ष्मण मीणा, नियम 295.

**श्री लक्ष्मण मीणा** (बस्सी): अभी मेरे पास प्रस्ताव नहीं है। लाया नहीं।

**श्री अध्यक्ष**: आप 295 बाद में बोल लेना।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

## नदबई में सेंट्रल पार्क की स्थापना

**श्री जोगिन्दर सिंह अवाना** (नदबई): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नदबई के मुख्यालय नदबई में प्रात: भ्रमण के लिए नवीन सैंट्रल पार्क की स्थापना करने के क्रम में निवेदन है।

महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई के मुख्यालय नदबई में स्थानीय व क्षेत्र के लोगों के लिए 25 बीघा भूमि का अधिग्रहण कर प्रात: भ्रमण के लिए सेंट्रल पार्क की स्थापना करने की आवश्यकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में विशेष बड़ा उद्यान नहीं होने के कारण प्रात: भ्रमण के लिए लोगों को स्टेट हाईवे की सड़कों पर ही भ्रमण करने को मजबूर होना पड़ रहा है। क्षेत्र में पार्क न होने की वजह से स्टेट हाईवे की सड़कों पर ही प्रात: भ्रमण करने तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश लोगों द्वारा सेना व पुलिस में भर्ती होने के लिए दौड़ की तैयारी भी करते हैं, जिस कारण से महीने में दर्जनों बार आये दिन सड़क दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं तथा उक्त दुर्घटनाओं में व्यक्ति मृत्यु के आगोश में भी चला जाता है। उक्त सेंट्रल पार्क की स्थापना करने का प्रावधान मास्टर प्लान-2011 के अन्तर्गत भी निहित है।

माननीय, पूर्व में भरतपुर जिले के अन्तर्गत दिनांक 10 जुलाई, 2019 को हाईवे पर कुम्हेर कस्बे के एक परिवार के चार सदस्यों की प्रात: भ्रमण के

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

कारण दुर्घटना घटित होने से मौत भी हो गयी थी जिसमें रघुवीर सिंह, प्रेम सिंह, नरोत्तमलाल तथा मक्खनलाल थे। मुझसे अधिकांश बार नदबई क्षेत्र के लोगों द्वारा मांग की जाती रही है कि क्षेत्र में प्रात: भ्रमण के लिए सेंट्रल पार्क की स्थापना की जाये। उसी अनुरूप मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप द्वारा पूरक बजट में मुख्यालय नदबई में सेंट्रल पार्क की स्थापना की घोषणा कर दी जायेगी। उक्त 25 बीघा भूमि का अधिग्रहण करने के लिए यदि राज्य सरकार को बजट के सम्बन्ध में कोई कठिनाई आती है तो नगरपालिका, नदबई द्वारा इसका वहन कर लिया जायेगा।

अत: आपसे निवेदन है कि उक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए पूरक बजट घोषणा में विधान सभा क्षेत्र नदबई मुख्यालय में 25 बीघा भूमि का अधिग्रहण करके प्रात: भ्रमण के लिए नवीन सेंट्रल पार्क की स्थापना करवाने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री लक्ष्मण मीणा।

## ढूंढ नदी (सांभरिया-बराला सड़क) की क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण

**श्री लक्ष्मण मीणा** (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सांभरिया-बराला सड़क पर ढूंढ नदी की क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण करवाने हेतु राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 12 वर्ष पूर्व सांभरिया से बराला सड़क पर ढूंढ नदी पर पुलिया का निर्माण करवाया गया था। घटिया निर्माण होने के कारण पुलिया अल्प अवधि में ही क्षतिग्रस्त होकर टूट गयी। अभी हालत यह है कि अनेक गांवों का इस सड़क से सीधा सम्पर्क नहीं है तथा लगभग 10-12 किलोमीटर का चक्कर लगाकर आवागमन हो रहा है।

मैं इस सम्बन्ध में माननीय नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि उक्त पुलिया का शीघ्र निर्माण करवाने के आवश्यक कदम उठाएं और जनता के आवागमन में हो रही समस्या से राहत दिलाएं। कृपया अनुमति प्रदान करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, इससे अलग नहीं। 295 पढ़ लिया आपने। प्लीज। श्री वासुदेव देवनानी। प्लीज, यह रिकार्ड नहीं होगा। 295 में जो लिखा हुआ है वह ही बोलते हैं।

**श्री लक्ष्मण मीणा** (बस्सी): 000

## अजमेर के उपभोक्ताओं को मुफ्त पानी घोषणा का लाभ

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत प्रतिमाह 15 हजार लीटर पानी मुफ्त में देने की मुख्य मंत्री द्वारा घोषित योजना का लाभ अजमेर के 65 हजार वंचित उपभोक्ताओं को भी दिलाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख।

महोदय, 'जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा' गीत के बोल राज्य सरकार एवं उसके जलदाय विभाग पर शायद लागू नहीं होते हैं। 3 साल पहले बजट में सरकार के मुखिया द्वारा 15 हजार लीटर प्रतिमाह पानी फ्री देने की घोषणा के लाभ से अजमेर के 65 हजार उपभोक्ता आज भी वंचित हैं। सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को इस बात से अनेक बार अवगत कराया भी जा चुका है लेकिन परिणाम आज तक 'ढाक के तीन पात' ही रहे हैं।

महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 2019 में बजट के दौरान घोषणा की थी कि जिन उपभोक्ताओं का जल उपभोग एक माह में 15 हजार लीटर तक होगा, उनसे शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसे उपभाक्ताओं से प्रतिमाह सीवरेज शुल्क (3.75) भी नहीं वसूला जाएगा। चूंकि जलदाय विभाग हर दो माह में पानी का बिल घरों पर भेजता है, ऐसे में 30 हजार लीटर पानी उपभोक्ताओं को मुफ्त मिलना चाहिए। घोषणा को 3 साल पूरे हो गए लेकिन वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। अजमेर के केवल एक लाख उपभोक्ताओं तक इसका फायदा पहुंच रहा है। शेष 65 हजार उपभोक्ता आज भी इस घोषणा के लाभ से वंचित हैं। 65 हजार उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिलने का दोषी स्वयं जलदाय विभाग एवं उसका महकमा ही है। इन 65 हजार उपभोक्ताओं के मीटर या तो खराब हैं और यदि मीटर ठीक भी हैं तो उनकी रीडिंग और बिलिंग समय पर पूरी नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा अजमेर के 65 हजार उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है।

लाभ से वंचित उपभोक्ताओं की ओर से सम्बन्धित विभाग के महकमे को कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। विभाग ने न तो खराब पड़े मीटरों के स्थान पर स्मार्ट मीटर

(श्री वासुदेव देवनानी)

लगाने की दिशा में कोई योजना बनाई और न उपभोक्ताओं को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जिसके चलते उपभोक्ताओं को फ्री की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि जिस कम्पनी को जलदाय विभाग की ओर से ठेका दिया गया, उसकी ओर से समय पर न रीडिंग कराई जा रही है और न समय पर पानी के बिल उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। 4-4 महीने का बिल एक साथ उपभोक्ताओं को जा रहा है जिसके चलते उपभोक्ताओं को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अत: मेरा आग्रह है कि योजना के अन्तर्गत प्रतिमाह 15,000 लीटर पानी मुफ्त में देने की मुख्य मंत्री द्वारा घोषित योजना का लाभ अजमेर के 65 हजार वंचित उपभोक्ताओं को भी दिलाने हेतु सम्बन्धित विभाग को पाबन्द करावें।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती मनीषा पंवार (अनुपस्थित)। श्री समाराम गरासिया (अनुपस्थित)। श्रीमती मंजु देवी।

## दधिमति माताजी गोठ मांगलोद (जायल) के मन्दिर का जीर्णोद्धार

**श्रीमती मंजु देवी** (जायल): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र जायल में दधिमति माताजी गोठ मांगलोद के नाम से लगभग 1600 वर्ष पुराना दधिमति माताजी का मन्दिर है जो ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर है। इस प्राचीन इमारत की वर्तमान स्थिति बहुत ही खराब है। सम्पूर्ण परिसर में पुरानी इमारत पूर्णतया क्षतिग्रस्त एवं जर्जर स्थिति में है। हर वर्ष चैत्र माह और आसोज माह में नवरात्रा के दौरान श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष से यहां आते हैं और कुल देवी के यहां पर पूरे नवरात्रा में पूजा अर्चना करने के लिए लोग सपरिवार 10 से 15 दिनों तक यहां ठहरते हैं। इस प्राचीन मंदिर में कोई भी सुविधा नहीं है और जर्जर स्थिति के कारण सम्पूर्ण परिसर में भय लगा रहता है। 2004 में इस मन्दिर को पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक की सूची में भी शामिल किया गया था लेकिन इस मन्दिर के जीर्णोद्धार हेतु कोई कार्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा नहीं करवाया गया है।

(श्रीमती मंजु देवी)

अत: मैं श्रीमान से निवेदन करना चाहूंगी कि नागौर जिले की तहसील जायल में दधिमति माताजी गोठ मांगलोद अति प्राचीन अद्भुत मन्दिर है जो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र है इसलिए इस मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाया जावे ताकि किसी प्रकार की समस्या नहीं हो और लोगों की श्रद्धा-आस्था बनी रह सके।

**श्री अध्यक्ष**: श्री अविनाश गहलोत।

## महात्मा ज्योतिबा फुले दम्पत्ति को भारत रत्न सम्मान हेतु केन्द्र को प्रस्ताव व सैनी समाज की अन्य मांगें

**श्री अविनाश** (जैतारण): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, निवेदन है कि राजस्थान प्रदेश में सैनी, माली, कुशवाह सहित लगभग सवा करोड़ की आबादी उक्त समुदाय की है। इनमें से अधिकतर लोग बागवानी, फल-सब्जी व अन्य छोटे-छोटे व्यापार से अपना जीवन-यापन करते हैं और वो गरीबी रेखा से नीचे भी हैं। राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी भी इसी समुदाय से आते हैं, इसलिए राजस्थान के करोड़ों माली सैनी समाज के बन्धुओं के विभिन्न संगठनों द्वारा पिछले कई वर्षों से समाज हित में कई मांगें की जा रही हैं। अभी हाल ही में फरवरी, 2022 में माली-सैनी समाज द्वारा जयपुर में अपनी मांगों को लेकर विशाल धरना-प्रदर्शन किया गया। इनमें राज्य सरकार द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले दम्पत्ति को भारत रत्न प्रदान करने के लिए प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजना, महात्मा फुले फाउण्डेशन का गठन करना, महात्मा फुले कल्याण बोर्ड का गठन करना, सैनी-माली समाज को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने, सब्जी का ठेला लगाने वालों का स्थायीकरण करना, भारतीय सेनाओं में सैनी रेजीमेंट के गठन का प्रस्ताव बनाकर भेजना, सैनी-माली समाज के इतिहास को दर्शाने के लिए संग्रहालय का निर्माण करना, फुले दम्पत्ति की जयन्ती के दिन राजकीय अवकाश घोषित करना, विश्वविद्यालयों में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्री बाई फुले के नाम से शोधपीठ की स्थापना करना, सैनी समाज के लिए तत्काल कार्यवाही के लिए एक्ट बनाना जैसी महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने का मांग पत्र राज्य सरकार के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को राज्य के माननीय मुख्य मंत्री के नाम दिया गया एवं विभिन्न माननीय सदस्यों ने भी उक्त मांगों को पूरा करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखे हैं।

(श्री अविनाश)

अत: मैं स्वयं माली-सैनी समाज का सदस्य होने के नाते राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उपरोक्त सभी मांगों को अतिशीघ्र पूरा कर प्रदेश की लगभग सवा करोड़ माली समाज की आबादी को लाभान्वित करावें।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती प्रीति गजेन्द्र शक्तावत।

## वल्लभनगर में बन्द रोडवेज बसों का पुन: संचालन

**श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत** (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर जिला उदयपुर में रोडवेज बसें बन्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर ग्रामीण बहुल क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में कई स्थानों पर आने जाने का कोई राजकीय साधन उपलब्ध नहीं है। मेरे व कीर्ति शेष गजेन्द्र सिंहजी शक्तावत द्वारा पूर्व में जो रोडवेज बसें संचालित करवाई गई थीं, उन्हें परिवहन विभाग ने बन्द कर दिया है, जिन्हें पुन: शुरू करने की लगातार मांग की जा रही है।

खेरोदा-चित्तौड़-भीलवाड़ा वाया अमरपुरा-कुंथवास-चारगदिया मार्ग पर रोडवेज बस सेवा का संचालन उप चुनाव से पूर्व किया गया था पर चुनाव सम्पन्न होने के पश्चात् बस निरस्त किये जाने से यात्रियों में भारी रोष है। इस मार्ग पर 08 ग्राम पंचायतें स्थित हैं। विद्यार्थियों का अध्ययन तथा ग्रामीणों को रोजगार एवं पंचायत समिति भीण्डर में कार्य के लिए इस मार्ग पर यात्रा करनी पड़ती है। इन बसों का संचालन बन्द किये जाने से ग्रामीणों को अधिक किराया देकर निजी वाहनों में यात्रा करनी पड़ रही है।

वहीं उदयपुर-इंटाली वाया वल्लभनगर-करणपुर-नवाणिया-रूंड़ेड़ा-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर भी 8 पंचायतें आती हैं। वल्लभनगर में राजकीय महाविद्यालय नहीं है जिसके कारण इस मार्ग पर रह रहे छात्र-छात्राएं यहां से उदयपुर, नाथद्वारा, चित्तौड़, फतेहनगर, धरियावद पढ़ने जाते हैं तथा इसी तरह ग्रामीण भी रोजगार के लिए इन स्थानों पर यात्रा करते हैं। रोजगार अध्ययन के साथ ही पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से भी ग्रामीण इस मार्ग पर यात्रा करते हैं। यह बस पूर्व में भी संचालित थी परन्तु इसे बन्द कर दिया गया है।

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

अन्य बस उदयपुर-बंबोरा-कुराबड़-जगत-सलूम्बर मार्ग पर 18 पंचायतें आती हैं। इस मार्ग पर विश्व प्रसिद्ध जगत माता का मन्दिर स्थित है। यहां देश-विदेश से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और फिल्मों की शूटिंग भी होती है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, 295 में जो लिखा है, वही पढें।

**श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत** (वल्लभनगर): सर, वही पढ़ रही हूं। लिखा हुआ ही पढ़ रही हूं सर।

यह स्थान पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत सुन्दर है। यहां पर स्थानीय ग्रामीणों के लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हैं परन्तु यहां भी बस सेवा संचालित नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर का क्षेत्रफल 120 किलोमीटर का है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, यह नहीं, 295 में आपने जो लिखकर दिया है, वही बोलते हैं। आपने यहां जो रिकार्ड में दिया है, प्लीज।

**श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत** (वल्लभनगर): सर, लिखकर दिया है, वही है।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं। अच्छा ठीक है। हां, प्लीज, बोलें।

**श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत** (वल्लभनगर): यहां 2 लाख 55 हजार के करीब मतदाता हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने हेतु रोडवेज बसों के सुचारु संचालन की आवश्यकता है।

उपरोक्त समस्त बसों के बन्द किये जाने पर आमजन एवं रोडवेज प्रबन्धन के खिलाफ आक्रोश है तथा डिपो मैनेजर के पास भी संतुष्ट उत्तर नहीं है जिसके कारण सरकार के प्रति जनता का नकारात्मक रवैया उत्पन्न हो रहा है।

अत: विशेष उल्लेख नियम 295 के जरिये मेरा सरकार से आग्रह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में उक्त बन्द बसों को पुन: संचालित किया जाये जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों, यात्रियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, पर्यटकों को यात्रा करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा उन्हें निजी वाहनों का अत्यधिक आर्थिक भार वहन नहीं करना पड़े।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती सफिया जुबेर (अनुपस्थित)।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्रीमती संतोष (अनुपस्थित)।

श्री पब्बाराम।

# ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

## दिव्यांगजन को बी.पी.एल. के समान सुविधाओं की प्रदायगी

**श्री पब्बाराम** (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत प्रदेश के दिव्यांगजनों को बी.पी.एल. के समान सुविधाएं नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी।

**श्री रामलाल जाट** (राजस्व मंत्री): प्रदेश में निदेशालय विशेष योग्यजन का गठन वर्ष 2012 में किया गया था। निदेशालय द्वारा दिव्यांगजन हेतु कल्याणार्थ कार्य सतत रूप से किये जा रहे हैं।

इसी प्रकार वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुसार प्रतिभावान दिव्यांग विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिये प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 500 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति योजना में 40 रुपये के स्थान पर 500 रुपये व 50 रुपये के स्थान पर 600 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गयी है, जिसका लाभ दिव्यांग विद्यार्थियों को मिल रहा है। सुखद दाम्पत्य योजना के अन्तर्गत दिव्यांग दम्पत्ति को विवाह पर 50 हजार रुपये की राशि दी जा रही है।

दिव्यांगजन के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये बी.पी.एल. के समान सुविधाएं देने के लिये एक परिवार में दो या दो से अधिक दिव्यांग होने पर विभाग द्वारा आस्था कार्ड जारी किये जाते हैं। आस्था कार्ड जारी होने पर परिवार के सभी सदस्यों को बी.पी.एल. के समान समस्त सुविधाएं सम्बन्धित विभागों द्वारा यथा- नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा, राशन सुविधा आदि दी जा रही है। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुसार राज्य के ऐसे विशेष योग्यजन, जो वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनके परिवारों को बी.पी.एल. के समकक्ष माना जाएगा, के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

निदेशालय, विशेष योग्यजन द्वारा दिव्यांगजनों की पहचान/चिन्हीकरण, शिक्षा, आवास/पुनर्वास, रोजगार, विवाह, सहायक अंग-उपकरण, प्रोत्साहन एवं अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों का संचालन कर दिव्यांगजनों के हितार्थ निरन्तर कार्य किया जा रहा है।

**श्री पब्बाराम** (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट घोषणाओं के अनुसार दिव्यांगजन परिवारों को बी.पी.एल. मानकर अब तक उक्त सुविधाएं नहीं दे पाने का कारण स्पष्ट करें, यह माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं। साथ ही यदि लाभ दिया ही गया है, तो कितने दिव्यांगजन के परिवारों को कितना और क्या लाभ दिया गया है?

**श्री अध्यक्ष**: ध्यानाकर्षण में यह नहीं, ध्यानाकर्षण में आपने पूछा है कि बी.पी.एल. का लाभ उनको मिलना चाहिए। सरकार कह रही है कि प्रक्रियाधीन है। आपकी बात को ही मान रहे हैं। अब आप प्रश्न कहां पूछ रहे हैं?

**श्री पब्बाराम** (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही पूछ रहा हूं कि क्या खाद्य सुरक्षा योजना के तहत दिव्यांगों को राशन दिलवाने की व्यवस्था आप करेंगे?

**श्री रामलाल जाट** (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, अभी दिव्यांगजन को आस्था के समकक्ष माना गया। आस्था में गेहूं 2 रुपये से एक रुपये किलो में देने की व्यवस्था है। 50 यूनिट बिजली बी.पी.एल. को फ्री देने की व्यवस्था है। सेम आस्था और दिव्यांगजन को विशेष योजना के समकक्ष माना गया है। फिर भी माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसके बाद भी मुख्य मंत्रीजी ने पिछले आरक्षण का जो कोटा था, 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया। पदोन्नति में 4 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। दिव्यांगजनों की देखरेख करने वाली संस्थाओं को अनुदान में प्रथम वर्ष में 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत बढ़ोतरी की है। पहले दो कालेज खोले, अभी बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी बनायी गयी है। इनके लिये पूरे हिन्दुस्तान के किसी राज्य में नहीं है, उतना पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने दिव्यांगों के लिये की है। जो प्रक्रिया पिछले बजट से ही शुरू की है, उसमें उनको समकक्ष देने के साथ-साथ ही लगभग 1,700 आस्था कार्ड भी जिला कलेक्टरों को भेज दिये गये हैं ताकि उनको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी।

इसके अलावा, मेडिकल के लिये विशेष टीम चालू की गयी है जिसे अभी डेढ़ महीना हुआ है। पहले उनको स्पेशलिस्ट नहीं होने की वजह से हैडक्वार्टर पर आना पड़ता था पर अभी दिव्यांगों को वहीं मौके पर ही कार्ड 'प्रशासन गांवों के संग अभियान' में लगभग 10 हजार 286 विशेष सम्मान पेंशन योजना में प्रकरण आये, जिनके लिये यह प्रावधान किया। अभी 2 हजार स्कूटी दी गयी हैं, वह इससे भी ज्यादा बढ़कर दिव्यांगों को राजस्थान सरकार

(श्री रामलाल जाट)

के मुख्य मंत्री गहलोत साहब इस योजना में दे रहे हैं। अभी बजट में 2 हजार स्कूटी के प्रावधान रखा। पढ़ने वाले और रोजगार करने वाले की डिमाण्ड अच्छी आयी तो अब 5 हजार स्कूटी का प्रावधान किया है। उसमें ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि वह जैसे चाहे वैसी स्थिति में, वह स्कूटी बिजली वाली हो या पेट्रोल वाली, वह ले सकते हैं। इस तरह की कई व्यवस्थाएं अभी दिव्यांगों के लिये विशेष की हैं।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि बी.पी.एल. के बराबर रिकार्ड में करने की प्रक्रिया है, वह सारी प्रक्रियाएं कम्पलीट हो चुकी हैं। उससे बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। आर्डर होना है, वह प्रक्रिया में है। निश्चित रूप से यह बहुत जल्दी हो जाएगा।

**श्री अध्यक्ष**: वार्षिक प्रतिवेदन, श्री भंवर सिंह भाटी।

# सदन पटल पर रखे गये पत्र

## प्रतिवेदन एवं लेखे

### राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 26वां प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

**श्री भंवर सिंह भाटी** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: याचिका का उपस्थापन, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

## याचिका

### सूरसागर पुलिस थाना से मेहरानगढ़ दुर्ग मार्ग क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और पर्यटन सुरक्षा हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरों की व्यवस्था

**श्रीमती सूर्यकांता व्यास** (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थाना सूरसागर से मेहरानगढ़ दुर्ग मार्ग क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और पर्यटन सुरक्षा हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

**श्री अध्यक्ष**: अनुदान की मांग पर विचार। डा. महेश जोशी।

# अनुदान की मांग

## मांग संख्या 27 - पेयजल योजना की प्रस्तुति

**डा. महेश जोशी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27- पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 90,09,63,76,000/- (अक्षरे नब्बे अरब नौ करोड़ तिरेसठ लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

**(मांग संख्या 27 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-01 देखें)**

## मांग संख्या 27 पर विचार

**श्री अध्यक्ष**: श्री ज्ञानचंद पारख।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और माननीय मंत्रीजी, आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। चाहे देर से की आपने, पर जोधपुर से रोहट तक कुडी के माध्यम से जो हमारी बरसों की मांग थी, उसको आपने मंजूर कर दी और 28 करोड़ की राशि आपने मंजूर की। इससे 130 लाख लीटर पानी रोज आयेगा भी, पर माननीय मंत्री महोदय, आपको पता था और सितम्बर में ही सारी तस्वीर साफ हो गयी थी कि जवाई बांध में पानी नहीं है, हेमावास बांध में पानी नहीं है और भी पानी के जो सोर्सेज हैं, वह सारे के सारे खाली हैं।

**(समय: 12.37 बजे)**

**(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)**

आपने ट्रेनों की प्लानिंग भी कर दी, टैंकरों की भी आपने योजना बना दी। अगर यह योजना आप पहले ही मंजूर कर देते न, तो तीन महीने तक जो रोहट की जनता को आपने दूषित पानी पिलाया, उसके पाप से आप बच जाते। अब आपने योजना मंजूर की। आपकी पहले की योजनाओं का जो काम करने का तरीका है, आपको पता है। कुड़ी से रोहट तक पहले भी पाइप लाइन थी, वह क्षतिग्रस्त पाइप लाइन थी। डिपार्टमेंट ने पैसा दिया, एक नहीं अनेक बार मीटिंग हुई। पैसा कम पडा, डी.एम.एफ.टी. ने और दिया। छह महीने हो गये, इस आपात स्थिति में, यह पानी जो चार महीने पहले पहुंच जाना चाहिए था,

(श्री ज्ञानचंद पारख)

वह लाइन आज भी रिपेयर नहीं हुई है। माननीय मंत्री महोदय, मेहरबानी करो और यह योजना तो आप जल्दी लागू करवा दो। जो मरम्मत वाला कार्य है न, वह भी जल्दी हो जाए।

माननीय मंत्री महोदय, पानी के अभाव में कितने मूक पशुओं की मृत्यु हो गयी, शायद आपको अन्देशा नहीं होगा। जिस गांव में चले जाओ, आपको पशुओं की लाशें मिल जाएंगी, इतने पशु मर गये। मेरा आपसे यही आग्रह है कि जो योजना आपने मंजूर की है, वह योजना जल्दी से धरातल पर आ जाए और जोधपुर से रोहट को पानी मिलना चालू हो जाए। अब इसके जरिये 130 लाख लीटर ही पानी आयेगा तो यहां से आप जैतपुर तक पानी कैसे पहुंचाओगे? वह भी इसी का एक बैल्ट है और एक कानावास से भी कुछ गांवों में सप्लाई होती है, तो वहां भी यह पानी कैसे पहुंचेगा? इसकी प्लानिंग भी साथ-साथ कर देना और उसके लिये कोई और अतिरिक्त स्वीकृति देने की आवश्यकता है न, तो पहले ही उसका एस्टिमेट मंगा देना, ताकि यह पानी आते ही और गांवों तक इस पानी का वितरण बराबर हो जाए, उसमें देरी नहीं हो वरना आपकी योजना इस साल शायद कम काम आएगी, अगले साल ज्यादा काम आएगी। यह आने वाले कल में काम आएगी, पर आवश्यकता हमको इस साल में है इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि इस साल जितना जल्दी हो सके, जो योजना मंजूर की है, वह धरातल पर आ जाए और उससे पानी मिल जाए।

माननीय मंत्री महोदय, आपकी हर नाकामी पर आप पानी पी-पीकर केन्द्र सरकार को कोसते हो। कहीं कोई कमी है? मैं आपको धन्यवाद दूंगा कल आपने स्वीकार किया। माननीय प्रतिपक्ष के नेता की बात पर कल आपने स्वीकार किया कि हां, हमसे देरी हुई है। कोई आदमी अपनी कमी को स्वीकार करता है तो निश्चित रूप से उस कमी को दूर करने के लिये उसके मन में कुछ न कुछ दर्द रहता है, पीड़ा रहती है कि मुझे इसको करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी नाकामियों को मिटाने का पूरा प्रयास करोगे। आप अपनी खुद की नाकामियों का थोड़ा नमूना देखें तो आपको पता चल जायेगा कि आप कहां खड़े हो।

पहली बार 70 साल में कोई प्रधान मंत्री ग्रामीणों की पीड़ा को समझता है कि हमारी ग्रामीण बहनें कहां से पानी लाती हैं, कितने किलोमीटर

(श्री ज्ञानचंद पारख)

दूर से पानी लाती हैं, कैसा पानी लाती हैं और 15 अगस्त, 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से जल जीवन मिशन की घोषणा करता है। साथ में एक समयबद्ध कार्यक्रम भी देता है कि वर्ष 2024 तक देश के लगभग सभी 19 करोड़ 32 लाख ग्रामीण परिवारों के घरों तक नियमित रूप से नल से शुद्ध जल की आपूर्ति हम कर देंगे। लेकिन हम राजस्थान का नजरिया देखें, दृश्य देखें तो 2024 में कोई ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आपको जितना काम करना बाकी है, वह सारी जानकारी आपको है। 2024 तक आप इस काम को कैसे पूरा कर दोगे? थोड़ा आप अपने विभाग के अधिकारियों को खड़खड़ाना कि जल्दी ही यह काम पूरा हो जाये। जल जीवन मिशन में आपने प्रोग्रेस देखी है? हम और राज्यों की तुलना में कहां खड़े हैं? आपको खुद को महसूस हो जायेगा कि वाकई में हमने इस काम में कोताही बरती है। इस योजना को लागू करने में कहीं न कहीं हमारी ओर से देरी हुई है। माननीय मंत्री महोदय, इस अन्तर को कम करने के लिये आपको गति बढ़ानी होगी।

माननीय मंत्री महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसके लिये बजट का प्रावधान भी कम नहीं किया। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 3 लाख 80 हजार करोड़ की राशि इस योजना के लिये रखी। आने वाला जो वित्त वर्ष है, उसमें भी 60 हजार करोड़ खर्च करके 3 करोड़ 80 लाख घरों को नये कनेक्शन देने हैं। जब केन्द्र सरकार हमें राशि देने को तैयार है, हमको तो मात्र काम करवाना है। हमारा तो यह प्रदेश वैसे भी पानी की समस्या को लेकर किसी न किसी मदद के लिये हमेशा केन्द्र से गुहार करता रहा है। केन्द्र सरकार आपको आगे बढ़कर राशि दे रही है। उसके बाद भी हम काम नहीं कर पायें तो कहीं न कहीं हमको खुद का आकलन करना होगा।

माननीय मन्त्री महोदय, देश के 101 जिलों में हर घर में कनेक्शन हो गये, लेकिन हमारे लिये शर्म की बात है कि इन 101 में से राजस्थान का एक भी जिला नहीं है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां हम हर घर कनेक्शन दे सके। प्रदेश में मात्र 48 पंचायतें हैं, जहां हम हर घर कनेक्शन दे पाये हैं। कितनी कमी है हमारी? राजस्थान के 43,364 गांवों में से सिर्फ 759 गांवों में ही घर-घर कनेक्शन दे पाये हैं। मतलब, लगभग ढाई परसेंट। ढाई भी नहीं है, सॉरी, पौने 2 परसेंट है यह।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय मंत्री महोदय, जिलेवार प्रगति देखेंगे तो एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां 50 परसेंट नल कनेक्शन हो गये। माननीय मुख्य मंत्री जी का जो खुद का जिला है, थोड़ा उसका विश्लेषण भी आप कर दो। माननीय मुख्य मंत्री जी के इलाके में मात्र 19.61 परसेंट ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन हो पाया है।

फंड केन्द्र दे रहा है, कोई कमी नहीं है फिर भी पता नहीं हम क्यों नहीं करना चाहते। आश्चर्य होता है कि पैसा आपके पास पड़ा है। वर्ष 2019-20 में आपके पास केन्द्र का ओपनिंग बैलेंस 313.67 करोड़ रुपया था, बाद में आपको आबंटित किया 1,301.71 करोड़ रुपया। यानी आपके पास केन्द्र का 2019-20 में 1,615.38 करोड़ रुपया इस पानी के काम को करने के लिये था। आपने खर्च कितने किये? मात्र 620.31 करोड़ रुपये, आधा भी आपने खर्च नहीं किया। लगभग 995.07 करोड़ रुपया आप खर्च ही नहीं कर पाये। आपने राज्य मद से भी मात्र 698.54 करोड़ रुपये ही इस जल जीवन मिशन के अन्तर्गत घर-घर नल कनेक्शन के लिये खर्च किये।

अब आ जाओ आप 2020-21 में। 2020-21 में भी केन्द्र का ओपनिंग बैलेंस आपके पास 995.07 करोड़ रुपये था। केन्द्र ने आपको 2,522.03 करोड़ रुपये और आबंटित कर दिये। मतलब, कुल आपके पास 3,517.10 करोड़ रुपया था। आपने खर्च कितना किया? माननीय मंत्री महोदय, मात्र 762.04 करोड़ रुपया आपने केन्द्र के पैसे से खर्च किया। राज्य मद से आपने 749.05 करोड़ रुपया खर्च किया। यह साल भी आपका पानी में गया, इसमें भी कोई खास काम नहीं हुआ।

माननीय मंत्री महोदय, उसके आगे आप 2021-22 में आओ। आपके पास केन्द्र का ओपनिंग बैलेंस 863.53 करोड़ रुपये था, केन्द्र ने आपको 10,181.50 करोड़ रुपया दिया। कोई मामूली रकम नहीं है। कुल आपके पास 11,044.03 करोड़ रुपया था, लेकिन आपकी तो काम करने की आदत ही नहीं है। जनता प्यासी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम तो हमारा जो पहले वाला तरीका है, उसमें सुधार लायेंगे नहीं, वैसे ही काम करेंगे। आपने मात्र 1,166.60 करोड़ रुपया खर्च किया। माननीय मंत्री महोदय, आप 10 परसेंट राशि भी खर्च नहीं कर पाये। आपने खुद का खर्च किया, 741.74 करोड़ रुपये। केन्द्र का ज्यादा किया, आपका खुद का कम रहा। यह पता नहीं कि घर-घर कनेक्शन कब मिलेगा, यह 2024 तो बहुत जल्दी आ जायेगा।

माननीय मंत्री महोदय, कल माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी आसन से

(श्री ज्ञानचंद पारख)

चिन्ता जाहिर की थी कि घर-घर हम कनेक्शन दे भी देंगे तो भी हमारे पास तो मात्र एक परसेंट ही सतही जल है तो हम कैसे इस काम को अंजाम देंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पानी नहीं है। अगर हम वाकई में जनता की इस पीड़ा को समझकर हमारा जो पानी है, उसका सही उपयोग कर लेंगे तो इस योजना का निश्चित रूप से लोगों को फायदा मिल जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, पानी का प्रोडक्शन बढ़ाना हमारी पहली आवश्यकता है। हो सकता है कि यह जल संसाधन का विषय हो, लेकिन यह आपसे जुड़ा हुआ विषय भी है। आपको उनसे बात करनी होगी। पर्याप्त बांध नहीं होने के कारण हमारे हिस्से का पानी गुजरात जा रहा है। जिसका जिक्र यहां कई वर्षों से हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाई पुनर्भरण की इस बार घोषणा भी की है। यह जो हमारे हिस्से का पानी गुजरात जा रहा है, उसको रोककर हम अगर जवाई पुनर्भरण का कार्य कर देंगे तो यह आपके नल कनेक्शन वाले काम का भी फायदा जनता को मिल जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, पंजाब से भी जो हमें पानी मिलता है, उसमें सरकार को पता है कि कच्ची नहरों की वजह से, क्षतिग्रस्त नहरों की वजह से जितना पानी हमें लेना होता है, वह हम ले नहीं पाते हैं। बड़ी मात्रा में हमारा पानी जो कि हमारे लिये बहुत ज्यादा उपयोगी है, वह व्यर्थ चला जाता है। पंजाब से आने वाले पानी के लिये जो नहरें हैं, उनको आप दुरुस्त करायें।

2004 से पहले जवाई बांध से जोधपुर तक खुली नहर से पानी जाता था। वसुन्धरा जी ने 600 करोड़ की योजना मंजूर की कि वह पानी खुली नहर के जरिये ज्यादा व्यर्थ होता है जिससे वह पानी बच जाये। पहले लगभग 25 परसेंट पानी ही पहुंचता था और 75 परसेंट पानी लीकेज होता था। जब से बन्द पाइपों के जरिये पानी लाये तो 95 परसेंट पानी पीने के लिये रह जाता है और मात्र 5 परसेंट की छीजत जाती है। कोई न कोई ऐसा भी आप काम करायें जिससे हमारा पानी व्यर्थ नहीं जाये।

माननीय मंत्री महोदय, यही हाल नर्मदा का है। वहां भी हमको खूब पानी मिला लेकिन आज भी जहां जितना पानी पहुंचना चाहिए उतना पानी पहुंचा नहीं पा रहे। कहीं कम पहुंचना चाहिए वहां ज्यादा पहुंच जाता है। इन तीनों चीजों के लिये भी आप जल संसाधन विभाग के साथ बैठक करके जोइंट प्लान बनायें, जिससे हो सकता है कि आने वाले कल में जब घर-घर कनेक्शन लग जायेंगे तो जैसी माननीय प्रधान मंत्री जी की भावना है कि हर घर पानी पहुंच जाये, वह काम पूरा हो जायेगा।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय सभापति महोदय, यह पता नहीं कुदरत का संयोग है कि क्या है, मैं क्या कहूं इसको, कांग्रेस और अकाल का कोई गठबंधन है क्या? जब-जब कांग्रेस का शासन आता है, अकाल तभी क्यों होता है? वसुन्धरा जी के राज में तो बाढ़ आती थी। यह कलंक जो आपके ऊपर लगा हुआ है, कांग्रेस और अकाल का कलंक, यह आपके माथे पर चिपका हुआ है।

बीजेपी और बरसात, तो चलो यह कुदरत का खेल है, यह तो आप दूर कर नहीं सकते। यह तो आप पर कलंक लगा हुआ है, यह तो आपका गठबन्धन है पर आप काम के जरिये निश्चित रूप से कुछ राजस्थान की जनता को पानी के मामले में काफी बड़ी राहत दे सकते हो।

माननीय सभापति महोदय, आप आंकड़े देख लेंगे वर्षा के बीजेपी के शासन के और कांग्रेस के शासन के तो वो आंकड़े आपको गवाही दे देंगे कि वास्तव में कांग्रेस और काल का आपसी कोई गठबन्धन है और उसी का परिणाम है कि जब-जब कांग्रेस की सरकार आती है तो पानी के लिए कोई न कोई संकट का सामना हमको करना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा। मेरा इलाका माननीय मुख्य मंत्री महोदय के इलाके से बिलकुल चिपटा हुआ है और हम पाली वालों ने बरसों तक जोधपुर की जनता को पानी पिलाया है। पाली के जवाई बांध का पानी जोधपुर की जनता के लिए हमने बरसों तक दिया है। चाहे हमारी कटौती करनी है तो हमारी कटौती की होगी पर जोधपुर की जनता को कभी पाली के जवाई बांध ने प्यासा नहीं रहने दिया और आज पाली प्यासा है। आपसे आग्रह रहेगा कि जोधपुर में जो भी पानी है थोड़ी वहां कटौती कर दोगे तो वहां फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यहां की प्यास आप मिटा दो, ऐसा मेरा आपसे कहना है।

माननीय मंत्री महोदय, जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मेरे रोहट बेल्ट की आपने 199 करोड़ रुपये की योजना मंजूर कर दी तीन महीने पहले, मंजूर तो कर दी धन्यवाद आपको, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं पर इसका काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। थोड़ा टाइट करो अपने अधिकारियों को कि पीछे पड़ें। पहले लेट इसलिए हुआ कि आपके जो टेंडर की प्रक्रिया है उसमें माननीय मंत्री महोदय का और सेक्रेटरी साहब, दोनों का कोई तालमेल नहीं हुआ, उसके चक्कर में पहले टेंडर हुए फिर कैंसिल हुए फिर हुए तो अब आप मेहरबानी

(श्री ज्ञानचंद पारख)

करके यह काम जल्दी हो जाये। इधर जोधपुर से पानी आये, इधर 199 करोड़ रुपये की योजना के काम की भी जो मंजूर हो चुका है उसके टेंडर लगकर ये भी काम चालू हो जाये और बहुत आसानी से यह काम हो सकता है माननीय मंत्री महोदय। पहले वसुन्धरा जी ने पिछले कार्यकाल में जैतपुर हैड वर्क्स के लिए 47 करोड़ की राशि मंजूर की थी, उससे जुड़े जो भी गांव हैं, ढाणियां हैं उन सब के लिए, दो चरणों में यह काम होना था। पहला यह था कि जो आपके एसआर बने हैं जहां-जहां पर और उस एसआर को जोड़ने के लिए राइजिंग लाइन, पहले चरण का काम पूरा हो गया और जहां एसआर बनने थे वो एस आर बन गये और एसआर जोड़ने के लिए जो पाइप लाइन बिछनी थी वह बिछ गयी। दूसरा चरण था उन एसआर के जरिये जिन-जिन गांवों तक पानी पहुंचाना है, उसमें प्रावधान था, घर-घर नहीं था पर गली-गली का था। उस समय जल जीवन मिशन योजना लागू नहीं थी तो यह था कि गली-गली तक हम पानी दे देंगे, पर आपने दूसरे चरण का काम इसलिए रोक दिया कि यह पैसा आपके अपने मद से खर्च होने वाला था और बाद में जल जीवन मिशन आ गया तो आपके मन में लोभ आ गया कि अपना पैसा बचा लो। केन्द्र इस काम के लिए पैसा दे ही रहा है और आपने इस काम को दो साल लेट कर दिया इसलिए जल जीवन मिशन का काम जल्दी करना वैसे भी जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने कम से कम 103 करोड़ के काम रोहट क्षेत्र की जनता की प्यास बुझाने के लिए मंजूर किये थे। माननीय सभापति महोदय, लालकी में 5 करोड़ का एसआर प्लस पाइप लाइन, लालकी के लिए निम्बी पटेलान, निम्बी ब्राह्मणान, वह एसआर बन गया, उससे पानी की सप्लाई भी चालू हो गयी। पूरी लालकी में, निम्बी पटेलान में, निम्बी ब्राह्मणान में सारी लाइन बिछ चुकी है पर आपका पानी नहीं होने की वजह से यह एसआर पिछले कई महीने से बिलकुल काम नहीं आ रहा है। यह काम तभी आयेगा जब जोधपुर का पानी आयेगा। सांवलता कलां में भी लगभग 5 करोड़ रुपये की राशि की योजना भी वसुन्धरा जी ने मंजूर की पर वहां भी यही हालात हैं। एक करोड़ रुपये खाण्डी हरावास के लिए, 90 लाख रुपये सिंगारी के लिए, मतलब पिछली सरकार ने पर्याप्त पैसा दिया, पर्याप्त राशि दी और उसका काम भी पिछली सरकार के कार्यकाल में लगभग पूरा हो गया, पर पानी के अभाव में ये 103 करोड़ रुपये जनता के उपयोग में नहीं आ रहे हैं। यदि आप पानी जोधपुर से जल्दी दे देंगे तो ये 103 करोड़ की

(श्री ज्ञानचंद पारख)

योजनाओं का लाभ, आपका पैसा 28 करोड़ रुपये और लाभ मिलेगा 131 करोड़ की राशि का लोगों को इसलिए कैसे भी हो इस काम को जल्दी करवा सको तो करवाओ, इसका प्रयास करना माननीय मंत्री महोदय।

माननीय मंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र में कलाली में, चैना में, गैलावास में भी एसआर बने हुए हैं। बने हुए तीन साल हो गये ज्यों ही हमारी सरकार गयी और आपकी सरकार आयी, काम बन्द कर दिया। जो एसआर बन गये, पानी जब आयेगा तब आयेगा, इन एसआर को जोड़कर एक बार इनकी टेस्टिंग तो करवा दो, वरना ये सूखे-सूखे कहीं आपकी खराब न हो जाये, क्षतिग्रस्त न हो जाये। माननीय सभापति महोदय, पानी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। और भी कहीं आपको ऐसे सोर्सेज लगे कि जहां से पानी दिया जा सकता है वहां थोड़ा सा आप अधिकारियों से कहकर किसी प्रकार से पानी मिल जाये उसकी व्यवस्था करवा दो।

माननीय सभापति महोदय, आप सरकार के हाल देखो। दस आरओ लगे हुए हैं विभिन्न गांवों में मेरे विधान सभा क्षेत्र में पर पानी का इतना बड़ा संकट है कि सारे के सारे आरओ बन्द पड़े हैं जबकि आपने इसकी मेंटिनेंस का जिम्मा किसी प्राइवेट कम्पनी को दिया है। अगर वह कम्पनी काम नहीं करती है तो उसको ब्लैकलिस्ट करो, उनको सही कराकर चालू करवा दो तो कम से कम जनता दूषित पानी तो नहीं पीये। ये दस आरओ बन्द पड़े हैं। पिछली बार माननीय मंत्री महोदय ने एक-एक एमएलए को दस-दस ट्यूबवैल दिये थे, माननीय सभापति महोदय, एक साल हो गया, ट्यूबवैल खोद भी दिये पर उसमें सौर ऊर्जा का सिस्टम लगाकर पानी का दोहन करना है वो लम्बे समय से नहीं हुआ है। आज जब हमको पानी की आवश्यकता है और इन ट्यूबवैल के माध्यम से कुछ पानी हमको मिल जाता है तो यह काम तो आप तत्काल करवा सकते हो, इस काम में आपके कोई लम्बा-चौड़ा कुछ नहीं करना है केवल ठेकेदार को पाबन्द ही करना है। जो आपने ट्यूबवैल दिये, हैंडपम्प दिये उनमें भी यही हालत है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, आपको बताना चाहूंगा कि कुछ गांवों में आप टैंकरों से पानी वितरित कर रहे हो, जहां आपकी पाइप लाइन के माध्यम से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अब टैंकरों से पैसा खर्च करके भी आप दूषित पानी वितरित कर रहे हो। अभी जो पानी वितरित किया जा रहा है वो खारड़ा बांध का पानी वितरित किया जा रहा है। आप एक बार

(श्री ज्ञानचंद पारख)

खारड़ा बांध के पानी की क्वालिटी की जांच करा दोगे या आप खुद पीकर देख लेंगे तो आप खुद कह देंगे कि यह पानी पीने योग्य नहीं है लेकिन आप जनता को वो पानी पिला रहे हो क्योंकि आपको कुछ न कुछ तो करना ही है। क्या आपने टैंकर भिजवा दिया? माननीय मंत्री महोदय, मेरा इलाका जैसे मैंने कहा कि जोधपुर के करीब है, बिलकुल पांच-छह किलोमीटर दूर ही जोधपुर का नीमला गांव है वहां पर जोधपुर से पर्याप्त मात्रा में पानी आता है। जिन गांवों में आप टैंकरों के माध्यम से पानी दे रहे हो, यदि ये टैंकर खारड़ा बांध से पानी लाते हैं तो दूरी में कोई दो-चार-पांच किलोमीटर से ज्यादा का फर्क पड़ने वाला नहीं है। नीमला से जोधपुर का पानी, हिमालय का, वो पानी यहां लाकर टैंकरों से सप्लाई कर देंगे तो जनता दूषित पानी पीने से बच जायेगी और यह काम आप आसानी से कर सकते हो।

माननीय सभापति महोदय, ऐसे ही जालोर जहां नर्मदा का पानी आ गया। भाद्राजून की ढाणी मेरे इलाके के बिलकुल लगती हुई है मुश्किल से पांच-छह किलोमीटर दूर है। वहां भी अच्छी मात्रा में पानी उपलब्ध है आज की तारीख में, आपके अधिकारी, आपके चीफ इंजीनियर, आपके एस.ई., एडिशनल चीफ, वो सारे इस इलाके को देखकर आये हैं और देखकर उन्होंने यह तय भी कर लिया कि यहां से टैंकरों के जरिये पानी दिया जा सकता है। हमने मांग की थी पाइप लाइन के जरिये देने की, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हो सकता है कि गांव वाले या उस जिले वाले कोई आपत्ति करे तो हमने भी कह दिया कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो आपत्ति करते हैं तो आप टैंकरों के माध्यम से हमको शुद्ध पानी दे देंगे तो हम इस गर्मी में अपना गुजारा कर लेंगे।

माननीय सभापति महोदय, बात होती है उन अधिकारियों से, पर आगे से आगे की पेशी। तीन दिन में चालू कर रहे हैं, हाइड्रेंट लगने चालू हो गये हैं, दो दिन में पूरा हो जायेगा, हम टैंकर की व्यवस्था कर रहे हैं। पानी आज चाहिए, अभी चाहिए तो मेरा माननीय मंत्री महोदय, आपसे आग्रह रहेगा कि जहां आपके अधिकारियों ने खुद पानी की उपलब्धता को माप लिया और मान लिया कि यहां पर पानी दिया जा सकता है तो मेहरबानी करके आप उन गांवों में टैंकरों के जरिये पानी भिजवा दें। यह मेरा आपसे आग्रह रहेगा।

**(समय: 13.00 बजे)**

माननीय मंत्री महोदय, आपका इतना बड़ा सिस्टम है, लेकिन संकट

(श्री ज्ञानचंद पारख)

बहुत बड़ा है। पानी है तो प्रॉपर मैनेजमेंट करने हेतु कोई जिम्मेवार व्यक्ति भी होना चाहिये। आप हालात देखें, मेरे क्षेत्र में एईएन के चार पद स्वीकृत हैं, जिनमें से तीन खाली हैं। जेईएन के छह पदों में से चार खाली हैं। ये जो आपके हैल्पर वगैरह हैं न, इतने बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर की तुलना में वे नाम मात्र के हैं। कहीं कोई पाइपलाइन लीक या क्षतिग्रस्त हो जाये, पानी व्यर्थ बहता रहे, लेकिन मंत्री महोदय, ठीक करने के लिये, वाल सिस्टम को आपरेट करने के लिये जो कर्मचारी चाहिये, उसकी व्यवस्था यदि माकूल नहीं होगी तो पानी होते हुए भी कई ऐसे बेल्ट हैं जो वंचित रह जायेंगे।

माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन रहेगा कि ये खाली पद आप भरें। मेरा एक विशेष तौर से आपके समक्ष पालिसी मैटर का मुद्दा रहेगा। हम जो भी पेयजल योजना बनाते हैं, उसमें मनुष्य की आबादी को मद्देनजर रखते हुए हम पानी देंगे, पाइपलाइन के जरिये 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति, जो भी आबादी के हिसाब से बनता है, उतना देंगे। पश्चिमी राजस्थान में, विशेष तौर से मेरे बेल्ट में इंसानों की तुलना में पशुधन बहुत ज्यादा है। अगर गांव में 700 की आबादी है तो पशुधन आपको 1400-1500-2000 तक मिलेगा। वहां कोई लोकल सोर्स बिलकुल नहीं है।

**श्री सभापति**: कृपया पांच मिनट में कन्क्लूड करें।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): सारा खारा पानी है, पीने योग्य पानी नहीं है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, आप टैंकरों से पानी सप्लाई करें और उसके बाद में चाहे जल जीवन मिशन की योजना में आप सप्लाई करें। पशुधन के लिये भी आप बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, बात भी करते हैं, हमने गाय के लिये यह कर दिया, वह कर दिया, गायों की लाशें इस बात की गवाही दे देंगी कि आपकी कितनी नाकामी रही है। चारे का पैसा आप दे रहे हैं, उसी में से आप पानी की भी व्यवस्था कर दें। टैंकरों के लिये भी आपसे आग्रह रहेगा कि पशुओं के लिये पशु गणना के आधार पर अलग से टैंकर भिजवाने की व्यवस्था भी आप मेहरबानी करके करें।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे टोक दिया है। मेरे शहर की हालत भी मैं बता दूं। माननीया वसुन्धरा जी ने अपने पिछले कार्यकाल में पाली शहर के लिये 24×7 पेयजल योजना लागू की थी, यानी पाली शहर के आदमी को सातों दिन चौबीस घण्टे जब टूंटी खोलेगा, उसको पानी मिलेगा। उसके लिये लगभग-लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च भी किये। बड़ी राशि खर्च

(श्री ज्ञानचंद पारख)
की है सरकार ने, पर हालात क्या? 96 घण्टों में एक बार पानी आता है आधा-पौन घण्टे के लिये। यह 300 करोड़ की जो योजना है न, इसका लाभ जनता को मिले, इसके लिये हमें कहीं न कहीं तेज गति से काम करना होगा।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, जो पूरा अरावली का बेल्ट है, वहां का पानी जवाई बांध के जरिये दिया जा सकता है। दूसरा, हिमालय का पानी भी हमें जोधपुर के जरिये दिया जा सकता है। इन दोनों के बीच में हम पाली वाले हैं। यह जो 300 करोड़ की योजना है, उसे किस प्रकार क्रियान्वित करके 24×7 पानी मिल जाये, वैसा काम हो जाये। जब यह 24×7 की योजना बनी थी, उस समय और उसके बाद कुछ नयी आबादी बस्तियां बस गयी हैं और चूंकि 24×7 योजना पाली में लागू थी तो सरकार ने पी.एच.ई.डी. पर रोक लगा दी कि अब आप कहीं किसी कालोनी में नयी पाइप लाइन बिछाने का काम नहीं करेंगे। अब RUIDP ने इस काम को बन्द कर दिया। उसका काम पूरा हो गया। जितना बजट उसे आबंटित था, वह पूरा हो गया।

**श्री सभापति**: कृपया कन्क्लूड करें, माननीय सदस्य।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): माननीय मंत्री महोदय, जो नयी बस्तियां बस गयीं न, बहुत ज्यादा नहीं हैं, मामूली हैं, उन्हें भी पानी चाहिये। अत: मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि विभाग के अधिकारियों को निर्देश देकर, उनसे एस्टिमेट मंगवाकर इन बस्तियों के लिये कितनी-कितनी पाइप लाइनों के लिये कितनी-कितनी राशि की आवश्यकता है, वह राशि आप जारी कराएं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि यह जो जल जीवन मिशन है, यह हमारे राज्य के लिये वरदान साबित हो सकता है। पता नहीं आप इसे समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। केन्द्र सरकार इतनी बड़ी राशि हमें दे रही है, उसके बाद भी हम नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं हम स्वयं का आकलन कर लें कि हम जनता के प्रति कितने जिम्मेवार हैं। आपका मन खुद कह देगा कि वाकई में हम गैर जिम्मेवार हैं, हम काम कर नहीं पा रहे हैं। इस नाकामी के लिये मैं निश्चित रूप से आपको बार-बार कहूंगा कि यह नाकामी जनता के लिये बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बन रही है। इस काम में गति लाएं और जल जीवन मिशन को पाली और पूरे राजस्थान में अच्छे से लागू कर दें। इतना ही मुझे कहना है, धन्यवाद।

**श्री सभापति**: Thank You very much. डा. जितेन्द्र सिंह जी।

**श्री जितेन्द्र सिंह** (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि पानी से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है और आज डिमांड 27-ड्रिंकिंग वाटर पर हाउस में चर्चा है। माननीय सभापति महोदय, आज से चार सौ साल पहले फ्रांस में नास्त्रेदमस नाम के भविष्यवक्ता थे। उनके पास एक क्रिस्टल बॉल था, जिसे वे घुमाकर आने वाला भविष्य बताते थे। आज से चार सौ साल पहले नास्त्रेदमस ने कह दिया था, I am seeing the Earth like a fire-ball and the World is towards destruction. There will be a war, and it may be, यह उनका इनडायरेक्ट या हम वर्तमान में मानें तो, It may be a nuclear war or war for the water और माननीय सभापति महोदय, जो नास्त्रेदमस ने कहा था, वह सच हो गया।

मैं नहीं जानता रशिया की क्या सोच है यूक्रेन के बारे में। क्या वह सोच रहा है, अखबारों में बार-बार आता है कि वह न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है, लेकिन जो थ्रेट आज पानी की कमी से पूरी दुनिया को मिली है, उससे हम सबको मिलकर लड़ना है। हमारे यहां सैटेलाइट जाते हैं। उन्हें डर है कि दुनिया का पानी समाप्त हो जायेगा तो कहां जाकर बसें। सैटेलाइट मून पर जा रहे हैं, वहां पानी की तलाश कर रहे हैं। ये सब आगे आने वाले एडवांसमेंट के भय हैं दुनियां के अन्दर।

माननीय सभापति महोदय, जो पूरी दुनियां में हमारे पास अवेलेबल वाटर है, वह है 1,400 मिलियन किलोलीटर। जो 97.5 परसेंट पानी है, it is in the Sea. 2.5 परसेंट वाटर that is in glaciers. हमारे हिमालय हैं, इटली में और दुनिया में जहां-जहां भी स्नो पिक्स हैं, उनमें हैं। सभापति महोदय, मात्र एक प्रतिशत हमारी दुनिया का पानी है, that is in glaciers and rivers, मीठा पानी जिसे हम बोलते हैं। शुद्ध पानी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दुनिया में करीब 200 करोड़ लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। हिन्दुस्तान में 15 से 16 करोड़ लोग, जो दूर-दराज में बसे हैं, उन तक अभी शुद्ध पानी नहीं पहुंच रहा है।

माननीय सभापति महोदय, 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बम डाला था। जो एक सर्वाइवर था वह एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं नहीं देख सका कि क्या हुआ। दो किलोमीटर तक जो कुछ था वह सबकुछ स्वाहा हो गया, भाप बनकर उड़ गया और उसके बाद की बारिश जो हुई उसके लिए उसने कहा कि मैंने मेरी जिन्दगी में नहीं देखी and that was black

(श्री जितेन्द्र सिंह)

radioactive rain. जिसने जो बचे-खुचे लोग थे उन सबको हलाक कर दिया। वह ब्लैक रेन तो उस वक्त हुई लेकिन आज दुनिया को शान्ति के रास्ते पर जाने की आवश्यकता है। दुनिया के 400 शहर पानी के संकट से जूझ रहे हैं। बड़े-बड़े शहर कैलिफोर्निया, इस्तांबुल, हिन्दुस्तान के चैन्नई, कोलकाता, बैंकाक, तेहरान, जकार्ता, काहिरा, ढाका, कराची, बीजिंग, कैपटाउन, पेरिस, ऐसे-ऐसे शहरों में नहीं है सभापति महोदय। दुनिया के अन्दर 122 कंट्री उन्होंने छांटे जहां पानी की सबसे खतरनाक हालत होने वाली है, शीघ्र ही जीरो वाटर होने वाला है उनमें नम्बर एक आपका कोलकाता है, नम्बर दो दिल्ली है और नम्बर तीन चैन्नई है। हिन्दुस्तान के हमारे ये वे सिटी हैं जिनमें जीरो वाटर होने वाला है।

2050 तक दुनिया की आबादी 10 अरब पहुंच जायेगी। दुनिया में 36 जो बड़े-बड़े सिटीज हैं उनमें भारी दिक्कत होने वाली है। सभापति महोदय, बारिश कम हो गयी, ग्लोबल वार्मिंग, हम नेचर से लड़ रहे हैं। हमारे जो कल-कारखाने चल रहे हैं, हमारे जो सोलर प्लांट्स चल रहे हैं, हमारे जो कोल प्लांट्स छबड़ा, सूरतगढ़ में चल रहे हैं और दुनिया में न जाने कितने हैं तो उनमें जो excretion of carbon dioxide होता है और जो धुआं होता है उससे अर्थ को बचाने के लिए ऊपर ईश्वर ने ओजोन लेयर बना रखी है। They perforated the ozone layer. ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है सूर्य की रोशनी को धरती तक आने में। अब जो ओजोन लेयर के अन्दर पर्फोरेशन हो गया जिससे डायरेक्ट सनरेज आती है और पूरे वातावरण को खराब कर देती है और that is the main reason कि बारिश एकदम से कम हो गयी है और लोग तरस गये हैं।

सभापति महोदय, भारत में 40 परसेंट से अधिक सूबे में पानी का संकट है। 2030 तक जो हिन्दुस्तान की आबादी होगी, उसकी आपूर्ति के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरह से पानी पहुंचाया जाये। एक तरफ बाढ़ आ रही है, एक तरफ सूखा पड़ रहा है। हमारे कंट्री के पास, 18 परसेंट आबादी के बाद 4 परसेंट ड्रिंकिंग वाटर है। सप्लाई और डिमांड का रेश्यो बनाना पड़ेगा।

सभापति महोदय, ब्रिटिश टाइम में योजना बनी थी और उस वक्त यह डिसीजन हुआ था कि किस तरह से पानी की समस्या का हल किया जाये। आपने देखा है कि हैवी रेन हुई और सारा पानी चम्बल से होता हुआ यमुना में चला गया और सारा खाली हो गया। इतना पानी राजस्थान के अन्दर बरसा

(श्री जितेन्द्र सिंह)

था कि चार बार चम्बल ओवरफ्लो हो गयी। अगर वह सारा रेस्टोर कर लिया जाता तो मैं समझता हूं कि बाकी की जगह यह व्यवस्था ठीक होती। ब्रिटिश टाइम में यह प्रोजेक्ट बना था 'Interlinking of Rivers' गंगा, यमुना, हमारी चम्बल, चिनाब, झेलम, जो रिवर्स हैं उन सबको जोड़ा जाये। यह ब्रिटिश टाइम में प्रोजेक्ट था और उनका यह था कि माल का ट्रांसपोर्टेशन और गांवों का ट्रांसपोर्टेशन इसके थ्रू हो लेकिन क्योंकि यह फास्ट एक्टिविटी नहीं थी इसलिए उन्होंने यह प्रोजेक्ट कैंसिल किया और पानी का दूसरा रेलवे का आप्शन लिया और सब कुछ उन्होंने किया। आज इस बात की आवश्यकता है कि सैकड़ों साल पहले जो सोचा गया था कि यह पानी की प्रोब्लम आने वाली है तो, we have to interlink the rivers, otherwise there will no solution for the water. हमारे देश में 2007 और 2017 के 10 साल के बीच में 6 परसेंट पानी की कमी आयी है, जो वाटर टेबल है वह नीचे चली गयी।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सबसे बड़ा प्रान्त है जिसमें 10.7 परसेंट लैंड है पूरे कंट्री की और 7 करोड़ की आबादी है। अकेला जैसलमेर केरल के बराबर है। सभापति महोदय, आप कल्पना कीजिये कि इतनी बड़ी स्टेट के अन्दर पानी की व्यवस्था हो, किस तरह से मैनेजमेंट हो। 2009 में सौभाग्य से मुझे जलदाय मंत्री बनने का मौका मिला और माननीय मुख्य मंत्री जी ने 20 हजार करोड़ रुपये के सरफेस ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट्स बनाये। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बने। हमारे नावां से आने वाले डिप्टी चीफ व्हिप बैठे हैं, वहां बहुत भयंकर पानी की समस्या है, साल्टी वाटर है। सभापति महोदय, पानी के अन्दर वहां विभिन्न प्रोब्लम्स हैं, 51 परसेंट फ्लोराइड है, साल्टी वाटर है। वहां पर एक लोगों का एरिया कहलाता है जिसे बांकापट्टी बोलते हैं सभापति महोदय। वहां पर लोग एबनॉर्मल है, इससे रिकेट्स हो जाते हैं, खड़ा नहीं हो सकते। 3 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट था, 20 हजार करोड़ में जायका से होना था तो उन्होंने फर्स्ट राउण्ड में पास नहीं किया। डिप्टी चीफ व्हिप ने मुझे कुछ फोटोग्राफ्स दिये। जब दुबारा मीटिंग हुई उन मीटिंगों में मंत्री नहीं जाते, प्रिंसीपल सैक्रेटरी साहब जाते हैं, पर मैं वहां पर गया और मैंने उनसे रिक्वैस्ट की कि हमारे राजस्थान के नागौर में बहुत ज्यादा साल्टी वाटर है तो आप हमें जायका के माध्यम से मदद करें। जो जापान के डेलिगेट थे उन्होंने कहा, why Nagaur only? यहां तो हिन्दुस्तान बहुत बड़ा है, नागौर में ही क्यों करें? नागौर में ऐसी क्या प्रोब्लम है जिससे नागौर को हम लोग 3

(श्री जितेन्द्र सिंह)

हजार करोड़ की मदद करें। माननीय सभापति महोदय, मैंने उनको फोटोग्राफ्स दिखाये। वहां की महिलाएं खाना बनाकर खड़ी नहीं हो सकतीं, बाथरूम जाकर खड़ी नहीं हो सकतीं। वहां पर रस्से लटक रहे थे जिनको पकड़कर खड़ी होतीं। मैंने कहा कि this is the position of Bankapatti of Nagaur. जो जापानी प्रतिनिधि थे उनकी आंख में आंसू आ गये क्योंकि उन्होंने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही देखी थी। उन्होंने तुरन्त स्वीकृत किया और मुझे खुशी है कि सोनिया जी आई थीं। माननीय मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी मीटिंग नहीं हुई होगी, एक लाख लोग इनकी मीटिंग में थे, more than a lakh और उन्होंने वहां शुभारम्भ किया।

सभापति महोदय, 2009 में जो पानी के प्रोजेक्ट्स आये, आप तो खुद झुन्झुनूं विधान सभा क्षेत्र से हैं, आपको पता है कि पिलानी में पानी की क्या प्रोब्लम है, खेतड़ी में क्या है, उदयपुरवाटी में क्या है, मण्डावा में क्या है, सब जगह का पता है। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैंने रिक्वैस्ट की, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 955 करोड़ रुपये स्वीकृत किये, वह प्रोजेक्ट आया, हमारे झुन्झुनूं, सीकर, खेतड़ी प्रोजेक्ट आया और वह प्रारम्भ हुआ। अभी इसी बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने दुबारा से आपके पिलानी को, उदयपुरवाटी को, मण्डावा को और सारे जो हमारे बचे हुए क्षेत्र हैं उनको अलग से पानी में जोड़ने के लिए कहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि हमारा क्षेत्र सैनिकों की भूमि है। इंडियन आर्मी का टेन परसेंट, पूरे भारत की सेना का ten per cent is in Jhunjhunu और सबसे ज्यादा शहीद अगर कहीं हैं पूरे इंडिया में तो वे झुन्झुनूं में हैं। पहला जब विक्टोरिया क्रॉस मिला था, मेजर पीरू सिंह को, उनका स्टेच्यू लगा हुआ है, आपने देखा होगा। वहां उनकी आवश्यकता है, वे एक-एक हैण्डपम्प के लिये तरसते हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपसे आग्रह करूंगा कि सैनिकों की भूमि है, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, उनको आप विशेष तवज्जो दें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में 292 ब्लाक्स हैं और उनमें करीब 185 डार्क जोन हैं, नो वाटर। आपको पता है, सिवाय खेतड़ी के सारा झुंझुनूं जिला डार्क है, पिलानी भी डार्क है। वहां आप बोरिंग नहीं कर सकते because water table इतना नीचे है, डार्क जोन में आ गया। पूरे इंडिया में 85 डार्क ब्लाक्स हैं, वे राजस्थान में हैं।

सभापति महोदय, 78 परसेंट पानी आता है, वह हमारे ग्राउण्ड वाटर

(श्री जितेन्द्र सिंह)

से आता है। सरफेस वाटर से सिर्फ 22 परसेंट आता है। हमारी कुम्भाराम लिफ्ट, इंदिरा गांधी नहर है। सभापति महोदय, हनुमानगढ़ और बाकी के जो एरिया हैं, वहां पर इर्रिगेशन में 75 परसेंट पानी यूज होता है। हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, बीकानेर में खुला पानी आता है, जो मुरब्बे हैं, वहां आपने देखा है। वहां वे सारा का सारा खुला पानी देते हैं, लेकिन ऐसे खुला पानी देने से काम नहीं चलेगा।

मुझे इजराइल जाने का मौका मिला था, Israel is the place of sand dunes. सभापति महोदय, पानी नहीं है। जब सैकण्ड वर्ल्ड वार में नाजियों ने तबाह कर दिया था, यहूदियों को रहने के लिए इजराइल एक देश मिला और जब उन्होंने देखा टीलों के अलावा कुछ भी नहीं था और इजराइल में बहुत बड़ा संगम है, जीसस क्राइस्ट वहां के थे, मोहम्मद साहब वहां के थे और Moses वो वहां के थे। मैंने स्वयं अपनी आंखों से तीनों के स्थान देखे। उन्होंने पहली बार स्टार्ट किया, ड्रिप इर्रिगेशन, स्प्रिंकलर इर्रिगेशन और किस तरह से पानी को रेस्टोर किया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने देखा है, एक-एक किलोमीटर लम्बे ट्यूबवैल, उनमें ऐसा पानी आता है, जैसे 100 डिग्री पर पानी उबल रहा हो। उन्होंने आज उस देश को चमन कर दिया। आज सारी खेती, हम लोग गये थे, हमने देखा ड्रिप इर्रिगेशन से किस तरह से पानी बचाया जा सकता है। यह सब उनसे सीखना पड़ेगा।

सभापति महोदय, हमारे 222 कस्बे हैं, 1 लाख 21 हजार गांव और ढाणियां हैं। यहां राजस्थान में पानी पिलाना चैलेंज था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने शुरुआत की उस वक्त और majority of places को 2020 तक उन्होंने जोड़ा। सभापति महोदय, यह भागीरथ प्रयास है। भागीरथ को दुनिया इसलिए याद करती है क्योंकि गंगा लाये थे। शिवजी ने अपनी जटाएं खोली थीं, उन्होंने गंगा को शिरोधार्य किया था।

सभापति महोदय, राजस्थान में पानी देना छोटी बात नहीं है। मैं तो खुद उस वक्त जलदाय मंत्री था। 20 हजार के सरफेस वाटर प्रोजेक्ट, 10 हजार ट्यूबवैल, 20 हजार हैण्डपम्प equally, without differences किये, किस पार्टी का है या किसका नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने मुझे कहा कि आपको देने हैं डाक्टर साहब। कभी पानी के लिए भेदभाव नहीं किया।

माननीय लीडर आफ अपोजिशन के खुद उदयपुर में पानी का संकट

(श्री जितेन्द्र सिंह)

है। वो तो princely state थी, वहां उन्होंने कल्पना के बाहर, जिस तरह से जयसमन्द झील बनायी। दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशल नैचुरल लेक, सारा पानी आ रहा है और भी योजनाएं बन रही हैं। कितने वक्त पहले उन्होंने सोचा, उनके दिमाग को मैं सलाम करता हूं।

आज से चार-चार सौ, महाराणा प्रताप के वक्त से, जिस तरह से उदय सिंह जी के टाइम से उदयपुर बसा, किस तरह से उन्होंने सिटी को, आज पूरी दुनिया में वह जगह अपने आप में मायने रखती है। सभापति महोदय, जो पानी का restoration का था, वह अपने आप में अद्वितीय है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने 60 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट बनाये और किस तरह distribution of water जमीन के पानी से काम नहीं चलने वाला है। सरफेस वाटर है, इन्दिरा गांधी नहर है, चम्बल है, बीसलपुर डैम है, माही है और गुजरात से आने वाली नर्मदा, ये सोर्सेज हैं। इन सोर्सेज को किस तरह से डवलप कर सकते हैं। इन सोर्सेज से जब हम पूरे स्टेट को इन्टरलिंक करेंगे, तब पानी की समस्या हल होगी।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय मंत्री जी ने ट्यूबवैल दिये थे। उनमें से 50 परसेंट ड्राई निकल गये। आपके भी बहुत निकलेंगे, पानी 1,000 फीट नीचे चला गया है, पानी लिफ्ट नहीं होता है। बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं मुख्य मंत्री जी ने बनायीं। परवन योजना 3 हजार करोड़ की, कोटा-बूंदी प्रोजेक्ट 1,661 करोड़ का, चम्बल धौलपुर प्रोजेक्ट 3,106 करोड़ का, हमारे जालोर में 536 करोड़ का, सरदारशहर में 847 करोड़ का, चम्बल-बेगूं-चित्तौड़ 2,245 करोड़ का, हमारे धौलपुर 343 करोड़, हमारे बाड़मेर में 497 करोड़, बांसवाड़ा 430 करोड़, डूंगरपूर, सभापति महोदय, ये प्रोजेक्ट्स 60 हजार करोड़ के पार्ट हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने घर-घर पानी योजना बनायी कि घर-घर को पानी मिलेगा। मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी योजना है और यह धरातल पर आ गयी तो अपने आप में पानी का सारा नक्शा बदल जायेगा।

सभापति महोदय, मैं टीवी पर देख रहा था, आपने भी देखा होगा। हिन्दुस्तानी बच्चे, जो मेडिकल स्टूडेंट थे, वे फंसे हुए थे। पानी की पाइप लाइन बन्द, टॉयलट का पानी बन्द, बाहर सड़क से बर्फ इकट्ठा करके बाल्टी में डाल रहे थे। वह दृश्य देखने में भयावह था, टॉयलेट में पानी नहीं, लड़कियां परेशान हो रही थीं तो पानी का महत्व उनको पता लगा होगा। खाने के बगैर

(श्री जितेन्द्र सिंह)

तो रह सकते हैं and our human body is having 75 per cent of water. सभापति महोदय, हमारी बॉडी में 75 परसेंट पानी है, बाकी फ्लेश और बोन्स तो 25 प्रतिशत है। खुदा ने भी यह सारा का सारा सिस्टम दे रखा है। पानी का अपना महत्व है, आबेहयात, अमृत इसको इसीलिए बोलते हैं, अन्तिम समय में गंगाजल पिलाते हैं।

**श्री बलवान पूनियां** (भादरा): सभापति महोदय, ये क्या बतला रहे हैं? सदन जानना चाहता है।

**श्री रघु शर्मा** (केकड़ी): राजस्थान की राजनीति पर मंथन हो रहा है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मंथन ही नहीं चिन्तन भी हो रहा है।

**श्री सभापति**: प्लीज, बैठें।

**श्री जितेन्द्र सिंह** (खेतड़ी): सभापति महोदय, डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन देखते भी हैं, सुनते भी हैं, एक साथ कई काम कर सकते हैं। ये versatile personality हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है और 2008 में माननीय मनमोहन सिंह जी जब प्रधान मंत्री थे, माननीय अशोक गहलोत साहब राजस्थान के मुख्य मंत्री थे तो जो सेंट्रल एड होती थी पीएचईडी प्रोजेक्ट्स में, वह होती थी 90 परसेंट, स्टेट को देना होता था मात्र 10 परसेंट, क्योंकि स्टेट के अपने रेवेन्यू लिमिटेड है, लेकिन मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार द्वारा वह जो रेश्यो था 90:10, वह अब 50:50 हो गया है। स्टेट गवर्नमेंट के अपने assets हैं, किस तरह से वो अपना मैनेज करे। यह बहुत बड़ा संकट है स्टेट गवर्नमेंट के सामने। तो मैं माननीय लीडर आफ अपोजिशन से रिक्वैस्ट करूंगा कि इस बारे में क्योंकि हर एक का अपना कार्य है। मैं समझता हूं कि आप सबसे लोंग इनिंग डॉन ब्रेडमेन की तरह अगर हमारे हाउस में छांटें कि डॉन ब्रेडमेन कौन हैं तो माननीय Leader of Opposition is the Don Bradman तो उनसे आशा करते हैं कि यह सबका अपना फायदा है और मैं जानता हूं आपकी कैपेसिटी को। किस तरह से स्टेट में पानी आये, हमारे जल संसाधन मंत्री भी राजस्थान के हैं तो मैं समझता हूं कि यह जो लाभ होगा पानी का, जो स्टेट से एड मिलेगी वह 50:50 की जगह माननीय Leader of Opposition, that should be 90 per cent तो उससे राज्य सरकार और हम सबको फायदा है। आपने देखा कि

(श्री जितेन्द्र सिंह)

मुख्य मंत्री जी ने जो भी दिया स्कूल्स को अपग्रेड किया, सारी स्कूलें, आप तो खुद मंत्री रहे हैं एजुकेशन के रहे हैं, होम रहा है सारा आपके पास, सारी स्कूलें, एक-एक स्कूलें होती थीं तो हम नाचते थे। आज साढ़े तीन हजार स्कूलें अपग्रेड हो गयीं। कालेजेज बन गये, नहीं बने तो it takes time; its own process.

इंग्लिश स्कूल हर एक को दस मिल रही हैं। इनमें पांच करोड़ सबको दे रहे हैं। पांच करोड़ मुख्य मंत्री जी ने एमएलए बजट किया वह सबको दे रहे हैं, उनमें भेदभाव नहीं किया वह सबको इक्वली डिस्ट्रिब्यूट किया। अभी भी आपने देखा है, मैं तो देख रहा था बजट के अन्दर कि बजट का जो सारा डिस्ट्रिब्यूशन था that was equal and above the politics. मैं तो धन्यवाद दूंगा कि आप और सी.पी. जोशी साहब विराजे हैं हमारे Hon'ble Speaker was sitting here और आपका बहुत बड़ा रोल रहा कि हम सबका आपने बजट पांच करोड़ करा दिया। मैं इस्तकबाल करता हूं आपका। हमारे 'impurities in water' गांवों में जो टंकियां बन रही हैं उनका मेंटिनेंस बहुत जरूरी है माननीय मंत्री महोदय, हमारे water borne diseases - Hepatitis, Cholera, Gastroenteritis, Enteric fever. माननीय सभापति महोदय, सारे के सारे सोर्स हमारे पानी के हैं और आपने बहुत टंकियां बनायी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना बड़ा आपके विभाग ने काम किया है कि मैं समझता हूं कि इतना और ज्यादा उसके बाद में और आपके पास में यह महकमा आया तो I was the happiest man, कि आप हाउस को कंट्रोल करते हैं और इस विभाग को भी आप बहुत तरीके से, मुख्य मंत्री जी ने बहुत दिया है तो how to, जो हमारी लेबोरेट्रीज हैं हमारे जो लैब बनी हुई हैं सारी की सारी तो इसलिये पानी का हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है कि पानी को किस तरह से स्वच्छ रखा जाये। वाटर बोर्न डिजीजेज से बचा जाये।

सभापति महोदय, मैं तो डाक्टर हूं। हेपेटाइटिस ऐसी बीमारी है कि अगर किसी के लीवर फेल्योर हो गया हेपेटाइटिस से, तो कोबरा अगर जीभ पर काट ले तो वह आदमी बच जायेगा लेकिन जिसका लीवर फेल हो गया हेपेटाइटिस से, उसको नहीं बचा सकेंगे। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि how to keep our गांव की हमारी टंकियां हैं पानी की उनको टाइमली आप क्लोरीनेशन करें। आपने लैब्स बना रखी हैं बहुत सारी। टैस्ट करते हैं आप बहुत सारे लेकिन किस तरह से हाइजिनिकली उनको रखा

(श्री जितेन्द्र सिंह)

जाये क्योंकि राजस्थान में हजारों टंकियां होंगी। सैकड़ों तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में होंगी। माननीय मुख्य मंत्री जी को जो नल कनेक्शन देने थे वह एक करोड़ के करीब थे और मुझे खुशी है कि करीब 23 लाख कनेक्शन मुख्य मंत्री जी ने, जलदाय मंत्री जी ने घर-घर जो नल योजना है उसके माध्यम से दे दिये हैं। You have got a way ahead. आपके सामने और लम्बा वक्त है आपको अभी सब कुछ और करना है। साठ हजार करोड़ जो आपने मंजूर किये हैं, मैं समझता हूं जल जीवन मिशन के माध्यम से अलग बारह हजार करोड़ मंजूर किये हैं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री महोदय आपको। अब यह आवश्यक हो गया माननीय सभापति महोदय, मैं लास्ट पर आ रहा हूं। ये दो-तीन चीजें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हो गया।

**श्री सभापति**: कृपया पांच मिनट में कन्क्लूड कर सकते हो तो करें।

**श्री जितेन्द्र सिंह** (खेतड़ी): I am concluding it, Sir. Please give me five more minutes.

मुझे ऐसा लगता है कि अगर पानी की यही हालत हुई तो समुद्र से पानी लाना पड़ेगा। ये जो मिडिल ईस्ट की सिटीज हैं दुबई है, कुवैत है ये तो समुद्र के किनारे हैं। सभापति महोदय, इंग्लैंड की लंदन की थेम्स रीवर को तीन बार री-साइकिल किया। हमारी पवित्र गंगा, मुकद्दस गंगा के लिए बार-बार कहा जाता रहा कि गंगा का प्युरिफिकेशन कर रहे हैं, वह अभी अण्डर प्रोसेस है। वह जितना जल्दी हो मैं समझता हूं हमारे लिये लास्ट गंगाजल लास्ट में पिलाया करते हैं। पानी का बहुत बड़ा महत्व है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि as early as possible, उसको किया जाये। पानी को किस तरह से रेस्टोरेशन किया जाये and it’s more important. घर का पानी घर में बचाओ। छत का पानी ड्रेन करके वहीं आप डालो। गांव का पानी गांव में बचाओ। खेत का पानी खेत में पोंड्स बन रहे हैं उनमें बचाओ आप। यह सारी जो व्यवस्थाएं हैं मैं समझता हूं बहुत ज्यादा है और सभापति महोदय, पॉल्यूशन को रोकना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली रुकेगा पॉल्यूशन तो। एसीओटी इन्सर्सन जो होता है कारखानों से सभापति महोदय, आनरेबल लीडर आफ अपोजिशन, 2040 में कोयला खतम हो जायेगा। पेट्रोल और डीजल भी हो सकता है समाप्ति की कगार पर होंगे। उस वक्त Co2 इन्सर्सन नहीं होगा, उस वक्त जो राजस्थान आज, Rajasthan alone can give electricity to whole of the Country. अकेला जैसलमेर पूरे भारत को बिजली देने के

(श्री जितेन्द्र सिंह)

लिये सक्षम है और वह वक्त आने वाले राजस्थान का होगा। माननीय सभापति महोदय, बहुत लम्बा नहीं कहना है, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पानी जीवन है और इस पानी को बचाने के लिये सबको जागरूक करना पड़ेगा, स्कूल लेवल से जागरूकता लानी पड़ेगी और मैं समझता हूं कि हम सबने मिल कर यह प्रयास किया जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया था तो अपने-आप में Rajasthan will be the first State in the Country, जो वाटर मैनेजमेंट में नम्बर वन होगा। धन्यवाद, सभापति महोदय।

**श्री सभापति**: श्री रामप्रताप जी कासनियां।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 27, पेयजल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, पेयजल विषय बहुत ही आवश्यक चीज है जनता से जुड़ा हुआ विषय है। मैं इसके सम्बन्ध में सरकार से सर्वप्रथम तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप के विभाग में हैल्पर कह दो, पम्प ड्राइवर कह दो, इनकी बहुत कमी है। जो पद रिक्त हैं उनको भरो और पद भरने के बाद में इनके नकेल भी डालो। आपके हर अधिकारी कहते हैं कि इनकी यूनियन है। अगर उनको पानी लीकेज रोकने के लिये ही कहें तो बीच में यूनियन आ जाती है तो इस तरह करने से काम नहीं चलता। नीचे के जो आपके कर्मचारी हैं, पीएचईडी का पूरा भट्ठा बैठाने में अगर सहयोग है तो उन नीचे के कर्मचारियों का है।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व में जितनी भी योजनाएं बनी हुई हैं, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि जैसलमेर के अन्दर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सीएडी के तहत जिस तरह से पक्के खाले बनाये गये थे, उसी तरह से अभियान के तौर पर यह जितनी भी पीएचईडी की स्कीम हैं सारी की सारी यह बंटाढार करने का काम आप लोगों का है। इनकी सम्भाल नहीं की। अगर सार-सम्भाल और मानिटरिंग होती तो बार-बार पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं इतना इंजीनियर नहीं हूं, विद्वान नहीं हूं पर केन्द्र सरकार ने अब जो पैसा दिया है उसके अन्दर दस प्रतिशत राशि मिलाने से पूरे राजस्थान के घर-घर में पानी दिया जा सकता है। सभापति महोदय, यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि कोई भी कार्य करवाना हो, उसका एस्टीमेट आपके इंजीनियर इतना हाई बनायेंगे कि आप

(श्री रामप्रताप कासनियां)

और हम सोच ही नहीं सकते। इनका एस्टिमेट इतना हाई इसलिए होता है कि उसमें कई तरह की लाग-लपट है, वह सारी सम्मिलित करते हुए एस्टिमेट बनाते हैं। इनकी भी मजबूरी है। यह मैं प्रमाणिक बात कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं। जो जीएलआर हम एक लाख रुपये में बनायें, यह पांच लाख में बनायेंगे। यह हालत है पीएचईडी की।

मंत्री महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज से पहले एक गांव में, एक गली में तीन तीन बार पाइप लाइन बिछाने की जो यह प्रथा है, आपका विभाग क्यों एनओसी देता है? एमएलए से भी पैसे ले लेते हैं, एमपी से, पंचायत से, नगरपालिका से पैसे ले लेते हैं। आपके पास पानी उपलब्ध है या नहीं है, पहले जो पाइप लगी हुई है, उसमें पानी क्यों नहीं जा रहा है? तीन-तीन, चार-चार पाइप एक ही स्थान पर आप बार-बार लगा रहे हो। मेरा आपसे यह निवेदन है कि एनओसी दिये बिना इस तरह से पाइप डालने की इजाजत नहीं दें। सरपंच भी तो इस काम पर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। पाइप डालने का मौका मिले तो चूकते ही नहीं। यही हालत नगरपालिका की है और सब जगह एक ही रोना है कि अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंचता।

सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता जल योजना पूर्णत: फेल हो चुकी है। या तो इन सरपंचों को कोई एक्स्ट्रा बजट दो, नहीं तो हर दो महीने बाद बिजली का कनेक्शन कटता है और 10-10, 15-15 दिन तक वह कनेक्शन जुड़ता नहीं। लोग सर्दियों में भी प्यासे मर रहे हैं। अगर आपके पास बजट है तो सरपंच इसकी सार-संभाल करेंगे अन्यथा सरपंचों ने तो ध्यान देना ही छोड़ दिया और एक ही शब्द है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, कर्मचारी कहां से रखें, पैसा कहां से देवें।

मंत्री महोदय, एक और सबसे बड़ी समस्या है। एक पंचायत के अंडर में पीएचईडी की एक स्कीम है, उस स्कीम से दूसरी पंचायत के गांव जुड़े हुए हैं। उन गांवों को पानी पहुंचाने का काम वह सरपंच नहीं करता। वह सर्वप्रथम अपने क्षेत्र में पानी देता है और दूसरी पंचायत के लोग प्यासे रहते हैं। इसका भी कोई समाधान करें। यह सुझाव मेरा नहीं, पूरे राजस्थान का है। जो स्कीम दो पंचायतों में है, वहां बड़ी भारी परेशानी आती है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, उदाहरण के तौर पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सर्दियों के मौसम में जब पानी नहीं पहुंचता तो

(श्री रामप्रताप कासनियां)

गर्मियों में कैसे पहुंचेगा? हां, गर्मियों में एक बात जरूर देखी है मैंने, सरकार जब आदेश देती है कि टैंकरों से पानी पहुंचाओ, तो जहां एक टैंकर की जरूरत है, वहां चार टैंकर पहुंचायेंगे। दो रास्ते में गायब, दो पहुंच जायेंगे, यह काम जरूर करते हैं। सभापति महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि हकीकत में केन्द्र और राज्य सरकार का इतना बड़ा धन खर्च हो रहा है, तो इसकी मानिटरिंग अवश्य करें। अधिकारियों के मन में तो यह है कि जल्दी से जल्दी पैसा खर्च हो। पाइप लाइन चार फीट गहरी डालनी है या तीन फीट डालनी है, वह ध्यान नहीं रखेंगे। पाइप लाइन डालनी है पांच फीट गहरी और डाल देंगे ढाई फीट, वह तो नहीं चलेगी। सभापति महोदय, मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोगों ने घोषणा की है कि हर घर को नल से पानी देंगे। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: बीच में नहीं, आप इधर देखिए। माननीय सदस्य, आप इधर देखिए।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): (व्यवधान) उनका दिया हुआ पैसा ही फालतू है अगर आप काम करो तो, यह मैंने पहले ही कह दिया।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, बीच में डिस्कशन नहीं।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): 10 परसेंट राशि मिलाने की जरूरत है, इतना धन दिया है केन्द्र सरकार ने।

**श्री सभापति**: आप कंटीन्यू कीजिए।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): मैं असलियत पर बोल रहा हूं, कोई इधर-उधर भटकाओ मत। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि लेवल का अवश्य ध्यान रखें। मेरे सूरतगढ़ में एक एक्स.ई.एन. है, एक ए.ईएन. है, 5 जे.ईएन. के पद रिक्त हैं। लेवल कौन करेगा? सभापति महोदय, अबकी बार एक और बहुत बड़ा नाटक किया है। पूरे क्षेत्र का टेंडर बड़े-बड़े लोगों को देने का जो काम किया है, यह भी एक बहुत बड़ा घपला किया है। अगर टेंडर टुकड़ों में होते तो काम जल्दी होता और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता और लूट-खसोट कम होती। खतम होने का तो प्रश्न ही नहीं, उनमें भी होती है। बड़े स्तर पर भी होती है, यह कहने में तो कोई संकोच ही नहीं है।

सभापति महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कार्य बार-बार नहीं होते। चाहे केन्द्र सरकार का कह दो या राज्य सरकार का कह

(श्री रामप्रताप कासनियां)

दो, यह मौका बहुत अच्छा है बशर्ते आप इसकी मानिटरिंग करेंगे तो लोगों को पेयजल उपलब्ध करा पाओगे अन्यथा अंतिम छोर के लोग 40-40 वर्ष हो गये, पानी की पाइप लाइन डाल दी, जीएलआर डाल दिया, मेरे सैकड़ों चक हैं जहां पाइप लाइन डाली हुई है, जीएलआर बने हुए हैं लेकिन पानी नहीं पहुंचता। यह प्रमाणिक चीज है, आप मौके पर जाकर देख लो। इतना बड़ा धन खर्च होने के बावजूद भी जब पेयजल उपलब्ध ही नहीं हो रहा है तो फिर इतना पैसा पानी की तरह क्यों बहाये जा रहे हो? मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आप इसकी मानिटरिंग करें और जो पद रिक्त हैं, पांच पद रिक्त हैं, कम से कम दो जे.ईएन. तो भेजो। कोई पाइप लीकेज हो तो कहें किसको? बहुत दयनीय हालत है।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में इस पेयजल से क्या हुआ है, पहले गांव की गलियां बड़ी स्वच्छ और साफ थीं पर पेयजल उपलब्ध कराने के कारण, घटिया किस्म की पाइप लाइन लगाने के कारण, जगह-जगह से पाइप लीकेज होने के कारण सब गांवों को कच्ची बस्ती में परिवर्तित कर दिया। गांव के लोग भी इतने रईस हो गये कि उनके घर के आगे अगर कोई पाइप टूटी हुई है तो उसे रोकने का काम भी नहीं करते। वह कहते हैं यह काम सरकार का है। पूरा का पूरा काम सरकार पर छोड़ रखा है। इस तरह की छोटी-छोटी चीजों की तरफ आप ध्यान दें। सरपंचों ने गलियां पक्की कर दीं, पानी सोखती नहीं। कच्ची जमीन तो फिर भी पानी सोखती है। मच्छर पैदा करने का काम पेयजल स्कीम ने कर दिया है। सर्दियों में भी गांव-गांव में मच्छर हो गये हैं। सभापति महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में इस योजना में जो पाइप हैं, वह सैकड़ों वर्ष तक भी लीकेज होने वाले नहीं हैं बशर्ते पाइप लाइन डालने वाले जोइंट सही लगा दें। वे उसकी गहराई से पूरी खुदाई करें और सारे काम नोर्म्स के मुताबिक करें तो इस योजना को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर यह ठेकेदारों के बलि चढ़ गयी, इंजीनियरों के हत्थे चढ़ गयी और जैसलमेर के जैसा अभियान चला तो कोई परिणाम नहीं आने वाले हैं। सभापति महोदय, ये जो टंकियां बनायी जा रही हैं, मंत्री महोदय, इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन टंकियों को जब भरते हैं तो उनमें से पानी टपकने लग जाता है। उसमें सफेद सीमेंट का लेपा करके बड़ी मुश्किल से पानी रोकते हैं। यह मैंने मेरी आंखों से देखा है। इसके लिए मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, यह हकीकत है।

**श्री सभापति**: पांच मिनट में कंक्लूड कीजिये।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ढाणियों में लोग बसे हुए हैं 20-20, 30-30, 50-50 ढाणियां खेतों में हैं। उनको भी पाइप लाइन डालकर पानी उपलब्ध कराया जाये। जो ढाणियां स्कीम में पहले से सम्मिलित हैं, उनमें तो पहले ही पाइप लाइन डाली हुई है, अच्छी-बुरी जैसी क्वालिटी है, वह पाइप लाइन पहले डाली हुई है, पर वह काम की नहीं रही है इसलिए उनका भी विशेष ध्यान रखा जाये। अगर गणना में कोई ढाणी छूट गयी है तो कृपा करके उनको सम्मिलित करने का काम करें। यह मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इसके अलावा और भी कई कमियां हैं, मैं क्या बताऊं। मैं एक-एक चीज बताऊंगा तो कहेंगे कि आलोचना ही आलोचना करते जा रहे हैं। मैं तो आपसे अंत में यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपके नीचे के स्टाफ की बहुत कमी है। अगर कोई अधिकारी किसी हैल्पर का ट्रांसफर कर दे और उसकी मर्जी नहीं है तो चार महीने तक रिलीव होकर आगे जॉइन ही नहीं करता है। न उस पर कोई कार्यवाही होती है और न ही वह सस्पैंड होता है, वह चैलेंज के साथ वहीं पर रहता है। यह मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं अंत में फिर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे टीबा क्षेत्र में, मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

**श्री सभापति**: समाप्त कीजिये।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की जैसावटी योजना के अन्दर दो पंचायतें हैं। इन गांवों में कभी भी पानी नहीं पहुंचा। मैं गांवों के नाम बता दूं। सरदारपुरा खर्था, 9 एसपीडी, 10 एसपीडी, ठेठार, कनोर, 1 टीडी, 2 टीडी और करड़ूसर। इसके इलावा एटा, चाड़सर, घोसाईसर, रतासर, ठुकराना, फरीदसर, सांवलसर, लदेर, देईदासपुरा, बछरावड़ा, करड़ू, भोजूसर। इसके अलावा राजियासर गांव, राजियासर स्टेशन, मोकलसर, चक अमरपुरा, मालेर, पंचायत पुरी, उदयपुर पंचायत, गोपाल सब पंचायत, इनके जो सारे गांव हैं, वे सर्दियों में भी प्यासे रहते हैं। एक बीमारी बिजली की है। बार-बार बिजली की समस्या आती है।

**श्री सभापति**: कृपया समाप्त कीजिये।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): जय हिन्द।

**श्री सभापति**: थैंक यू। श्री नारायण बेनीवाल।

**श्री नारायण बेनीवाल** (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 27 - पेयजल के महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।
पानी गये न ऊबरे, मोती मानुष चून'॥

जल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और जल है तो कल है। वर्षों से प्रदेश के नागरिक पेयजल के लिए परम्परागत जलस्रोतों पर आश्रित रहकर अपनी प्यास बुझाते आये हैं। सरकार में बैठे लोगों ने जनता को बहुत बार, सरकार चाहे किसी की आयी हो या गयी हो, मीठा पानी पिलाने का नारा हमेशा दिया है। आज भी गांव-ढाणी के लोग शुद्ध पेयजल के नाम पर समस्या लेकर आते हैं। आज भी गर्मी के मौसम में तीन से चार हजार रुपये देकर गांव और ढाणी के लोग मजबूरन पानी के टैंकर डलवाते हैं। कल सदन में स्कूलों के सुधार की बड़ी-बड़ी बातें माननीय सदस्य कर रहे थे, लेकिन आज भी ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पानी का कनेक्शन नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ज्यादा विस्तृत है। सरकार के जो आंकड़े हैं, उसके अनुसार देश में कुल सतही जल का मात्र 1.16 प्रतिशत जल ही राजस्थान में उपलब्ध है। साथ ही, राजस्थान का 61.11 हिस्सा मरुस्थल और कृषि योग्य भूमि का दो-तिहाई भाग वर्षा पर निर्भर करता है। ऐसे में चाहे पेयजल की बात करें या सिंचाई के पानी की बात करें, दोनों स्थितियों में जो संकट राजस्थान ने देखे हैं और देख रहा है। वे किसी से भी छिपे हुए नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज भी फ्लोराइड युक्त पानी की वजह से दांत खराब होना व रीढ़ की हड्डी का मुड़कर कूबड़ बन जाना भी आम बात है। अभी जितेन्द्र सिंह जी ने जो कूबड़पट्टी की बात की। नागौर जिले के कुछ क्षेत्रों के निवासियों पर अभिशाप बनकर पानी के अन्दर जो खारापन, फ्लोराइड और नाइट्रेट की अधिकता की जो समस्या है, वह आज भी जस की तस खड़ी है। थोड़ा पीछे चलकर बात करूं तो सरकार ने जून, 2013 में हमारे जिले के जायल कस्बे में मीठा पानी उपलब्ध करवाने के नाम पर बड़ी भीड़ इकट्ठा की और उसमें उस समय के हाईकमान सहित बड़े-बड़े लोगों को बुलाया था। विडम्बना यह रही कि मंच पर बैठे लोगों को ही मीठे पानी की बोतल मिली, जबकि जो लोग मीठे पानी के नाम पर आये थे, उन्हें खारा पानी पिलाने का कार्य सरकार ने किया। हमारा प्रयास तो सदा से यही रहा

(श्री नारायण बेनीवाल)

है कि दूरदराज के गांव और ढाणियों में निवास करने वाले प्रत्येक राजस्थान के वासी को सुलभ तरीके से जल कैसे मिले। वैसे हमारी पार्टी का चुनाव चिह्न भी पानी की बोतल ही है, जो कि एक तरह से स्वच्छ जल का ही प्रतीक है।

**श्री सभापति**: प्लीज बोलिये। बेनीवाल जी, आप कंटीन्यू कीजिये।

**श्री नारायण बेनीवाल** (खींवसर): यह अपनी-अपनी सोच पर निर्भर करता है कि उस बोतल को आप किधर ले जायें। स्वच्छ, सरल, समर्पित शुद्ध पानी की बोतल। मेरे क्षेत्र में आज जलस्तर 1,000 से 1,200 फीट नीचे चला गया है। आज भी प्रदेश का किसान धरती का सीना चीरकर अपनी प्यास बुझाता है।

माननीय सभापति महोदय, आज महिला दिवस है। नारी उत्थान की बड़ी-बड़ी बातें आज सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आज भी महिलायें गांव में खाली घड़े लिए हुए अफसरों का घेराव करते हुए यही गुहार करते हुए मिलेंगी कि उनका घड़ा भी जल रूपी अमृत की बूंदों से भर जाये तो उनके लिए सच्चे मायनों में खुशी का दिवस होगा। लेकिन उनकी कौन सुने? कई जगह पर तो इतना प्रदूषित जल मिलता है कि पीयेंगे तो रोगी होकर मर जायेंगे और नहीं पीयेंगे तो प्यासे मर जायेंगे। इससे ज्यादा विडम्बना और क्या हो सकती है कि आप शुद्ध पेयजल तक जनता को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। 75 साल से मीठे पानी के नाम पर जनता को बार-बार सभी पार्टियों ने गुमराह किया है। इसके बदले में उनको क्या मिला? कुछ भी तो नहीं, सिवाय असत्य घोषणाएं हुईं। अब जनता आपको कभी माफ करने वाली नहीं है। माननीय सभापति महोदय, भविष्यवेत्ताओं की चेतावनी का जिक्र भी अभी माननीय सदस्य ने किया था कि जो तीसरा महायुद्ध होगा, उसमें पानी की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। इसलिये समय रहते इस पर कोई ठोस कार्ययोजना सरकारों को बनानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के बजट में जब भी हम बजट पढ़ते हैं। जो डीपीआर का मायाजाल है, योजनाएं चाहे तीन साल बाद शुरू हों, उसकी डीपीआर आज बनती है। उस डीपीआर में मायाजाल के ऐसे आंकड़ों में उलझा दिया जाता है कि जब वह प्रोजेक्ट सतह पर आता है तो उसके बाद ठेकेदार उसको बिलो रेट में ले लेते हैं। यही हाल जल जीवन मिशन का है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसकी डीपीआर के नाम पर कोई ठोस मानिटरिंग

(श्री नारायण बेनीवाल)

की जरूरत पूरा प्रदेश आज महसूस कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, परम्परागत जलस्रोतों के रखरखाव की कार्ययोजना, क्योंकि तालाब ही राजस्थान में पीने के पानी का सबसे बड़ा सोर्स हुआ करता था। पंचायती राज की योजनाओं और मनरेगा के साथ विभाग का सामंजस्य, माननीय मंत्री जी विराजमान हैं, पीएचईडी विभाग, पंचायती राज और मनरेगा साथ बैठकर कोई ठोस कार्ययोजना बनायेंगे तो निश्चित रूप से पेयजल की जो समस्या है, उससे हमें निजात मिल सकेगी। मनरेगा में सभी केटेगिरी के किसानों के खेतों में टांका निर्माण की अनिवार्यता यदि लागू कर दी जाए तो पंचायती राज की इस बड़ी योजना के पैसे का सदुपयोग भी हो जाएगा और पेयजल की जो आज बहुत बड़ी समस्या प्रदेश के अन्दर है, उससे भी हमें निजात मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, जनता जल योजना की हम बात करें तो इसके अन्दर मानिटरिंग और कार्मिकों का नियमितीकरण, जो दस-दस, बारह-बारह साल से जनता जल योजना चला रहे हैं, उन कार्मिकों के नियमितीकरण का भी सरकार कोई न कोई रोडमैप बनाये। जलदाय विभाग में भी भर्तियों की बहुत बड़ी आवश्यकता है क्योंकि अधिकतर योजनाएं जो ठेके पर चल रही हैं, उनका जितना लाभ जनता को मिलना चाहिए, उतना लाभ मिल नहीं रहा है।

**श्री सभापति**: प्लीज कन्क्लूड कीजिए।

**श्री नारायण बेनीवाल** (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, पेयजल का शुद्धिकरण जैसे आर.ओ. प्लांट, डी-फ्लोराइड सेंटर, बड़ी टंकियां, पुराने जी.एल.आर.ओ. और नहरी पानी का शुद्धिकरण, इसके अन्दर टेस्टिंग लैब्स की स्थापना करके, लोगों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए सरकार कोई ठोस कार्ययोजना बनाये वरना ऐसी जलजनित जो बीमारियां हैं, जैसे पंजाब का जो दूषित पानी आ रहा है, उससे लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, हमने मुख्य मंत्री जी का चौथा बजट देखा, जिसमें कहने को 60 हजार 600 करोड़ से अधिक की पेयजल की परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं, जिनसे 35 हजार 776 गांव लाभान्वित होंगे और 86 लाख 21 हजार घरों में जल कनेक्शन की बात की गयी है। जल जीवन मिशन जो है, ये निश्चित रूप से केन्द्र और राज्य सरकार की जो योजना है, इसका लोगों के लिए वरदान बनकर आने की बात है, लेकिन ग्रामीण विकास के लिए यह अभिशाप बनकर आया है क्योंकि जो सुन्दर गांव थे, उनकी सारी गलियों की सड़कें, सी सी सड़कें, ब्लाक जितने भी लगे हुए थे, सब के सब तोड़ दिये।

(श्री नारायण बेनीवाल)
माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इसके ऊपर कोई ठोस कार्ययोजना बनाकर उन गांवों की सुन्दरता को वापस उसी रूप में लाएं, ऐसी कोई कार्ययोजना बनाएं।

**श्री सभापति**: धन्यवाद।

**श्री नारायण बेनीवाल** (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, जे.जे.एम. से वंचित गांव-ढ़ाणियों में नये ट्यूबवैल और जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति भी, जब आप उत्तर दें, इनकी तो जरूर ऐसी कोई कार्ययोजना बने। पिछले बजट में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10 ट्यूबवैल और 40 हैंडपम्प दिये गये थे। इस बार कहीं मुझे पढ़ने को नहीं मिला। मैं यही निवेदन आपके माध्यम से करूंगा कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में, क्योंकि जे.जे.एम. का काम सम्पूर्ण होने में लम्बा समय लगेगा तब तक वैकल्पिक रूप से हैंडपम्प और ट्यूबवैल की जहां पानी की उपलब्धता है, वहां स्वीकृतियां भी जारी करावें।

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन में काम कर रही कंपनियों की हठधर्मिता व अनुमोदित नक्शों के अलावा काम करने की जो प्रवृत्ति है, क्योंकि सरपंच उसका अध्यक्ष होता है, उसके दबाव में जो मैप है, उस मैप के अलावा काम करके जिन लोगों को वास्तव में लाभान्वित करना है, उससे अलग जगह पाइप लाइनें डाल रहे है। इसके अन्दर भी कोई ठोस योजना बने।

ई.आर.सी.पी., ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की यदि हम बात करें, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने बजट भाषण में बार-बार ये बात कही है कि राजस्थान के 25 सांसदों ने इसमें आवाज नहीं उठाई।

**श्री सभापति**: थैंक यू आपका। श्री रूपाराम जी।

**श्री नारायण बेनीवाल** (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, इसके अन्दर हमारे सुप्रीमो हनुमान जी ने इस कैनाल प्रोजेक्ट के लिए हमेशा लोक सभा में आवाज भी उठाई है।

पूर्व शासनकाल में रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम के नाम पर प्रत्येक विभाग में करोड़ों का बजट जारी किया लेकिन आज उसकी कोई महत्ता नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि समस्त सरकारी विभागों के ऊपर लगे रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम की मॉनिटरिंग भी करें।

**(समय: 14.00 बजे)**

**श्री सभापति**: प्लीज बैठिए। श्री रूपाराम जी।

**श्री नारायण बेनीवाल** (खींवसर): जन-जागरण अभियान चलाकर राजस्थान प्रदेश के प्रत्येक परिवार को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता कैसे हो, इस पर कोई ठोस कार्ययोजना बनाएं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री रूपाराम** (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल योजना पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

जीवन में पानी की कितना महत्ता है, जब मानव की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले बसावट में यही ध्यान रखा जाता था कि पीने के लिए पानी कैसे उपलब्ध होगा? उस वक्त बावड़ियां, तालाब, नाड़ियां, इत्यादि थे, नहीं तो जो नैचुरल सोर्स थे, नदियां वगैरह जो साल भर चलती थीं, उसी के किनारे लोग बसा करते थे। उस वक्त लोगों की बॉडी में इतनी स्टेमिना थी, खाने का और मेहनत इतनी करते थे, डिफेंसिव मैकेनिज्म था तो नदी का पानी साफ भी रहता था और ठीक भी नहीं हो तो पाचन शक्ति इतनी थी कि उस पानी की वजह से कोई बीमारी नहीं होती थी। धीरे-धीरे मानव को जैसे आवश्यकता रही पशुधन इत्यादि की तो अपने-अपने हिसाब से, कोई भी गांव या ढाणी, चाहे राजस्थान में हो या भारत में हो, जब वह गांव या ढाणी में बसता था तो सबसे पहले सर्वे करते थे कि इसमें भूमिगत पानी कितना गहरा है और कुआं खोदेंगे तो पानी मीठा आएगा या खारा, तालाब अगर बनाते हैं तो कैचमेंट एरिया है या नहीं है, बरसात वहां कितनी होती है। उस वक्त टैक्नोक्रेट्स नहीं होने के बाद में अपने पूर्वज जिन-जिन गांव व ढाणियों में बसे हैं, वहां अगर अभी अच्छे विशेषज्ञ से भी जांच करावें तो मेरे ख्याल से सोर्स सलेक्शन का जो उनका दिमाग था, वह आज भी इतने उपकरण और पढ़ाई वगैरह हैं, तो भी वे हम से कम नहीं थे। पानी की क्या महत्ता थी, और पानी की वजह से क्या तकलीफें थीं, मैं खुद भी, जब मैंने इंजीनियरिंग की तब तक गांव से 18 किलोमीटर दूर से ऊंट से पखाले लाता था। अपने राजस्थान में किसी भी घर में अगर तीन से चार आदमी काम करने लायक हों तो उसमें से कम से कम 50 परसेंट, दो आदमियों की ड्यूटी थी कि अपने परिवार के मनुष्यों को और पशुधन को, अगर थोड़ा-बहुत पशु हो तो, उनको जीवित रखने के लिए पानी की व्यवस्था कैसे करनी है और 365 दिन उसी में लगे रहते थे। जब आपके पास जो मेन पावर है, उसकी 50 प्रतिशत पीने के पानी के बंदोबस्त में लगती है तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर तो होनी ही होनी है। ये स्थितियां थीं।

(श्री रूपाराम)

राजस्थान राज्य में कई ऐसे गांव थे, जहां कई लोग, विशेषकर हमारे बाड़मेर, जैसलमेर का मुझे ध्यान है, कई गांवों में पानी इतना खारा था कि बरसात का पानी टांके में इकट्ठा करते और उसमें दो गिलास छाछ और बरसात का दो गिलास पानी और दो गिलास जो वहां खारा पानी है कुएं का, उसको मिलाकर वह भी ठंडे वक्त में पीया करते थे। अगर ज्यादा गर्मी में पीओ तो दस्त तक लग जाती थी। इस प्रकार की तकलीफें थीं। उन गांवों के अन्दर जब देश आजाद हुआ, पानी विभाग ने नहीं पहुंचाया। आजाद होने से पहले अधिकतर लोग व्यक्तिगत या एक समूह के रूप से पानी की व्यवस्था करते थे। इस प्रकार की दिक्कतें जिन गांवों में थीं, उन गांवों में कई लोग कुंआरे रह जाते थे। उनको कोई अपनी बच्ची नहीं देते थे। उस गांव में सगाई करने से पहले ये नहीं देखते थे कि लड़का क्या कर रहा है, वे सबसे पहले ये देखते थे कि उस गांव में पानी कितना है और दूर मेरी बेटी वहां जाएगी तो पानी कितनी दूर से लाएगी। कई गांवों के अन्दर औरतों के सिर पर बाल, जब वह इंडुनी ऊपर रखकर घड़ा लेकर आती थी, 25-30-40 किलोमीटर से, तो उसके सिर के बाल उड़ जाते थे। कई लोग, कई गांवों में ऐसे कुंआरे रह जाया करते थे।

देश आजाद हुआ। आज कई विषयों पर बोलते समय हमारे माननीय विपक्ष के सदस्य यह कहा करते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। सबसे पहले तो देश आजाद कराया, नहीं तो वैसे ही घड़े लाते रहते। जब देश आजाद हुआ उस वक्त जो सिस्टम था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो आफिसर्स थे, वे एक राजतंत्र से निकले हुए थे। आम आदमी की तकलीफ क्या है, उनको कैसे बैनिफिट देना है, उनका माइंडसेट भी वैसा नहीं था। इस प्रकार के सिस्टम से जब राज आया, कांग्रेस का राज बना और उस सिस्टम से उनको एकदम तो निकाल सकते नहीं। जब स्टेट मर्ज हो गयी तो जिनकी मेंटेलिटी, एक नीडी आदमी को, एक गरीब आदमी को, एक अल्पसंख्यक को, दलित वर्ग को, उनको फैसेलिटी नहीं दें, इसके लिए तो वे परफेक्ट थे लेकिन फैसेलिटी प्रोवाइड कराएं, यह उनके दिमाग में भी नहीं था। उस वक्त जो काम उनसे पब्लिक के हितों के लिए सब डिपार्टमेंट के साथ, एक पानी ऐसा था कि विश्व के अन्दर जो आक्सीजन है, वायु है, अपने आप मिलती है। धीरे-धीरे उसको भी शायद किसी पम्प से सूंघनी पड़ेगी, लेकिन पानी एक ऐसी चीज है जो स्वयं द्वारा या समूह द्वारा या राज्य सरकार द्वारा उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। उस वक्त कांग्रेस ने व्यवस्था की। जो राज बना, अलग-अलग मुख्य मंत्री रहे। मैं

(श्री रूपाराम)

आपको कहना चाहता हूं कि 1951 से 1990 तक, 40 वर्ष की अवधि में, मात्र ढाई वर्ष बीजेपी का राज रहा, 1977 से 1980 तक। 40 वर्ष में 37 साल 5 महीने कांग्रेस ने राज किया। 1990 तक राजस्थान के सभी शहरों में, उस वक्त जल की जो उपलब्धता थी, चाहे भूमिगत था, चाहे सरफेस सोर्स से था, पूरे 200 शहरों को लाभान्वित कर दिया था। 1981 की सेंसस तक, जितने भी गांव थे, वह 1990 तक लाभान्वित किये जा चुके थे।

एक बार पानी पहुंचा दिया, उसके बाद उसका एक्सटेंशन करना, लाइन इधर लगाना, उधर लगाना, वह बड़ा काम नहीं होता है। देश जब आजाद हुआ, तब एक उजड़ था। तब पीएचईडी अलग डिपार्टमेंट भी नहीं था। सार्वजनिक निर्माण विभाग था, उसी के लोग थे। यहां सदन के अन्दर, इंजीनियर्स को गालियां देते हैं, पीएचईडी वालों को भी देते हैं। जब राज्य में 62 दिन की हड़ताल हुई थी, इंजीनियर्स ने क्या नहीं किया था, वह सबको पता है। देश की यह हालत थी, राज्य की हालत थी, इन इंजीनियर्स ने मिलकर, धीरे-धीरे बेड़ा बढ़ाया। सोर्सेज सलेक्ट करना, लम्बी-लम्बी दूरी तक पाइप लाइन लगाना, उसको मेंटेन करना, यह बहुत बड़ा काम था। यह 90 परसेंट काम 1990 तक हो चुका था।

यह बात दूसरी है, अभी ग्राउण्ड वाटर से जो हुआ, वह स्थितियां अपने यहां अनुकूल नहीं थीं। ग्राउण्ड वाटर, हज़ारों वर्ष से जमीन के अन्दर था, उसके अतिरिक्त, अधिक दोहन से जब यह सप्लाई हुई, खेती भी करने लगे, अधिक दोहन से धीरे-धीरे पानी कम हुआ। अपने राज्य में सर्वे के अनुसार 292 पंचायती ब्लाक हैं। अभी पंचायत समितियां अधिक हो गयी हैं, 300 से ऊपर हैं। जो ग्राउण्ड वाटर सर्वे हुआ, उस वक्त 292 थीं। आज की तारीख में यह स्थिति है कि पूरे राज्य में, सिर्फ 45 ब्लाक ऐसे रहे हैं, जो सेफ जोन हैं, बाकी में पानी निकालना खतरे की घंटी बजती है। इसकी भी प्लानिंग की थी कि ग्राउण्ड वाटर सोर्स से सरफेस पर, इसको लिया जाये। इसकी शुरुआत माननीय मुख्य मंत्री महोदय अशोक जी गहलोत साहब ने की थी।

सभापति महोदय, मुझे इस चीज की इसलिये जानकारी है कि 2008-13 तक मैं राजकीय नौकरी में था। मैंने भी चर्चा की। मुझे निर्देश दिये गये कि इसके बारे में क्या करना चाहिये। मैंने कहा, साहब ऐसी स्थिति आयेगी, अगर शीघ्र ग्राउण्ड वाटर से स्विचओवर नहीं किया गया तो हाय-तौबा मच जायेगी। स्टेट को पीने के पानी के लिये खाली होना पड़ेगा। माननीय मुख्य

(श्री रूपाराम)

मंत्री जी ने निर्देश देकर, हमारी एक टीम थी, उसमें एक अग्रिम कार्ययोजना बनाई।

राजस्थान में 33 ज़िले हैं। उसमें एक कार्ययोजना बनाई कि इंदिरा गांधी नहर से 10 ज़िलों का रखेंगे, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुन्झुंनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, आशिंक बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर को थोड़ा नर्मदा से लिया है। चम्बल नदी से कोटा, झालावाड़, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, आठ ज़िले। बीसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक। नर्मदा से जालौर, सिरोही, कुछ भाग बाड़मेर का। जवाई से पाली और स्थानीय जो उदयपुर में हैं, उसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद। ईसरदा इत्यादि से करके, अलवर का कुछ पोर्शन, वगैरह इसमें लिया है इस प्रकार की कार्ययोजना बनाई। इस कार्ययोजना का अल्टीमेट यह था, मैंने भी कैलकुलेशन करके बताया। मैंने कहा कि साहब 2080 या 2090 में ऐसे स्थिति आयेगी कि यह सरफेस सोर्स का पानी है, वह भी इंदिरा गांधी नहर वगैरह से अपन सिंचाई नहीं कर पायेंगे। यह पानी सिर्फ पीने के लिये, जो डिमांड बढ़ेगी, धीरे-धीरे उसी पर आयेगा। उस वक्त कुछ आफिसर्स ने कहा कि खेती बिना कैसे चलेंगे। भई, खेती तो तब करेंगे, जब पानी पीकर जीवित रहेंगे। यह स्थिति 70-80 साल के बाद आनी है। यह कार्ययोजना बनी, उसके बाद, उसी पीरियड में, माननीय जितेन्द्र सिंह जी ने फरमाया, उस वक्त 22 हजार करोड़ की परियोजनाएं बनीं, उन पांच साल में। उसके अन्दर 16 हजार करोड़ के वर्क आर्डर जारी हो गये, ले आउट दे दिये, काम शुरू हो गये। जैसे ही 2013 से 2018 तक भाजपा की सरकार आई, उन कामों को रोक दिया गया। फाइलों को सूंघा गया, देशी घी की है, डालडा की है। दो वर्ष तक काम रुके। उस समय अधिकतम पाइप भी आये हुए थे।

सभापति महोदय, 2013 में मैं भी खड़ा हुआ था, हार गया। गांव में जाते ही, बड़ा दु:ख होता था। वेस्टर्न राजस्थान में व और जगह, कांग्रेस के, अशोक जी के टाइम के पाइप लाये हुए, आंधी से धूल से भर रहे थे, लेकिन डालने के लिये काम बन्द कर दिया। दो वर्ष इन्क्वायरी के बाद अलग-अलग कमेटियां बनाईं, रिजल्ट यह निकला, कमेटियों की रिपोर्ट थी कि अगर इसमें से कोई भी प्रोजेक्ट, आप निरस्त करते हो, विदड्रा करते हो, री-टेंडर होते हैं तो हज़ारों करोड़ की कॉस्ट बढ़ेगी, उसके लिए जवाबदार कौन है। दो वर्ष के बाद

(श्री रूपाराम)

हां करके छोड़ी। वह काम भी लगभग अधूरे रहे। जब तीसरी बार, अशोक गहलोत जी मुख्य मंत्री बने तब जाकर यह काम शुरू हुए और इसमें अधिकतम पूरे हो गये हैं।

कई बार लोग कहते हैं, कांग्रेस वाले एक तरफा काम करते हैं, अशोक गहलोत जी, सिर्फ जोधपुर में ही देते हैं। शंकर सिंह जी रावत साहब, अभी यहां विराजे हुए नहीं हैं। मैं ब्यावर एईएन. रहा हुआ हूं। वे वहां प्रधान थे, जब मैं ए.ईएन. था। मेरे पारिवारिक सम्बन्ध हैं। उनको यह था कि अशोक गहलोत जी मेरे टाडगढ़ एरिया की करेंगे ही नहीं। वे हड़ताल पर बैठ जाते, भूख हड़ताल करते। मेरे व्यक्तिगत दोस्त थे। मैं उनसे जाकर मिला, मैंने कहा, मैं चीफ इंजीनियर हूं, राज का नौकर हूं। मैं सही बात कहूंगा, आप मान लेंगे, मैं हाथा-जोड़ी करता हूं, हड़ताल छोड़ो, मैं सीएम साहब से जाकर रिक्वैस्ट करूंगा। मैंने 310 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया, एक ही मिनट में उन्होंने सैंक्शन कर दिया। एक बार मेरी तरफ थोड़ा देखा, मैंने कहा टॉडगढ है, उस एरिया में बहुत गरीब लोग, ग्रामीण रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, तो तुरन्त सैंक्शन कर दिया। फिर मैंने उनसे रिक्वैस्ट की, मुख्य मंत्री साहब, इसका शिलान्यास कराना है। बीजेपी के एम.एल.ए. हैं, उनका पत्थर पर नाम लिखना है और उनको बैठक में आपके पास बिठाना है, क्योंकि वे सम्बन्धित विधायक हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी वगैरह से चर्चा की। उससे पहले, पार्टी-पार्टी के ही बैठते थे। उन्होंने कहा, कर तो लूंगा, क्या शंकर सिंह जी आयेंगे। मैंने जाकर बात की, साहब, आपको कार्यक्रम कराना है। उनके भी उस वक्त के बोस से उन्होंने पूछा, पूछा तो कहा कि अशोक गहलोत जी ने सैंक्शन की है, चीफ इजीनियर आपका दोस्त है, आप भले ही बैठो। पत्थर पर नाम लिखा, 25-30 हजार की भीड़ हुई, वे खुद अशोक जी गहलोत के पास बैठे थे। अशोक जी गहलोत साहब का दिल बहुत बड़ा है। वे भी पानी के महकमे में ऐसा कुछ करें, ऐसा नहीं है।

2013-2018 तक कोई विशेष नहीं हुआ। मैं आपको कहना चाहूंगा, मंत्री महोदय जी, यहां विराजे हुए हैं। अभी जल जीवन मिशन के ही हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि पहले पीने के पानी की, भारत सरकार की अलग-अलग स्कीम रही। डीडीपी रही, एआरपी रही, अलग-अलग रहीं। 2014 से पहले, 15 वर्ष बीजेपी का राज भी रहा, इसको मिलाकर 20 वर्ष हुआ। उस समय भारत सरकार कांग्रेस की थी।

अपने यहां की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, पानी की सतही व

(श्री रूपाराम)

ग्राउण्ड वाटर की उपलब्धता है, रेगिस्तान है, पापुलेशन डेंसिटी है। पूरे भारत में, पर-वर्ग किलोमीटर 400 आदमी रहते हैं। राजस्थान में 200 आदमी रहते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में, पर-वर्ग किलोमीटर 17 आदमी रहते हैं। मेरा सांगड, बल्स का एरिया है, वहां पर-वर्ग किलोमीटर एक आदमी रहता है और यूं ढूंढते हैं कि कहीं आदमी दिख जाये। भेड़-बकरियां दिख जायेंगी पर आदमी नहीं दिखेगा। उसके अन्दर कोस्ट ज्यादा आयेगी। स्टेट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उसमें सम्भव नहीं है।

आप कोरोना के इंजेक्शन लगाते हो, तो ही कहते हो कि हमने फ्री दिये। यह तो फ्री ही होता है, भारत सरकार का काम है। वहां कौनसा प्रधान मंत्री तग़ारी उठाकर पैसा कमाकर लाते हैं। यहीं से जाते हैं। हवा के बाद, पेयजल पहली आवश्यकता है। देश की आजादी से लेकर, 90:10 का रेश्यो, अभी भी हिल स्टेशन में चल रहा है। राजस्थान में इसलिये कटौती की, क्योंकि यहां कांग्रेस का राज है। यह चीज नहीं होनी चाहिये।

आज अफसरों ने मेहनत करके, अपने राजस्थान में 222 शहरों के अलावा, 43 हजार 325 गांव हैं। इनमें से 38 हजार 443 गांव की लगभग 9 हजार 367 योजनाएं हैं। इनकी लागत 67 हजार 273 करोड़ है और ये स्वीकृत कर चुके हैं। जो टोटल गांवों के लगभग 89 परसेंट है। तो राजस्थान ने स्वीकृतियां सब कर ली हैं। अब वह पैसा, अब वह 4 हजार समथिंग गांव हैं कोई बाकी, 15 हजार करोड़ रुपये की सैंक्शन और आयेगी तो 82 हजार करोड़ रुपये के आस-पास यह होगी। अब 2024 का लक्ष्य दे दिया। अब स्टेट 50 परसेंट, 40-41 हजार करोड़ रुपये कहां से भरेगा? दूसरी कोई स्कीम्स बंद थोड़े ही कर पायेंगे? पैसा तो जो है वही है। अपन हर विभाग में चीड़-फाड़ करते हैं कि यहां पर पैसा कम दिया, यहां पर यह करो। एम.एल.ए. के ज्यादा है पैसा तो जो अपन दो लाख करोड़ रुपये के लगभग बजट बनाते हैं, उसी में तो यह है। पी.एच.ई.डी. की स्कीम चलानी भी है तो इसमें जो भारत सरकार ने गलत किया है, अपने को सबको मिलकर यह रेश्यो वापस जो अभी हिली एरिया के जो राज्य हैं उनमें 90:10 का है तो अपने राज्य के लिए भी 90:10 करने के लिए पक्ष और विपक्ष को मिलकर कराना चाहिए ताकि 2024 या कोई भी एस्टिमेट लेते हैं तो उस टाइम यह पूरा नहीं होता है लेकिन यह 2025-26 तक यह पूर्ण हो जाये, यह मेरा आपसे निवेदन रहेगा।

अब मैं राज्य के लिए कुछ सुझाव माननीय मंत्रीजी को देना चाहूंगा कि यह जो पानी अपने पास उपलब्ध है, चाहे यह भूमिगत है या चाहे सतही

(श्री रूपाराम)

सोर्स का है, यह पानी ज्यादा नहीं है। अपने पूर्वज जो करते थे, उस चीज पर अपने का आना पड़ेगा। अपने राजस्थान की पापुलेशन करीबन साढ़े सात करोड़ है तो लगभग डेढ़ या दो करोड़ घर हैं। अपने को एक ऐसी योजना लानी चाहिए कि हमारे बाड़मेर, जैसलमेर में पानी की ज्यादा तकलीफ थी। एक घर में अगर दस आदमी हैं, पीने के पानी के लिए दस लीटर की आवश्यकता रहती है पर-डे तो 365 दिन में रेनी डेज होते हैं 60 दिन, बरसात आगे पीछे भी होती है, टांका भर जाता है और उसकी जो छत वगैरह होती है, गार-गोबर करके आप टांका बना लो। पचास हजार लीटर का टांका बनाओ और घर में दस आदमी हैं और पांच-सात मेहमान भी आते हैं तो बारह महीने यह पूरा हो जायेगा। पीने के पानी के लिए सभी जगह पर ऐसी परियोजना हो, यह पी.एच.ई.डी. को दें कि पी.एच.ई.डी. पानी का सब कण्ट्रोल करने वाला है। हर हाउस के अन्दर यह टांका बन जाये, मेंटिनेंस उसकी वह करे, कोई अनुदान वगैरह दें और उसकी पूरी मानिटरिंग करें। जैसे अभी डेढ़ करोड़ घर हैं तो इतने घरों में यह बन गये, ताकि पीने के पानी की पूर्ति हो सके।

अभी पारख साहब बोल रहे थे, मैं पाली में भी एस.ई. रहा हूं और जब जवाई में पानी नहीं होता है तो हाथ-पैर फूल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर शहरों और गांवों के अन्दर इतनी सुनिश्चितता हो जाये कि ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: प्लीज, कन्क्लूड करिये।

**श्री रूपाराम** (जैसलमेर): अब मैं कुछ सुझाव और देना चाहूंगा। एक तो विशेषकर गर्मियों के अन्दर वाहन और मजदूरों की जो सैंक्शन देते हैं, वह वेस्टर्न राजस्थान में एरिया को देखते हुए पाइप लाइनों की लम्बाई को देखते हुए और उस जगह पर थोड़े आनुपातिक रूप से अधिक दें। कई जगह पर सोर्सेज में पानी है, मवेशी ज्यादा हैं, बिजली कम आती है तो पी.एच.ई.डी. को चिह्नित करके ऐसी जहां जगह है, वहां पर डाइरेक्ट फीडर कर दें, ताकि उससे उत्पादन बढ़ेगा।

इसी प्रकार वेस्टर्न राजस्थान में जहां पर ट्यूबवैल बहुत गहरे हैं, एनर्जी की खपत ज्यादा होती है, पाइप लाइनें लम्बी हैं, पानी की डिमांड भी 70 एल.पी.सी.डी. से भी कम पड़ती है तो उस एरिया में यह जो पम्पिंग मशीनरी का, पाइप लाइन का बजट होता है यह आनुपातिक रूप से अधिक दें। लेबर की भर्ती करीब चालीस वर्ष पहले बंद हो गयी है तो पूरे राजस्थान में ये जितनी भी स्कीम्स हैं, उनको आउटसोर्सिंग, एक कार्ययोजना बनाकर तीन-चार महीने में टाइम बाउंड करके सैंक्शन कर दें ताकि ऐसा नहीं हो कि मजदूर नहीं हो और मेंटेन नहीं हो रही है।

(श्री रूपाराम)

विभाग का काम ट्यूबवैल और हैण्डपम्प खोदने का है। रिग मशीन है, प्राइवेट कांट्रेक्टर से करवाते हैं लेकिन विभाग की मशीनें सब पुरानी हो गयी हैं। कुछ मशीनें विभाग के पास भी होनी चाहिए। ट्यूबवैल, हैण्डपम्प फेल होते ही ठेकेदार लेट करता है तो विभाग के पास भी नयी मशीनें रहनी चाहिये।

इसी प्रकार जो आने वाली गर्मी है, कई जगह पर एम.एल.ए. साहब भी कहते हैं, हम सब लोग भी कहते हैं, मैंने भी देखा है कि जॉइंट नहीं है, रबर रिंग नहीं है, 31 मार्च तक जिस जगह, जिस डिवीजन में जितनी भी आवश्यकता हो, चिह्नित करके यह सुनिश्चित करें मंत्रीजी के लेवल तक, प्रिंसिपल सैक्रेटरी साहब के, ए.सी.एस. के लेवल पर कि हमारे हर डिवीजन के अन्दर जो आइटम रिक्वायर्ड है, वह स्टोर में आ गया हैं।

इसी प्रकार जितनी भी जी.एल.आर. और सी.डब्ल्यू.टी. चाहे पशुओं के लिए हो, वे कई वर्षों की बनी हुई हैं, टूट चुकी हैं।

**श्री सभापति**: प्लीज, कन्क्लूड करिये।

**श्री रूपाराम** (जैसलमेर): एक लास्ट में मैं मेरे जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र के बारे में यह कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 464 गांवों की सैंक्शन होनी थी इसमें 369 गांवों की सैंक्शन 740 करोड़ रुपये की हो गयी है। अब मेरे 95 गांव बाकी हैं, उनमें से 73 गांव बोर्डर एरिया के हैं, पाकिस्तान के बोर्डर पर हैं और वहां वे खारा पानी पीते हैं। वहां पर पर-कैपिटा कोस्ट ज्यादा आ रही है, तो मेरा निवेदन मंत्रीजी से यह रहेगा कि ओवर आल उसको भी सैंक्शन कर लें। मेरे विधान सभा क्षेत्र के पूरे गांवों की 1.25 लाख पर-हाउस आयेगी, अब इंडिविजुअल वह गांव कम है लेकिन स्कीम उसकी और नहरी क्षेत्र में गांव हैं, जिसमें 22 जिलों के लोग रहते हैं, तीन राज्यों के रहते हैं। वह गंदा पानी उस नहर का पीते हैं तो उनको मिलाकर सैंक्शन करें तो टोटैलिटी 1.25 आयेगी। मेरे यह जो कुछ गांवों की सैंक्शन बची हुई हैं, यह सैंक्शन टाइम पर हो जाये, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा। मेरे को इस मौके पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: थैंक यू। श्री अभिनेश महर्षि।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या 27-पेयजल पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री अभिनेश महर्षि)

आज महिला दिवस के अवसर पर सदन में मैं मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।

श्री हरिशंकरजी भाभड़ा, जिन्होंने इस विधान सभा भवन को बनाने में न केवल अपने विचार और अपने दिमाग का इस्तेमाल किया बल्कि इसको मूर्त रूप देने का काम किया, उन हरिशंकरजी भाभड़ा साहब को प्रणाम करते हुए मैं इस विधान सभा में सबसे पहले कोई भी मांग करूं, उससे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरजी की मूर्ति लगाने की मांग माननीय अध्यक्ष महोदय एवं राजस्थान की सरकार से करता हूं कि वे यहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरजी की मूर्ति जरूर लगायें। मैं कोई भी मांग पर बोलूंगा उसमें सबसे पहले मेरी मांग इस संविधान को बनाने वाले, इस देश के अन्दर हमें अधिकार देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरजी की मूर्ति बने, जिससे पूरा राजस्थान और पूरा देश प्रेरणा लेता है, यहां से भी प्रेरणा लेकर जाये।

जल ही जीवन है और आज इस जल जीवन के ऊपर, जल के माध्यम से जीवन है, बिना जल के जीवन नहीं है, यह हम सब लोग जानते हैं लेकिन हम कितना प्रयास करते हैं कि कैसे हमारा जल हम बचा कर रख सकें। किस तरह से हम इस जल को उपयोग में ले सकें। मैं जनरलाइज्ड बातों के ऊपर चर्चा करूं और राजस्थान की वर्तमान सरकार ने अपने जन घोषणा-पत्र के अंदर जो बातें कही थीं और पीने के पानी को लेकर जो घोषणाएं की थीं, पेयजल के बारे में आठ बिंदु दिये थे। उन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करूं या उसके बाद में वर्ष 2019-20 में परिवर्तित बजट के अन्दर जो उन्होंने पेयजल के बारे में बड़ी-बड़ी बातें की थीं, उनके बारे में बात करूं? 2020-21 के अन्दर जो बजट पेश किया, 2021-22 और 2022-23 के अन्दर जो बजट पेश किया, उन सब बातों के अन्दर मैं डिटेल के अन्दर यदि जाऊंगा तो दो घंटे का समय लगेगा। इस राजस्थान सरकार की जो नाकामियां हैं, उन नाकामियों को एक-एक करके बिंदुवार मैं प्रस्तुत कर सकता हूं लेकिन उसके अन्दर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को कहा भी है।

इन सब बातों को करूं उससे पहले, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, उससे भी पहले माननीय जलदाय मंत्री जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे नेता, प्रतिपक्ष ने जो मुद्दा उठाया, जो सवाल पूछा, उस सवाल के अन्दर आपने यह स्वीकार किया। सरकार डॉक में खड़ी हुई या नहीं हुई मैं यह

(श्री अभिनेश महर्षि)

नहीं कहता हूं लेकिन आपको इस बात का धन्यवाद देता हूं कि आपके अन्दर कम से कम यह हिम्मत तो है कि सत्यता को आपने स्वीकार तो किया है।

गुलाब चन्द जी कटारिया साहब ने यह पूछा कि जल जीवन मिशन के लिए 13 हजार करोड़ रुपये भारत सरकार ने दिये। एक महत्वाकांक्षी योजना, हर व्यक्ति को पीने का पानी मिले यह देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने परिकल्पना की और राजस्थान से आने वाले हमारे जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह जी ने एक सपना देखा कि घर-घर के अन्दर लोगों को पीने का पानी 2024 तक मिले। अन्य राज्यों के अन्दर यह बहुत अच्छा काम हो रहा है लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ है कि गजेन्द्र सिंह जी जोधपुर से आते हैं, राजस्थान के मुख्य मंत्री भी जोधपुर से ही आते हैं। देश के प्रधान मंत्रीजी ने जो सपना देखा कि हर व्यक्ति को पीने का पानी मिले, उस सपने को फेल करने के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने हठधर्मिता अपनाते हुए जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 13 हजार करोड़ रुपये की जगह सिर्फ 4 हजार करोड़ रुपया राजस्थान की इस नाकारा सरकार ने लिया, उठाया। अब इसके अन्दर जलदाय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि हां, यह रहा तो है तो जलदाय मंत्रीजी जब जवाब दें, तो यह बतायें कि बाकी बचा हुआ पैसा कब तक ले लेंगे? लोगों को कब तक पीने का पानी मुहैया करवा देंगे? व्यक्ति के जीवन के अन्दर मूलभूत आवश्यकताओं में पानी सबसे पहले आता है। पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, इन सब के अन्दर राजस्थान की सरकार फेल हो गयी है और आज पानी के ऊपर चर्चा है। मुझे यह कहते हुए बहुत तकलीफ है कि बार-बार इस बात का रोना रोती है राजस्थान की सरकार, कि पहले के जमाने में यह होता था। कई बार तो असत्य आंकड़े भी पेश करने का काम करती है। अब 90:10 के प्रतिशत को घटाकर, आप उन राज्यों की बात करते हैं, वहां की भौगोलिक स्थिति अलग है, उन पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं जहां पर 90:10 का प्रतिशत दिया जाता है। राजस्थान के अन्दर राजस्थान की सरकार 50 प्रतिशत को देने के लिए तैयार नहीं है तो आपकी मंशा राजस्थान के अन्दर प्यासे व्यक्ति, आदरणीय रूपाराम जी अभी कह रहे थे कि जब हमारी माताएं, बहिनें दूर-दूर से पानी के घड़े लेकर आती हैं, जब वे इंडुनी सिर के ऊपर रखकर लाती थीं तो उनके सिर के बाल उड़ जाते थे। रूपाराम जी, आज भी उड़ जाते हैं। वह सिर के बाल लोगों के ऊपर से आज भी उड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान की सरकार को गम्भीरता से काम करना चाहिए।

(श्री अभिनेश महर्षि)

मैं राजस्थान की विधान सभा में मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़, जहां के लोगों ने अपने हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए, एक सजग प्रहरी के रूप में मुझे यहां पर भेजा है, यदि उनकी बात पहले नहीं करूं तो यह नाइंसाफी होगी। इसलिए सबसे पहले मैं रतनगढ़ के लोगों की मांग, क्योंकि आज यह डिमाण्ड है, मैं वह करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के आलसर बास, उतरादे मोहल्ले में, रतनगढ़ चक में, छाबड़ी खारी में, छाजूसर में, आबड़सर में, देराजसर में, जालेउ, जेगनियां बिदावतान, लेगनियां सूरजमाल सिंह, स्यानण, रतनादेसर, नूवां, लूंछ, खुड़ेरा छोटा, दीपसर, सुलखनियां, परसनेऊ, जान्दवा, हरिपुरा, हरासर, डूंगरास, लूणासर, पायली, पायली में दो, रामदेवजी के मन्दिर के पास और बस स्टैण्ड के पास, ढढेरू भमूवान पतलाई जोहड़ी, ढढेरू भामूवान वार्ड नं. 5 श्मशान भूमि के पास तथा खोतड़ी मेघवालों के मोहल्ले में ट्यूबवैल की जबरदस्त मांग है, पीने के पानी की समस्या है। बार-बार राजस्थान की सरकार से गुहार हम लोग कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, मेरी इन मांगों के ऊपर विचार करके सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देकर राजस्थान के लोगो को, मेरे विधान सभा क्षेत्र के प्यासे लोगों को पानी पिलाने का काम करेंगे। यह मैं आपसे मांग भी करता हूं और उम्मीद भी करता हूं।

उसके बाद में विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के चारणबासी, छाबड़ी मीठी, पाना की ढाणी, मैणासर, लूणासर, कुसुमदेसर, सांवतियां, इकताई तलाई व ढाकावाली आदि के अन्दर आपणी योजना, एक महत्वाकांक्षी योजना आपणी योजना, जिसके सैकण्ड फेज में रतनगढ़ को कवर किया गया था। मुझे यह बात कहते हुए बहुत तकलीफ है मंत्री महोदय, यह जांच का विषय है, आपणी योजना बिलकुल फेल हो गयी है। जो पाइप लाइन डाली गयी थी, वह इतनी खराब डाली गयी है, उसके अन्दर जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। मैं सदन के माध्यम से आपसे मांग करता हूं कि आपणी योजना में रतनगढ़ के अन्दर जो पाइप लाइन डाली गयी थी, उस पाइप लाइन के पाइप्स की जांच करवायी जाए। घटिया क्वालिटी के पाइप डाल दिये गये। थोड़ा सा भी पानी का प्रेशर बढ़ता है, पाइप फट जाते हैं। ऐसी स्थिति में महत्वाकांक्षी योजना के तहत हजारों करोड़ रुपये इस आपणी योजना के ऊपर सरकार ने खर्च किये थे, वह पानी-पानी हो गये हैं लेकिन लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आपणी योजना के तहत ढाणियां, जो पहले सर्वे से वंचित रह गयी थीं, मंत्री महोदय, यहां पर अधिकारी लोग भी बैठे हैं,

(श्री अभिनेश महर्षि)

ध्यान से सुनने की बात है। जो ढाणियां पहले रह गयी थीं, जो-जो छोटे-छोटे गांव पहले रह गये थे, जो टेल एंड के मोहल्ले रह गये थे, जिनके अन्दर आपणी योजना की पाइप लाइन नहीं बिछी थी, जहां पर पीने का पानी, सरकार की मंशा रही होगी लेकिन सरकार विफल रही है, उनको पीने का पानी देने में, मेरी मांग है इस सदन के माध्यम से, कि आप दुबारा उनका सर्वे करवाकर उन लोगों को पीने का पानी पहुंचाने का काम करें।

विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में आलसर, अणखोल्या, भोजासर, चारणबासी, प्रेम नगर, नीमड़ी बिदावतान, लोणा कुसुमदेसर, टाड़ा, सांवतिया, रिणवां की ढाणी, रामपुर, परसनेउ, तोलियासर, कनवारी, जिनरासर, कादिया सहित अनेक ऐसे गांव हैं जहां पर पेयजल आपूर्ति के पाइंट कम हैं, पीएसपी पाइंट कम हैं। पता नहीं, किन लोगों ने सर्वे किया था। जहां पर पीएसपी पाइंट होना चाहिए, वहां पर पीएसपी पाइंट नहीं दिया। जहां पर पीएसपी पाइंट की आवश्यकता नहीं थी, वहां पर दो-दो पीएसपी पाइंट दे दिये। इस बात का पुन: सर्वे करवायें। जहां पर पीएसपी पाइंट नहीं है, ऐसा कोई है क्या, कि राजस्थान की सरकार ने लॉक एण्ड की कर दिया। जब अधिकारियों से बात करते हैं तो कहते हैं कि दुबारा पीएसपी पाइंट हम नहीं दे सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि लोगों को पीने का पानी मिले, इस मंशा के साथ में यह योजना बनी थी, इस योजना के अन्दर पुन: सर्वे करवाकर पीएसपी पाइंट दिये जाएं और जो खराब पड़े हुए ट्यूबवैल और हैण्डपम्प्स हैं, उनको ठीक करवाने की कृपा भी करें।

सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर अनेक ऐसे गांव हैं, जहां पर 7-7, 8-8 गांवों के अन्दर एक टंकी बनी हुई है। मैंने, माननीय तत्कालीन जलदाय मंत्री बीडी कल्लाजी से 15 जून, 2021 को एक पत्र के माध्यम से स्वयं मिलकर मांग की थी कि माननीय जलदाय मंत्री महोदय, 7-7, 8-8 गांवों के अन्दर एक-एक टंकी बनी हुई है, किसी एक गांव के अन्दर एक टंकी बनी हुई है। उनका दुबारा सर्वे करवाया जाये और जहां पर टंकियों की आवश्यकता है, वहां पर टंकी बनाने का दुबारा से आदेश जारी किया जाये। इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं। जो टंकियां बनी थीं, वे टंकियां खाली पड़ी हुई हैं। मंत्री महोदय, उन टंकियों के अन्दर पानी नहीं आ रहा है। उन खाली पड़ी टंकियों के

(श्री अभिनेश महर्षि)

अन्दर पानी की व्यवस्था भी करवायें क्योंकि पाइप लाइन फट जाती है। खराब पाइप डाले हुए हैं। वहां पर पता नहीं क्या व्यवस्था है। मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं। टंकियां खाली पड़ी रहती हैं। उन टंकियों में पानी भी आना चाहिए। भींचरी गांव के अन्दर एक टंकी बनी हुई है। आसपास के सात गांवों में पेयजल सप्लाई दी जाती है।

भारत सरकार की योजना जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प जो लिया गया था, वह केवल सात गांवों के अन्दर एक टंकी से पूरा नहीं हो सकता है। कुसुमदेसर पंचायत के लोगों को पेयजल के लिए तरसना पड़ रहा है। बार-बार गुहार लगाने के बाद भी राजस्थान की सोयी हुई सरकार, राजस्थान की यह गूंगी-बहरी सरकार लोगों के पीने के पानी के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रही है और मूलभूत आवश्यकताओं के लिए यह सरकार सोना बन्द करे। जागे, नींद से उठे और लोगों को पीने का पानी मुहैया कराने का काम करे।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पास में हमारे स्टेट के अन्दर चम्बल नदी के अलावा कोई नदी नहीं है और 6 ऐसे जिले हैं जिनमें आईजीएनपी का पानी आ रहा है। उसके अलावा बाकी जिलों के लिए अन्डर ग्राउण्ड सोर्स है। 19 ब्लाक सेफ जोन में हैं। बाकी डार्क जोन में हैं। फ्लोराइड बढ़ता जा रहा है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। इस फ्लोराइड को खतम करने के लिए कोई ऐसी ठोस योजना बनाओ। हमारे इलाके में सरदारशहर, मेरे विधान सभा क्षेत्र से आगे की तरफ बढ़ जाओ, तो लोग समझ जाते हैं, उनके दांत देखकर कि यह सरदारशहर का रहने वाला व्यक्ति है। उनके दांत पीले हो जाते हैं। इतना फ्लोराइड वाला पानी है। मेरे से पूर्व एक वक्ता ने यह भी बात कही थी कि जो हमारे आर.ओ. सिस्टम लगे थे, वे आर.ओ. सिस्टम अधिकांश फेल हो गये हैं। वह डिब्बा बना हुआ पड़ा है। माननीय मंत्री महोदय, ये जितने भी आर.ओ. बन्द पड़े हैं, इन आर.ओ. को तुरन्त प्रभाव से चालू करवाइये। राजस्थान की सरकार का बहुत बड़ा पैसा इसके अन्दर लगा हुआ है। यह स्कीम फेल हो जाये, लोगों की यह मंशा है। सरकार की मंशा यह होनी चाहिए कि फ्लोराइडमुक्त पानी लोगों को मिल सके।

सन् 1980 के अन्दर भैरोंसिंह जी शेखावत ने आपणी योजना का सपना देखा, शुरू की थी। आज जल जीवन मिशन जो है, यह प्रधान मंत्री जी ने शुरू

(श्री अभिनेश महर्षि)

किया है। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इसके ऊपर राजनीति नहीं करें। इस भावना को त्याग दें कि यह केन्द्र सरकार की स्कीम है। आज जितनी भी केन्द्र की स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के अन्दर यदि कहीं श्रेय लेने की बात आती है तब तो राजस्थान की सरकार चार कदम आगे बढ़कर श्रेय लेने की कोशिश करती है लेकिन, आप बार-बार कहते हैं कि हमारे 25 सांसद हैं। 25 सांसद राजस्थान के जो गये हैं, वह किसी की मेहरबानी नहीं, वह जनता-जनार्दन है, जिसने चुनकर भेजा है, आप लोगों की कोई मेहरबानी नहीं है। आप लोग तो यदि चाहते तो एक भी नहीं जाने देते। क्या बार-बार 25-25 कह रहे हैं। आपके पेट में दर्द हो गया 25 सांसद चले गये तो। इस बार 25 गये हैं और फिर दुबारा 25 जाएंगे और राजस्थान का भविष्य स्वर्णिम बने, इसके लिये आने वाले समय के अन्दर आप लोग कितनी संख्या के अन्दर जाएंगे, आप लोग इस बात को भी तय कर लेना।

मैं विशेष रूप से ओवरहैड टैंक्स की बात करूंगा। टेल एंड पर पानी कैसे पहुंचेगा? गांवों के अन्दर जो टंकियां बनी हुई हैं, उन टंकियों के अन्दर, अभी जितेन्द्र सिंह जी कह रहे थे, ऊपर से ढक्कन खतम हो गये हैं, उनमें जानवर गिर जाते हैं। समय पर टंकियों की सफाई नहीं होती है और वहां पर लिख दिया जाता है कि इतनी तारीख को सफाई की। वहां सम्बन्धित किसी व्यक्ति के साइन करा लिये जाते हैं। यह इतना जबरदस्त फर्जीवाड़ा चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि इसके लिये विशेष रूप से ध्यान दें।

**श्री सभापति**: प्लीज कन्क्लूड करिए।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): कन्क्लूड करता हूं सर, पांच मिनट लगेंगे।

ऐसी स्थिति में स्कूलों में ऐसा कोई पाठ्यक्रम बनाइए, माननीय सभापति महोदय, होना चाहिए कि 'जल ही जीवन है' तो इस जल को बचाने के लिये हमारे बच्चों को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। दूरदराज की ढाणियों में पीने के पानी के लिये, व्यवस्था करने के लिये नई पाइप लाइन बिछानी पड़ेगी।

इसके अलावा, मैं अपनी अन्तिम बात कहते हुए मेरी बात को समाप्त करूं कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के मौहल्ले हैं, उन अनुसूचित जाति और जनजाति के मोहल्लों के अन्दर आप थ्री फेस के ट्यूबवैल बनाने की स्कीम बनाइए और वहां पर जी.एल.आर. बनाइए, वहां पर एस.आर. बनाइए और उन मोहल्लों को अलग से पीने का पानी मुहैया कराने के लिये... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: कृपया समाप्त करें।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): एक मिनट के अन्दर कन्क्लूड करता हूं।

उन मोहल्लों के अन्दर अलग से पीने के पानी की व्यवस्था कराइए और जब तक आपकी यह स्कीम बनकर मूर्त रूप नहीं ले ले, क्योंकि मूर्त रूप लेना तो, मैं तो सपना भी नहीं देख रहा हूं कि आपकी बनाई हुई इन स्कीम्स को कोई मूर्त रूप दिया जा सकेगा, लेकिन उन लोगों को पीने का पानी तभी मिलेगा। वह गांव के बाहर है और ढाणियों के अन्दर बसे हुए हैं। टेल एंड पर ढाणियां बसी हुई हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उन लोगों के लिये तब तक सिंगल फेज के ट्यूबवैल बनाकर 2 हजार लीटर की पानी की टंकी वहां पर देकर उन लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया जा सके। मैं यही बात कहते हुए, क्योंकि बातें तो बहुत हैं लेकिन समय की कमी है, माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय मेरे इन सुझावों और मेरी मांगों के ऊपर अपने जवाब के अन्दर बखूबी जवाब देंगे। धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री सभापति**: श्री बलवान पूनियां।

**श्री बलवान पूनियां** (भादरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जल जीवन मिशन में मेरे विधान सभा क्षेत्र के अधिकतर कार्य स्वीकृत हो चुके हैं और 23 कार्य अभी प्रगति पर हैं। एस.आर. और पाइप लाइन डालने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। शहर को अगर मैं छोड़ूं तो विधान सभा क्षेत्र के 118 गांवों में से लगभग 60 गांवों में काम शुरू हो चुका है। इसलिए, मेरी मांग है कि भादरा में जलदाय विभाग का नवीन उपखण्ड कार्यालय स्वीकृत किया जाए ताकि इस महती योजना की मानिटरिंग ढंग से हो सके जिससे आने वाले 30-40 साल तक जलदाय विभाग में नए सिरे से कोई काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

मैं सदन में मांग करता हूं कि जो दूर-दूर ढाणियां हैं, एक गांव से दूसरे गांव के बीच में चार-पांच किलोमीटर की दूरी है, उन ढाणियों को भी कंसीडर करके, कोई भी ढाणी छूटे नहीं, सारी जगह पेयजल पाइप लाइन से भेजने का काम करें। माननीय सभापति महोदय, यह बात मान लेते हैं कि हमने काम कर दिया और काम करने के बाद पानी की व्यवस्था भी ठीक हो गयी, पर उसको चलाने के लिये, उसकी मानिटरिंग करने के लिये मेरे तमाम

(श्री बलवान पूनियां)

साथियों ने मांग उठायी। मेरी भी मांग है कि जो तकनीकी संवर्ग के कर्मचारी, जो फिटर हैं और पम्प चालक हैं, सभी लोग पदों की मांग कर रहे हैं, आने वाले समय में जल जीवन मिशन को कामयाब करने के लिये नीचे की टीम वर्क का काम भी जरूरी है, इसलिए तुरन्त नई भर्ती निकाली जाए और इन पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। माननीय सभापति महोदय, जनता जल योजना में जो लोग 20-25 साल से काम कर रहे थे, जिनका इस विभाग में काम करते-करते अनुभव हो गया, हमें ऐसे लोगों को नियमित करना चाहिए, न कि इस बुढ़ापे के नजदीक आये उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक तरफ हम पुरानी पेंशन योजना लागू करके पूरे हिन्दुस्तान में नई दिशा दे रहे हैं और दूसरी तरफ जनता जल योजना के सारे के सारे कर्मचारी विधान सभा पर आकर मांग कर रहे थे कि हमें नियमित किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करना चाहता हूं कि गांव में पाइप लाइन का काम चल रहा है, नये सिरे से पाइप लाइनें डल रही हैं। गांवों में पहले पंचायतों ने काम कर दिये, अच्छी-अच्छी सड़कें बना दीं, इंटरलॉक सड़कें बनी हुई हैं, उन सड़कों को उखाड़कर दुबारा पाइप लाइन डालने का काम चल रहा है। ठेकेदार पाइप लाइन तो डाल रहा है, लेकिन पाइप लाइन डालने के बाद गली यूं ही छोड़कर चला जाता है। एक तरफ हम अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसका इम्पेक्ट बुरा जा रहा है। बार-बार ठेकेदार को कहने के बावजूद भी कई पंचायतों और कई गांवों में, पंचायत समिति और जिला परिषद् की बैठक में यह चर्चाएं हुईं कि ठेकेदारों को पाबन्द किया जाए। इसलिए मेरी पुरजोर मांग है कि राजस्थान में कहीं भी काम हो, गांव में पाइप लाइन डालने का, वहां ठेकेदार को पाबन्द किया जाए कि वह उस गली का वापस सही तरीके से निर्माण करके फिर आगे काम के लिये निकले।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि जो पाइप लाइनें डालनी हैं, उसके आर्डर एडवांस पड़े हैं, छह-छह महीने तक जी.आई. पाइप लाइन नहीं मिल रही है तो 2023 में यह काम पूरा कैसे हो जाएगा। आपने सबसे पहले जो स्वीकृति निकाली थी, उसका काम पूरा होने में छह महीने बचे हैं, तो योजना सिरे कैसे चढ़ेगी? इसलिए एस.डी.पी. पाइप

(श्री बलवान पूनियां)

लाइन और डी.आई. पाइप लाइन समय पर उपलब्ध करवाने का सरकार प्रबन्ध करे। अब कई इंस्ट्रक्शन दिये हुए हैं, कई हर्डल लगे हैं कि आप यह नहीं ले सकते, यह पाइप यहां से लेने हैं। पी एन 6 और पी एन 10 पाइप, जो आई.एस.आई. मार्का मिले, वह जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जाए, ताकि इस योजना को ढंग से सिरे चढ़ाया जाए, यह मेरी मांग है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब सारे साथियों की चिन्ता है कि पीने का पानी आएगा कहां से, पीने के पानी की व्यवस्था कैसे होगी, जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपये का बजट आ गया और बजट आने के बाद पानी का प्रबन्ध कैसे होगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भादरा और नोहर का हम साथ देखें तो 0.67 एम.ए.एफ. पानी, जो हमारा डैम में रिजर्व है, 0.67 एम.ए.एफ. पानी में से अभी हमें सिर्फ 0.50 क्यूसेक पानी मिलता है। 0.17 एम.ए.एफ. पानी इसलिए नहीं मिलता, क्योंकि पंजाब ने यह कह दिया कि आपका सिस्टम सही नहीं है। विधान सभा के बजट सत्र में 2 तारीख को सी.एम. साहब ने हमारे यहां घोषणा की थी 84 करोड़ रुपये से खाले निर्माण की। हमारे यहां सारे खालों के निर्माण शुरू हो गये नोहर और भादरा में। आज हमारी यह क्षमता है कि हमारी सारी वितरिकाएं बनकर तैयार हैं। हमारी सिद्धमुख नहर कम्पलीट होकर तैयार हैं। हम 0.17 एम.ए.एफ. पानी लें, ताकि जो सिद्धमुख नहर क्षेत्र से, नोहर फीडर से, जो हमारे जल जीवन मिशन के सारे वाटर वर्क्स की लाइनें हैं, उनमें पानी पहुंचाने के लिये कंटीन्यू हमें पानी मिले और हमारे हिस्से का पानी मिले। हमारे हिस्से का पानी नहीं मिलने से एक तरफ खेती में नुकसान तो होता है, लेकिन इसके साथ-साथ हमारे वहां पेयजल की दिक्कत आ जाती है। मैं आज के दिन की बात करूं तो नहरों का रेगुलेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है। 25 दिन पहले, 27 दिन पहले, 32 दिन पहले किसी नहर में पानी आया हो तो कोई वाटर स्टोरेज इतना नहीं, वहां बड़े-बड़े गांवों में 35 दिन तक पानी मिल रहा है।

**श्री सभापति**: प्लीज समाप्त करें।

**श्री बलवान पूनियां** (भादरा): मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार पुरजोर तरीके से यह बात रखे और यह एफिडेविट दे कि हमने सिद्धमुख नहर क्षेत्र का पूरा काम कम्पलीट कर लिया इसलिए हमारे हिस्से का पूरा पानी दो। मैं एक बात और

(श्री बलवान पूनियां)

कहना चाहता हूं जब यहां चिन्ता व्यक्त की, अभी पूर्व चीफ इंजीनियर साहब बोल रहे थे कि पानी आएगा कहां से। हमारा पोंग बांध, हमारा भाखड़ा बांध, हमारा रणजीतसागर बांध, ये सारे के सारे डैम, जो इतने पुराने, इनकी साफ-सफाई की चिन्ता किसी ने नहीं की। यह बात ठीक है कि इन्दिरा गांधी नहर के पानी की क्षमता बढ़ाने के लिये, उसका लीकेज और सीपेज खतम करने के लिये करोड़ों रुपये खर्च करके इस नहर को ठीक करने का काम किया जा रहा है। इन चारों डैम्स की भी, जो हमारे हिस्से का है, उन पर राजस्थान की सरकार खर्चा करे। उनकी कैपेबिलिटी, उनकी क्षमता बढ़ाने का काम करे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान पेयजल की तरफ दिलाना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन आते ही अधिकारियों को यह कहा कि आप प्लान बनाकर लाइए, आप एस्टिमेट बनाकर लाइए। मुझे पता नहीं, उनको इस बात का क्या डर था कि इतने करोड़ की स्कीम बना लेंगे तो सैंक्शन नहीं होगी। उन्होंने क्या किया कि आधी डिग्गी, इसका इतना ही पार्ट खराब है, यह ही ठीक करेंगे। जो डिग्गी आज से 10 साल पहले बनी है, कोई 15 साल पहले बनी है, उसको आपने एक जगह से छेड़ दिया और फिर कह रहे हो आप, कि इसके आधे पार्ट को तो ठीक करेंगे और आधे पार्ट को ठीक नहीं करेंगे। मैं समझता हूं उससे इस मिशन की हवा निकल जाएगी। जो स्टोरेज हम बना रहे हैं, जिस स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं, वह स्टोरेज पूरा का पूरा नये सिरे से बनाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं दो मिनट में बात कन्क्लूड कर दूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक गांव है ढिलकी, गोगामेड़ी, जहां उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला भरता है। गोगामेड़ी के लिये तो हम पाइप लाइन पीछे से ले आये, लेकिन उससे आगे का गांव ढिलकी है जो जीजीएम माइनर पर है जिसमें दो महीने लगातार पानी जाता है, लाखों श्रद्धालु उस माइनर के पानी में नहाते हैं। वह गन्दा पानी गांव के लोग पीते हैं। मेरी मांग है कि उस ढिलकी वाटर वर्क्स के पुनरुद्धार के साथ-साथ उसकी पाइप लाइन के लिये भी गोगामेड़ी से पीछे, माइनर से सैंक्शन निकालिये। ढिलकी एक बड़ा गांव है, ताकि वहां के लोग शुद्ध पानी पी सकें। मैंने यह मांग इसलिए की है क्योंकि गोगामेड़ी में अलग से पाइप लाइन का प्रबन्ध हो गया। हमारे एक बड़ा वाटर वर्क्स है करणपुरा, गुणसरी तीन गांव का, उसकी पाइप लाइन भी पीछे से आ जायेगी। इसका भी प्रबन्ध किया जाये।

(श्री बलवान पूनियां)

सभापति महोदय, यह मेरी लास्ट बात है। मेरे भादरा शहर में पेयजल जो अमरसिंह ब्रांच से स्टोरेज होता था, वह 15 दिन में स्टोरेज होता था।

**श्री सभापति**: कन्क्लूड करें।

**श्री बलवान पूनियां** (भादरा): वह अब 15 दिन की बजाय 30 दिन स्टोरेज का पानी मिले इसलिए हमने कार्ययोजना भेजी हुई है कि आप हमें सिद्धमुख नहर से आउटलेट दिलवायें। सिद्धमुख नहर से भी पानी दिलवायें। भादरा शहर के लोग कुएं का पानी पीने के लिये मजबूर नहीं हों। हमारे वाटर स्टोरेज बढ़ें और पानी लगातार मिले।

मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जल जीवन मिशन भी कामयाब होगा और इस मिशन में हर घर में स्वच्छ जल जायेगा और पीतल वाली टोंटी हर घर में लगेगी। जब ज्यादा पानी आयेगा तो लोग उसको बन्द कर देंगे। जितनी जरूरत होगी, उतना पानी इस्तेमाल करेंगे। इतने लोग स्मार्ट होंगे। आपने मुझे सुना, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।

**श्री सभापति**: थैंक यू। श्री पानाचन्द जी मेघवाल।

**श्री पानाचन्द मेघवाल** (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 - पेयजल पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद।

आज महिला दिवस है। सर्वप्रथम राजस्थान और देश की सभी महिलाओं को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। विशेषकर इस सदन की सदस्या और राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी को मेरी तरफ से और सदन की तरफ से बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बोलीं। पेयजल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। पानी पर चाहे हमारे सन्त रहे हों, चाहे कवि रहे हों, चाहे वैज्ञानिक रहे हों, सभी ने समय-समय पर अपने विचार रखे हैं। जिस प्रकार से रहीम जी ने कहा था कि,

'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।

पानी गए न ऊबरे, मोती मानुष चून'।

मतलब है कि पानी के अभाव में न तो मोती की कीमत है, न मनुष्य की कीमत है, न चून की कीमत है। अगर पानी नहीं होगा तो यह तीनों चीजें सूनी हो जायेंगी।

इसी प्रकार से कबीरदास जी ने कहा था कि,

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

'पानी-पानी सब करें, सूखी नदियां-ताल,
मरती चिड़िया कर गयी, मुझसे कई सवाल'।
इसी प्रकार से
'मटका सिर पर लादकर, कर पानी की आस,
चार कोस पैदल चलें, पानी करें तलाश।'
इसी प्रकार से
'झुलसी धरती ताप से जीव जन्तु बेहाल,
तन-मन व्याकुल प्यास से जीना हुआ मुहाल'।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान हिन्दुस्तान का वह हिस्सा है जहां पूरे भारत का 10.45 प्रतिशत भू-भाग है। लेकिन जब पानी की उपलब्धता को देखते हैं तो केवल 1.75 परसेंट, मतलब पौने दो परसेंट पूरे हिन्दुस्तान का पानी राजस्थान में आता है। 1,951 में जब पहली बार जल नीति बनायी गयी थी तो प्रति व्यक्ति 5,177 घन मीटर जल की उपलब्धता थी, लेकिन 2022 में उसकी तुलना की जाये तो 1,341 घन मीटर प्रति व्यक्ति रह गयी है। यह हम लोगों को तुलना करनी होगी कि इतनी जल्दी और इतनी मात्रा में जिस प्रकार से पानी का दोहन हो रहा है, यह हम सबके लिये चिन्तनीय विषय है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो शरीर बना हुआ है, यह भी पानी से बना हुआ है। हमारे शरीर में 60 परसेंट पानी की मात्रा होती है। उस 60 परसेंट पानी में से भी 85 परसेंट मस्तिष्क में, 79 परसेंट रक्त में, 80 परसेंट फेफड़ों में और 22 परसेंट हड्डी में होता है। जब पानी की इतनी महत्ता है तो भी हम उस पानी की उपयोगिता को नहीं समझ पाते हैं।

हमारे बारां जिले में 618 किलोमीटर नदियां हैं। वह चाहे परवन हो, पार्वती हो, कालीसिन्ध हो, अण्डेरी हो, कुन्नू हो, सभी बरसात में बहती हैं। बरसात के समय में बाढ़ आती है, गांव के गांव तबाह हो जाते हैं लेकिन दिसम्बर से मार्च, अप्रैल का महीना आता है तो वहां के जीव-जन्तु पानी के लिये तरसते हैं। वहां का व्यक्ति पीने के पानी के लिये तरसता है, वहां का किसान खेती के पानी के लिये तरसता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्री महोदय से, जल संसाधन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

जिला राजस्थान की दो बार मुख्य मंत्री रहीं वसुन्धरा जी का जिला है। वह वहां से पांच बार सांसद रही हैं, उनका बेटा चौथी बार सांसद है, वह दो बार मुख्य मंत्री रही हैं लेकिन इन 518 किलोमीटर की बहती नदियों पर इन लोगों का कभी ध्यान नहीं गया।

मैं हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को बधाई देना चाहूंगा कि जब 2008 से 2013 में हम राजस्थान की विधान सभा में चुनकर आये तब प्रचार के दौरान श्रीमती सोनिया गांधी के सामने हमने संकल्प लिया था, हमारे नेता ने संकल्प लिया था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम लोग जीतकर जायेंगे तो इन बहती हुई नदियों पर एनिकट, डैम बनायेंगे। इन नदियों का पानी किसानों के खेतों और घर के चूल्हे तक ले जायेंगे। हमारी बात को परमात्मा ने माना और अशोक जी गहलोत मुख्य मंत्री बने। साढ़े सात हजार करोड़ रुपये की परवन योजना सैंक्शन की गयी। आज उसका मौके पर काम चल रहा है।

अभी बजट में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये परवन पेयजल योजना के नाम पर 1,800 गांवों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सैंक्शन किये हैं। पिछले बजट में पार्वती नदी पर 100 करोड़ के एनिकट सैंक्शन किये गये। इस प्रकार की कार्ययोजना हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने तैयार की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो जलदाय विभाग है, इसमें शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर जनता जल योजना या अन्य योजनाएं हैं, उनमें जो पाइप लाइन डाली जाती है, वह एक बार डालने के बाद जब कोई नयी पाइप लाइन सैंक्शन की जाती है तो वह पुरानी पाइप लाइन को जहां जरुरत होती है, उसको वहीं छोड़कर आगे की लाइन डाल दी जाती है, जबकि पूरे गांव का प्लान, चाहे वह मास्टर प्लान हो या वहां की स्कीम हो, पूरी स्कीम को एक साथ तैयार करके जोड़ना चाहिए। कई गलियों में पानी जाता है, कई गलियों में पानी नहीं जाता है, कई गलियों में गन्दा पानी जाता है, कई गलियों में सीवरेज का पानी जाता है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे बारां शहर में जल जीवन मिशन योजना के तहत जो काम चल रहा है, वह इतनी धीमी गति से चल रहा है कि पांच साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकल गयी और यह साढ़े तीन साल हमारी सरकार को होने वाले हैं। वह योजना जिस लागत से बननी चाहिए

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

थी, आज भी वह वहीं पड़ी हुई है। वहां पर टंकियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। वे टंकियां पानी की बाट जोह रही हैं।

कच्ची बस्तियों में आज भी पाइप लाइन नहीं हैं। शहर के जो बड़े क्षेत्र हैं वहां पर एक लाइन ही नहीं, 4-4 लाइनें डाली हुई हैं। लेकिन जो कच्ची बस्तियां हैं, चाहे वह नीलकण्ठ कालोनी हो, कुंजबिहारी कालोनी हो, नयापुरा हो, श्रमिक कालोनी हो, वहां पर जो हजारों लोग आज भी मजदूरी करते हैं, ठेला लगाते हैं, मण्डी में हम्माली करते हैं, वे लोग सुबह 4 बजे उठते हैं और पानी के लिये 1-1 किलोमीटर दूर जाते हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप इसको स्पेशल प्रोजेक्ट में लें। वहां का जो भी ठेकेदार है, उसको पाबन्द किया जाये। अधिकारियों को पाबन्द किया जाये।

**श्री सभापति**: कन्क्लूड करें माननीय सदस्य।

**श्री पानाचन्द मेघवाल** (बारां-अटरू): इस जल योजना के काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये।

इसी प्रकार से मेरे अटरू नगरपालिका क्षेत्र में 40 साल पहले लाइनें डली थीं। शेरगढ़ परियोजना से उसको जोड़ा गया है लेकिन आज भी वहां पर एक दिन छोड़कर एक दिन पानी दिया जाता है। इसका कारण है कि उसका जो प्लान बना हुआ है, जो जोन बना हुआ है वह 40 साल पुराना है। 40 साल पहले वहां की पॉपुलेशन 5-7 हजार थी। आज वहां की पापुलेशन 35 हजार है लेकिन जिस पाइप लाइन से 5 हजार व्यक्तियों को पानी दिया जा रहा था, आज भी उन 35 हजार लोगों को उसी पाइप लाइन से पानी दिया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार की कार्ययोजना तैयार करके उसमें सुधार किया जाये ताकि आम जनता को अच्छा पानी मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन योजना के तहत हमारे माननीय मुख्य मंत्री हर बार बजट में भी कहते हैं और प्रधान मंत्री जी को भी लैटर लिखते हैं कि जो परवन पेयजल योजना है इसको राष्ट्रीय योजना घोषित किया जाये ताकि चाहे बारां जिला हो, कोटा जिला हो, सवाई माधोपुर जिला हो, झालावाड़ जिला हो, धौलपुर हो, भरतपुर हो, जो आसपास के जिले हैं, उस योजना के अंतर्गत शामिल हों। बरसात का पानी जो बहकर निकल जाता है उसको रोककर इन लोगों को उपलब्ध कराया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

हूं और हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी और जलदाय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो सपना हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने देखा है कि पूरे राजस्थान के हर घर में शुद्ध जल जाये, वह आपके कार्यकाल में पूरा करेंगे। इसी भावना के साथ जय हिन्द। जय भारत।

**श्री सभापति**: श्री चन्द्रभान जी आक्या।

**(समय: 14.59 बजे)**

**(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)**

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार के बनने के बाद बहुत सी घोषणाएं हुईं। बहुत सी बातें हुईं। पेयजल पर भी काफी बातें हुईं। इस सरकार को साढ़े तीन साल हो गये हैं पर धरातल पर एक भी काम नहीं हुआ। उसका हर्जाना इनको पंचायती राज चुनावों में भी भुगतना पड़ा। आने वाले दिनों में जो कंडीशन इनकी यू.पी. में होने वाली है वही कंडीशन इनकी राजस्थान में होगी। आप घोषणा या तो करो नहीं और अगर करो तो उसको धरातल पर लाओ।

**(समय: 15.00 बजे)**

जो वसुन्धरा जी ने पेयजल की घोषणा की थी, उसमें धरातल पर काफी काम हुआ था। मैं आज विधान सभा के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी, मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और जल जीवन मिशन पर हमारे सिंचाई मंत्री जी, केन्द्रीय पीएचईडी मिनिस्टर गजेन्द्र सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूं। प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त, 2019 को लाल किले से घोषणा की थी कि देश के हर घर में, हर कोने में, हर गली में, हर छोटे से छोटे कस्बे में नल के द्वारा पानी मिले, 2024 तक पानी मिले। उस काम को इस राजस्थान की सरकार केन्द्र की योजना समझकर धरातल पर अच्छी तरह से कर नहीं पायी। केवल सरकार को कोसने की कोशिश करते हैं, मोदी जी को कोसने की कोशिश करते हैं। अगर इस योजना को लागू करते तो राजस्थान की जनता इनको भी धन्यवाद देती। राजस्थान में पानी की काफी दिक्कत है, काफी किल्लत है, वह पानी चाहे चम्बल से आये, माही से आये और मेवाड़ में दो जगह से पानी आने की अच्छी सम्भावना है। उसी के तहत हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में भी मोदी जी के आशीर्वाद से चम्बल से पानी आ रहा है, चम्बल का पानी पूरे जिले में

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

पहुंचा। केवल इन्होंने होर्डिंग लगाने का काम जरूर किया कि गहलोत साहब ने यह कर दिया, वह कर दिया। चम्बल का पानी आ रहा है, उसका स्वागत तो हम भी करते हैं, उसमें मोदी जी को धन्यवाद देने से मत चूको क्योंकि आपको मोदी जी से और भी पैसे लेने हैं और आने वाले दिनों में आपको बहुत से काम और भी करने हैं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय जब भी इस पर जवाब दें तो एक बार सबसे पहले मोदी जी को धन्यवाद दें कि वो घर-घर पानी पहुंचा रहे हैं और हमारे चित्तौड़गढ़ में भी चम्बल का पानी आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी काम को करने के लिए कर्मचारियों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। आज पूरे राजस्थान में कर्मचारी चाहे ए.ईएन. हो, जे.ईएन. हो, फिटर हो, नल वगैरह चालू करने वाले हो, उनकी भयंकर कमी है। उनकी कमी की कैसे पूर्ति कर सकते हैं, माननीय मंत्री महोदय, हमारी बात को सुन लो और कर्मचारियों की भर्ती कर लो तो पानी का मैनेजमेंट अच्छा होगा। वरना मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में पहले तो आपके 21 ही आये थे, अबकी बार टैम्पों की सवारियों की संख्या जितनी कंडीशन खराब हो जायेगी। जल जीवन मिशन को आप कैसे धरातल पर लायें, इसको करने का आप जरूर सोच लें, इसकी आप जरूर कोशिश करें। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, यहां बैठेंगे या वहां बैठेंगे, यह तो समय ही आपको बतायेगा, 10 तारीख को जो रिजल्ट आ रहा है उसको भी आप देखना कि कांग्रेस की पूरे देश में क्या गति हुई है। माननीय मंत्री महोदय, आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि पूरे देश में कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया है, एक भी काम को धरातल पर नहीं लाये, इसी को आपको भुगतना पड़ रहा है। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय मेरे को बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। इन मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए। इस प्रकार की हरकतों से इनको मंत्री कौन कहेगा कल? मुझे दस मिनट का समय और दें।

**श्री सभापति**: बीच में नहीं। (व्यवधान)

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, इनको बहुत ज्यादा घबराहट है, मोदीजी का नाम लेने से, केन्द्र की सरकार का नाम लेने से और अब धीरे-धीरे योगी का नाम लेने से भी इनको बहुत ज्यादा

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

दिक्कतें हो रही हैं। माननीय सभापति महोदय, वसुन्धरा जी भी हमारी नेता थीं और हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, एक दिक्कत बहुत ज्यादा है। जनता जल योजना के तहत, जल जीवन मिशन के तहत हमारी पंचायतों में बिजली के कनेक्शन हैं और बिजली के कनेक्शन के पैसे कम से कम माननीय मंत्री महोदय, महेश जी भाई साहब, आठ-आठ, दस-दस साल से बिल बाकी हैं। उन बिलों की वजह से पंचायतों के कनेक्शन काट दिये जाते हैं। पंचायतें की किस्तें पहले भी नहीं जा पा रही हैं। वे सरपंच आपकी सरकार को अब भी रो रहे हैं। आप उनको पैसे नहीं दे रहे हो। उनकी पांच-पांच, सात-सात किस्तें बाकी हैं और जो किस्तों के पैसे आते हैं वो बिल में जमा करवा देते हैं। इससे पंचायतों में विकास का, डवलपमेंट का पैसा नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि जितना भी पैसा है, जल जीवन मिशन का पैसा आप लोगों का जो भी उनका बनता है वो सरकार अपने लेवल पर जमा कराये तो उन पंचायतों को सहूलियत होगी क्योंकि उनके कनेक्शन काट दिये जाते हैं। मेरी बहुत-सी पंचायतों के कनेक्शन आज भी काटे हुए हैं। करीब एक-एक, डेढ़-डेढ़ महीने से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, उनका बिल कैसे सरकार के लेवल पर जमा करायें, उनको कैसे सहूलियत पहुंचायें इसको हम देखें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां नवीन सोलर पम्प की आवश्यकता है, उनको आप करें। पहले भी आपने एक एमएलए को चालीस हैण्डपम्प दिये हैं और सिंगल फेज मोटर दी है। वे भी धरातल पर पूरे लग नहीं पाये हैं तो उनको लगाने की कोशिश करें। अभी भी लोगों की मांग है, उनको जल्दी लगवा दें क्योंकि आने वाले दिनों में एक साल में चुनाव हो जायेंगे, आप रहेंगे नहीं, हो सकता है वो भी हम लोगों को लगाना पड़े, हम लगायेंगे, कोई दिक्कत नहीं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी पंचायतों में एक और दिक्कत है। शहरों में और गांवों में जो पानी आ रहा है वो कहीं न कहीं फ्लोराइड वाला पानी है क्योंकि चम्बल का पानी जल जीवन मिशन में ला रहे हैं, उस पानी में बहुत समय लगेगा इसलिए फ्लोराइड वाले पानी को कैसे कम कर सकते हैं, उसको भी आप देखें।

माननीय सभापति महोदय, श्मशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, वहां भी

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

जब लोग जाते हैं तो पानी की काफी ज्यादा दिक्कत होती है। वहां बोर करवा दिये जाएं और सोलर के द्वारा पानी की व्यवस्था की जाये क्योंकि वहां पर बिजली का कनेक्शन हो नहीं पाता और पानी की वहां पर आवश्यकता होती है और पानी इतना गहरा हो गया है कि हैण्डपम्प से निकल नहीं पाता है। माननीय मंत्री महोदय, वहां के लिए एक-एक एमएलए को चालीस-चालीस, पचास-पचास सोलर सिस्टम के लिए पैसे दें तो वो भी हम वहां लगा पायेंगे और विधिवत वह चीज वहां लग पायेगी।

माननीय सभापति महोदय, चित्तौड़गढ़ स्मार्ट सिटी परियोजना हमारे यहां चल रही है। हमारे वहां पर कच्ची बस्ती काफी हैं, वहां पर पानी की काफी दिक्कत है। वहां तक पानी कैसे पहुंचा सकते हैं, छोटी-छोटी ढाणियों में पानी कैसे पहुंचा सकते हैं, उनको भी अगर आप बारीकी से देखेंगे, सरकार के लेवल पर आप सोचेंगे तो केन्द्र सरकार आपको आधा पैसा तो दे ही रही है। आप बार-बार कोसते हैं कि 25 एमपी बन गये, कुछ नहीं किया। ये जितनी भी योजनाएं हैं, ये उन 25 एमपी की ही मेहरबानी है, 25 एमपी की वजह से ही यहां आ रही है। माननीय मंत्री महोदय, उनको भी आप धन्यवाद दो, माननीय मंत्री महोदय को भी धन्यवाद दो, मोदी जी को भी धन्यवाद दो। इसके अलावा और भी कोई पैसा चाहिए तो उन लोगों को कहो। हम भी आप लोगों के साथ चलेंगे, हमारे नेता, प्रतिपक्ष; उप नेता, प्रतिपक्ष चलेंगे और जितनी भी योजनाएं हैं उनको कैसे क्रियान्वित करें, इसको सोचें क्योंकि इने-गिने दिन आप लोगों के रह गये हैं। इन दिनों में भी आप यदि काम करेंगे तो आपको धन्यवाद मिलेगा। इन कामों को आप कैसे कर सकते हैं, इनको करवाने की आप कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, मेंटीनेंस के नाम पर, टंकियों को साफ करने के, मेंटीनेंस के पैसे ले लेते हैं। इनके टेंडर होते हैं, उनमें भी भ्रष्टाचार की बहुत बू आती है। उनको नीचे क्रियान्वित कैसे कर सकते हैं, उन पानी की टंकियों की सफाई कैसे टाइम पर हो सकती है, जो पाइप लाइनों के ठेके देते हैं उनमें भी काफी भ्रष्टाचार होता है, इस भ्रष्टाचार को रोकने की आप कोशिश करें। भ्रष्टाचार तो इस पूरी सरकार में मिला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): मिलावटी सरकार है।

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): हां, मिलावटी सरकार भी है।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

भ्रष्टाचार की तो मैं जितनी भी बात करूं क्योंकि आप मुझे इतनी देर बोलने नहीं देंगे वरना भ्रष्टाचार की तो इतनी लिस्टें हैं, जितनी भी बात करूं उतनी कम है।

**श्री सभापति**: आप अपने सब्जैक्ट पर सीमित रहें।

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, इसकी मैं जितनी चर्चा करूं उतनी कम है। इस भ्रष्टाचार की बू को आप रोकने की कोशिश करें, टेंडरों की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश करें। इन पर थोड़ा अंकुश लगायें क्योंकि आने वाले थोड़े दिनों में बीजेपी की सरकार आयेगी और ये मंत्री वापस जेल में होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको भी आप थोड़ा दिखवाने की कोशिश करें।

**श्री सभापति**: चौमूं के चक्कर में मत पड़ो, आप तो अपनी बात कहो।

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): वही कह रहा हूं।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, कोई ढाबे की व्यवस्था कर लो नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी।

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, जितने सदस्य और माननीय मंत्री महोदय मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए मुझे दस मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाये तो थोड़ा अच्छा लगेगा।

माननीय सभापति महोदय, पंचायतों में पानी की पाइप लाइन बिछाते हैं तो वहां सीसी रोड हो या दूसरी कोई रोड बनी हुई है, तो उनको तोड़ दिया जाता है। आप डी.पी.आर. जब बनाओ उससे पहले उस ठेकेदार को यह जिम्मेदारी जरूर दो क्योंकि वो एक फीट-दो फीट पाइप लाइन काटते हैं, वो ही वापस बनाते हैं। गांवों में जो सी.सी. रोड बनी हुई हैं वो पूरी रोड टूट जाती हैं और पंचायत के लोग उस पानी से ज्यादा उस रोड से दु:ख पाते हैं इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, पहले से ही डी.पी.आर. में उस रोड को जोड़कर उस प्रकार उसको निकालोगे तो हमारी जो रोड की स्थिति है, पानी की लाइनें डालने के कारण जो खराब हो रही हैं वो अच्छी कैसे हो सकती है उसको भी, माननीय सभापति महोदय, आप देखें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां ठेकेदारों के जो पुराने काम हो रखे हैं, उनके पैसे भी काफी टाइम से बाकी हैं, उनको पैसे दिलवाने की कोशिश भी आप लोग करें।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

माननीय सभापति महोदय, जहां अशुद्ध पानी मिल रहा है, नीचे कर्मचारी नहीं होने की वजह से उसे देखा नहीं जा रहा है। आप उन अधिकारियों/कर्मचारियों को टेम्परेरिली रखेंगे तो उसकी भी पूर्ति अच्छी हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, एक बात यह जरूर है कि मेरे यहां जो घोसुण्डा बांध है, वहां से 10-12 पंचायतें हैं, उनमें चम्बल का पानी आने में करीब दो-तीन साल लगेंगे। उन पंचायतों में पानी की आज भी काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बारिश कम होने की वजह से वहां पानी मिल नहीं रहा है। वहां गोवंश भी काफी है और पशु भी काफी हैं।

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): उन सभी पंचायतों में पानी के आप कैसे कनेक्शन दे दें या कैसे अलग से आप सौर ऊर्जा वाले कनेक्शन दे दें या कैसे आप व्यवस्था करा सकते हैं या टेम्परेरी आप घोसुण्डा बांध का पानी जिंक के द्वारा अथवा डी.एम.एफ.टी. फंड के द्वारा उनका पैसा आप कैसे भी करके उसको उपलब्ध करवा दें। माननीय सभापति महोदय, वह भी आप करवाने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, पहले जब हम बीजेपी कार्यकाल में एमएलए थे, उस टाइम एक-एक एमएलए को सौ-सौ तो हैण्डपम्प दिये जाते थे और करीब 25-30-40 सिंगल फेज बोर मोटर दिये जाते थे। अब ये 30-30, 40-40 दे रहे हैं तो वास्तव में हमारी पंचायतें काफी लम्बी-चौड़ी हैं, वहां हम व्यवस्था कर नहीं सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय, जब आप उसका जवाब दें तो यह जरूर देखें कि वापस सौ-सौ हैंडपम्प आप दें, सिंगल फेज भी 50 उनको दें तो विधिवत हम नीचे लगा पायेंगे, उनकी व्यवस्था हम कर पायेंगे। उसकी व्यवस्था भी आप लोग करने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं जरूर आपको एक बात कहूं कि यह जल जीवन मिशन है, केन्द्र का पैसा है, यह पैसा आप जितना जल्दी लगा सकते हैं उसे लगाने की कोशिश करें, क्योंकि आपके नीचे जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, वे केवल वाहवाही लेने में लगे हैं। वास्तव में काम हो नहीं पा रहा है।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): जितना अच्छा काम कर सकते हैं, उसे करवाने की कोशिश करें।

**श्री सभापति**: श्री बाबूलाल नागर। अंकित नहीं होगा।

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): 000

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। चाहे पक्ष-विपक्ष हो, सबकी चिन्ता है पानी के लिये। आज राजस्थान को वर्षा जल की कमी, सतही जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे प्रदेश में पिछले 73-74 वर्षों में 60 वर्ष अकाल के गुजरे। देश की भौगोलिक दृष्टि से हमारा राजस्थान 10.40 प्रतिशत, आबादी में 5.50 प्रतिशत है। पशुधन हमारे यहां देश का 18.70 प्रतिशत और सतही पानी हमारा भूजल का मात्र 1.60 प्रतिशत है जो निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है।

जल जीवन मिशन योजना केन्द्र सरकार लायी। आधे पैसे राजस्थान सरकार, आधे पैसे केन्द्र सरकार। केन्द्र के पास अपने बड़े सोर्सेज होते हैं। प्रतिपक्ष के लोगों को तो राजस्थान के मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहिये कि विपरीत परिस्थितियों में भी राजस्थान की स्थितियों को समझते हुए उन्होंने जिस तरह से योजनाएं सैंक्शन करीं। 2010 में राजस्थान राज्य की जल नीति बनायी गयी। उस जमाने में अनुमानित जनसंख्या का आधार 780 क्यूबिक मीटर था। अन्तरराष्ट्रीय मापदण्ड के अनुसार 1 हजार क्यूबिक मीटर है। आवश्यकता के अनुसार काफी कम है।

2050 तक अगर हम सोचते हैं तो 450 क्यूबिक मीटर तक पहुंचने की सम्भावना है। अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार 500 घन मीटर से कम पानी की जो उपलब्धता है, उसे जल संकट माना गया है। केन्द्र की सरकार को देखना चाहिये, राजस्थान जल संकट की ओर जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा पैसा देना चाहिये। खारे पानी, फ्लोराइड पानी, मुझे याद है, जब प्रदेश के मुख्य मंत्री पहली बार मुख्य मंत्री बने थे, हमारे यहां तो जबरदस्त फ्लोराइड पानी है, डी.डी.पी. ब्लाक है, वे बीसलपुर का पानी लेकर आये। जयपुर में बाद में आया, पहले दूदू में आया। उस जमाने में 10-15-20 परसेंट पैसा राज्य सरकार को देना पड़ता था और करीब 90 परसेंट पैसा केन्द्र सरकार को देना पड़ता था। टंकियां भी खूब बनायी गयीं। मैं तो तकदीर वाला आदमी हूं। मेरे 233 गांव हैं विधान सभा क्षेत्र में। पूरे 233 गांवों को मुख्य मंत्री जी ने बजट घोषणा 2020-21 में शामिल किया। आज काम चालू कर दिया। एक बहुत बड़ी प्रोब्लम थी, जब 4 जून, 2002 में दूदू की बीसलपुर की योजना बनी थी, उस जमाने में जो ट्रांसमिशन मैन सूरजपुरा से सांभर आ रही है 115

(श्री बाबूलाल नागर)

किलोमीटर, मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया, डिपार्टमेंट के लोगों ने संज्ञान लिया। बहुत ही संवेदनशीलता से हाथों-हाथ इन्होंने ट्रांसमिशन मैन (I) की योजना बनायी, 265 करोड रुपये सैंक्शन कर दिये। इसमें तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जितनी जल्दी हो, सूरजपुरा से जो सांभर पानी आ रहा है, जितना पानी आप छोड़ रहे हैं उसका आधा पानी रास्ते में बिखर जाता है। बहुत-से लोगों के खेतों में तो फसल ही नहीं पैदा होती। लाइन इतनी टूट रही है कि उनके यहां पांच-पांच, दस-दस सालों से फसल पैदा नहीं हो रही है। आपने संज्ञान लिया, मुख्य मंत्री जी ने डायरेक्शन दिया, इसे जितनी जल्दी हो, जो भी टेंडर लगना है, जो भी कुछ करना है, उतनी जल्दी करवाएं।

सभापति महोदय, जनता जल योजना, यह बांध बनाती है, संचालन करने का काम ग्राम पंचायतों का है। ग्राम पंचायतों को आपने अधिकार दिया है, लेकिन इन जनता जल योजनाओं की कभी समीक्षा तो करें कि क्या हालत है, कितना पैसा लगा था, क्या जनता जल योजना में पानी पहुंच रहा है? गांवों के पास इंजीनियर नहीं हैं। उन्हीं को पाइप लाना है। टूट गया तो उन्हीं को पाइप ठीक करना है, सोर्सेज इतने नहीं होते हैं। केवल बिजली के बिल देने से ही पानी का संचालन थोड़ी हो जाता है।

सभापति महोदय, इस योजना को डिपार्टमेंट को लेना चाहिये। अगर हम टंकियों को काम में लेना चाहते हैं, उस जमाने में स्वजल धारा सेक्टर रिफार्म योजना आयी थी। जन सहयोग की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। ठेकेदार अपने आप ही 10 परसेंट पैसा भर रहे थे। आपकी जो प्रक्रिया है, एस्टिमेट हैं, समझ में ही नहीं आ रहा, 20-20, 30-30 परसेंट बिलो पहले लेते हैं, फिर ये एस्टीमेट बनाने वाले कौनसे इंजीनियर्स हैं जो 30-35 परसेंट बिलो पर जा रहे हैं और फिर भी वे काम कर रहे हैं? वे क्या काम कर रहे हैं? वे जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। आपके निर्णय नीतिगत होने चाहिये। आप अगर एस्टिमेट बना रहे हैं तो इसका मतलब एस्टिमेट बनाने में गलती हो रही है। सब जगह, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे पीएचईडी हो, आज सेक्टर रिफार्म का क्या हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। गांव वाले ही चलायेंगे। कहां से चलायेंगे, उनके पास कहां पैसा है? सारी सेक्टर रिफार्म की योजनाएं, टंकी बन गयी तो उसको काम में ले रहे हैं, बीसलपुर में ले रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं, यह 90 परसेंट राशि सरकार की थी, 10 परसेंट, आज इस योजना का बुरा हाल है। पीएचईडी को लेना चाहिये, पीएचईडी का काम है

(श्री बाबूलाल नागर)

पानी का। बड़ा अजीब मामला है। आप एस्टीमेट बनायेंगे, आप टेंडर लगायेंगे, आप वर्क आर्डर करेंगे, ठेकेदार से काम करायेंगे, ठेकेदार से कुछ ऊंचा-नीचा किसी को लेना हो तो ये अधिकारी लेंगे और उठाकर आप पंचायतों पर डाल देते हैं, गांव वालों पर डालते हैं कि चलाना आपको है। वे क्या चलायेंगे, उनके पास कोई इंजीनियर हैं, कोई एक्सपर्ट हैं? पानी नहीं पहुंचता है, क्यों नहीं पहुंचता है? आपने जब एस्टीमेट बनाया है, आपने डीपीआर बनायी है तो यह भी आपकी लायबिलिटी है कि वहां पानी मिलना चाहिये। इसलिये मैं कहना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसे और भी थोड़ा-सा आपको देखना चाहिये।

डी.डी.पी. ब्लाक, यहां सदन में सबको पता है, खारा पानी है और खारे पानी में 90 परसेंट राशि केन्द्र सरकार, 10 परसेंट राशि राजस्थान सरकार देती थी। इस जल जीवन मिशन के नाम पर आधे-आधे के चक्कर में उस डी.डी.पी. योजना को खा गये।

आपको याद होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, चलिये कोई बात नहीं आधा-आधा पैसा लग रहा है या 60:40 लग रहा है लेकिन जब राजस्थान में हजार की आबादी के गांव को सड़क को जोड़ते थे तो डी.डी.पी. में 500 को जोड़ते थे, 500 में जोड़ते थे तब 250 को जोड़ते थे और आप इधर डी.डी.पी. में 90 परसेंट पैसा देते थे। अब आप जल जीवन योजना की बात कर रहे हैं तो उसमें राजस्थान में आप और जगह नहीं दे सको तो डी.डी.पी. ब्लाक तो बहुत पिछड़े ब्लॉक हैं जहां पानी नहीं है, खेती भी फटी हुई जमीन रहती है, जमीन खारी है। किसान जो खेती करने वाला है वह भी मजदूरी करता है, नरेगा में जाता है तो कम से कम राजस्थान सरकार की तरफ से जाना चाहिए। अगर पूरे राजस्थान का नहीं करें तो डी.डी.पी. ब्लाक में तो आप कम से कम करें।

आज आप जो जल जीवन मिशन योजना में कनेक्शन दे रहे हैं उनमें 2,250 रुपये एक-एक गरीब आदमी से ले रहे हैं। 2,250 उस गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। डीडी.पी. ब्लाक में 1,150 ले रहे हैं। इसमें तो छूट है। डी.डी.पी. ब्लाक में मेरे दूदू और मौजमाबाद दोनों तहसीलों में लेंगे तो 1,150 रुपये ले रहे हैं, फागी में लेंगे तो 2,250 रुपये ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि वह गरीब आपका बिल तो दे देगा पर वह झोपड़ी में रहने वाला आदमी 2,250

(श्री बाबूलाल नागर)

रुपये कैसे देगा? जो आपने 10 परसेंट जन-सहयोग का जोड़ रखा है तो अगर झेलना ही है तो फिर 50:50 झेलो न, 45:45 का क्या मामला है? वह गरीब आदमी 2,250 रुपये कहां से देगा, यह मेरी समझ से बाहर है।

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने पिछली बार ट्यूबवैल दिये थे, बहुत से हैण्डपम्प दिये थे, सौर ऊर्जा वाले भी दिये थे। हमने भी लगाये थे। हमारे यहां कई जगह खारा पानी है और ज्यों ही जमीन में खोदते हैं और नीचे जाते हैं तो खारा पानी आता है। थोड़ा कम खोदते हैं और बरसात का पानी जहां तलाइयां भरी रहती हैं वहां मीठा आ जाता है। मैंने अभी तक 10 ट्यूबवैल में से एक भी नहीं लगाया। इसलिए नहीं लगाया कि ट्यूबवैल नीचे जायेगा, नीचे जायेगा तो खारा पानी आयेगा। मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि 10 ट्यूबवैल आपने दिये हैं। इनका जितना बजट होता है उतने बजट के मुझे हैण्डपम्प दे दो जिनको मैं तलाई के पास, तालाब के पास लगा लूं ताकि लोगों को पीने का पानी मिल जाये। जब आप 10 ट्यूबवैल का पैसा दे रहे हो तो जितने पैसे में 10 ट्यूबवैल बनते हैं उतने पैसे के मुझे हैण्डपम्प दे दो जिससे मैं वहां कर लूं।

सभापति महोदय, हमारे यहां बीसलपुर की योजना बहुत पहले आ गयी थी, टंकियां भी बनी थीं और 233 गांवों की सब योजनाएं सैंक्शन हो गईं। जैसे दूदू में 108 गांव, 27 गांव अलग, 13 गांव अलग, 161 गांव अलग हैं, लेकिन सभापति महोदय, पहले से टंकियां बनी हुई थीं। दूरी में तो कम है, कहीं 3 किलोमीटर, आप उच्च जलाशय से कौनसी जगह पानी दोगे, कौनसी जगह पानी देना है, पहले से ही वहां उच्च जलाशय बना हुआ था, आपने उसमें जोड़ दिया कि इस गांव से, इस टंकी से पानी देंगे। जहां टंकी बनी हुई है उससे 10-10, 15-15 मीटर ऊपर के गांवों को आपने उसमें ले लिया, उसमें प्रोविजन कर लिया है। टंकी जहां बनी हुई है, जिस तल में बनी हुई है उससे 8-8, 9-9 मीटर ऊपर दूसरे गांवों को जोड़ रखा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपका तो बिलो पर भी टेंडर जाता है तो इससे उन सब जगह पानी पहुंच जाये तो आपको और उच्च जलाशय लेने चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि हर घर को टोंटी मिले तो कम से कम सरकार का यह दायित्व बनता है कि हर घर तक पानी पहुंचे। आपकी टंकियां हैं मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन आपने इस तरह से जोड़ा है कि वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है इसलिए उच्च जलाशय का आप दुबारा सर्वे कराइये, सभी गांवों का कराइये। आपने लोकल

(श्री बाबूलाल नागर)

नये सोर्स नहीं लिये हैं या बहुत कम लिये हैं। दूदू में मेरे 108 हैं पर आपने दो कुएं लिये हैं। अब लोकल जहां तलाई, तालाब हैं, आपके पास बीसलपुर का बांध है पर लोकल सोर्स का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पुराने जो बने हुए हैं उनको तो आपने शामिल किया है कि हम लोकल सोर्स से भी पानी लेंगे लेकिन तलाइयों के पास, तालाब के पास जहां बरसात का पानी रुकता है उसके आस-पास आपको नये कुएं बनाने चाहिए जिससे लोकल सोर्स से भी काम चल जाये।

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जल की उपलब्धता, गुणवत्ता की दृष्टि से.....

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): सभापति महोदय, मुझे जितना टाइम दिया उतना तो बोलूं?

**श्री सभापति**: उतना ही बुला रहा हूं आपको।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): मैं धन्यवाद दूंगा कि कोरोना काल के बावजूद भी 60 हजार 600 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाएं स्वीकृत कीं। 35 हजार 770 गांवों को लाभान्वित करने का इसमें प्रोविजन रखा है। सभापति महोदय, आपने 24 परियोजनाएं भी शामिल की हैं, 12 लाख 24 हजार लोगों को शुद्ध पानी पहुंचाने का मुख्य मंत्री जी ने इसमें प्रावधान रखा है, आपने 36 वृहद् पेयजल योजनाएं भी रखी हैं।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपका बांसवाड़ा बांध है, मैंने मंत्री महोदय से भी कहा है, मैंने प्रिंसिपल सैक्रेटरी साहब, एसीएस साहब से भी कहा है और मैंने मुख्य मंत्री जी को भी पत्र दिया है कि आपका जो माही का अधिशेष पानी है, हालांकि आपने अभी लिया है, आपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ कई जिलों में आपने माही बांध से पानी लेने की बात की है लेकिन इन बांधों पर इतना अधिशेष पानी है और मैंने रिक्वैस्ट की थी कि चित्तौड़ में एक गम्भीरी बांध है जो माही बांध से केवल 100 किलोमीटर दूर है। 100 किलोमीटर आप पाइप लाइन डाल दीजिये, जमीन के अन्दर पाइप डाल दीजिये, गम्भीरी बांध में डाल दीजिये, गम्भीरी बांध जैसे ही ओवरफ्लो होगा तो वह बनास में आ जायेगा। आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन नहीं डालनी है, एक लाइन नहीं खींचनी है और बनास से ऐसे ही

(श्री बाबूलाल नागर)

बीसलपुर में आ जायेगा। आप बीसलपुर से अजमेर पहुंचाना चाहते हो, टोंक पहुंचाना चाहते हो, पूरे जयपुर को पानी देना चाहते हो, नागौर में भी आपने नांवा क्षेत्र को लिया है तो आपको बीसलपुर का तो देखना चाहिए और इस बीसलपुर का जो सोर्स है इसको बढ़ाने का सोचना चाहिए। सिर्फ 100 किलोमीटर लाइन डालनी है, एक पैसा खर्च नहीं करना है। उस माही बांध के पानी को आपको बीसलपुर में लाना चाहिए और इसके लिए सभापति महोदय, मैंने बार-बार लिखकर भी दिया है। सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईआरसीपी में....

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): मैं खतम कर रहा हूं। हालांकि प्रधान मंत्री जी ने राजस्थान में दो-दो जगह घोषणा की पर अभी मुख्य मंत्री जी ने इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। 13 जिलों में से जयपुर जिले में 4 बांध हैं।

**श्री सभापति**: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): मैं खतम कर रहा हूं, एक मिनट केवल। सभापति महोदय, जयपुर जिले में चार बांध हैं कानोता, रामगढ़, कालख, छापरवाड़ा। कानोता ले लिया गया है, जमवारामगढ़ ले लिया गया है पर छापरवाड़ा बांध को इसमें शामिल नहीं किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि छापरवाड़ा बांध को भी शामिल करें, उसके बाद कालख बांध को भी शामिल करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आप तो जानते हो कि मैं तो अनुशासित रहता हूं, आपका हुक्म है तो मैं बैठ जाता हूं हालांकि बोलना और चाह रहा था। फिर भी मुझे मौका दिया, धन्यवाद।

**श्री सभापति**: विराजिये।

**श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम आप सभी को अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं और आपके माध्यम से हमारी यशस्वी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी सिंधिया को भी जन्म दिन की बहुत-बहुत बधाइयां देना चाहूंगी।

पेयजल की समस्या पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान में आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जल की कोई समस्या नहीं है, लेकिन कितने ही क्षेत्र हैं जहां पर आज भी

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

बेसिक वाटर नेसेसिटीज की किल्लत है और मेरा विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द उनमें से एक क्षेत्र है।

सभापति महोदय, बहुत बार इस सदन के माध्यम से हमने यह डिमांड रखी थी, स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी ने यह डिमांड रखी थी कि राजसमन्द झील में पानी की आवक बढ़ायी जाये, जल आवक क्षमता बढ़ायी जाये, लेकिन आज तक भी हमारी यह मांग पूरी नहीं हुई। सबसे पहले तो मैं इस सदन के माध्यम से मंत्री महोदय को यह कहना चाहूंगी कि माही नदी घाटी से या फिर देवास परियोजना से, जिस भी तरीके से आप हमारी राजसमन्द झील में जल आवक क्षमता बढ़ा सकें तो आपका बहुत-बहुत आभार होगा क्योंकि वह राजसमन्द झील सिर्फ पानी पिलाने के ही काम नहीं आती, कृषि के लिए भी उसका बहुत महत्व है पर्यटन के लिए भी बहुत बड़ा महत्व है तो अगर यह हमारी झील भरी रहती है तो हमें गर्मी के मौसम में तकलीफें कम देखने को मिलेंगी।

सभापति महोदय, परिस्थिति यह है कि अभी तो गर्मी की शुरुआत हुई है और दो दिन में एक बार हमारे यहां पर पानी आता है और गर्मी के टाइम में तो यह सात दिन में एक बार हो जाता है। तो अगर हमने कोई भी निर्णय इस बारे में नहीं लिया तो आगे चलने में बहुत मुश्किल होगी।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से विभाग शहरों के अन्दर गर्मियों के मौसम में पानी के टैंकर्स पहुंचाता है तो फिर गांवों को क्यों इससे दूर रखा जाता है? गांवों में भी उतनी ही दिक्कत है। मैं आपके माध्यम से विभाग को निवेदन करना चाहूंगी कि गांवों में भी इस बात पर जरूर ध्यान दें कि वहां टैंकर की व्यवस्था विभाग के माध्यम से करें ताकि जो जल की समस्याएं हैं, कहीं न कहीं उसकी आपूर्ति हो सके।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री नरेन्द्र जी मोदी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि हर घर तक नल पहुंचाने का काम वे चला रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं राज्य सरकार से यह डिमाण्ड रखना चाहूंगी कि एनिकट्स, कॉजवेज बनाये ताकि हमारा वाटर सोर्स बढ़े। पिछले कार्यकाल में राजसमन्द में तीन कॉजवे थे, कुण्डिया से रेलमगरा तक और उन कॉजवेज की वजह से वहां के आस-पास के किसानों को बहुत फायदा मिला था। उनको कृषि में भी सुविधा मिली थी और आज भी वाटर लेवल राइज हो रहा है और कहीं न कहीं स्टोरेज बढ़ रहा है। इन कॉज-वेज के बारे में सोचना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

कि और कॉजवेज बनायें, ताकि जो हमारा वाटर बेड है, वह इंक्रीज हो और उसकी वजह से किसानों को सिंचाई करने में जो दिक्कत आती है, उनको भी इस बात से फायदा मिले।

सभापति महोदय, आज सूरतगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने एक बात रखी थी कि किस तरह से पीएचईडी में, आपके माध्यम से आज मैं यह बात कहना चाहूंगी कि पद रिक्त ही नहीं, जो पदों पर बैठे हुए हैं, हमारे राजसमन्द के पीएचईडी के एक ए.ईएन. लोकेश जी वर्मा, मैंने उनको किसी समस्या के लिए फोन किया कि यह पेयजल की समस्या है, इसका कैसे समाधान होता है। उन्होंने मुझे सीधे यह बात बोल दी कि अभी तो मैं छुट्टी पर हूं और यह मेरा काम नहीं है। अभी मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। सभापति महोदय, हम तो जन प्रतिनिधि हैं। हमें अपनी बात किसी भी मौके पर रखनी पड़ती है। डिपार्टमेंट के पद तो भरने ही हैं, लेकिन जो काम डिपार्टमेंट के अधिकारी कर रहे हैं, प्लीज, उनके ऊपर भी आप अपनी पूरी मानिटरिंग रखें। वे इस तरह के जवाब जन प्रतिनिधियों को नहीं दें और जो काम के जवाब उनसे मांगे जाएं, वे जरूर हमें दें। सभापति महोदय, हम नहीं चाहते कि हम उन्हें डिस्टर्ब करें, लेकिन काम की वजह से कॉल करने पड़ते हैं।

सभापति महोदय, चम्बल नदी का पानी भीलवाड़ा तक तो आ गया है, मैं आपके माध्यम से यह डिमाण्ड रखना चाहूंगी कि अगर वे राजसमन्द को भी आगे जाकर उसमें जोड़ेंगे तो मल्टीपल सोर्सेज से, जो पानी की समस्या है, उसका समाधान जरूर हो सकेगा।

गांवों में जल जीवन मिशन के तहत जितने भी कार्य चल रहे हैं और पेंडिंग हैं, उनके बारे में भी कुछ न कुछ जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि गर्मी दूर नहीं है और कामों का प्रोसेस बहुत ही स्लोली चल रहा है। जैसा कि हमारे चित्तौड़ के विधायक ने बात रखी थी कि रोड्स, जो सीसी सड़कें हैं, अच्छी बनी हुईं, नयी-नयी सीसी सड़कें तोड़ी गयीं और वे वापस नहीं बन पा रही हैं। उन कान्ट्रेक्टर्स को आप जरूर पाबन्द करें। उन लोगों पर मानिटरिंग रखें ताकि जल्द से जल्द उन सड़कों का भी काम शुरू हो सके।

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त करें।

**श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): सभापति महोदय, अन्त में मैं यही बोलना चाहूंगी, पानी बिना जीवन की कल्पना अधूरी है, पानी के बिना हम सबकी हालत बुरी है। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री गिर्राज सिंह।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): सभापति महोदय, आज महिला दिवस है। सभी महिलाओं को बधाई। हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी को भी बधाई और मैं बीजेपी वालों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे लिये टेबल बजायी, राठौड़ साहब को, नारायण सिंह जी को और चन्द्रभान जी को भी।

सभापति महोदय, हमारे मंत्री जी कहीं चले गये हैं, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2013 में एक योजना चालू हुई थी, यह सैपऊ बसई-नवाब 44 गांवों की योजना थी।

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, एक भी मंत्री नहीं है, कौन सुनने वाला है?

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिये। आप अपनी तरफ के वक्ता का समय बरबाद कर रहे हैं। माननीय उप नेता महोदय, जितना समय कंज्यूम हो रहा है, आपके समय में से काटूंगा, विराजिए आप। मैं समय काटूंगा, जितना समय कंज्यूम किया है, आपकी तरफ से जो वक्ता बोलेगा, उसका काटूंगा। माननीय मंत्री महोदय, यह व्यवस्था आसन को देने दीजिये। हां, बोलिये आप।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): सभापति महोदय, 44 गांव की जो मेरी योजना थी, उसका कार्य दो साल में पूरा होना था, वह अभी तक नहीं हुआ, 2013 से 2015 में होना था और अब 2022 हो गया। तब से कांग्रेस की सरकार भी रह गयी और बीजेपी की भी रह गयी, किसी ने अभी तक इस कार्य पर ध्यान नहीं दिया। विधान सभा में हर बार मैंने प्रश्न लगाया है और हर बार एक ही जवाब आता है, काम चालू है, प्रगति पर है। कब तक उसकी प्रगति पूरी होगी? उसकी कोई समय-सीमा है क्या? वह फर्म काम नहीं कर रही है तो उस फर्म के खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं? जिस योजना को दो साल में पूरा होना था, नौ साल हो गये अभी तक पूरी नहीं हुई। कितने लोगों के सामने पानी की समस्या है और पीने के पानी की व्यवस्था बहुत खराब है। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं, उस फर्म पर कोई कार्यवाही करें और इस काम को पूरा कराया जाय। उसकी कोई न कोई समय सीमा होनी चाहिये। ऐसा नहीं कि आप बार-बार इसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं और लोगों की समस्या बनी रहती है। मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि इस पर मुझे थोड़ा जवाब दें कि आप इस योजना को कब तक पूरा करेंगे? यह कछुआ चाल है, बार-बार जब भी यहां आते हैं, तब मुझे

(श्री गिर्राज सिंह)

एक ही जवाब मिलता है कि कार्य चालू है। यह कार्य कब तक पूरा होगा? होगा भी या नहीं होगा? यह भी एक बार क्लियर करें। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि आप इस योजना को तत्काल पूरा करावें। पानी की बहुत समस्या है, लोग टैंकर और ट्रैक्टरों से पानी भरकर लाते हैं। आपकी सरकार दो महीने पानी पिलाने के बाद फिर कोई कार्यवाही नहीं करती है। दो महीने के अलावा बाकी दस महीने में पानी कहां से आयेगा? सरकार तो दो महीने ही टैंकर डलवाती है, उसमें भी हर जगह टैंकर नहीं डला पाती है तो इसके अलावा बाकी महीनों के लिए पानी कहां से आयेगा? सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस पर तत्काल प्रभाव से आप कार्यवाही करावें, उस काम को पूरा कराया जाय।

सभापति महोदय, एक 44 गांव की योजना तो वह है। इसी कार्य में 35 ग्राम पंचायतें मेरी और जुड़ी हुई हैं। मेरी 35 ग्राम पंचायतें भी अधूरी पड़ी हैं। सभापति महोदय, आपका डिपार्टमेंट, पीएचईडी हैण्डपम्प लगाता है, वह तो अपने हैण्डपम्प की मरम्मत करवाता है और जो गांव का सरपंच लगाता है, वह जो हैण्डपम्प लगाता है, उसकी बाद में कोई देखरेख नहीं होती है। पैसा तो सरकार का ही है, पानी तो आपके डिपार्टमेंट को ही पिलाना है। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि वे भी हैण्डपम्प हैं, आप उनकी मरम्मत करावें। उन हैण्डपम्पों की मरम्मत नहीं करवाओगे तो पानी की समस्या रहेगी। सभापति महोदय, जो हमारे हैण्डपम्पों की मरम्मत है, जो पीएचईडी द्वारा लगाये गये हैं, आप उनकी मरम्मत कराते हैं। सरपंच द्वारा जो हैण्डपम्प लगाये गये हैं, आप उनकी मरम्मत नहीं कराते हैं। सरपंच के पास इतना पैसा नहीं होता है, उसके पास कोई इतनी लैबर नहीं है, उसके पास संसाधन नहीं है कि वह जाकर के हैण्डपम्पों की मरम्मत करवा सके। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और मेरी मांग है कि आप सरपंचों वाले हैण्डपम्पों की भी देखरेख करें। आप इनकी भी मरम्मत करावें।

सभापति महोदय, आप सिर्फ दो महीने के लिए गाड़ी चलाते हैं। दो महीने के बाद कोई भी हैण्डपम्प खराब हो गया तो उसके बाद डिपार्टमेंट वालों से बात करें तो वे यह कह देते हैं कि हम क्या करें, हमारे पास कोई गाड़ी ही नहीं है। गाड़ी तो करीबन 12 महीने के लिए, पानी का यह तो है नहीं कि आप दो महीने पानी पी लेंगे और बाकी 10 महीने आपको पानी की जरूरत नहीं

(श्री गिर्राज सिंह)

पड़ेगी, दिन में दस-पांच बार इंसान पानी पीता है। सभापति महोदय, बाकी के दिन वे पूर्ति कहां से करेंगे? आपकी गाड़ी गांव के अन्दर जाने के लिए तैयार ही नहीं है। आप हैण्डपम्प मिस्त्री को 12 महीने की तनख्वाह देते हैं। आपने क्षेत्रीय कर्मचारी लगा रखे हैं। इनको 12 महीने की तनख्वाह देते हैं और काम सिर्फ 2 महीने करके वे आराम से मजे मारते हैं। अब उनका तो काम खतम, उनको बस 2 महीने ही पानी पिलाना, बाकी 10 महीने कोई पानी नहीं पिलाना है।

सभापति महोदय, मेरे बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में अभी एक 35 करोड़ रुपये की इन्होंने कोई पाइप लाइन योजना सैंक्शन की है। उसकी पिछले साल बजट में घोषणा हुई थी। उसका कार्य अभी तक चालू नहीं कराया गया है। उनकी टेण्डर प्रक्रिया हो गयी है। टेण्डर प्रक्रिया में एक तो आप टाइम इतना रख देते हैं, एक-एक महीने का टाइम रख देते हैं। पहले तो डी.पी.आर. बनाने में ही आप एक साल लगा देंगे और जब आपकी डी.पी.आर. बनकर तैयार हो जायेगी तो फिर आप एक महीना टेण्डर में खींच देंगे और एक महीने में वे टेण्डर हो जायेंगे। उसके बाद आप सैंक्शन में टाइम लगा देंगे। आपने यह कितनी लम्बी प्रक्रिया कर रखी है। आप एक महीने का टेण्डर लगाते हैं, आप उसको 8 दिन का भी लगा सकते हैं। एक महीने में कौन-सी ऐसी बात है? एक महीने का आप टाइम देते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं, 8 दिन भी कर सकते हैं, 15 दिन भी कर सकते हैं। आपके यहां सैंक्शन के लिए फाइल दो-दो, तीन-तीन महीने पड़ी रहती है। यह क्या सिस्टम कर रखा है? इसमें मंत्री जी, थोड़ा सा सुधार करें, इतनी लम्बी प्रक्रिया नहीं करें। एक महीने में करेंगे तब भी आपको वो ही टेण्डर करना है, आप आठ दिन में करेंगे तब भी वो ही टेण्डर करना है तो एक महीने की प्रक्रिया क्यों की जाती है? एक महीने का आप टाइम देंगे, दो महीने का टाइम देंगे, फिर आपके सैंक्शन के कार्य में दो-दो, तीन-तीन महीने आपकी फाइल पड़ी रहती है, तब भी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं।

सभापति महोदय, जल जीवन मिशन योजना में जो गांवों के अन्दर बढ़िया आर.सी.सी. हो रही है उसको आप खोदकर नयी पानी की पाइप लाइन डालते हैं और जिसको आप ठेका देते हैं वह ठेकेदार अपने पानी की पाइप लाइन डालकर फ्री हो जाता है। उसके बाद में पूरे गांव में खड्डे हो जाते हैं, वह आरसीसी पूरी खराब हो जाती है तो उसके लिये किसी सरपंच के पास

(श्री गिर्राज सिंह)

इतना पैसा है नहीं। हम लोगों के पास में भी इतना पैसा नहीं है कि हम पूरी व्यवस्था को ठीक करा दें तो मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यह मेरी मांग है कि जो भी फर्म ठेका लेती है उस ठेकेदार को आप पाबन्द करें कि जितने खड्डे वह खोदेगा उतने खड्डों को ठीक तरह से अच्छे तरीके से वह आरसीसी करावे और पानी की पाइप लाइन डाल कर जैसी पहले की स्थिति थी, जब उन्होंने खोदी थी, उसी स्थिति में करके बढ़िया से तरीके से उसको बनाये।

सभापति महोदय, आपने मॉनिटरिंग करने का कहा है। आपने एक प्रक्रिया और कर दी कि सरपंच सत्यापन करेगा। वह सरपंच खुद अपने जुगाड़ में रहता है कि पहले मेरा सत्यापन करे, तब जाकर वह अपने काम का सत्यापन करेगा, तो यह बीच में सरपंच से सत्यापन लेने की क्या जरूरत है? क्या करेगा सरपंच? सरपंच करेगा, परंतु आपके किसी और विभाग में कोई सत्यापन सरपंच ने किया नहीं है, यह जल जीवन मिशन योजना में सरपंच की क्या जरूरत पड़ रही है? वह पहले खुद की अपनी व्यवस्था की बात करता है तो ठेकेदार परेशान होते हैं और वह काम अधूरा पड़ा रहता है।

सभापति महोदय, काफी परिस्थितियां हैं। अब यह इतनी ठंडी योजना चल रही है जबकि इस पानी की योजना की सबसे ज्यादा हम लोगों को जरूरत है। अभी पानी की योजना की इतनी बहुत ज्यादा जरूरत है और इस योजना को हमने गम्भीरता से नहीं लिया। राजस्थान आज देश के अन्दर सबसे पीछे चल रहा है। हमारे अधिकारियों के पास डी.पी.आर. बनी पड़ी है एक-एक साल की, आठ-आठ महीने की। फिर आपके टेण्डर पड़े रहते हैं आपके टेण्डर स्वीकृत नहीं होते हैं। फिर आपके ठेकेदार काम नहीं करते हैं। आपने जब उस ठेकेदार को समय सीमा दी है और समय सीमा में वह काम नहीं करता है तो आप उस पर पेनल्टी क्यों नहीं लगाते हैं? आपने क्या कार्यवाही की, कितने ठेकेदारों के खिलाफ अभी तक कार्यवाही की? इस फर्म को आप निरस्त करें, आगे वह इस काम को भी नहीं कर पाये तो ऐसे लोगों को ठेका नहीं दें। जो अच्छे काम करें, बढ़िया क्वालिटी का काम करें ऐसे लोगों को आप कार्य दें और समय पर कार्य पूरा होना चाहिये।

सभापति महोदय, हैण्डपम्प की अभी हमारे सभी विपक्ष वाले साथी भी मांग कर रहे थे कि हैंडपम्प आपने 40-40 दिये। हमने तो आपको 40 दिये हैं, जब हम लोग 21 थे तो आपने तो हमको इतने भी नहीं दिये थे।

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): सभापति महोदय, 163 को सबको हैंडपम्पों की घोषणा की लेकिन हम लोगों के एक भी हैंडपम्प नहीं दिया। अपने-अपने 163 क्षेत्रों में इन्होंने लगाये। अब ये मांग करते हैं इधर वालों से। कम से कम हम लोगों ने आपको इतने दे दिये, 40 तो दिये, आपने तो हम लोगों को 4 भी नहीं दिये।

सभापति महोदय, हमारे विपक्ष वालों की एक मांग है कि हैंडपम्प दिये जाएं तो मैं भी इस मांग में अपना समर्थन देता हूं कि हैंडपम्पों की जरूरत है। अभी जल जीवन मिशन योजना में काफी समय लगेगा। जब तक हम काम करेंगे, हैंडपम्प की हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि मंत्री जी, आप हर विधान सभा क्षेत्र में सौ-सौ, दो-दो सौ हैंडपम्प की व्यवस्था करें, तब जाकर के इस पानी की समस्या से निजात मिलेगी।

सभापति महोदय, कुछ गांव हमारे ऐसे हैं जो जल जीवन मिशन योजना में भी छूट चुके हैं। ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत छूट चुकी है। सरकार की घोषणा है कि हर घर में पानी पहुंचायेंगे। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर 50:50 दे रहे हैं पर इसके बाद में भी सभापति महोदय, अब भी मेरी कई ग्राम पंचायतें रह गयी हैं। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बाड़ी ग्राम पंचायत, रुधेरा, पुदन्ना एवं इनके समस्त ग्राम की जो भी पहाड़ी चट्टान है, इन ग्राम पंचायतों की न तो अभी तक कोई डी.पी.आर. बनी, न आपके कोई टेण्डर, न आपके जल जीवन मिशन योजना में, न अभी आपकी कोई प्रक्रिया में है, तो ये पूरी ग्राम पंचायतें हैं करीबन 20 -25 गांव हैं, इनके नलकूप लगाने के कार्य, कैसे ऊंचे-नीचे गांव हैं, बहुत जंगल एरिया है, तो इनके कार्य के लिये, सभापति महोदय, कोई आप ऐसी स्कीम बनायें। हमारे पास में एक रामसागर बांध है, वहां पर हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी रुकती हैं, तो वहां से पानी की पाइप लाइन डालकर एक व्यवस्था की जाये, इन गांवों को पानी पिलाने के लिये एक व्यवस्था की जाये।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): सभापति महोदय, जितनी भी योजनाएं हैं वो अगर अपन समय पर पूरी नहीं कर पायेंगे तो कोई मतलब नहीं है। अब मेरे यहां आर.सी.सी. का काम होने वाला है। आपने नगरपालिका क्षेत्र में दस किलोमीटर पहले सी.सी. खरंजा दे दिये, 15 किलोमीटर अब बजट में घोषणा कर दी। अभी आपके पानी की पाइप लाइन डल रही है तो वह 25 किलोमीटर

(श्री गिर्राज सिंह)

मेरे यहां की पूरी रोड है वह पूरी बरबाद हो जायेगी। एक तरफ से हम रोड बनायेंगे और दूसरी तरफ पीएचईडी वाले उसमें खड्डे खोदेंगे तो मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि मैं थोड़ा काम लेट कर दूंगा भले ही दो महीने, तीन महीने, छह महीने में आप पहले बाड़ी सिटी में काम करायें तो जो पच्चीस किलोमीटर हमारी रोड बनेगी नगरपालिका क्षेत्र में, कम से कम वह दुबारा जो हम खुदाई करायेंगे उससे तो हम बच जायेंगे। मेरी मांग है कि तत्काल प्रभाव से जो टेण्डर हुए हैं उनको सैंक्शन करायें और तत्काल प्रभाव से उस कार्य को चालू करायें, इतनी स्पीड से जिससे कि जो पच्चीस किलोमीटर है वह हमारी बच जायेगी।

**श्री सभापति**: समाप्त करें। श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

**श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, कल इस सदन में शिक्षा, कला एवं संस्कृति की मांग पर चर्चा हो रही थी और बहुत सारे मेरे साथी सदस्यों ने कहा कि शिक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पर जैसे खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे शरीर का 75 प्रतिशत हिस्सा भी पानी है तो मैं भी कहना चाहूंगा कि जल है तो जीवन है और जल है तो कल है। आपने मांग संख्या 27-पेयजल योजना पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जलदाय विभाग की पेयजल की मांग पर चर्चा करना तब गौण हो जाता है जब इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा की गयी घोषणाएं भी पूरी नहीं होती हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष माननीय मुख्य मंत्री जी ने दस ट्यूबवैल और चालीस हैण्डपम्प की घोषणा की और उससे पिछले वर्ष दस सोलर पम्प की घोषणा की।

माननीय सभापति महोदय, अगर मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो दस ट्यूबवैल तो कहीं भी धरातल पर दिखायी नहीं दे रहे हैं और बात करूं हैण्डपम्प और सोलर पम्प की तो वो कार्य भी पूरे नहीं हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं। मेरे पिता स्वर्गीय श्री धर्मपाल चौधरी जी के अच्छे सहयोगी रहे हैं तो आपसे आग्रह करना चाहूंगा और उम्मीद भी आपसे ही कर सकता हूं कि इस समय में जब गर्मी का समय आने वाला है तो आप इन मांगों को सुनकर और ये जो तीनों मांगें हैं मेरी, यह जरूर पूरी करेंगे।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अधिकतर हिस्से में घर-घर तक पानी नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से महिलाओं को दूर-दूर तक पानी लाने के लिये जाना पड़ता है। मैं कहना चाहूंगा कि देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और केन्द्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन राजस्थान के लिये एक वरदान के रूप में हमें मिली है। माननीय सभापति महोदय, इससे प्रदेश के हर घर तक पीने का पानी पहुंच सकेगा पर अगर बात करूं राजस्थान प्रदेश की तो आज केवल हम मात्र चार राज्यों से इस मिशन में आगे हैं। अगर यही हालात रहे तो न जाने हमारे प्रदेश की जनता को हम पानी कैसे पिला पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इस योजना के तहत दस प्रतिशत राशि आम जनता से ली जाती है और जहां पर टंकी का निर्माण किया जायेगा तो वहां पर करीब-करीब जो राशि ली जायेगी वह चार हजार रुपये के करीब आयेगी, तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस राशि में छूट दिलवायी जाये। अगर आप सम्पूर्ण छूट नहीं दे सकते तो कम से कम इसको चार हिस्सों में बांटकर उस गरीब आदमी से इस राशि को आप लें।

माननीय सभापति महोदय, जब इसके संचालन की बात आती है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में इस योजना की स्वीकृति के साथ-साथ ही ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया गया था। साथ ही उन समितियों से यह अण्डरटेकिंग भी ली गयी थी कि योजना का संचालन वह स्वयं करेंगे तथा प्रति कनेक्शन बिल की वसूली करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि दस प्रतिशत राशि जो इस समिति ने ली है वह राशि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में जमा करा दी जायेगी तो ग्राम जल स्वच्छता समितियों में बैंक खाते में राशि शून्य हो जायेगी और साथ ही जो योजनाएं बनी हैं उन योजनाओं में करीब-करीब एक या दो नलकूल के माध्यम से जल की आपूर्ति की जायेगी और पेयजल सप्लाई के नलकूपों से जो बिल लिये जा रहे हैं, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो बिल लिये जा रहे हैं वो स्माल स्केल इण्डस्ट्री के हिसाब से चार्ज करके लिये जा रहे हैं। अगर एक नलकूप को आप छह घण्टे चलायेंगे तो एक नलकूप की लाइट का एक महीने

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

का बिल 18 से 20 हजार रुपये प्रति नलकूप आयेगा और साथ ही आपको उसके संचालन के लिये एक व्यक्ति को वहां पर रखना पड़ेगा। श्रम नियमों के हिसाब से अगर उस व्यक्ति को वेतन देना पड़ेगा तो करीब दस हजार रुपये उसको वेतन देना पड़ेगा और साथ ही उसकी देखरेख के लिये अन्य खर्च होगा, तो इस तरह से एक नलकूप की जो योजना है उसका संचालन का खर्च करीब-करीब 35 से 40 हजार रुपये प्रति महीने आयेगा।

एक तरफ तो राजस्थान सरकार कहती है कि हम लोगों को मुफ्त में पानी पिलायेंगे और दूसरी तरफ राजस्थान में ही पानी के लिये करीब 300-350 रुपये हर परिवार से लेने की सरकार योजना बना रही है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिये या तो बिजली के बिल माफ किये जाएं या सरकार हर महीने ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को कुछ राशि सहायता के रूप में दे, जिससे आने वाले समय में यह योजना धरातल पर अच्छे तरीके से काम कर सके।

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन का लक्ष्य हर घर तक केवल पीने का पानी पहुंचाना नहीं बल्कि गुणवत्ता का पीने का पानी आम व्यक्ति को उपलब्ध करवाना है। इसको देखते हुए राजस्थान सरकार आने वाले वर्ष में 102 ब्लाक पर एन.ए.बी.एल. प्रयोगशालाएं स्थापित करने जा रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या यह प्रयोगशालाएं मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के ब्लाक मुण्डावर व नीमराना में लग रही हैं? अगर नहीं लग रहीं तो आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप जो एन.ए.बी.एल. लैब स्थापित करने जा रहे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र के दोनों ब्लाक पर आप यह स्थापित करें जिससे आने वाले समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी आराम से उपलब्ध हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आपका ध्यान एक और बात पर आकर्षित करना चाहूंगा। दिनांक 24 फरवरी, 2021 को बजट घोषणा के समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिन्दु संख्या 178 पर ईसरदा बांध की बात कही थी, जिसमें अलवर जिले की पंचायत समिति उमरैण, रैनी, बानसूर, थानागाजी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और कठूमर के चार कस्बे तथा 161 गांवों की बात उन्होंने कही थी। इस योजना के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

मुण्डावर के अंतर्गत आने वाली पंचायत समिति मुण्डावर के 146 तथा नीमराना के 36 ग्राम आते हैं और तीन बड़े कस्बे मुण्डावर, शाहजहांपुर और नीमराना आते हैं, जिनमें दो बड़े कस्बे नीमराना और शाहजहांपुर तो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहां पर 25 हजार से अधिक की आबादी तो अन्य राज्यों से आई हुई है। वहां पर भूजल की स्थिति आज भयावह बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर जिले के लिये अलवर शहर, राजगढ़, रैनी, कठूमर जहां सबसे ज्यादा पेयजल की समस्या है, उसके बाद मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की यह दोनों पंचायत समितियां आती हैं। इस योजना में बानसूर विधान सभा क्षेत्र मेरे मुण्डावर से लगता हुआ है। अतः आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस ईसरदा परियोजना की डी.पी.आर. बनाने का कार्य चल रहा है, इस योजना में मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के 182 गांवों को जोड़ने का कष्ट करें जिससे पीने के पानी का दीर्घकालीन समाधान हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आज भूजल की स्थिति हम सबके सामने है। बात करूं राजस्थान की तो 295 में से 203 ब्लाक ऐसे हैं जहां पर स्थिति भयावह बनी हुई है। बात करूं मेरे क्षेत्र मुण्डावर और नीमराना की, तो नीमराना और शाहजहांपुर औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण वहां पर भूजल का दोहन अत्यधिक है क्योंकि सरकार से ज्यादा दोहन तो वहां की फैक्ट्रियां करती हैं। नीमराना में मेन हाई-वे पर किंगफिशर बीयर की फैक्ट्री लगी हुई है। अगर माननीय मंत्री जी वहां पर जांच करवायें तो उस फैक्ट्री में आपको अनेकों बोर बिना स्वीकृति के मिलेंगे। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी फैक्ट्रियां जो भूजल का अत्यधिक दोहन करती हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाय जिससे आने वाले समय में वहां के आस-पास के जो गरीब लोग हैं, आस-पास की जनता को पीने का पानी आराम से उपलब्ध हो पाये।

माननीय सभापति महोदय, अभी कुछ दिन पूर्व हर वर्ष की भांति कंटींजेंसी प्लान के तहत माननीय मुख्य मंत्री जी ने 50-50 लाख रुपये हरेक कलेक्टर साहब को अलाट किये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन्होंने टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई किया, पिछले वर्ष के कंटींजेंसी प्लान के पैसे ही उन ठेकेदारों को आज तक नहीं मिले। आने वाले समय में हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वह ठेकेदार एक बार

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

पुन: कंटींजेंसी प्लान के तहत गांवों में पानी सप्लाई करे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा ....

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर): सबसे पहले ठेकेदारों का बकाया भुगतान पूरा कराया जाय। उसके बाद ब्लाक के जितने भी अधिकारी हैं, उनको आज ही निर्देशित करें कि आने वाला समय गर्मी का है, वहां के जन प्रतिनिधियों को कॉल करके, उनसे बात करके हरेक पंचायत लेवल पर दुबारा से कंटींजेंसी प्लान बनाया जाय, जिससे आने वाले समय में वहां की गरीब जनता को पीने के पानी की समस्या न हो।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत लेवल पर आम-जन को, गरीब व्यक्ति को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उस बोर के बिजली का कनेक्शन का स्माल स्केल इंडस्ट्री के हिसाब से चार्ज किया जाता है। जिसका बिल इतना अत्यधिक आता है कि पंचायत उसको वहन करने में सक्षम नहीं रह पाती है। जितना पैसा उसको वहां पर विकास करने के लिये सरकार के माध्यम से मिलता है, करीब-करीब वह पैसा उस बिल में चला जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की बिजली है, सरकार का ही पैसा है, पंचायतों पर जो बोरिंग लगे हुए हैं, उनको कम से कम कृषि के रेट पर वापस करवा दीजिए जिससे पंचायत आराम से उनका बिल भर सके और लोगों को वहां पर पीने के पानी की समस्या न हो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार। जय हिन्द, जय भारत।

**श्री सभापति**: श्री सुरेश मोदी।

**श्री सुरेश मोदी** (नीम का थाना): सभापति महोदय, जीवन के लिये पानी बहुत ही आवश्यक तत्व है। राज्य सरकार ने पेयजल के लिये बहुत अच्छा काम किया है। जल जीवन मिशन में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की भागीदारी कम करने की मांग न माने जाने के बावजूद भी सरकार अपने बलबूते पर इस योजना के जरिए लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने का काम कर रही है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरा जिला बहुत पहले से डार्क जोन घोषित है। जिसका मतलब है कि पानी की बहुत बड़ी

(श्री सुरेश मोदी)

समस्या है। सबसे पहले कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का काम तेजी से किये जाने की महती आवश्यकता है। मुख्य मंत्री जी ने हमारी मांग स्वीकार करते हुए 500 करोड़ रुपये इस बजट में देने की घोषणा भी की है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि यह परियोजना सीकर जिले के 6 विधान सभा क्षेत्र और 2 झुंझुनूं जिले के विधान सभा क्षेत्र के लिये बहुत ही जरूरी योजना है। अत: आप स्वयं इसकी मानिटरिंग करके इस योजना का लाभ जल्द से जल्द जनता को मिले, ऐसी व्यवस्था करें। सैकण्ड फेज के लिये जो पानी स्वीकृत हुआ था, वह पानी अब उपलब्ध नहीं बता रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि इस योजना के लिये पानी की भी दिक्कत हो जाय।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगाये जाने वाली बोरिंग भी कई जगह सूखी जा रही है। अत: ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे सूखे जाने वाले बोरिंग की जगह कोई दूसरा नलकूप खोदा जा सके। मेरा क्षेत्र पहाड़ी इलाका है एवं पिछले कई वर्षों से पर्याप्त वर्षा न होने के कारण भूमिगत जल का स्तर नीचे चला गया एवं उपलब्ध पानी में फ्लोराइड और टी.डी.एस. की मात्रा बढ़ गई, जो कई बीमारियों को जन्म देती है। मेरे क्षेत्र में पानी का सबसे बड़ा स्रोत रायपुर बांध पिछले दो वर्ष से सूखा पड़ा है। मैंने देखा है कई जगह टंकियां बनी हुई खड़ी हैं लेकिन उन पर पानी भरने की कोई व्यवस्था नहीं है। हसामपुर, मोकाला, दाबला, हेमावाली ढाणी में ऐसी कई टंकियां हैं जिन पर सरकार का लाखों रुपया खर्च हुआ है लेकिन आज तक उनमें एक बूंद पानी भी नहीं गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जल जीवन मिशन में बाकी के काम हो जाएं और बोरिंगों में पानी नहीं हो और सारी व्यवस्था फेल हो जाय। इसलिए सबसे पहले नलकूप खोदे जाएं और ऐसे नलकूप खोदे जाएं जिनमें पानी भरपूर हो। जल जीवन मिशन के तहत लगाये जाने वाले नलकूपों की साइट सलेक्शन के लिये प्रत्येक जिले में एक कनिष्ठ भू वैज्ञानिक लगा हुआ है, जबकि लगाये जाने वाले नलकूपों की संख्या बहुत ज्यादा है। इनकी कमी की वजह से या तो नलकूप लगने में देरी होगी या इनकी कमी की वजह से गलत साइट पर नलकूप लगेगा। अत: मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जिलों में इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम दो की जाय।

पिछली सरकार ने सोलर के नलकूप लगाये थे। मुख्य मंत्री जी ने भी अपने प्रथम वर्ष में सोलर के नलकूप लगाये थे, जो बहुत ही कामयाब रहे। मेरा आपसे निवेदन है कि इस साल भी आप हर विधान सभा क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र

(श्री सुरेश मोदी)

में जहां पानी की ज्यादा कमी है, कम से कम 25 सोलर के नलकूप देने की कृपा करें। इसी तरह से जो बाकी के सदस्य भी मांग कर रहे थे, मैं भी उस मांग का समर्थन करता हूं कि हर विधायक को इस गर्मी में पानी की व्यवस्था से जूझने के लिये ज्यादा से ज्यादा हैण्डपम्प और ज्यादा से ज्यादा नलकूप उनकी अनुशंसा पर लगाने की व्यवस्था कराएं।

**(समय: 16.00 बजे)**

महोदय, मैं आपका ध्यान एक और बड़ी समस्या की ओर ले जाना चाहता हूं कि जनता जल योजना के तहत नलकूपों की विद्युत खर्च की राशि जमा नहीं होने के कारण अजमेर विद्युत वितरण निगम उनके कनेक्शन काट रहा है। मेरे यहां पर छह पंचायतों में बिजली के कनेक्शन काटे जा चुके हैं और पीने के पानी की व्यवस्था बिलकुल चरमरा चुकी है। छाजा की नांगल, नारोड़ा आदि ऐसी पंचायतें हैं, जिनमें मैंने हाथ जोड़कर एस.ई. साहब से दो दिन की मोहलत लेकर उनका विद्युत कनेक्शन वापस चालू कराया है। मेरा आपसे निवेदन है कि वर्ष 2017 में जब भाजपा की सरकार थी, उसने जरूरतमंद पंचायतों को अलग से एक बजट दिया था। ऐसी ही व्यवस्था इस वक्त की जाये कि जो जरूरतमंद पंचायतें हैं, उनके बिजली के बिल जमा कराने के लिए उनको पैसा तुरन्त उपलब्ध कराया जाये, जिससे कि आने वाली गर्मियों में जनता को पानी मिल सके या ऐसी व्यवस्था की जाये कि निगम को पाबन्द किया जाये कि उनके कनेक्शन नहीं काटे जायें। 2021-22 की जो दो किश्तें हैं, वे अभी तक पंचायतों को नहीं मिली हैं। पंचायतों के पास कोई पैसा नहीं कि वे इस विद्युत खर्च को उठा सकें। जनता जल योजना को लागू करने में एक जो सबसे बड़ी कमी रही थी, वह यह थी कि बिजली के बिल चुकाने का जिम्मा पंचायतों के ऊपर छोड़ा गया था और पंचायतों के पास पैसा नहीं है, इसलिये विद्युत कनेक्शन कट रहे हैं और तकलीफ जनता भोग रही है।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि सरकार नदियों को जोड़ने का काम प्राथमिकता से करें। सरकार हर साल करोड़ों रुपया पानी के लिए खर्च कर रही है। नये नलकूप कुछ समय के बाद सूख जाते हैं। मैंने क्षेत्र में पूर्व में लगे नलकूप और हैंण्डपम्पों का आंकड़ा देखा है और मुझे उसे देखकर इतना आश्चर्य हुआ है कि सरकार में कितना रुपया सब जगह खर्च किया है, इसके बावजूद पानी की समस्या ज्यों की त्यों है। कारण स्पष्ट है कि पुराने सोर्स

(श्री सुरेश मोदी)

नकारा हो जाते हैं, सूख जाते हैं और नये सोर्स लगाये जाते हैं। अगर नदियों को आपस में जोड़ दिया जायेगा तो सूखे एवं अतिवृष्टि, दोनों समस्याएं और उन पर होने वाला खर्च बचेगा तथा सारे पुराने सूखे हुए नलकूपों में पानी आने से पीने के पानी पर किये जाने वाला खर्च बचेगा और बजट में बचत होगी।

ग्राउंड वाटर की अपनी सीमा है। अत: सरफेस वाटर को सहेजने व उसकी बरबादी रोकने के उपाय आवश्यक तौर पर किये जाने की आवश्यकता है। इन्दिरा गांधी नहर का पानी, जैसा मैंने उस वक्त सुना था, जब कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का प्रथम फेज लागू और मंजूर किया गया था, उस वक्त शायद इन्दिरा नहर का 51 परसेंट पानी राजस्थान को मिलने की बात थी, जो अब घटकर शायद काफी कम हो गया है। अगर इन परियोजनाओं में और देरी की गयी तो निश्चित तौर पर वह पानी कहीं और चला जाएगा और हम उससे वंचित रह जायेंगे।

**श्री सभापति**: पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

**श्री सुरेश मोदी** (नीम का थाना): महोदय, मेरे क्षेत्र में दूसरा बड़ा ब्लाक पाटन है जहां पर पंचायत समिति और तहसील का हैडक्वार्टर भी है। वहां पर सहायक अभियंता का कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता है, इसलिए इसे खोलने के लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं। गर्मी का मौसम आने वाला है। हैंडपम्प, बोरिंग आदि की मरम्मत की प्लानिंग पहले से करके सभी सोर्स गर्मियों में चालू रहे, ऐसी व्यवस्था करायें। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री हमीर सिंह भायल।

**श्री हमीर सिंह भायल** (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27-पेयजल पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय विराजे हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पोकरण-फलसूण्ड-बायतू-बालोतरा-सिवाना पेयजल योजना 2004 में बनी थी, जिसमें मेरा पूरा विधान सभा क्षेत्र आता है, पूरा उपखण्ड है। यह 2017 में पूरी होनी थी, फिर इसका टाइम 2021-22 कर दिया। सिवाना टेल पर होने की वजह से इस योजना में तीन साल से एक फुट भी पाइप नहीं लगा है। माननीय मंत्री महोदय, बजट में इसके लिए दो बार 500 करोड़ और 260 करोड़ का प्रावधान तो कर दिया। पूरे विधान सभा क्षेत्र में सिवाना बाड़मेर का कश्मीर था, अथाह पानी था। बारिश कम होने की वजह से आज की तारीख में 50 पंचायतों के 80 गांव, सिणधरी की 32 पंचायतों के

(श्री हमीर सिंह भायल)

70 गांव पेयजल के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। यह योजना द्रोपदी का चीर बन कर रह गयी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करुंगा कि इस योजना पर 6 तारीख को आचार संहिता लगने के बाद से आज दिन तक कोई कार्य नहीं हुआ है। पूरा बाड़मेर जिला मीठा पानी पी रहा है पर सिवाना विधान सभा क्षेत्र में यह दुर्गति हो गयी है। सिर्फ 58 गांव हैं, उन्हें उम्मेदसागर-धावा योजना से पानी आ रहा है। उसमें भी 24 एमएलडी पानी मिलना चाहिये पर कई साल और महीनों से 14 एमएलडी पानी मिल रहा है, वह सर्दी में भी पर्याप्त नहीं है। 15-20 दिन से पानी नहीं आ रहा है। इस योजना को हम समय रहते कैसे ठीक करें? सिवाना के 101 गांव, सिणधरी के 56 गांव, लेकिन एक भी गांव नहीं जुड़ा है। 2013-14 से एस.आर. बनी हुई है, एक बूंद पानी अन्दर नहीं डाला गया है और वह जर्जर होकर जमीन पर गिरने की तैयारी में है। सारी पाइपलाइनें लगी हुई हैं। सिणधरी कस्बे तक पानी पहुंच गया है। वहां 200 मीटर, किसी जगह पर 400 मीटर, वहां पर एक किलोमीटर लाइन डाली जाये तो जब सिणधरी में 20 दिन में पानी मिल रहा है तो पड़ोस के गांवों में भी पानी मिल सकता है।

नर्मदा योजना में मेरी ओडू पंचायत के 22 रेवेन्यू विलेज हैं। आज तक उनकी टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है। कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। बाड़मेर लिफ्ट का पानी सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। आस-पड़ोस में मीठा जल पी रहे हैं। चार किलोमीटर की लाइन डालकर उन 22 गांवों को भी पानी दिया जा सकता है।

माननीय मंत्री महोदय, इस परियोजना में 13 अधिकारियों की पोस्ट है। इन तीन साल में कभी-कभार दो महीने में एक बार कोई एक अधिकारी डेपुटेशन पर लगाया जाता है। सभापति महोदय, यह इतनी बड़ी योजना है, इसको आप कैसे धरातल उतारेंगे? मेगा हाईवे 325 निकला है, उसके नीचे 2 किलोमीटर लाइन आ गयी थी। वह यों की यों ही पड़ी हुई है। जे.ईएन. नहीं, ए.ईएन. नहीं।

मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन करता हूं कि सिवाना बाड़मेर जिले में है, राजस्थान में है, गुजरात या किसी दूसरी जगह पर नहीं है। मंत्री महोदय, मैं दर्द के साथ आपको कहना चाह रहा हूं कि इस स्थिति में सिवाना में धरना चल रहा है। उसे 1 साल और 21 दिन हो गये हैं, पर आज दिन तक इस सरकार ने किसी तरह का ध्यान नहीं दिया। पंचायत समिति के सामने

(श्री हमीर सिंह भायल)

पानी के लिए धरना चल रहा है। उसे 1 साल और 21 दिन हो गये हैं, पर उसकी तरफ भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इसमें थोड़ा ध्यान देकर इस काम को जल्दी करवायेंगे तो जनता को राहत मिलेगी। मैं दर्द के साथ कह रहा हूं कि आस-पड़ोस में भी पीने के लिए पानी नहीं है। पांच-दस किलोमीटर पर किसी जगह पर मिलता है। एक ट्रैक्टर के टैंकर के 1 हजार रुपये लगते हैं। आज की तारीख में यह स्थिति है तो गर्मी में क्या स्थिति होगी? अभी सिवाना को नगरपालिका बनाया गया है। एक महीने में भी पानी नहीं आ रहा है। यह हालत प्रोपर सिवाना से लगाकर, सिणधरी से लगाकर सैकड़ों गांवों की बनी हुई है।

माननीय मंत्री महोदय, उम्मेद सागर-धावा योजना है, उसके लिए मैंने आपको निवेदन किया था कि 24 में से 14 एमएलडी पानी मिल रहा है। वहां पर एल एण्ड टी 20 साल तक रखरखाव करेगी। वहां पर उसका लगाया हुआ व्यक्ति समय पर काम नहीं कर रहा है या आपका लगाया हुआ अधिकारी भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे 13 गांवों को नर्मदा योजना के, उसको बाड़मेर लिफ्ट से, 4 किलोमीटर की लाइन है, बिलकुल नजदीक है। बाड़मेर के विधायक आदरणीय मेवाराम जी विराजे हैं। इनके विधान सभा क्षेत्र में पानी आया हुआ है। चार किलोमीटर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वे एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, उनको थोड़ा सहारा मिल जायेगा, इसके लिए मेरी मांग रहेगी। माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अभी काफी जगह पर इसमें हैंडपम्प सक्सेस है। अगर आप 100 हैण्डपम्प और आपने पहले बजट में सौर ऊर्जा के जो 10 बोर दिये थे, वह भी कार्य पूरा नहीं हुआ। मैं कहूंगा कि सोलर स्कीम के30 और 100 हैण्डपम्प देंगे तो थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगेगी।

माननीय सभापति महोदय, यह स्थिति पैदा हो गयी है कि अब पानी के लिए लोग, अधिकारी की भी अगर वहां पोस्टिंग हो जाती है तो वह रहना नहीं चाहता, आना नहीं चाहता। लाये कहां से पानी? जब तक इस योजना का पानी नहीं पहुंचेगा, मैं माननीय पूर्व मंत्री महोदय, मुख्य मंत्री महोदय को भी एक बार नहीं, दस ज्ञापन दे चुका हूं, सैक्रेटरी महोदय से हजार बार मिल चुका हूं परंतु इसका समाधान नहींहुआ। क्या पता सिवाना को किस तरीके से, रोड नहीं बनाया आपने, नहीं दी, बाड़मेर में दूसरे सबको दे रहे हो, मुझे मत देना

(श्री हमीर सिंह भायल)

परंतु पानी के लिए तो इसमें भेदभाव नहीं करें। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कम से कम इसकी तरफ तो थोड़ा ध्यान देंगे। नगरपालिका को कांई करूं? चाटूं? कांई करूं? आपनै ध्यान है।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री हमीर सिंह भायल** (सिवाना): मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी से टैंकर चालू करने के लिए भी आप कंटींजेंसी में योजना बनाएं। वहां इस एरिया में बिलकुल पानी नहीं है तो आप उनको कैसे पानी पिलाएंगे? इसके लिए भी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। ग्राम पंचायतों को जल जीवन मिशन योजना दे दी है। अब वह बिल कैसे भरें? एक निवेदन मंत्री महोदय, मैं करना चाहूंगा कि जितनी भी ग्राम पंचायतों में विद्युत कनेक्शन हैं, वे एग्रीकल्चर से जुडे हुए हैं और बिजली का जो बिल आता है, वह कामर्शियल 24 घंटे वाली लाइन से आता है। इसलिए ग्राम पंचायतों में भी व्यय भार ज्यादा पड़ रहा है। इसको भी देखने की आवश्यकता है। कर्मचारी, जो पंचायतों में पहले हम मस्टर-रोल में देते थे।

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

**श्री हमीर सिंह भायल** (सिवाना): उसका भी कोई हिसाब-किताब नहीं रहता है। सभापति महोदय, दो मिनट मुझे थोड़ा बोलने दें। पानी को लेकर जनता दुःखी है। टैंकरों से पानी डलवाना भी बहुत भारी पड़ रहा है। आप मेहरबानी करके पानी की जितनी भी योजनाएं हैं, सिवाना में पोकरण-फलसूंड योजना को गति देने के लिए बजट में प्रावधान, बजट में प्रावधान करने से नहीं होगा। वहां तो अधिकारी लगाकर, धरना चालू होने के बाद में सिर्फ एक साल में एक किलोमीटर लाइन लगी है। उसके बाद में वह कांट्रेक्टर छोड़कर चला गया। पानी भी आएगा हैडल पाइंट कहां है? जो एस आर 103 गांवों को पहुंचाने के लिए, उसका भी फोरेस्ट से एन.ओ.सी. मिलने के बाद में आज दिन तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। अब दूसरा कोई पानी नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के लिए जवाई पुनर्भरण अगर जो होगा तो जवाई नदी से पीने के लिए थोड़ा बहुत पानी कई जगह मिलेगा।

सभापति महोदय, एक हमारी मारवाड़ा की मरु गंगा लूणी नदी, जो कि हमारे पाली उद्योग, जोधपुर उद्योग, बालोतरा उद्योग से, उसमें मीठा पानी तो आने का सवाल ही नहीं है, प्रदूषित पानी आने की वजह से अगर नदी किनारे कुएं में कोई पानी था तो वह भी लाल, पीला, काला हो गया। वह

(श्री हमीर सिंह भायल)

भी पीने के लायक नहीं रहा। पशुधन भी नहीं पी सकता। यह स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि ये पोकरण-फलसूंड और सिवाना के लिए पेयजल की कैसे भी करके पूर्ति कराएंगे तो थोड़ा जनता को सहारा मिलेगा। यही मेरा निवेदन रहेगा।

**श्री सभापति**: समाप्त कीजिए।

**श्री हमीर सिंह भायल** (सिवाना): मैं इतना ही कहूंगा सब माताओं और बहिनों को प्रणाम करता हुआ, माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर पेयजल को लेकर नहीं देखेंगे तो मैं कहूंगा-

"फर्क होता है खुदा और फकीर में,
फर्क होता है किस्मत और लकीर में,
अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना,
कुछ और अच्छा होने वाला है।"

सभापति महोदय, धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत।

**श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत** (वल्लभनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27-पेयजल योजना पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही सभी सदस्यों का अभिवादन करती हूं। हमारी महिला सदस्यों को अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूं।

मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर, जिला उदयपुर में शहरी जल योजना भिण्डर के पुनर्गठन की स्वीकृति और पेयजल के लिए जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर दिलाना चाहती हूं। सर्वप्रथम मैं हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि उन्होंने बजट भाषण के जवाब में शहरी जल योजना भिण्डर की 25 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्गठन करने की घोषणा की जिसके कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र में होली के पूर्व ही उत्सव जैसा माहौल है। भिण्डर में पाइप लाइन काफी पुरानी और जीर्ण-शीर्ण हो गयी थी जिसके कारण आमजन को प्रदूषित पानी की आशंका बनी रहती थी और जिसका माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने तत्काल समाधान कर विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर परिवार को एक बहुत बड़ी सौगात दी है।

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 413 गांव आते हैं। मैं पेयजल की समस्याओं से आपको अवगत कराना चाहती हूं कि विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मेरा अनुरोध है कि गत बजट घोषणा 2021-22 के तहत विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में शहरी जल योजना कानोड़ के पुनर्गठन हेतु जल योजना शुरू करनी थी। परंतु अभी तक उक्त जल योजना की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। कृपया उसे जल्दी करवाया जाए जिससे क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ किया जा सके। वल्लभनगर क्षेत्र में पेयजल की समस्या से ग्रस्त गांवों में माही बांध से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहती हूं कि कुराबड़ क्षेत्र के गांवों में सोम कमला आम्बा बांध से पेयजल उपलब्ध कराने और सिंचाई एवं पेयजल के लिए जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए घोडादो, पीपलवास, रानीडूंगला बांध और सनेरिया की ऊंचाई अगर एक से दो मीटर बढ़ाई जाए तो उससे हमें पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। साथ ही मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहती हूं कि दिनांक 20 सितम्बर, 2003 को वाना बांध के निर्माण का माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा शिलान्यास किया गया था जो कि कीर्तिशेष दाता हुकुम गुलाब सिंह जी शक्तावत और हमारे हृदयराज कीर्तिशेष गजेन्द्र सिंह जी शक्तावत, साथ ही मेरे वल्लभनगर परिवार का सपना था, परंतु उसमें आगे किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं हुई है। इसे पुन: प्रारम्भ किये जाने की मैं मांग रखती हूं और इससे क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको पुन: बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

**श्री सभापति**: श्री नारायण सिंह देवल।

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 27-पेयजल योजना पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज महिला दिवस है। महिलासदस्यों को मेरी ओर से महिला दिवस की शुभकामना।

सभापति महोदय, प्रदेश के 33 जिलों में भूजल के हिसाब से कुल 295 ब्लाक में इसको बांट रखा है, जिसमें से 184 डार्कजोन में हैं। केवल 45 ब्लाक में ही अभी भूजल उपलब्धता पर्याप्त बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान की जमीन में कभी-भी पानी खतम हो सकता है। हमारा प्रयास होना

(श्री नारायण सिंह देवल)

चाहिए, सरकार का प्रयास होना चाहिए कि पेयजल की इस समस्या के लिए सतही जल योजना के तहत बांध बनाने चाहिए, तालाब बनाने चाहिए और जलाशय बनाने चाहिए।

सभापति महोदय, रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र और जालौर जिले के कई हिस्सों में अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला है। बरसात होती है तब पहाड़ों के अन्दर सारा पानी बहकर लूणी नदी के माध्यम से रन आफ कच्छ में जाता है। हमारे सिरोही में माउंट आबू और रेवदर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो बरसात का पानी है, वह सारा गुजरात के अन्दर दांतीवाड़ा बांध के अन्दर बहकर जाता है। फिर भी सरकार इसके ऊपर गम्भीर नहीं है। दांतीवाड़ा बांध के अन्दर ऊपर यह लिखा है कि इस बांध के अन्दर 70 परसेंट पानी राजस्थान से आता है। इस सरकार ने और पहले जो सरकारें थीं, इन्होंने पानी के लिए इतनी चिन्ता नहीं की। इस पानी को रोककर बांध बनाना चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो बांध हैं, गांव में उस बांध की कमेटी की मीटिंग होती है। कई बार ग्रामीण यह मांग करते हैं कि बांध का पानी नहीं छोड़ा जाए। मैंने उनको पूछा, क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे हैं कि हमारा वाटर लेवल रीचार्ज होगा क्योंकि बांध में पानी कम है।

सभापति महोदय, सरकार की संवेदनशीलता का उदाहरण बताऊं। पिछली सरकार में रानीवाडा विधान सभा क्षेत्र में राजीकाबास बांध 14 करोड़ की लागत से स्वीकृत था। मेरे खुद के गांव पहाड़पुरा में एक करोड़ का बाँध स्वीकृत था। कांग्रेस की सरकार ने आते ही उन सभी को निरस्त कर दिया। यह सरकार की संवेदनशीलता का जीता जागता उदाहरण है।

15 अगस्त, 2019 को देश के प्रधान मंत्री जी ने लाल क़िले की प्राचीर से देश को जल जीवन मिशन की बहुत बड़ी सौगात दी। प्रधान मंत्री जी ने यह भी कहा कि 2024 तक प्रत्येक घर को पीने का शुद्ध जल मुहैया कराएंगे। यह सरकार की जिम्मेदारी है, केन्द्र से सहयोग कर इस काम को भी जल्दी किया जाये।

सभापति महोदय, 2020-21 में, 20 लाख 59 हजार घरों में जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन देने थे। मंत्री महोदय, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, 20 लाख 59 हजार कनेक्शन में से मात्र 6 लाख 77 हजार कनेक्शन हुए, यह एक चिन्तन का विषय है। 2020-21 में जल जीवन मिशन के तहत 30 लाख घरों में नल कनेक्शन देने थे। केन्द्र ने 5 हजार 500 करोड़ रुपये राज्य सरकार को दिये। राज्य सरकार ने मात्र 2 हजार 228

(श्री नारायण सिंह देवल)

करोड़ रुपये खर्च किये। मतलब आधा पैसा भी राज्य सरकार खर्च नहीं कर पा रही। आपसे काम होता नहीं है और बार-बार ठीकरा केन्द्र सरकार पर फोड़ते हो।

मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में मिनी आर.ओ.प्लांट लगाये। मिनी आर.ओ.प्लांट लगते ही किसी में तो सामान नहीं था, कोई चालू नहीं हुए और आज सारे मिनी आर.ओ. प्लांट बन्द हैं। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि इसमें भारी भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है। रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अलावा भी, पूरे राजस्थान में इस टाइप के मिनी आर.ओ. प्लांट लगे होंगे। मेरी मांग है कि मिनी आर.ओ. प्लांट किसने लगाये, उसकी जांच होनी चाहिये। सरकार के करोड़ों रुपये यह ठेकेदार खा गये हैं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर डी.आर. प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। यह काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। 2011 के बाद जो रेवेन्यू विलेज बने, पिछले विधान सभा के अन्दर भी मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जो रेवेन्यू विलेज छूट गये हैं, हम इस डी.आर. प्रोजेक्ट के तहत जोड़ेंगे परन्तु यह काम नहीं हुआ। मैं मांग करता हूं कि उन छूटे हुए रेवेन्यू विलेज को भी जोड़ा जाये।

सभापति महोदय, डीआर प्रोजेक्ट के अन्दर टंकियां बन गयी, परन्तु अधिकारियों की लापरवाही के कारण टंकियों में पानी भरा पड़ा है। दो-दो साल से उन टंकियों से गांव को नहीं जोड़ा गया। सभापति महोदय, मैं डी.आर. प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूं, डी.आर. प्रोजेक्ट के ठेकेदारों ने मैन सड़कें तोड़ दीं। गांव की सड़कों को तोड़ दिया। गांव की सी.सी. सड़कों को तोड़ दिया। दो-तीन साल हो गये, परन्तु इनको ठीक नहीं कर रहे हैं तो मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

सभापति महोदय, जालौर ज़िले में एक ई.आर. प्रोजेक्ट है, जिससे सांचौर, रानीवाड़ा, भीनमाल, जालौर, आहोर विधान सभा क्षेत्र के गांवों को पानी देने का प्रावधान है। पिछले बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया। मुझे कहते हुए दुःख होता है कि आज दिन तक काम नहीं चल रहा है। भीनमाल व आस-पास के लोगों ने महीने-डेढ़ महीने धरना भी दिया व अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि दिसम्बर तक भीनमाल को पानी दे देंगे, परन्तु वह भी एक छलावा साबित हुआ। मार्च चल रहा है भीनमाल के अन्दर 6-6, 7-7 दिन से,

(श्री नारायण सिंह देवल)

मात्र एक घंटा पानी आता है। ई.आर. प्रोजेक्ट का काम ठप है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि अधिकारियों को निर्देश दें उनकी मानिटरिंग करें। एक साल से यह काम ठण्डे बस्ते में क्यों गया है।

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, मैं दो मिनट में ही अपनी बात करूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में रानीवाड़ा, जसवन्तपुरा, सांचौर में सारे जे.ईएन. व ए.ईएन. की पोस्ट खाली है। पद खाली होने के कारण स्कीम बनाने वाला कोई नहीं है, मानिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। समस्या सुनने वाला कोई नहीं है।

सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में इस पी एच ई डी का यह हाल बना दिया है कि अगर कहीं पाइप लाइन फूट जाये, लीकेज हो जाये तो इनके पास एक फुट पाइप लाइन एक्स ईएन आफिस में नहीं है, ए.ईएन. आफिस में नहीं है। इनके पास जोइण्ट नहीं है, वाल्व नहीं है। जनता भारी परेशानी झेल रही है, काम नहीं हो रहे हैं।

सभापति महोदय, पीएचईडी के लाइनमैन हैं, उनकी कई सालों से भर्ती नहीं हो रही है। एक-एक लाइनमैन के पास 3-3, 4-4 ग्राम पंचायतों का चार्ज है। 2019-20 में सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की थी। मंत्री जी, आप इन अधिकारियों को निर्देश दें। रानीवाड़ा में इन लोगों ने कई जगह सोलर प्लांट नहीं लगाये हैं। मैंने अभी कट मोशन में देखा, कई विधायकों ने कट मोशन में लिखा। मंत्री जी, आप देखिये, आप संवेदनशील हैं। कई विधायकों ने कट मोशन में यह लिखा है कि हमको 10 टयूबवैल और 40 हैण्डपम्प दिये हैं, उनका काम नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले बजट के अन्दर 200 करोड़ रुपये की लागत से आपने सोलर टयूबवैल लगाने की घोषणा की थी।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): आप जवाब दें तब बतायें कि राजस्थान के अन्दर आपने कितने सोलर टयूबवैल खोदे हैं? मैं यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री गोपाल लाल मीना।

**श्री गोपाल लाल मीना** (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल योजना के बारे में आज मुझे बोलने का मौका मिला, उसके लिये धन्यवाद।

राजस्थान सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन प्रदेशवासियों के लिये वरदान है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब 36 गांव ऐसे हैं, जहां जल जीवन मिशन के कार्य हो रहे हैं पर उनमें बहुत परेशानी हो रही है। वहां वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र होने की वजह से 36 गांव आते हैं। वहां पानी तो है, लेकिन वन्य क्षेत्र में आने की वजह से कई जगह परेशानी हो रही है, वहां अवरोध पैदा हो रहा है। इसलिये मैं आदरणीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट से बात करके उन क्षेत्रों में, उस अवरोध को दूर करवायें।

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में करीबन 243 गांव हैं, उन सभी में जल जीवन मिशन के टेंडर लग चुके हैं। एक कांट्रेक्टर के पास 50-50 गांव हैं। मैंने निवेदन भी किया था कि अगर इनको छोटे, 6-6 गांवों के रूप में दिया जाएगा तो ये ठेकेदार सही काम कर पायेंगे। छोटे ठेकेदार सही काम कर पायेंगे। उन टेंडर्स को दिये आज चार महीने हो गये पर उसके बावजूद उनके ट्यूबवैल तक नहीं हो पाये। टंकियों का काम करना है। उन्होंने हमसे कहा था कि दो महीने में आपके यहां काम कर दिया जायेगा, टंकियां बनाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन एक भी टंकी किसी भी गांव में नहीं बन रही है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी हर महीने अगर मानिटरिंग होगी तो निश्चित रूप से ठेकेदार जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा काम कर पायेंगे। पूरी समय सीमा पर काम कर पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि केन्द्र सरकार से जो 50-50 परसेंट हमारे जल जीवन मिशन में पैसे दे रहे हैं उसको 90 परसेंट किया जाये। जो पहले मनमोहन सरकार ने 90 परसेंट की थी, उसी 90:10 के रेश्यो में दें। राजस्थान एक रेगिस्तानी क्षेत्र है और रेगिस्तानी क्षेत्र होने की वजह से इस क्षेत्र को विशेष दर्जा देते हुए आदरणीय प्रधान मंत्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान को 90:10 के रेश्यो में पैसे दें। मैं यह देख रहा हूं कि हमारे अभी पूरे के पूरे राजस्थान के 25 के 25 सांसद हैं और उनकी तरफ से लोक सभा में एक भी व्यक्ति ने कोई ऐसी आवाज नहीं उठाई है।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): जल जीवन मिशन कौन लाया है?

**श्री सभापति**: विराजिये।

**श्री गोपाल लाल मीना** (जमवारामगढ़): आपकी तो आदत है यह बात करने की, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, यह जरूरी नहीं है कि आप उनका जवाब दें।

**श्री गोपाल लाल मीना** (जमवारामगढ़): ठीक है।

**श्री सभापति**: अथॉरिटी है क्या उनके पास कोई?

**श्री गोपाल लाल मीना** (जमवारामगढ़): मैं यह कहना चाहूंगा कि 25 सांसद राजस्थान ने दिये। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, जमवारामगढ़ से जो माननीय सदस्य आये हैं, वे सही बात कह रहे हैं। पानी जैसे इश्यू पर चर्चा हो रही है और आप यह देखिये कि बी.जे.पी. के प्रदेश अध्यक्ष नहीं हैं, दो बार मुख्य मंत्री रहे हैं, वे भी नहीं हैं, प्रतिपक्ष के नेता नहीं हैं, प्रतिपक्ष के उप नेता भी नहीं हैं।

**श्री सभापति**: प्लीज, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): यह सारे क्या केशोरायपाटन पानी पिलाने गये हैं? नहीं, पता चलना चाहिए राजस्थान की जनता को, क्या यह केशोरायपाटन गये हैं पानी पिलाने के लिए?

**श्री सभापति**: प्लीज, विराजिये। प्लीज, सहयोग करिये। माननीय सदस्य, सहयोग करें। माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। माननीय सदस्य, आप समझने का प्रयत्न करें। क्यों उत्तेजना पैदा कर रहे हो? क्या हो गया? यह सदन है। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। साढ़े सात बजे रिप्लाई होगा, जिनके नाम रह जायेंगे वह रह जायेंगे। आप सहयोग नहीं करेंगे तो अकेला आसन अपनी व्यवस्था नहीं दे सकता। आसन आपसे यह अपेक्षा करता है कि आप ध्यान रखें और बेवजह आप इंटरवीन नहीं करें।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): बेवजह की बात नहीं है, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: प्लीज। माननीय सदस्य, प्लीज आप विराजिये। मैं अलाउ नहीं करता। अंकित नहीं होगा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 000

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, प्लीज आप सहयोग करें। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, हम आपसे एजुकेट होते हैं और आप ही इस तरह से व्यवहार करेंगे? नहीं, अलाउ नहीं करता मैं। बैठे-बैठे बोलेंगे, जो मन आये सो करेंगे? ज्यादा मन में आये तो आप बाहर जाइये, लॉबी में जाइये और वहां आप वार्ता करिये। आप सदन को चलने दें। इतने मिनट खराब कर दिये।

**श्री गोपाल लाल मीना** (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप उनको मत कहिये, आप इधर कहें आसन की तरफ। हां, आप इधर आइये।

**श्री गोपाल लाल मीना** (जमवारामगढ़): आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने ईसरदा बांध से रामगढ़ के लिए पेयजल योजना की बजट में घोषणा की है। सबसे पहले तो मैं यह धन्यवाद देना चाहता हूं कि जमवारामगढ़ जो सौ साल से जयपुर को पानी पिला रहा था उस जमवारामगढ़ बांध को ईसरदा से जोड़ने का काम किया है। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा अच्छा काम किया जिससे जयपुर शहर को सौ वर्ष तक पानी पिलाने के बाद में वहां पानी सूख गया और पानी भी वह 2004 में सूखा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी।

अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य अकाल का नाम ले रहे थे तो हमारे तो जमवारामगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी तब जाकर जमवारामगढ़ बांध बिलकुल सूखा। वह तब सूखा है जब 2004 में सरकार शायद बी.जे.पी. की थी। अब उसके बाद में ऐसा लग गया, इनकी सरकार फिर आ गयी, वर्ष 2011-12 में पानी भरा और फिर वह सूख गया 2013-14 के अन्दर। अब फिर जमवारामगढ़ बांध में पानी लाने के लिए अशोक गहलोत जी 2013 में एक स्कीम लेकर आये 1068 करोड़ रुपये की, लेकिन आप लोगों ने, बी.जे.पी. सरकार ने उस योजना को फेल कर दिया, आगे नहीं बढ़ाया। फिर ईसरदा बांध से पानी लाने के लिए मैं यह निवेदन करूंगा मुख्य मंत्रीजी से कि इसमें पेयजल तो हमारे को दे दिया लेकिन जमवारामगढ़ में पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए, दोनों के लिये पानी आये।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जमवारामगढ़ बांध पर जाकर फोटो खिंचवाने का केन्द्रीय मंत्री जी को शौक है। वे वहां जाकर घोषणा

(श्री गोपाल लाल मीना)

करके आये थे कि मैं जमवारामगढ़ बांध में पानी लाऊंगा। रामचरण बोहरा जी भी गये, राज्यवर्धन जी भी आये और हमारे चौमूं से आने वाले माननीय विधायक, ये भी शायद वहां पर होंगे। नहीं होंगे तो कोई बात नहीं लेकिन इन लोगों ने जाकर वहां पर फोटो खिंचवाने का काम किया पर संसद में जाकर और चालीस हजार करोड़ रुपये की जो पूरी परियोजना है उसके बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा। मैं यह कहना चाहूंगा कि आप फोटो खिंचवाकर केवल लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं बाकी असली में जो काम करते हैं वह हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत सारी योजनाएं देकर और जो चालीस हजार करोड़ रुपये की पूरी परियोजना है, उसमें 13 जिले आते हैं, उनमें 9600 करोड़ रुपये की बजट में पेशकश करके यह दर्शा दिया कि केन्द्र चाहे हमारे राजस्थान के लिए कितना भी बुरा सोचे लेकिन हम उस चीज से हार नहीं मानेंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज पूर्वी राजस्थान की बहु-प्रतीक्षित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, 13 जिले आने के बावजूद उस योजना में 9600 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया है और आने वाले समय में मैं यह समझता हूं कि तीसरे चरण में जमवारामगढ़ बांध को भरने का इसमें प्रावधान रखा है। इसके लिए मैं यह धन्यवाद देता हूं कि हमारे को जो पेयजल की योजना दी है जमवारामगढ़ में, उसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि इसको दौसा के साथ में प्रथम चरण में जोड़कर जमवारामगढ़ को पानी पिलाने का काम करें। मैं यह समझता हूं कि हमारे जमवारामगढ़ बांध का जो पानी है, उसका स्तर बिलकुल नीचे चला गया है क्योंकि पानी बीतने के बाद भी दस साल तक जयपुर शहर को पानी पिलाने का काम ट्यूबवैल से किया है तो वहां का नीचे का स्तर बिलकुल नीचे जा चुका है, पानी नहीं है। मैं इसलिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पेयजल की योजना है उसको दौसा के साथ ही पूरी की जाये और प्रथम चरण में ही उसको जोड़ा जाय। यह मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा, जो पी.एच.ई.डी. का आफिस है, वह भी अगर हमारे जमवारामगढ़ में खोला जायेगा तो मैं यह समझता हूं कि वहां पर मानिटरिंग सही हो पायेगी, काम सही हो पायेगा। जमवारामगढ़ क्षेत्र जिस प्रकार से पहले पानी के लिए जाना जाता था, आज पानी के लिए वहां सूखा पड़ा है और मैं यह समझता हूं कि 61 पंचायतें हमारे पूरे विधान सभा क्षेत्र में हैं। 61 में से 6-7

(श्री गोपाल लाल मीना)

पंचायतों में ही पानी है, बाकी खारा पानी है, नीचे पानी नहीं है तो दूर से भी जाकर अगर पानी लेकर आये तो बहुत समस्या है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री गोपाल लाल मीना** (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपसे मेरी रिक्वैस्ट है कि यह प्रथम चरण में जोड़ देंगे तो मैं यह समझता हूं कि जमवारामगढ़ की जनता और वहां के लोगों को पानी मिल सकेगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले चरण में आप इस पानी को लेकर आयेंगे और उसके बाद में जमवारामगढ़ में जो बांध का पानी है, उसके बारे में भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी भी योजना हमारे सैकण्ड चरण में हो ताकि जमवारामगढ़ बांध में पानी भर सके।

माननीय सदस्य यहां पर कई प्रकार के आंकड़े बता रहे थे। लास्ट में मैं आंकड़ों की बात करना चाहूंगा कि यह हमारे पेट्रोल और डीजल के आंकड़े जरूर बता दें, मनमोहन सिंह जी के टाइम के और नरेन्द्र मोदी जी के टाइम के तो आपको पता लग जायेगा। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सारे आंकड़े बताये थे तो उस समय चाहे पानी के आंकड़े देख लो, चाहे पेट्रोल-डीजल के आंकड़े देख लो, चाहे महंगाई के आंकड़े देख लो, हर क्षेत्र में आंकड़ों में अगर आप मंच पर बैठकर आंकड़े देखेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के आंकड़े सबसे अच्छे आयेंगे और आज की डेट में जो आप आंकड़े दे रहे हो, हर क्षेत्र के अन्दर आपके पच्चीस सांसद होते हुए इस राजस्थान को अनदेखा कर रहे हैं। कोई भी सांसद लोक सभा में एक आवाज नहीं उठाता क्योंकि 25 सांसद यहां से दिये हैं। यह हमारी मेहरबानी है।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री गोपाल लाल मीना** (जमवारामगढ़): आप यह कह रहे हो कि आपकी मेहरबानी नहीं है, यह हमारी राजस्थान की जनता की मेहरबानी है कि आपको 25 सांसद देकर भेजे हैं कि आप अच्छा काम करेंगे लेकिन आप पानी के लिए काम नहीं कर रहे हो। आपको सदियों तक यह जनता माफ नहीं करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री सभापति**: श्री रामलाल शर्मा।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल पर आज सदन के सभी माननीय विधायक चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश और

(श्री रामलाल शर्मा)

अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान किस तरीके से सरकार करे, उसकी चर्चा, परिचर्चा भी कर रहे हैं।

सभापति महोदय, अनाज का विकल्प है लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं है और राजस्थान की हालत तो इस प्रकार की है कि मरु प्रदेश के अन्दर पानी की एक बूंद के लिए भी लोग तरसते हैं। "जमीन जल चुकी है, आसमां बाकी है, सूखे कुएं, तेरा इम्तिहान बाकी है, समय पर बरस जाना हे मेघा, किसी का मकान गिरवी है, तो किसी का लगान बाकी है।" ये राजस्थान के हालात हैं, लेकिन सभापति महोदय, वास्तविकता के अन्दर इस पानी की समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। भूमिगत पानी, जो उपलब्ध है, उस पानी को निकालकर उसका दोहन करने से क्या पानी की समस्या का समाधान हो जायेगा या बरसात के दिनों के अन्दर पानी जो व्यर्थ बह कर जाता है, उसको रोककर उसका उपयोग हम कर सकते हैं?

सभापति महोदय, जल जीवन मिशन योजना की चर्चा सभी माननीय सदस्यों ने की है लेकिन यह योजना तभी सफल हो पायेगी जब लम्बे समय तक उसका उपयोग पानी की आपूर्ति के लिए किया जाए। चन्द दिनों, चन्द महीनों और चन्द वर्षों के लिए अगर पानी निकालकर जनता को पिला भी दिया और उसके ऊपर करोड़ों रुपये खर्च कर दिये तो मेरे ख्याल से उसके सार्थक परिणाम निकलकर नहीं आयेंगे।

सभापति महोदय, जयपुर जिले के अन्दर जो प्राकृतिक स्रोत थे, जब तक उन प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्जीवित करने का काम नहीं करेंगे तब तक मेरे ख्याल से जल की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस जयपुर जिले के अन्दर प्राकृतिक स्रोत हुआ करते थे, बुचारा बांध था, जवानपुरा का बांध था, जमवारामगढ़ का बांध था, कालख का बांध था और सांभर की झील थी, ये जयपुर जिले के प्राकृतिक स्रोत थे। इन स्रोतों के अन्दर बरसात का पानी इकट्ठा होता था और लोग इसको पीने के काम में लेते थे, पशुओं को पिलाने के काम में लेते थे और कई स्थानों पर सिंचाई के लिए भी काम में लेते थे। आज ये सारे के सारे बांध सूख गये हैं। इसलिए आज जयपुर जिले के अन्दर अधिकांश लोगों की मांग उठने लगी है और धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से लोग सरकारों का ध्यान आकर्षित करने लगे हैं कि इन प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्जीवित करने की नितान्त आवश्यकता है। लोगों का कहना है कि नांगल चौधरी, हरियाणा के बार्डर तक यमुना का पानी आया हुआ है। वहां से लेकर

(श्री रामलाल शर्मा)

55 किलोमीटर टकनैत, जो सीकर जिले में है, वहां पर अगर पानी लाकर छोड़ा जाए तो यह इन सब बांधों के अन्दर डिस्ट्रिब्यूट होकर जा सकता है इसलिए इस योजना के ऊपर भी सरकार को काम करना चाहिए और लोगों की भावनाओं के आधार पर भविष्य में इस पानी की समस्या को लेकर कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, उसको भी माकूल तरीके से ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, कानून इस विधान सभा ने भी कई पारित किये हैं और कई कानून इस बात के पारित किये हैं कि जो कोई मकान बनायेगा, उसके लिए वाटर रीचार्ज करना जरूरी है। कोई भी कामर्शियल भवन बनायेगा, उसके लिए वाटर रीचार्ज करना जरूरी है, लेकिन वास्तविकता में भौतिक सत्यापन के उपरान्त भी अगर हम देखेंगे तो एक भी व्यक्ति उस कानून की पालना करता हुआ दिखाई नहीं देगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि बरसात की एक-एक बूंद को बचाकर हम चलें। रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे यहां पहाड़ी इलाका है, पानी बह कर बाहर चला जाता है। इस जल जीवन मिशन योजना के तहत अगर आप बांध बनाने के लिए किसी ग्राम पंचायत में दो करोड़ रुपये खर्च कर रहे हो, तीन ट्यूबवैल लगाने हेतु पाइप लाइन के लिए, एस.आर. बनाने के लिए यदि उस ग्राम पंचायत के अन्दर प्राकृतिक रूप से, जो जहां इस तरीके का पहाड़ी इलाका है, वहां पर इस योजना के तहत बांध बनाने का काम अगर करें और पानी को रोकने का काम करें तो मेरे ख्याल से वह लम्बे समय तक उससे पानी का उपयोग जनता कर सकती है।

सभापति महोदय, उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग का एक बांध मेरी महार कलां ग्राम पंचायत के अन्दर बना था। आज भी उस गांव के अन्दर उस एक एनिकट बनने की वजह से वहां के जितने भी ट्यूबवैल थे, वे सिर्फ एक या डेढ़ महीने बन्द होते हैं, बरसात आती है, वाटर रीचार्ज होता है, वापस ट्यूबवैल सालभर के लिए शुरू होते हैं। इसी तरीके से सामोद के अन्दर 32 लाख रुपये की राशि मैंने विधायक कोटे से दी है। सिर्फ इसलिए कि बरसात का पानी हम कैसे रोकें, कैसे वाटर रीचार्ज करके जनता को पिलाने का काम करें। मंत्री महोदय, मेरे ख्याल से आप इस ओर ध्यान देंगे कि विधान सभा क्षेत्र की जिस ग्राम पंचायत की जो भौगोलिक स्थिति है, उसके आधार पर योजना बने ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले सके।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिले के अन्दर बांडी नदी और मेंडा नदी, ये दो नदियां बहती थीं। दोनों प्राकृतिक नदियां थीं। दोनों नदियां सूख चुकी हैं, अतिक्रमण हो चुके हैं। जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य भी चिन्ता इस बात की जाहिर कर रहे थे कि पहले जमवारामगढ़ बांध का पानी जयपुरवासियों के लिए भी मिलता था और आज खुद जमवारामगढ़ के लोग भी पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं तो जब तक प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्जीवित करने की योजना सरकार नहीं बनायेगी तब तक मेरे ख्याल से उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पायेगा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन के तहत बहुत से अधिकारी आपके ऐसे हैं, जिन अधिकारियों ने भौगोलिक क्षेत्र के मौके पर जाने की बजाय एक सर्वेयर को हायर किया, कमरे के अन्दर बैठे, नेट से उस ग्राम पंचायत और विलेज का नाम निकाला और योजना को कमरे में बैठकर बना दिया। किशनमानपुरा मेरी ग्राम पंचायत है, उसके अन्दर पानी को सूखे हुए कम से कम पांच साल हो गये, एक बूंद पानी नहीं है। किशनमानपुरा के लोगों को पानी पिलाने के लिए भी गुडल्या के गांव से ट्यूबवैल करके फिर पानी पिलाया जा रहा है। आपके अधिकारियों ने उसी गांव के अन्दर सोर्स डवलप करने का काम किया। वहां एक बूंद पानी नहीं निकलेगा। परिवर्तित आप तब कर सकते हो, तब आप पहले सोर्स करोगे। वह ड्राई होगा, उस ड्राई की रिपोर्ट जायेगी, उसके बाद ही आप परिवर्तित कर सकते हो। लम्बा समय बीत जाने के बाद भी लोगों को सुविधा नहीं मिल पायेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन-जिन ग्राम पंचायतों के अन्दर इस तरीके से अधिकारियों की लापरवाही की वजह से तकमीना बना है, उनको आप परिवर्तित अभी करवा लें, नहीं तो समय बहुत अधिक लग जायेगा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमारे 70 से अधिक टेंडर लगाये गये, 28 फरवरी उसकी तारीख थी लेकिन 28 फरवरी का टेंडर निरस्त कर दिया गया। अब टेंडर कब लगेगा, कितने दिनों में वह खुलेगा, धरातल पर काम कब शुरू होंगे, वह भविष्य के गर्भ में है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन टेंडरों को आप इंडिपेंडेंट रूप से अगर पंचायतों के हिसाब से लगाओगे तो काम जल्दी होगा और लोगों को उससे सुविधा भी जल्दी मिल जायेगी।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, एक और निवेदन करना चाहूंगा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 हजार रुपये टायलेट बनाने के लिए दिये। किसी ने 12 हजार में टायलेट बना लिया, किसी ने 20 हजार में बनाया, किसी ने 25 हजार में बनाया लेकिन प्रत्येक घर के अन्दर टायलेट बनने का काम हुआ। सभापति महोदय, योजना ऐसी बने, चाहे आप उसको नरेगा से जॉइंट करो, चाहे जल जीवन मिशन से कनेक्ट करो, प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर, शहरों में तो पाइंट बनाने की जगह है या नहीं है, प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में सरकार दो लाख रुपये की राशि दे और दो लाख रुपये से पानी का टांका बनाये या पोंड बनाये, बरसात के पानी को इकट्ठा करने का काम करे। कम से कम प्रत्येक परिवार पीने के लिए और पशुओं को पिलाने के लिए अगर उसका उपयोग करने लगे तो मेरे ख्याल से काफी लम्बे समय तक जनता को इसका लाभ मिल सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि प्रत्येक परिवार, किसान परिवार को दो लाख रुपये की राशि टांका और पोंड बनाने के लिए दे और बरसात का पानी वह इकट्ठा करे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर 95 क्या, 98 परसेंट पक्के मकान बन चुके हैं? वह बरसात का पानी सारा का सारा बह कर चला जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि चौमूं नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर पानी की गम्भीर समस्या बनी हुई है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय गोविन्दगढ़ के अन्दर जब गये थे, 2018 की चुनावी सभा को सम्बोधित करने के लिए गये थे, उस समय भी उन्होंने घोषणा की थी कि चौमूं नगरपालिका क्षेत्र को हम बीसलपुर की योजना से जोड़ने का काम करेंगे लेकिन तीन साल से अधिक समय बीत चुका है। हरमाड़ा तक बीसलपुर का पानी पहुंचा हुआ है। हरमाड़ा से लेकर चौमूं की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। एस.आर. हमें नहीं चाहिए, पाइप लाइन हमें नहीं चाहिए, सी.डब्ल्यू.आर. हमें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें तो 15 किलोमीटर की पाइप लाइन और पानी उपलब्ध करवा दोगे तो हमारे नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर नौ एस.आर. पहले से बनी हुई हैं, इन तमाम टंकियों के अन्दर पानी अगर पहुंच गया तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करके पानी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय, आपसे मांग है कि 15 किलोमीटर की पाइप लाइन और पानी अगर सैकण्ड फेज की बीसलपुर की योजना बन रही है तो उसकी डिमाण्ड में आप शामिल कर लें और चाहे इसको कैसे भी करके, क्योंकि आने वाले समय में 70 हजार से अधिक आबादी हो चुकी है।

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): इस आबादी को पानी पिलाने के लिए नितान्त आवश्यक है कि लोगों के घरों तक पानी सिर्फ इसी योजना से तत्काल पहुंच सकता है, नहीं तो पानी की एक गम्भीर समस्या हमारे सामने खड़ी हो जायेगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मेरी पांच पंचायतें ऐसी हैं, जिनके अन्दर फ्लोराइड की मात्रा काफी अधिक हो चुकी है। नांगल गोविन्द, किशनमानपुरा, हस्तेड़ा, भूतेड़ा और आस्टी, इन पंचायतों में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो चुकी है। मेरा निवेदन है कि फुलेरा विधान सभा क्षेत्र पूरा का पूरा बीसलपुर योजना से जुड़ चुका है, ये एडजॉइनिंग विधान सभा क्षेत्र से जुड़ी हुई ग्राम पंचायतें हैं। इन पांच ग्राम पंचायतों को अगर आप बीसलपुर योजना से जोड़ने का काम करेंगे तो उन लोगों को राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा। हमारे सामोद के अन्दर एक राजोला का बांध था। राजोला का प्राकृतिक बांध बना हुआ था, 1995 के अन्दर बरसात अधिक होने की वजह से वह टूट चुका है। उस बांध को अगर पुनजीर्वित करेंगे तो कम से कम आठ से दस ग्राम पंचायतों के अन्दर पानी रीचार्ज के माध्यम से पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए जल जीवन मिशन योजना के तहत या सिंचाई विभाग योजना के तहत या प्रधानमंत्री भू-गर्भ योजना के तहत, किसी भी योजना के तहत इस राजोला बांध को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे तो भी पानी की समस्या का समाधान होगा।

सभापति महोदय, प्राकृतिक रूप से सामोद, महार, धवली, महार खुर्द, नांगल भरड़ा है, इन ग्राम पंचायतों के अन्दर पहाडी इलाका है। इन ग्राम पंचायतों में यदि छोटे-छोटे एनिकट बन जाएं और पानी को रोकने का काम करें तो उससे भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिलेगा।

एक अन्तिम निवेदन करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभापति महोदय, आने वाले समय में जब तक हम पानी को कीमत मान कर, क्योंकि अनाज का विकल्प है, जब गेहूं खाने को नहीं मिल रहा था तब बाजरा था, मक्का थी, चावल थे लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं है। विज्ञान ने इतनी प्रगति भी नहीं की है कि एक कैप्सूल तैयार किया, एक सुबह ले लो और एक शाम को ले लो, पानी की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभापति

(श्री रामलाल शर्मा)

महोदय, मुझे लगता है कि पानी की समस्या हर व्यक्ति की गम्भीर समस्या है और इस गम्भीर समस्या के समाधान के लिए जब तक धरातल पर वास्तविकता के आधार पर हम काम नहीं करेंगे तब तक इसके सकारात्मक परिणाम निकलकर नहीं आयेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कि मेरे द्वारा दिये गये सुझावों को सरकार गम्भीरता से ले और आने वाले समय में पेयजल समस्या के समाधान के लिये कदम उठाने का काम करे। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री लक्ष्मण मीणा।

**श्री लक्ष्मण मीणा** (बस्सी): धन्यवाद सभापति जी। मांग संख्या 27-पेयजल योजना पर मुझे अपनी बात रखनी है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र तक ही सीमित रहूंगा और जो भी समस्याएं हैं उन पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पिछले कार्यकाल में 2011-12 में बीसलपुर पेयजल परियोजना बस्सी के लिये सैंक्शन की थी। वह योजना 2017 में कमप्लीट हो गयी है और 237 गांवों में हरेक गांव में बीसलपुर का पानी पहुंच गया है और वहां की ग्रामीण जनता तथा पशुधन को पर्याप्त पानी मिल रहा है। वह योजना अच्छी तरीके से काम कर रही है और इसके बाद में थोड़ी समस्या बस्सी कस्बे के अन्दर थी।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**डा. महेश जोशी** (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 8.00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाए।

**श्री सभापति**: क्या सदन का समय 8.00 बजे तक बढ़ाया जाए?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय 8.00 बजे तक बढ़ाया गया।

## अनुदान की मांग

### मांग संख्या 27 पर विचार

**श्री लक्ष्मण मीणा** (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी तरफ से तथा बस्सी की जनता की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद

(श्री लक्ष्मण मीणा)

करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी योजना दी थी, जिसके कारण आज की तारीख में वहां पर पेयजल की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।

इसके अलावा, मैं अब आता हूं जेजे.एम. पर, जल जीवन मिशन योजना पर। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले बस्सी विधान सभा क्षेत्र में एक मेरे यहां माधोगढ़ कस्बा है, माधोगढ़ के अन्दर एक योजना इन्होंने स्वीकृत की थी 50 लाख रुपये की, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, उस योजना की जिस तरीके से क्रियान्विति की गयी, जिस तरीके का उस योजना में पाइप यूज किया गया, जिस तरीके से उस योजना में पानी का कोई अलग से सोर्स के बारे में प्रावधान नहीं रखा गया, इसकी शिकायत विलेज वाटर हैल्थ एण्ड सेनिटेशन कमेटी के द्वारा हाईएस्ट लेवल पर किये जाने के बाद भी वह योजना एक साल से बन्द है और वह योजना आगे नहीं बढ़ रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि माधोगढ़ की जो जे.जे.एम. योजना है, वह बन्द पड़ी है, उसको जल्दी से जल्दी प्रारम्भ किया जाए ताकि वहां की जनता को विश्वास हो कि यह योजना सफल होगी और उनको उससे पानी मिल सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के 237 गांवों में से 111 गांवों में जे.जे.एम. के तहत योजनाएं स्वीकृत हो गयी हैं। उनमें से कुछ में काम चालू हो गया और कुछ में काम चालू होने वाला है लेकिन, जिस तरीके से इन्होंने योजना प्रारम्भ की है, उसका मैं एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा। हमारे यहां कानोता, बांसखो, तूंगा और बस्सी में इन्होंने टेण्डर इनवाइट किये। टेण्डर इनवाइट करने में एक-डेढ़ साल का समय लगा दिया और डेढ़ साल के समय के बाद भी पता नहीं इन इंजीनियरों को किधर से बुद्धि आयी, कौनसा इनको निर्देश मिला और उन टेण्डर्स को कैंसिल कर दिया है। दुबारा अभी पता नहीं कब तक टेण्डर लगेंगे, कब खुलेंगे, कब इस योजना की क्रियान्विति होगी।

**(समय: 16.54 बजे)**

**(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)**

माननीय सभापति महोदय, जहां-जहां भी इस जे.जे.एम. का काम चल रहा है, यह लाइनें डाल रहे हैं, टंकियां बन रही हैं, यह सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि पानी का सोर्स क्या होगा। मैं विधान सभा क्षेत्र

(श्री लक्ष्मण मीणा)

बस्सी की बात करूंगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि बीसलपुर के अलावा वहां पर पानी का कोई अन्य स्रोत नहीं है। मैं यही निवेदन करता हूं कि आपने 55 एल.पी.सी.डी. का जो क्राइटेरिया रखा हुआ है, उसको कम करें और अभी जो हमें 35 एल.पी.सी.डी. के हिसाब से पानी मिल रहा है, उसी हिसाब से हमारी सारी योजनाएं स्वीकृत कर दें तभी वे सारी योजनाएं सफल होंगी। अगर आप 55 एल.पी.सी.डी. की ही बात करते रहेंगे तो यह आपकी जे.जे.एम. की योजना बुरी तरह फेल हो जाएगी। नल लग जाएंगे पर पानी नहीं आएगा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस योजना को आप विलेज वाटर हैल्थ एण्ड सेनिटेशन कमेटी के द्वारा चलाना चाहते हैं तो यह योजना किसी भी हालत में नहीं चलेगी और यह योजना फेल हो जाएगी। इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि जिस एजेन्सी से आप, जो कार्यकारी एजेन्सी है, आपके जो ठेकेदार हैं, उनको 10 साल का कांट्रेक्ट दीजिए, वे 10 साल तक इस योजना को चलाएं, उसका मेन्टीनेंस करें और उसके बाद में जब यह सफल हो जाए तो हैण्डओवर करके जाएं तभी यह योजना चल पाएगी, अन्यथा सरपंचों के भरोसे यह किसी भी तरीके से सफल नहीं हो पाएगी।

माननीय सभापति महोदय, जे.जे.एम. योजना में आप सैंक्शन करें, आप उसको चलाएं, लेकिन उसमें तीन-चार चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को सुझाव देना चाहता हूं कि पहले तो यह कि आप जितने भी यह सोर्सेज गांवों में हैं, जैसे कि माननीय सदस्यों ने पहले भी बताया है, आपके तालाब हैं, एनिकट्स हैं, बड़े-बड़े बांध हैं, पहले सिंचाई विभाग के द्वारा इनका मेंटिनेंस होता था। वह देखभाल करते थे, लेकिन कुछ समय पहले इन सबको ग्राम पंचायतों को हैण्डओवर कर दिया गया है। पंचायतों के पास इतने संसाधन नहीं होते, बजट नहीं होता है जिससे वे इनका रख-रखाव कर सकें, मेंटिनेंस हो सके। इसलिए, मेरा निवेदन है कि जितने भी इस तरीके के बांध हैं, हरेक विधान सभा क्षेत्र में इस तरीके के पांच-सात डैम मिलेंगे।

**श्री सभापति**: प्लीज कन्क्लूड।

**श्री लक्ष्मण मीणा** (बस्सी): वापस इनको सिंचाई विभाग को दे दिया जाए। दो मिनट लूंगा, सभापति महोदय। इसके अलावा, मैं बस्सी की बात कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, वहां पर दो एजेन्सी काम कर रही हैं। एक रेगुलर पी.एच.ई.डी. डिविजन है, उसके पास केवल 19 गांव हैं, बाकी 119

(श्री लक्ष्मण मीणा)

गांवों के लिये आपके बीसलपुर प्रोजेक्ट वाले काम कर रहे हैं। दोनों ही एजेन्सियों में समन्वय नहीं है तो इस समन्वय को ठीक करने के लिए एक खण्ड, वहीं इसको मर्ज करके उसी में परिवर्तित कर दिया जाए, ताकि वह बस्सी में अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे।

इसके अलावा मेरी यह भी मांग है, और भी कई माननीय सदस्यों की मांग है कि जितने भी आपके सिंगल फेज सैंक्शन कर रखे हैं, जनता जल योजनाएं हैं, उनमें सरपंचों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह उनके बिलों का भुगतान कर सके। थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य का कहना है कि हमारे चार करोड़ रुपये बकाया है तो ऐसी स्थिति में सरकार ने बहुत पैसे खर्च कर रखे हैं। तीन-तीन लाख रुपये का एक ट्यूबवैल बनता है और बिजली के बिल के अगर 40 हजार रुपये हैं तो उनके कनेक्शन ही काट दिये गये। या तो इनका एक साथ, जैसे कि किसानों के ऋण माफ किये थे, इसी तरीके से पानी के बिलों को भी माफ कर दिया जाए या वन टाइम सेटलमेंट किया जाए ताकि उनका उपयोग हो सके और लोगों को पानी मिल सके। इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, मेरे को एक बात और कहनी थी।

**श्री सभापति**: प्लीज कन्क्लूड करिए अब। समाप्त करिए।

**श्री लक्ष्मण मीणा** (बस्सी): एक मिनट।

**श्री सभापति**: चलिए बोलिए।

**श्री लक्ष्मण मीणा** (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, इनके जितने भी पाइप लगाये जा रहे हैं, जितने भी सिविल का वर्क हो रहा है, वह बहुत ही घटिया तरीके का है, घटिया क्वालिटी का है। इन पर ध्यान दिया जाए, इनका सुपरविजन ठीक किया जाए। इन पर नियंत्रण रखा जाए, नहीं तो एक साल के अन्दर ही वह पाइप फट जाएंगे और आपको इतनी परेशानी होगी कि यह पूरी तरह से योजना फेल हो जाएगी। इसको करने के लिए क्लोज सुपरविजन हो। जितने भी दोषी इंजीनियर और अधिकारी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो और एक नजीर पेश की जाए कि गलत काम होगा तो इसका इन्तजाम यह होगा। माननीय सभापति महोदय, जांच भी ऐसे अधिकारियों को दी जाती है, जिनके खिलाफ पहले से जांच चल रही है। अगर उन्हीं को जांच देंगे तो वह सही जांच नहीं करेंगे और जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री जगसी राम जी।

**श्री जगसी राम** (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल योजना पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका आभार और धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, पेयजल एक महत्वपूर्ण चीज है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने पानी के बारे में काफी चिन्ता की और इस मौके पर पानी को बचाने के लिये सरकार कोई नई नीति, जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि चेकडैम, एनिकट या बांधों को रोककर पानी रोका जाए तो ही पानी गांवों और शहरों के अन्दर पर्याप्त रूप से मिल पाएगा।

**(समय: 17.00 बजे)**

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र के आबू रोड, रेवदर की बात करूं तो आबू रोड बहुत बड़ा कस्बा है। पिछले 2 वर्षों से बरसात नहीं होने की वजह से 3-4 दिन के अन्तराल से आबू रोड शहर में सप्लाई दी जा रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि आबू रोड शहर में वर्तमान सप्लाई कुई सांगना और बीजासणी से ओपन कुओं और ट्यूबवैल्स के माध्यम से की जा रही है। उनका जल स्तर बहुत नीचे चला गया है।

सभापति महोदय, आबू रोड शहर के लिये भैसासिंह बांध परियोजना वर्षों पुरानी योजना है। आज तक वहां के अधिकारियों के द्वारा ध्यान नहीं देने से शहर को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा कि जो भैसासिंह परियोजना करोड़ों रुपयों की परियोजना है, यह आबू रोड शहर और ग्रामीणों को पानी पिलाने के लिये बनायी गयी थी, लेकिन आज तक वह सुचारु रूप से चालू नहीं होने की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आबू रोड में वर्तमान में पानी की पाइप लाइन बिछायी जा रही है। उसके लिये नालियों को खोद रखा है। उनके समय पर ठीक नहीं होने की वजह से शहर की व्यवस्था सही ढंग से नहीं संभल पा रही है। लीकेज निकालने के लिये खोदते हैं तो 3-3, 4-4 दिन तक खोदी हुई पाइप लाइन पड़ी रहती है। मैं सरकार के, मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि वहां के अधिकारियों को पाबन्द करें ताकि समय पर उनकी निगरानी के माध्यम से ध्यान दिया जाये।

(श्री जगसी राम)

सभापति महोदय, आबू रोड ग्रामीण की अगर बात करें तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, वहां पर पानी दूर-दूर से लाना पड़ता है। वहां पर हैंडपम्पों की व्यवस्था नहीं है। पेयजल की जो बड़ी स्कीम है, टी.एस.पी. एरिया में पाइप लाइन जो डाली जाती है वह आधा फीट के अंदर डाली जाती है। मापदंड के विपरीत कार्य किया जाता है, उसकी भी जानकारी लेने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मावल, ओर, खडात, मूंगथला, बहादुरपुरा, तलेटी, मिन तलेटी ग्राम पंचायतों में पर्याप्त पानी होने के बावजूद भी वहां के कर्मचारी जो वहां की व्यवस्था देख रहे हैं, वे बिजली का बहाना बताकर सही समय पर पेयजल का वितरण नहीं कर रहे हैं। जिसके कारण वहां की जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

रेवदर उपखण्ड मुख्यालय है। वहां पर पिछले 2 वर्षों से वर्षा नहीं होने की वजह से पानी पर्याप्त नहीं मिल रहा है। जल स्तर नीचे चला गया है। कंटींजेंसी प्लान में इसे आज तक नहीं जोड़ा है। वहां जो जिले के और उप खण्ड स्तर के अधिकारी हैं, उनको आप पाबन्द करें ताकि पेयजल का समाधान हो सके।

सभापति महोदय, पेयजल की जो स्कीमें पिछले लम्बे समय से बंद पड़ी हैं, वहां पर अभी काम चालू नहीं हुआ है। यदि समय रहते हुए उनको चालू किया जाता है तो मैं समझता हूं कि उसका जनता को फायदा मिलेगा। हैंडपम्पों का जल स्तर नीचे चला गया है। सारे हैंडपम्प खराब पड़े हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्राम पंचायत भटाणा, जिसके अंदर 4-5 गांव कम्बोइया, सिमराखेड़ा, पावटी आते हैं, ये छोटे-छोटे गांव हैं, वहां पर पानी का कोई सोर्स नहीं है। उन गांवों में आज की तारीख में जो 1-2 कुएं चलते हैं, वहां से पीने के लिये पानी लाना पड़ता है। वहां पर उनको मजबूरन इधर-उधर जाना पड़ता है। सरकार उन ग्रामीण क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान देकर पेयजल की व्यवस्था करे।

पंचायत समिति रेवदर का मण्डार बड़ा कस्बा है। वहां जल जीवन मिशन के तहत टेंडर हुए, वे वापस निरस्त हुए। उसके बाद वापस टेंडर हुए और निरस्त हुए। उसके बाद आज तक उसका काम चालू नहीं हुआ। मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा कि पानी के लिये जो जल जीवन मिशन

(श्री जगसी राम)

योजना लागू हुई है, उसको समय पर चालू करायें ताकि मण्डार शहर के लिये भी समय पर पानी की व्यवस्था हो सके।

इसी तरह से गर्मियों में ग्राम पंचायतों में आप टैंकरों के माध्यम से पेयजल चालू करेंगे। पिछले समय में ऐसा हुआ था कि टैंकरों के चालू होने के बाद में उनको समय पर पैसा नहीं मिला। उसकी वजह से वहां जो टैंकर लगाने वाले हैं वे आनाकानी करते हैं। जून, जुलाई में कागजों के अन्दर खानापूर्ति करके पैसा उठाने का प्रयास करते हैं इसलिए इसको पूरी निगरानी से देखा जाये ताकि सही जानकारी मिल सके।

सभापति महोदय, पंचायत समिति रेवदर की ग्राम पंचायत दांतराई, अमरापुरा, दतानी, पामेरा, दांण, भैरुंगढ़, पोसितरा, गुंडवाड़ा, बांट जैतावाड़ा, सोरड़ा, जोलपुर, नागानी, अनादरा, मारोल और लूणोल तथा अन्य ग्राम पंचायतों में पानी की स्थिति बहुत खराब है। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिये मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी चिन्ता जाहिर की है। मैं भी इसमें कहना चाहूंगा कि आप इस पर विशेष रूप से ध्यान दें।

**श्री सभापति**: कन्क्लूड करिये, प्लीज।

**श्री जगसी राम** (रेवदर): रेवदर विधान सभा क्षेत्र में स्टाफ की कमी है। मेरे से पूर्व सभी सदस्यों ने यह बात कही है। मैं भी कहना चाहूंगा कि जैसे मण्डार है, सिरोड़ी है, अनादरा है, वहां पर एक भी हैल्पर, पम्प चालक नहीं है, उनको भी वहां पर लगायें। जब पाइप लाइनें डैमेज होती हैं तो 10-10 दिन तक उनको ठीक नहीं किया जाता है। स्टाफ की कमी का बहाना बना देते हैं।

सभापति महोदय, कार्य प्रारम्भ करने के बाद में, जल जीवन मिशन के तहत जो काम चालू होते हैं, टेंडर जब होते हैं तो ठेकेदार अलग-अलग जगह खोदकर पटक देते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक कार्य प्रारम्भ करने के बाद में जब तक वह काम पूरा नहीं हो, तब तक अगला काम चालू नहीं करें ताकि शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लोग परेशान नहीं हों। उसमें कई प्रकार की परेशानी होती है, उससे कई दुर्घटनाएं होती हैं। मवेशी, गाय, भैंस भी उसमें गिर जाती हैं इसलिए जो काम चालू करें उसको समय पर बन्द करने की भी आवश्यकता है।

**श्री सभापति**: समाप्त करिये, प्लीज।

**श्री जगसी राम** (रेवदर): सभापति महोदय, जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में ढाणियों को भी पाइप लाइन से जोड़ें।

**श्री सभापति**: समाप्त करें। समाप्त करें।

**श्री जगसी राम** (रेवदर): मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तो काम चालू होंगे लेकिन एक पंचायत में जो 5-7 गांव होते हैं, उनमें जो 15, 20 घर अलग से होते हैं, उनको भी उससे जोड़ा जाये ताकि इसी योजना में उनको भी फायदा मिल सके।

सभापति महोदय, मैं, मेरी बात को ज्यादा नहीं कहते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी स्कूलों में भी कई बार पेयजल की व्यवस्था नहीं होती। ब्लाक लेवल के अधिकारी बी ई ओ और डी ई ओ को भी इसकी जानकारी देते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि हमारे पास पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जब पेयजल पर चर्चा हो रही है तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि स्कूलों, आंगनबाड़ी और मां-बाड़ी केन्द्रों में भी पेयजल की व्यवस्था की जाये। वे भी अपने क्षेत्र के ही हैं और वहां पर निवास करते हैं तो वहां भी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

**श्री सभापति**: समाप्त करिये।

**श्री जगसी राम** (रेवदर): सभापति महोदय, मैं सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि जून, जुलाई में गर्मी बहुत होती है। कई लोग प्याऊ बांधकर पशुओं और पक्षियों के लिये पानी की व्यवस्था करते हैं।

**श्री सभापति**: दिव्या जी मदेरणा। धन्यवाद।

**श्री जगसी राम** (रेवदर): सरकार को भी इसके लिये चिन्ता करनी चाहिए। मवेशी तथा जो जंगलों के अंदर जानवर और पक्षी रहते हैं उनके लिये भी पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को उनकी भी चिन्ता करनी चाहिए।

**श्री सभापति**: समाप्त करिये।

**श्री जगसी राम** (रेवदर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जल है तो जीवन है। जब तक हम पानी को छोटे-छोटे बांध, एनिकट बनाकर नहीं रोकेंगे, पूर्ववर्ती सरकार, भारतीय जनता पार्टी के समय में चेक डैम के माध्यम से, एनिकट के माध्यम से पानी रोका जाता था।

**श्री सभापति**: दिव्या जी मदेरणा। धन्यवाद।

**श्री जगसी राम** (रेवदर): उसके बाद में अपना खेत, अपना पानी एक

(श्री जगसी राम)

योजना लागू की थी। ऐसी योजना चालू करेंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में फायदा मिलेगा।

**श्री सभापति**: दिव्या मदेरणा जी, चालू करिये।

**श्री जगसी राम** (रेवदर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये धन्यवाद।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): आज इंटरनेशनल वूमन्स डे पर मैं सबको बधाई देते हुए पेयजल की चर्चा में हिस्सा ले रही हूं।

8 मार्च, आज के दिन यूनाइटेड नेशंस ने एक थीम रखी है और उसके तहत एक मार्च निकाल रहे हैं। वह थीम है: 'Changing climate, equality today for a sustainable tomorrow' पेयजल में भी बहुत जरूरी है क्योंकि यह सीधा महिलाओं को प्रभावित करता है। जितने भी डोमेस्टिक वर्क हैं क्लीनिंग, वाशिंग, कुकिंग और आज फार्म्स पर भी बहुत ज्यादा महिला लेबर्स हैं। उस दृष्टि से देखते हुए मैं इसको लिंक करना चाहती हूं I would further like to link the struggle of women rights, gender equality to the goal of ecological sustainability. An ecological sustainability is essential for providing secure drinking water. हमारा जो काम पीएचईडी में हो रहा है युद्ध स्तर पर, वो जेजेएम, जल जीवन मिशन के तहत हो रहा है। घर-घर नल का जल पहुंचाना है 2024 तक। माननीय सभापति महोदय, मैं डेजर्ट जोन से आती हूं, मरुस्थलीय क्षेत्र है और हर घर नल पहुंचाने के लिए हमें डेजर्ट ईको सिस्टम को रिवाइव करना पड़ेगा, विशेष फोकस देना पड़ेगा और जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं उनकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन डेजर्ट ईको सिस्टम को मध्य में रखकर करना होगा। क्योंकि घर-घर नल तो हम पहुंचा देंगे, लेकिन पानी की सिक्युरिटी हम कैसे देंगे? पाइप लाइन तो हम बिछा देंगे, लेकिन पाइप लाइन बिछा देने से पानी नहीं पहुंचेगा। नल से पानी नहीं आयेगा यदि हम उसकी सही प्लानिंग नहीं करेंगे। वो पानी भी हमें गुणवत्ता वाला पानी भेजना है, तो बात सोर्सेज की आ जाती है कि सोर्सेज हमारे क्या हैं। लिमिटेड सोर्सेज हैं, ग्राउण्ड वाटर आप देख रहे हैं कि बुरी तरह से डिफीट हो रहा है। जहां से मैं आती हूं वहां से मोस्टली ब्लाक्स एक्सप्लायट हो चुके हैं और जहां पर पानी है भी वहां पर टी.डी.एस., फ्लोराइड, नाइट्रेट ज्यादा मात्रा में है। सरकार ने आर.ओ. प्लांट्स लगाये। क्या प्रोग्रेस है उन आर.ओ. प्लांट्स की? इसका उत्तर आप मुझे दीजिये, कुछ नहीं हो रहा है वहां पर।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

माननीय सभापति महोदय, दूसरा सोर्स है surface water, which is a better source लेकिन ज्यादातर वेस्ट हो रहा है। हमें ऐसे सोर्सेज तलाशने पड़ेंगे जिनसे हम सिक्योर कर पायें। वाटर आज है, कल नहीं है, कभी दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे हैं, कभी ट्रेन से दे रहे हैं, कभी टैंक से दे रहे हैं। यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसे सोर्स मेंटेन करने पड़ेंगे, डवलप करने पड़ेंगे। हमारे यहां जो पानी आ रहा है वह इन्दिरा गांधी कैनाल से आ रहा है। सरफेस वाटर दे रहे हैं इन्दिरा गांधी कैनाल का, वह भी आप देखेंगे कि तिंवरी, ओसियां जैसे कस्बों में, वहां पर रोज इस बात की लड़ाइयां होती हैं, कंटामिनेटेड वाटर आता है, उसका रंग ही अलग होता है, सिर्फ ब्लीचिंग करने से नहीं होगा। हमें शुद्ध पानी, गुणवत्ता भरा पानी देना है तो इसके लिए विशेष रूप से और ज्यादा गम्भीर होना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी 60 डेज का क्लोजर आ रहा है। हमने कोई सप्लीमेंट्री सोर्स का कभी सोचा ही नहीं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हम सप्लीमेंट्री सोर्स को डवलप करें। उदाहरण के लिए गुजरात के अन्दर नर्मदा का सरप्लस पानी नाड़ी, तालाब में भर दिया जाता है, बूस्टर लगाये हुए हैं, स्टोरेज टैंक्स बनाये हुए हैं हमें भी उस रूप से देखना होगा।

माननीय सभापति महोदय, मेन प्रोब्लम क्या है? सरकार इंजीनियर्स पर डिपेंडेंट हो गयी है। जो इंजीनियर्स देते हैं, कहते हैं, बस वही करते हैं, हर जगह इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस नहीं चलते हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। आपको ट्रेडिशनल सोर्सेज को टैप करना पड़ेगा। तालाब, नाड़ी, कुआं, तालाब के आपके दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, इम्पाउंडिंग स्ट्रक्चर्स, जहां पानी ऊपर ही रहता है। वहां पर क्या हो रहा है, पीएचईडी वहां पर कोई ध्यान दे रहा है? डिसिल्टिंग कर दी, पेन्दे तोड़ दिये, what is happening to those structures? पीएचईडी उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा कि हम इनको मेंटेन करें कि नहीं करें और उन इम्पाउंडिंग स्ट्रक्चर्स को कन्वर्ट करके रिचार्ज स्ट्रक्चर बना रहे हैं। रिचार्ज स्ट्रक्चर वो है जिसमें पानी नीचे जाता है और रिचार्ज होता है। गांव में यह पता होता है कि हम कौनसे तालाब को भरेंगे तो हमारा यह कुआं भरेगा। हमें इन ट्रेडिशनल सोर्सेज को टैप करना पड़ेगा, भौगोलिक दृष्टि से देखकर करना पड़ेगा अगर हम सही मायनों में घर-घर नल में पानी पहुंचाना चाहते हैं। जियो फिजिकल सर्वे करवाइये आप, देखिये कैसा स्ट्रेटा है, किस तरह की सॉयल आ रही है, लाइम स्टोन आ रहा है, क्या आ रहा है वहां पर,

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

नीचे स्ट्रक्चर कैसा है और फिर विभाग डिसाइड करे कि how to manage these structures. डेजर्ट ईको सिस्टम को मेंटेन करना इसलिए भी अनिवार्य हो जाता है कि जेजेएम जो आप ला रहे हैं उसमें पशुओं के लिए कुछ नहीं है। एक लाइवस्टाक पालिसी आनी चाहिए क्योंकि रेगिस्तान तो डिपेंडेंट है इस पर। It is the need of the hour to save and develop desert ecosystem. पापुलेशन बढ़ रही है, माइनिंग बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर बाड़मेर, यहां तो बड़े-बड़े सोलर प्लांट्स लग रहे हैं, they are competing with water. कितना पानी इसके अन्दर यूज होता है, हम एनर्जी को तो बढ़ा रहे हैं, but we are not even charging for water. और एक और चीज हमारे यहां पर हो रही है। ग्रेजिंग एरिया, चरागाह, कामन लैंड्स, गोचर भूमि, वाटर बाडीज के कैचमेंट एरियाज, इन सबकी इन्होंने तारबन्दी करके इन सबको ब्लाक कर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, जरूरत है कि हम आउट आफ द बाक्स सोचें। खानापूर्ति नहीं करें कि ठीक है, एक एस.आर. बना दी, एक पाइप लाइन लगा दी और हमने कर दिया। इतने हजार करोड़ रुपये की स्कीम का हमने सैंक्शन कर दिया और हमने पानी पहुंचा दिया। हमें आउट आफ द बाक्स सोचना पड़ेगा पानी के लिए। बहुत भयावह स्थिति है। 2008 से 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी। एक निष्ठा और कर्तव्य परायणता थी, पानी पहुंचाने के लिए। कोई गोलीकाण्ड नहीं हुआ हमारी उस सरकार में और अभी भी नहीं हुआ। तत्कालीन जल संसाधन मंत्री, महिपाल जी मदेरणा उस समय जल नीति लेकर आये थे जो भारत की सर्वश्रेष्ठ जल नीति बनी। मुझे खुशी है कि जेजेएम के जितने भी कम्पोनेंट्स हैं वो उस जल नीति की कापी पेस्ट करके आज पूरे भारत में लागू किये जा रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वाटर आग्मेंटेशन के बारे में हम कोई बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं? उसके अकोर्डिंग हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई कार्ययोजना बना रहे हैं? Nothing about water augmentation. हमारा मेन सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है, आपके 14 रिवर बेसिन हैं। कोई प्लान है आपका? कुछ करने की सोचते हैं आप? रिवर रिजुवनेशन के बारे में क्या कर रहे हैं आप? रिवर बेसिंस मैनेज करने के बारे में आप क्या कर रहे हैं? अवैध बजरी खनन हो रहा है जबरदस्त and how damaging it is and to what level. लेकिन हम सो रहे हैं। कंट्राडिक्ट्री स्थिति यह है कि जिस टहनी पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। इतनी स्थिति

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

भयावह है। आप सोच रहे हैं, जैसे आपने बीसलपुर पर डिपेंडेंट कर दिया, but, it's on a very high risk. इस सोच को मत रखिये कि यह सोर्स आ गया तो हम अल्टरनेटिवली ट्रेन और टैंकर से पहुंचायेंगे, इससे ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको वाटर सिक्योरिटी की।

माननीय सभापति महोदय, क्या हालत है जेजेएम की? क्या हालत है जेजेएम की? कवरेज आफ टैप वाटर, सदन में विपक्ष के नेता जब जेजेएम की स्थिति बता रहे थे तो मैंने उसको क्रोस टेली किया और वो बिलकुल सही स्थिति बता रहे थे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): कुछ बात तो मानो हमारी।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): बिलकुल मैं आपकी सारी मानती हूं जो सही होती है।

माननीय सभापति महोदय, हम नीचे से पांचवें नम्बर पर आते हैं। देश में 38वीं रैंक है हमारी। ये कह दें कि हमने कुछ लाख करके जेजेएम में हमारी अच्छी स्थिति है तो वो अच्छी स्थिति बिलकुल भी नहीं है। कोई सीरियसनैस नहीं है हमारी जेजेएम के प्रति, we are late. I am sorry to say और नुकसान हमारा हो रहा है और हमारे प्रदेश के लोगों का हो रहा है। अगर ड्रिंकिंग वाटर को ही आप सीरियसली नहीं लेना चाहते हैं पीएचईडी तो I am surprised at the working of this department. इतना बुरा परफार्मेंस पीएचईडी का कभी नहीं रहा। जब हमारे पास स्रोत भी नहीं थे तो इससे भी बुरी हालत होती थी। मैंने जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर देखा, and I was surprised. हरियाणा, पंजाब, जो हमारे बोर्डरिंग स्टेट हैं, 100 परसेंट है, महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट, गुजरात, बिहार, 80 परसेंट, 90 परसेंट कवरेज कर चुके हैं और राजस्थान 11 टू 25 परसेंट में रैंक होता है और ये रिपोर्ट कोई बहुत पुरानी नहीं है, it is just 2 months old, और कलर्ड है इसके अन्दर। आप देखेंगे कि डिफरेंट कलर्स दिये हैं, ब्लैक कलर है राजस्थान का। आप कह रहे हैं कि हम प्रोग्रेस कर लेंगे, कैसे कर लेंगे आप? सोचो, 2024 आ रहा है, 2024 आ रहा है, कैसे करेंगे आप? I am surprised. कागजों में ही होंगे। 20 लाख कनेक्शन, कागजों में। क्या कर रहे हैं आप? क्या समीक्षाएं कर रहे हैं? आपके स्वयं के मुख्य अभियन्ता कहते हैं कि इस वर्ष जल जीवन मिशन के तहत 20 लाख कनेक्शन पूरा करना सम्भव नहीं है। लक्ष्य पूरे करने के लिए दूसरी योजनाओं के पेयजल कनेक्शन को हम शामिल

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

करेंगे। This is the reality. This is what you are doing. प्रदेश में जल जीवन मिशन को झटका। देखिये, कम से कम इंट्रोस्पेक्ट तो कीजिये। छोटे राज्य बाजी मार गये, हम कहां रह गये। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि यह स्थिति मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी बनी हुई है।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आप सत्ता पक्ष को कहो तो सही, इनको सुनें। कोई नहीं बैठा है।

**श्री सभापति**: बैठे हैं न, मंत्री महोदय बैठे हैं। जलदाय मंत्री भी सुन रहे हैं। (व्यवधान) नोट कर रहे हैं। प्लीज कंटीन्यू। (व्यवधान) बोलिये आप। बोलिये और कन्क्लूड कीजिये प्लीज।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): माननीय सभापति महोदय, ओसियां एक डेजर्ट जोन है। स्केटर्ड सेंटलमेंट है, जिसे छितराई हुई ढाणियां कहते हैं। डिफिकल्ट टेरेन है, पत्थर आ जाते हैं, कहीं धोरे हैं, in accessible for water. मगरे पर अगर एक घर है, मगरे पर एक घर है तो हमारा पोलिटिकल कमिटमेंट है कि हम उस घर को भी पानी पिलायें। हमारा पोलिटिकल कमिटमेंट है। कैसे पहुंचायेंगे आप मगरे के उस घर पर पानी? आपको नियरेस्ट सोर्स पर टैप करना पड़ेगा, उसके ट्रेडिशनल सोर्स को रिजुवनेट करना पड़ेगा। कैनाल या फिर रेन वाटर नहीं, आपको टांके बनाने चाहिये। Tanka is a safest mode. घर-घर टांके होने चाहिये थे। यह प्लानिंग कम से कम डेजर्ट जोन में पीएचईडी को करनी चाहिये थी। कापी-पेस्ट मत करिये कि ठीक है, नल लानी है, पाइप बिछा देंगे, टंकी कहीं एक-दो जगह होंगी तो उन्हें कर देंगे, वहां से आगे हम सप्लाई कर देंगे। कुछ सोचा ही नहीं आपने कि आगे कैसे सिचुएशन होगी।

**श्री सभापति**: Please conclude now.

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): बारिश नहीं हुई तो कम से कम हम उन टांकों में टैंकर्स से पानी ट्रांसफर कर सकेंगे। पाइप वाटर सप्लाई स्टेट को मैनेज करनी है। Meticulous planning की जरूरत थी, भेड़ चाल की नहीं। मेरे यहां तीन परियोजनाएं हैं- पांचला-घेवड़ा, तिंवरी-मथानिया, ओसियां-भोपालगढ़ और भेड़-हरलाई, ये तीनों परियोजनाएं तत्कालीन जल संसाधन मंत्री लेकर आये थे और इन तीनों परियोजनाओं को हमने अब जेजेएम में कन्वर्ट किया तो बेसिक स्ट्रक्चर वहां बना हुआ था।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

एक पाइंट तक खेलियां बनी हुई थीं, नहीं तो आप अधिकतम बिलकुल फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं। तिवरी मथानिया में आपका कुछ पार्ट आपने ओ.टी.एम.पी. कर दिया जिसे आप other than major project कहते हैं, बाकी की स्कीम को आपने क्लब कर दिया। पांचला घेवड़ा मेरा प्रोजेक्ट था और इसे एस.एल.सी.सी. की मीटिंग में हमने कल्ला जी को देकर करवाया था, जब हम होटल में बन्द थे। Especially, I spoke to the CMO, कि यह मीटिंग हो रही है, हमारा प्रोजेक्ट नहीं चूक जाये, especially. आप क्या कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के साथ में? मनचाही चीजें कर रहे हैं। आप पाइप लाइन कर्टेल कर रहे हैं। आपको पाइप लाइन और ज्यादा करनी चाहिये कि बाय चांस अगर डिफिकल्टी आ जाती है और घुमाकर लेना पड़े तो हम 20 किलोमीटर भी घुमाकर ले जा सकें।

डिविएशन नहीं मिलेगा, but नहीं, आप टेक्निकलिटी के नाम पर बैठते हैं, दस परसेंट पाइप लाइन कम कर दीजिये, पंद्रह परसेंट पाइप लाइन कम कर दीजिये। आप देखिये तो सही, रेगिस्तान का जोन है, डेजर्ट जोन है, horrifying situation water की आज भी है और कल कितनी बुरी हो जायेगी। सिक्योरिटी कहां से देंगे आप? प्रिंसिपल सैक्रेटरी जोधपुर जाते हैं, पीएचईडी विभाग की समीक्षा करते हैं। समीक्षा में कहते हैं कि Please submit all JJMs, we are late and nothing politically. I would like to know that what is politically. All the cut motions that you are going to answer are politically. You are sitting in the Officers lobby and this is political, and every single member who is speaking in this House is political. Let me tell you the Chief Minister himself represents a political ideology and his Budget, जिसको आप रिव्यू करते हैं that is according to political ideology for downtrodden, for the poor. I don't know what was the word 'political', और क्या इम्प्लीकेशंस हुए आपके उस वर्ड 'पोलिटिकल' के? प्रोविजनल में जितनी टंकियां थीं 25 के करीब, वे सारी काटकर हाफ कर दीं 12 में।

**श्री सभापति**: अब कन्क्लूड करिये प्लीज।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): नहीं, नहीं, this is my point. मेरे पंद्रह मिनट नहीं हुए हैं। बहुत असेंशियल बात है।

**श्री सभापति**: दो मिनट बाकी हैं। करिये आप।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालोर): सभापति महोदय, इन्हें हमारी पार्टी के भी पांच मिनट दे दें।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): ...(व्यवधान) नहीं, मैं मेरी पार्टी का लूंगी और मेरी पार्टी ने टाइम दिया है मुझे।

**श्री सभापति**: इनकी पार्टी ने जो टाइम दिया है, उसके अनुसार चल रहा हूं मैं।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): नहीं, आप मुझे टाइम दीजिये। मैं बोलूंगी, मैं पानी के विशेष मुद्दे पर आयी हूं। मैं बिलकुल बोलूंगी। The appointment of Principle Secretary, PHED and this is also political. तन्मय कुमार को नहीं अपाइंट किया कहीं पर भी। आप रातों-रात चीफ इंजीनियर को अपाइंट करते हैं कि टेक्निकल सैंक्शन के लिये फाइल मंगाइये। रातों-रात there was a pressure on PHED. मैंने अधिकारियों से पूछा, क्यों, तो उन्होंने कहा कि ऊपर से मैसेज है। क्यों भई, कोई रॉ की फाइल है, कोई बोर्डर सिक्योरिटी का मामला था कि आप रातों-रात फाइल मंगा रहे थे और सुबह की सुबह टेक्निकल सैंक्शन करना चाहते थे। फिर मैंने चीफ इंजीनियर से बात की। उन्होंने कहा, ''मैडम, हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको कुछ नहीं बताया जायेगा''। एक्स ईएन से बात की तो उन्होंने कहा, ''नहीं, मैडम आपको कुछ नहीं बताया जायेगा''। एस ई से बात की तो उन्होंने कहा, ''नहीं, मैडम आपको कुछ नहीं बताया जायेगा''। मैंने कहा, टी एस करायेंगे, किन-किन टंकियों को ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, यह तो बताएं तो कहते हैं, ''मैडम हमें इंस्ट्रक्शंस है''। क्या मैं आपको आई.एस.आई.एस. की मेम्बर नजर आती हूं? मेरी कान्स्टीट्यूएंसी और मेरे ही चीफ इंजीनियर्स मुझे नहीं बतायेंगे, ये क्या इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आपने दे रखे थे?

फिर मैंने बात की। मैंने कहा, जिन टंकियों को आप कर्टेल कर रहे हैं, वहां पानी कैसे पहुंचेगा? हम सब जानते हैं कि जहां से पाइप लाइन जाती है, वहां पर गांव के व्यक्ति उसे पंक्चर करके एग्रीकल्चर के लिये मिसयूज करते हैं। We all know it. आपने कोई सॉल्यूशन निकाला उसका? नहीं निकाला। अब मैं कह रही हूं कि जब यह पाइप लाइन यहां पंक्चर हो गयी, इस गांव में एस.आर. बनी है, दूसरी गांव क्या, उस ढाणी के टेल एंड पर पानी नहीं पहुंच रहा। आप टेक्निकली कह रहे हैं, साहब, एक एस.आर. यहां बनी हुई है, इससे पहुंच जायेगा। जब आज ही नहीं पहुंच रहा तो आप कैसे पहुंचायेंगे? क्या आप सिर्फ एक्स्टेंड करना चाहते हैं पाइप लाइंस को? ''हम फील्ड की समस्या नहीं देखेंगे'', तो किसकी देखेंगे आप? भू-मण्डल की समस्याएं देखेंगे अगर फील्ड पर धरती की समस्याएं नहीं देखेंगे?

**श्री सभापति**: प्लीज, अब समाप्त करिये।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): लास्ट पाइंट पर ही हूं मैं। इतनी सारी स्कीम्स आपने कर्टेल कर दीं। मंत्री जी को अब क्या कहें, शहर से आते हैं, गांव के व्यक्ति की समस्या समझते हैं कि नहीं, मेरा इस पर प्रश्न चिह्न है। मैं रेगिस्तान से आती हूं। मंत्री महोदय, महसूस करना तो बहुत दूर की बात है, आप रेगिस्तान के व्यक्ति की समस्या जानते भी हैं क्या? मेरा प्रश्न चिह्न है। डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूरा डिपार्टमेंट चला रहे हैं। The whole department of PHED is run by the Principle Secretary. I am very sorry to say. Ministers are just rubber stamps.

**श्री सभापति**: Thank You.

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): आज मैं बधाई देना चाहूंगी वसुन्धरा जी को। बहुत अच्छी लीडर थीं। सच को सच कहने में मुझे बिलकुल गुरेज नहीं होता।

**श्री सभापति**: प्लीज, अब समाप्त करिये। Thank You very much.

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): As a Chief Minister, उनके कार्यकाल की बात कर रही हूं।

**श्री सभापति**: Thank You very much.

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): लास्ट एक मिनट का पाइंट है। मैं कन्क्लूड कर रही हूं।

**श्री सभापति**: चलिये, एक मिनट बोलिये, लेकिन समाप्त करिये एक मिनट में आप।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): अच्छी लीडर थीं, डिसीजन मेकिंग भी बढ़िया थीं। राठौड़ साहब, आप मुझे बताइये, आपको सब चीजें पता होती हैं। ''मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुन्धरा तेरी खैर नहीं'', यह नारा किसने दिया? एक तो यह नारा और यह arrogant, ruthless and corrupt bureaucracy थी, जिन्होंने इन्हें इस तरफ बैठा दिया। हमें भी आप इधर बैठाना चाहते हैं। एक्सीलेंट बजट चीफ मिनिस्टर लेकर आये हैं, एक्सीलेंट बजट, but this bureaucracy is what is going to make us sit here. प्लीज, आप अपना यह रवैया बन्द करें। जलदाय मंत्री, प्रदेश राम भरोसे। आपने सही किया, ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण डूंगरी के प्रोजेक्ट से आगे आप नहीं निकल रहे। अगर आप निकलना भी चाहेंगे न तो आपको निकलने नहीं देंगे ये। इससे

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

अच्छा आपने यह पहले ही यह कर लिया कि हम इसी तक सीमित हो जाएं। मैं आपको यहां से चेतावनी दे रही हूं कि मैं जनता के लिये इस सदन में आयी हूं। मैं बिलकुल उनके हक के लिये काम्प्रोमाइज नहीं करूंगी और जो बुल्डोजिंग आप SRs की कर रहे हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है। 25 जाती हैं, प्रोविजनल से आप उनको 12 कर देते हैं, 12 में भी आप उनको कर्टेल कर देते हैं। मैंने चीफ मिनिस्टर आफिस में सीएम से बात करके यह रुकवायी है। I am glad the Chief Minister, क्योंकि वे 25 साल वहां पर सांसद रहे हैं। वे ढाणी-ढाणी जानते हैं कि छितराई की वहां पर क्या समस्याएं होती हैं। फिर भी अगर आपने अपना यही बुल्डोजिंग रवैया रखा तो मैं पानी के लिये जन आन्दोलन करूंगी और सड़कों पर उतरूंगी। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: Thank You. श्री सुभाष पूनिया।

**श्री सुभाष पूनिया** (सूरजगढ़): सभापति जी, मांग संख्या 27 पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो, पीएचईडी की जो बात चल रही थी, ओसियां से आने वाली माननीय सदस्या ने जो आज पीएचईडी की पोल खोली है, वे उस दल से हैं, जो रूलिंग पार्टी है।

मैं अब जल जीवन मिशन के ऊपर आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जब तक हमारे पास पानी नहीं होगा तो हम जल जीवन मिशन में हर घर में नल किस तरह से पहुंचायेंगे? यह सवाल मेरा आपसे है। पानी अपने पास है नहीं। जल जीवन मिशन के सूरजगढ़ विधान सभा में जितने ट्यूबवैल खोदे गये हैं, उनमें 12-13 ट्यूबवैल तो ड्राई जा चुके हैं। मैं चाहूंगा कि पीएचईडी मिनिस्टर सिंचाई मंत्री जी से बात करके, और स्पीकर साहब ने भी कहा था, कल उन्होंने पीड़ा जाहिर की थी कि पानी की व्यवस्था करें तो समन्वय बनाकर आप आगे बढ़ेंगे, तभी हर घर में हम नल दे पायेंगे, पानी दे पायेंगे।

मैं मेरे क्षेत्र की, मेरे जिले की बात करूं तो आज के दिन सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन का कोई भी काम सिर्फ कागजों में है। वहां पर कोई जे ईएन नहीं हैं। एक ए ईएन हैं, उन्हें भी एडिशनल चार्ज दे रखा है। जब हमारे पास टेक्निकल इंजीनियर्स ही नहीं हैं तो किस तरह से जल जीवन मिशन के तहत हर घर में हम नल दे पायेंगे, हर घर में पानी पहुंचायेंगे, यह मेरा आपसे आग्रह है। 2020-21 में और 2020-21 से ही बजट में घोषणा चल रही है कि कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना का पानी बहुत जल्द

(श्री सुभाष पूनिया)

सूरजगढ़ और उदयपुरवाटी को देंगे। अभी अधिकारियों से बात हुई थी कि 888.12 करोड़ की टेक्निकल सेंक्शन और वित्तीय स्वीकृति जारी हो गयी है और टेंडर प्रोसेस में है। कब तक इसका शिलान्यास होगा क्योंकि दो-तीन साल से यही बात सुनने को मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि आप समय पर यह काम कर पायेंगे। अगर आप पानी ही नहीं पिलायेंगे और इसमें आपका कुछ लग भी नहीं रहा है। पहले तो आप कह रहे थे कि हम पैसा देंगे पर इसमें 50 परसेंट पैसा तो जल जीवन मिशन के माध्यम से केन्द्र का आया है और 50 परसेंट पैसा जापान की जो जायका एजेंसी है उन्होंने वित्त पोषित किया है। उसके बाद भी इसकी क्रियान्विति क्यों नहीं हो रही है? मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि बहुत जल्द इसके टेंडर करवाकर इसको धरातल पर लाने का काम करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में 20 गांव तो ऐसे हैं जिनमें बिलकुल भी पानी नहीं है और 8-10 गांव ऐसे हैं और क्योंकि हरियाणा बोर्डर है तो वहां से पानी ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं। अब गर्मी आ चुकी है इसलिए आपसे आग्रह है कि जल्द से जल्द उन गांवों में नये ट्यूबवैल बनाये जाएं। मैं यहां प्रस्ताव भेज चुका हूं इसलिए उनमें जल्द से जल्द ट्यूबवैल बनाये जाएं और टैंकर की व्यवस्था भी अतिशीघ्र की जाये।

जनता जल योजना ग्राम पंचायतों के अधीन है। मेरे से पूर्व भी विद्वान साथीगण यह पीड़ा जाहिर कर रहे थे और आज भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 10 ट्यूबवैल का कनेक्शन बिजली बिल नहीं भरने के कारण कटे हुए हैं। सरपंच को कहते हैं तो कहते हैं कि एसएफसी का पैसा हमारे पास नहीं आया है तो जब पैसा ही नहीं आयेगा तो बिजली विभाग कनेक्शन नहीं जोड़ेगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि यह जो जे.जे.वाई. है यह आप अपने हाथ में लें, नहीं तो आप जनता को पानी नहीं पिला पायेंगे या आप इनको अलग से बजट दें ताकि पंचायतें इनको सुचारु रूप से चला सके।

जो आप कर्मचारी लगाते हो, ए.ईएन. और जे.ईएन., ये ठेकेदारों की अभिशंषा पर लगते हैं। ठेकेदार क्या करते हैं? कितना बिलो टेंडर डालकर किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है? उसमें आपके निर्धारित मापदण्डों के अनुसार न तो पाइप हैं, न ही मोटर पम्प हैं, न ही उतनी गहराई करते हैं। जिन ट्यूबवैल की 900 या 1000 फीट की गहराई देते हैं उनको वे 500-600 फीट पर

(श्री सुभाष पूनिया)

लगाकर चले जाते हैं जिससे वह तीन महीने में फिर ड्राई हो जाता है तो इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है।

मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा ड्राई सोर्सेज हैं और उनका मैं नाम लूं तो आप भी अचम्भित हो जाओगे। आपके विभाग और आपके इंजीनियरों द्वारा आपके यहां प्रस्ताव भेजे हुए हैं और उनमें तीन ट्यूबवैल तो डी.एम.एफ.टी. से दिये थे वे भी ड्राई चले गये। मेरे वहां लाम्बी जाट, लालामांडी, पांचरौली, ढाणी हुकमा, हीरवा, सांवलोद, कलगांव, सांतौर, रसूलपुर, सुलताना, भिर, थली, बुहाना, घरड़ाना खुर्द, ढाणा पंचायत में दो ट्यूबवैल हैं। सिमनी और हसास, पुहाणिया, सांतौर, झांझा, बड़बर, कुहाड़वास, सोहली, कुठानिया, राजपुरा, पिठौरा, जयमल का बास हैं और इन गांवों में आज भी पानी की बहुत समस्या गहरा रही है। इसलिए, सभापति जी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द मंत्री जी से कहकर....

**श्री सभापति**: कन्क्लूड करिये, प्लीज।

**श्री सुभाष पूनिया** (सूरजगढ़): क्योंकि आपके और हमारे विधान सभा क्षेत्र की एक ही सीमा है और आपके भी पानी की दिक्कत है लेकिन मेरे सूरजगढ़ ब्लाक में तो फिर भी पानी है पर ये सारे के सारे गांव बुहाना ब्लाक के हैं। इनके लिए अतिशीघ्र पानी की व्यवस्था की जाये क्योंकि गर्मी का सीजन है और आगे इसकी व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से हमें फायदा मिलेगा। अभी सत्ता पक्ष के लोग भी पानी से घी निकालने की बात करते हैं।

**श्री सभापति**: धन्यवाद।

**श्री सुभाष पूनिया** (सूरजगढ़): सिद्धमुख और तारानगर, भादरा के 30 गांवों को भी नहर से पानी देने की घोषणा बजट में की है और दूसरी तरफ सूरजगढ़ वन्य क्षेत्र में भी पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। यमुना का पानी, जो कई वर्षों से लम्बित पड़ा है वह अगर अपने यहां आ जाये तो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र की प्यास बुझेगी, यही मैं कहना चाहूंगा। आपने मुझे समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री गिरधारीलाल जी।

**श्री गिरधारीलाल** (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 27-पेयजल पर बोलने का मौका दिया। श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना के तहत 708 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी और कई ग्राम पंचायतों में पेयजल कार्य शुरू हो गये

(श्री गिरधारीलाल)

हैं। इस पेयजल परियोजना के लिए आई.जी.एन.पी. की मुख्य नहर आरडी 609 से आउटलेट लेते हुए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी की है लेकिन जलदाय विभाग के मुख्य अभियन्ता (तकनीकी) के द्वारा इस परियोजना का मुख्य आउटलेट आई.जी.एन.पी. की शाखा से निकलने वाली कंवरसेन लिफ्ट कैनाल से लिये जाने की बात कही गयी है। सभापति महोदय, आई.जी.एन.पी. की शाखा से निकलने वाली कंवरसेन लिफ्ट नहर एक छोटी वितरिका है जिसमें अतिरिक्त पानी की प्राप्ति असम्भव है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि इस पेयजल परियोजना के लिए आई.जी.एन.पी. की मुख्य नहर आरडी 609 से ही आउटलेट लेते हुए तकनीकी स्वीकृति जारी करवाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करें ताकि निर्धारित समय के भीतर उक्त पेयजल परियोजना का कार्य पूर्ण हो सके।

सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 53 ग्राम पंचायतें और 96 गांव आते हैं तथा शहरी क्षेत्र में 40 वार्डों की नगरपालिका है। तहसील के सभी सोर्स ग्राउंड वाटर पर आधारित हैं। इसलिए इसी एक उपखण्ड कार्यालय पर अतिरिक्त भार होने के कारण जल सप्लाई सुचारु हो पाना अत्यंत जटिल है इसलिए श्रीडूंगरगढ़ में शहर व ग्रामीण क्षेत्र का अलग-अलग सहायक अभियंता कार्यालय खोला जाये।

सभापति महोदय, इसके अलावा जल जीवन मिशन व पेयजल सम्बन्धी कार्यों को सुगमतापूर्वक करवाने के लिए श्रीडूंगरगढ़ में अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय खोला जाये। वर्तमान में श्रीडूंगरगढ़ में कनिष्ठ अभियन्ता के दो पद रिक्त चल रहे हैं तो इन पदों को तुरन्त भरा जाये।

सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में राज्य सरकार से स्वीकृत नये ट्यूबवैलों का निर्माण भी अधिकतर गांवों में अभी तक शुरू नहीं किया गया है। सभापति महोदय, जिन नये ट्यूबवैलों का निर्माण हो गया है उनमें से ज्यादातर ट्यूबवैल विद्युत कनेक्शन व अन्य जरूरी सामान नहीं होने से चालू नहीं हुए हैं। अत मेरा सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए सरकार गांवों में स्वीकृत नये ट्यूबवैलों का निर्माण करवाने के लिए बाद विद्युत कनेक्शन करवाकर एवं आवश्यक उपकरण डालकर सभी ट्यूबवैल सुचारु रूप से चालू करे।

सभापति महोदय, अनेक गांवों में एमपी, एमएलए कोटे से खुद चुके ट्यूबवैल भी अभी तक चालू नहीं हुए हैं। मेरा आग्रह है कि ऐसे ट्यूबवैलों को

(श्री गिरधारीलाल)

चिह्नित कर कनेक्शन व सामान के अभाव में बन्द पड़े ट्यूबवैलों को शुरू करायें। सभापति महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि श्रीडूंगरगढ़ शहर में पेयजल प्रबन्धन हेतु कम से कम 8 ट्यूबवैल स्वीकृत करायें। इसके अलावा गांव में धनेरू की ढाणियां, जालबसर, मोमासर, ठुकरियासर, धोलिया, गुसांईसर, बींझासर, माणकरासर, सेरूणा, इंदपालसर, बास गुसांईसर, सोनियासर शिवदानसिंह, सोनियासर गोदारान, दुसारणां व पिंपासरिया में नये ट्यूबवैल स्वीकृत किये जायें।

**श्री सभापति**: कृपया समाप्त करें।

**श्री गिरधारीलाल** (डूंगरगढ़): एक मिनट, सर। सभापति महोदय, गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अनेक गांवों में पेयजल संकट की समस्या पैदा हो गयी है। जलदाय विभाग के पास पर्याप्त संसाधनों का अभाव होने के कारण 15-15 दिनों तक गांवों में ट्यूबवैलों की खराब मोटरें बदली नहीं जा रही हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि गांव में खराब पड़े ट्यूबवैलों की दुरुस्तीकरण हेतु श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र को अतिरिक्त नई मोटरें, केबल व आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाय ताकि गर्मी के मौसम में पेयजल संबंधी कार्य हो सके।

**श्री सभापति**: थैंक यू।

**श्री गिरधारीलाल** (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, एक मेरा निवेदन है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत सारी स्वीकृतियां जारी हो चुकी थीं। दिनांक 14.07.2001 से, यह मैं पढ़कर सुना देता हूं। श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत 7 करोड़ की परियोजना एस.एल.सी.सी. की 20वीं बैठक में दिनांक 11.02.2021 को स्वीकृत की जा चुकी है।

**श्री सभापति**: थैंक यू, हो गया साहब।

**श्री गिरधारीलाल** (डूंगरगढ़): साहब, एक मिनट, यह अति आवश्यक है। नीति निर्धारण समिति की बैठक 28.05.2021 को पूर्ण अनुमति जारी की जाकर वित्त समिति की बैठक 14.07.2021 में एजेंडा नोट प्रस्तुत कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है। मेरा सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि मुख्य नहर से ही, 409 से ही जल जीवन मिशन योजना के तहत योजना बनाकर श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के लिये पानी की व्यवस्था करवायी जाय, अन्यथा पानी नहीं पहुंच पायेगा।

**श्री सभापति**: श्री मेवाराम जैन।

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): सभापति महोदय, आज अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर सभी बहनों को बधाई एवं पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी को जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर बहुत-बहुत बधाई।

मांग संख्या 27-पेयजल योजना पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। पेयजल के लिये जिस तरह से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने इस बजट में और गत बजट में पानी की योजनाओं के लिये, चिकित्सा के लिये और शिक्षा को महत्वपूर्ण समझते हुए इतना बजट दिया कि वे बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं।

मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने केन्द्र सरकार के असहयोग, कोरोनाकाल के बावजूद इतनी योजनाएं स्वीकृत कीं और मैं कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में, जिस तरह से 2008 से 2013 तक हमारी कांग्रेस की सरकार थी। बाड़मेर शहर की एक लाख की पापुलेशन थी। महीने में दो बार भी पानी नहीं आता था, वह भी एक घंटा सिर्फ और हम लोग पानी के लिए तरस रहे थे। उसी कार्यकाल में माननीय मुख्य मंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने हिमालय का पानी मोहनगढ़, बाड़मेर लाने की स्कीम सैंक्शन की और पहुंचाया। इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने पूरे बाड़मेर जिले के लिये और मेरे विधान सभा क्षेत्र के जितने भी गांव थे उनको तीन भागों में बांटा, 'अ', 'ब' और 'स' और तीनों की राशि सैंक्शन की, टेण्डर लगे, कार्य शुरू हुआ। उसके बाद इस बजट के अन्दर जल जीवन मिशन के लिए पूरे विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों को जोड़ने के लिये बजट स्वीकृत किया।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मंत्री जी विराजमान हैं। मैं कहना चाहूंगा कि 2008 से 2013 के बीच में स्वीकृत हुई तीनों ही पार्ट 'अ', 'ब' और 'स', वे आज तक कम्पलीट नहीं हुई हैं। 2013 से लेकर आज 9 साल होने को आये हैं और वह अभी अधर में हैं और धीमी चाल से चल रही हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मंत्री महोदय इसको सीरियस लें, मानिटरिंग करें। बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी, पांच साल उन योजनाओं को ठण्डे बस्ते में ही रखा। अब वापस हमारी सरकार आते ही इसको तीव्र गति से शुरू भी करवाया है। कांट्रेक्टर भी छोड़कर चले गये थे, वापस टेण्डर किये, कुछ पुराने कांट्रेक्टर ही यह काम कर

(श्री मेवाराम जैन)

रहे हैं। अगर इस गति से ही काम होगा तो सात-आठ साल और लगेंगे। सभापति महोदय, मंत्री जी से और सभी बैठे हैं, इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना का कार्य तीव्र गति से करायें और मानिटरिंग करें और इस कार्य को पूर्ण करवायें।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना के अन्दर जितने भी डिविजन हैं। उसमें एक अधिकारी सिर्फ एक एक्स.ईएन. है, ए.ईएन. नहीं है, जे.ईएन. नहीं है, नीचे कोई स्टाफ नहीं है तो वह मानिटरिंग करे या काम करे। सबसे पहले आवश्यकता है कि ये जितने भी चाहे योजना से सम्बन्धित हो और अन्य जितने भी पानी के कार्यालय हैं, उनके अन्दर एक्स.ईएन., ए.ईएन. और जे.ईएन. और हैल्पर की आप भर्ती नहीं करोगे, इन पदों को आप नहीं भरोगे तो ये योजनाएं कभी सफल नहीं होने वाली हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप संविदा पर डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग वाला कोई भी आप रख लें, हैल्पर रख लें। आप प्राइवेट ठेकेदारों को लैबर के लिए ठेका दे रहे हैं, 50 लैबर का ठेका है और वहां 5 लैबर भी नहीं लगती है और हालत ऐसी खराब है कि सारी जो पुरानी स्कीमें हैं, वे भी बन्द पड़ी हैं। मैं कहना चाहूंगा। हमारे मुख्य मंत्री जी घोषणा भी कर चुके हैं और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ये खाली पद जब तक नहीं भरोगे, तब तक ये योजनाएं तीव्र गति से समय पर पूरा नहीं हो पायेंगी। इसलिए मेहरबानी करके खाली पद भरने का प्रयास करें।

सभापति महोदय, जल जीवन मिशन योजना बहुत ही शानदार योजना है। यह योजना तभी सफल हो पायेगी, जब पाइप लाइनों द्वारा इस योजना का पानी जी.एल.आर. और ओवर हैड टैंक तक पहुंचेगा।

**(समय: 17.47 बजे)**

**(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)**

उसमें भी समस्या यह आ रही है कि बीच में एयर वाल्व है, जगह-जगह एयर वाल्व पर 20-20, 15-15 ट्रैक्टर अवैध रूप से पानी भरकर बेचने का काम कर रहे हैं। वहां ओवर हैड टंकियों में पानी नहीं चढ़ रहा है, क्योंकि पानी तो बीच में ही सब जगह पाइप तोड़-तोड़कर बेचा जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी मानिटरिंग कर बीच में जितने भी अवैध कनेक्शन हैं, उनको काटा जाय। उन ओवर हैड टैंकों में पानी पहुंचेगा तो प्रेशर से पानी

(श्री मेवाराम जैन)

गांवों में पहुंचेगा। आपकी जल जीवन मिशन योजना, जहां आप घर-घर, ढाणी-ढाणी पानी पहुंचाना चाहते हैं वह तभी सफल हो पायेगी जब हम इसको रोकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनता जल योजना रही है, अधिकांश जगह एक प्राइवेट लैबर लगा दी, जिसको 5 हजार भी तनख्वाह नहीं है। उसके भरोसे है और न इसका सुपरविजन है। पंचायती राज को दे दी। अगर इस योजना को सुचारु रूप से चलाना है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसे वापस पीएचईडी को दें तभी पानी की जो मेन समस्या है, उसका समाधान हो पायेगा, खाली इनके भरोसे नहीं होगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इस योजना को क्यों नहीं पीएचईडी विभाग को वापस दे दें। गांवों के अन्दर 4-4 महीने, 6-6 महीने से ट्यूबवैल खराब पड़े हैं, मोटरें खराब हैं, उनका बिजली का बिल भरा नहीं जा रहा है, इसलिए इसकी व्यवस्था आपको करनी होगी तभी यह योजना आगे बढ़ेगी।

सभापति महोदय, आज गांवों में जी.एल.आर. बना हुआ है, उनमें जो पानी जा रहा है वह पानी मानिटरिंग के अभाव में नीचे गिर रहा है। जितनी सप्लाई नहीं हो रही है, उससे दुगुना पानी वहीं नीचे गिर रहा है, फालतू वेस्टेज हो रहा है। वहां एक टोंटी नहीं लग पा रही है। उसको आप कैसे भी रोकें। जहां जी.एल.आर. बिलकुल टूटे पड़े हैं, आधा पानी वेस्टेज जा रहा है, उनको ठीक करने का हम प्रयास करें ताकि यह जो पानी वेस्टेज जा रहा है, उसको हम रोक सकें।

माननीय सभापति महोदय, गत साल सौर ऊर्जा के ट्यूबवैल दिये और कहीं खुदे भी हैं पर सौर ऊर्जा वाले ट्यूबवैल हमारे वहां तो पता नहीं कैसी पार्टी है, पूछते हैं कि तो कहते हैं कि राजस्थान से बाहर की है और उसको ठीक करने वाला वापस कोई नहीं आ रहा है। एक बार चालू कर दी तो वह भगवान भरोसे बंद ही पड़ी है तो इसलिये...

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): सभापति महोदय, दो मिनट ही लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह हमारी जो योजना है हमारे मुख्य मंत्री जी, हमारे मंत्री जी और सभी चाहते हैं कि जो इतना बड़ा धन इन पानी की योजनाओं के लिये घर-घर पानी कैसे पहुंचायें,

(श्री मेवाराम जैन)

भारतीय जनता पार्टी वाले बातें तो कर रहे हैं, पच्चीस एमपी हैं, कभी पूछो कि जो 90 प्रतिशत आप दे रहे थे उसकी जगह आपने 50:50 कर दिया। पानी जैसे मामले में क्या राजनीति करें, आप और हम सब मिलकर क्यों नहीं इसको आप 90:10 का करायें ताकि यह योजना शीघ्र पूरी हो। जो सबसे महत्वपूर्ण है और मनुष्य के जीवन में इससे ज्यादा कोई प्रभावी हो नहीं सकती, आप और हम मिलकर इसको 90:10 करायें ताकि यह योजना जल्दी समय पर पूरी हो पायेगी।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ यही कहूंगा कि जितने भी पुराने स्रोत हैं, योजनाएं हैं उन योजनाओं को चलाने के लिये आप जल जीवन मिशन के साथ-साथ उनको भी चालू रखें। आज क्लोजर हो रहा है साठ दिन का। बाड़मेर शहर में साठ दिन पानी बंद रहा तो उसकी क्या हालत होगी। मैं कहना चाहूंगा कि बाड़िका से बाड़मेर एक बीस किलोमीटर पाइप लाइन थी, जी.एस.डब्ल्यू. ने उस जमीन को एक्वायर कर लिया माइनिंग में, तो उसको शिफ्ट करनी है, शिफ्ट अगर हो जायेगी तो बीस ट्यूबवैल वहां लगे हुए हैं वो बीस..

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): अगर वह बीस किलोमीटर पाइप लाइन लग जाये तो दस करोड़ का ही खर्चा नहीं है तो यह जो बाड़मेर शहर की जो मेन समस्या है उसका समाधान हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शहर के हालात हैं कि बीस जगह पाइप लाइनें टूटी हुई हैं जहां ठीक करने वाला नहीं है लोग गंदा पानी पी रहे हैं इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसको तत्काल ठीक करें। बाड़मेर शहर में ए.ईएन. नहीं हैं, जे.ईएन. नहीं हैं, खाली पद पड़े हैं उनको भरा जाये। सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री सभापति**: श्री धर्मनारायण जोशी।

**श्री धर्मनारायण जोशी** (मावली): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल योजना पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिये आपने अवसर दिया इसके लिये बहुत-बहुत आभार। सबसे पहले इस पेयजल योजना के लिये भारत के प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अलग से जल शक्ति मंत्रालय बना करके राजस्थान के हमारे सांसद

(श्री धर्मनारायण जोशी)

माननीय गजेन्द्र सिंह जी शेखावत को स्वतंत्र मंत्रालय देकर के हर घर पर नल पहुंचाने की योजना बनायी, इसके लिये उनका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान को लगभग दस हजार करोड़, ढाई हजार करोड़, तेरह हजार करोड़, लगभग 45 से 47 हजार करोड़ रुपये का आबंटन किया है। हमने उस पैसे का कितना उपयोग किया यह विचारने का विषय है क्योंकि हमारे पास मेन पावर नहीं है, आज हमारे पास स्टाफ नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, बीच में निवेदन है आपसे मेरा कि आपने जैसे प्रशासन गांवों की ओर अभियान चलाया, ऐसे ही आने वाले समय में पन्द्रह दिन का अभियान चलाइये कि पन्द्रह दिन में राजस्थान के जितने हैण्डपम्प हैं, पन्द्रह दिन में उनको ठीक करेंगे तो मैं सोचता हूं कि योजना सफल होगी।

मावली में मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी की भारी समस्या है। आज भी क्योंकि हमारे यहां पर मावली में बागोलिया बांध है, उसकी डी पी आर बनी। तीन साल से माननीय सिंचाई मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री महोदय के चक्कर काट-काट कर थक गये, अब जाकर के मंत्रालय चेंज हुआ तो थोड़ी एक सीढ़ी आगे बढ़ी है, उनका आभार व्यक्त करता हूं।

आज उदयसागर का पानी पीने का पानी है और वह हिन्दुस्तान जिंक को दे रहे हैं, दें, कोई तकलीफ की बात नहीं है। नियमानुसार दें वह भी ठीक है पर हिन्दुस्तान जिंक का पानी नहरों में, यानी दो प्रकार का नुकसान हो रहा है हिन्दुस्तान जिंक की जो उदयसागर की नहरें जा रही हैं, नहरों से पानी से खेत के खेत भरे हुए हैं उससे खेतों का भी नुकसान हो रहा है, किसान का नुकसान हो रहा है और पानी का भी नुकसान हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको ठीक करावें। अभी इस बजट में आपने पानी की व्यवस्था के लिये मेवाड़ से पानी ले जाने की एक नई व्यवस्था बनायी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मानसीवाकल की देवास योजना के पैसे पहले दिये जाएं और क्योंकि मानसीवाकल योजना बनती है तो मावली और वल्लभनगर के 134 गांवों में पानी मिलने का उसमें प्रावधान था, वह योजना पूरी नहीं हुई और पानी नहीं मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में 225 गांव हैं उनमें से 91 गांवों में आपने जल जीवन मिशन में स्वीकृत कर दिये। 134 गांवों में जो आपने योजना बनायी, माही से पानी आयेगा और वल्लभनगर

(श्री धर्मनारायण जोशी)

और मावली में माही से जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत पीने का पानी आयेगा। वह योजना मुझे लगता है कि अक्टूबर में बन गयी थी। माननीय मंत्री महोदय से मैं मिला था। वह योजना अभी कागजों में ही है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसको आगे बढ़ाया जाये।

हमारे यहां जो सतही जल है जो पानी की सप्लाई कर सकते हैं, ऐसे सतही जल की योजना कहां-कहां पानी सम्भव है, ला सकते हैं, पिला सकते हैं उसका भी सर्वे किया जाये और उसको पानी दिया जाये।

शहरी जल योजना के अन्तर्गत फतहनगर के लिये आपने गत बजट में 40 करोड़ के ऊपर की घोषणा की थी। एक रुपया भी कहीं लगा नहीं, कुछ नहीं हुआ।

मावली तहसील में आज माननीय मंत्री महोदय, यह हालत है कि 6-7 दिन में एक बार पानी आता है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि 10-15 दिन में आयेगा। वह पानी गंदा है, पीने योग्य नहीं है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि जल्दी से वहां टैंकर चालू किये जायें और वहां से कोशिश करके नहीं तो वल्लभनगर बांध से और कुएं खोद करके मावली को पीने के पानी की पानी सप्लाई की जाये। आज हमारी पानी की बचत की व्यवस्था नहीं होने के कारण 85 प्रतिशत पानी समुद्र में जा रहा है। कोई उसका धणी धोरी नहीं है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि विद्यालयों में और घर में सब जगह वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सख्ती से लागू करवाया जाये। स्कूलों में हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा, वहां पानी के टैंक होंगे तो साल भर पानी का उपयोग होगा।

अभी देश में लगभग दस हजार नदियां हैं और दस हजार नदियों में से लगभग 351 नदियां ऐसी हैं जिनका पानी दूषित है, पीने योग्य नहीं है। उनमें भी 45 नदियां तो ऐसी हैं जिनका पानी बिलकुल खराब है। इस ओर सरकार द्वारा ध्यान दिया जाये और जो जमीन में से पानी का दोहन हो रहा है, हमारे आर.ओ. प्लांट लग रहे हैं, आर.ओ. प्लांट की स्थिति यह है कि उसका 35 प्रतिशत पानी बरबाद हो जाता है। एक लीटर आर.ओ. प्लांट पानी के लिये तीन लीटर पानी खराब हो जाता है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको भी बरबादी से रोका जाये। बड़ी इण्डस्ट्री में, जो बड़ी इण्डस्ट्री है उनको भी हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिये प्रतिबन्धित किया जाये कि वह बारिश के पानी को रोककर के कैसे पानी का साल भर उपयोग किया जा सकता है, उस पर भी ध्यान दिया जाये।

मावली क्षेत्र के लिए मैंने पिछली बार निवेदन किया था कि हमारे

(श्री धर्मनारायण जोशी)

अनेक टंकियां गिरने की स्थिति में हैं। सालेगरा की टंकी आपने गिरा दी, नयी टंकी का काम चालू हुआ और काम बंद हो गया अभी तक चालू नहीं हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे एक आमली पंचायत है वहां 2006 में साढ़े तीन करोड़ रुपये लगा करके पानी का एक प्लांट बना। आज दिन तक वह पानी एक पंचायत में थोड़ा सप्लाई हो रहा है। वह प्लांट फेल हो गया। सारे गांव में मुझे बहुत आश्चर्य है, अधिकारी पानी की टंकियां बनाते हैं, पानी कहां से आयेगा? टंकी कहां से भरी जायेगी इसकी व्यवस्था नहीं है क्योंकि टंकी बनाने में कमीशन थोड़ा ज्यादा मिलता है। टंकियां बनाकर सारी पंचायत में, नयी पंचायत है, आदिवासी पंचायत है। वहां की स्थिति यह है कि वहां तीन टंकियां पड़ी हैं पर पानी नहीं भरा है। पानी के बिल पंचायत के जिम्मे कर दिये हैं और अभी जो पंचायत के चुनाव हुए हैं उन पंचायत चुनाव के पहले एक प्रभावशाली सरपंच था, उसने पानी के बिल जमा नहीं कराये और बारह लाख रुपये बाकी थे। जैसे ही एस.सी. का सरपंच बना और रोज आर.एस.ई.बी. वाले जाते कनेक्शन काटने के लिये। हमारे चीरा पंचायत जो टी.एस.पी. की पंचायत है उसके पानी का कनेक्शन कल ही काट दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि पानी का जो मीटर है मीटर को पहले तो विभाग में ठीक करने की व्यवस्था थी पर अभी मीटर ठीक करने की व्यवस्था नहीं है। कोई कर्मचारी नहीं है। मीटर पुराने हो जाते थे। लोगों ने सीधा कनेक्शन ले रखा है, मीटर हट गया। पानी का कनेक्शन लेकर लोग चला रहे हैं। कौन धणीधोरी है, कैसे आप मीटर रीडिग कर रहे हो, इन सारी बातों पर ध्यान देकर के मेरी आपसे प्रार्थना है कि पानी के जल जीवन मिशन को लागू करके इस योजना को सफल बनायें, इससे लोगों को पानी मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

**श्री सभापति**: श्री खुशवीरसिंह।

**(समय: 18.00 बजे)**

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, संक्षिप्त में मेरे कुछ सुझाव हैं। सभापति महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल पर चर्चा में आपने मुझे अवसर प्रदान किया, उसके लिये धन्यवाद।

सभापति महोदय, जेजेएम योजना हमारे प्रदेश में राजस्थान की सरकार भारत सरकार के सहयोग से जो करने जा रही है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। इससे पूर्व मंत्री महोदय, हमारे कुछ गांवों में जनता जल योजना

(श्री खुशवीरसिंह)

चल रही है, वहां पर मेरा सुझाव है कि जिन ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्व में इस योजना को अधिग्रहण कर लिया था, उसके बिजली के बिल की राशि ग्राम पंचायतों को शुरू-शुरू में पुनर्भरण किया जाता था। वह जमा करवा देते और फिर विभाग वापस उनको राशि दे देता था लेकिन पिछले 6-7 वर्षों से ग्राम पंचायतें अपने विकास कोष में से पूर्ण रूप से पैसा भर रही हैं और उनके पास कोई अतिरिक्त राशि ग्रामीण विकास से नहीं आ रही है और न ही भारत सरकार से आ रही है। इस वजह से उन ग्राम पंचायतों का विकास पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि जहां-जहां जेजेवाई है, वहां पर आप उनके बिजली बिल भरने की व्यवस्था विभाग से कराएं या विभाग वापस ले ले क्योंकि उन ग्राम पंचायतों में विकास की राशि बिलकुल नहीं मिल रही है।

जेजेएम में मैं निवेदन करना चाहूंगा। कल अध्यक्ष महोदय ने भी इसके बारे में चिंता जाहिर की थी कि जेजेएम के तहत हम घर-घर नल योजना लगाने की बात कर रहे हैं और संयोग से मैंने भी चुनाव में यह वादा किया था और मेरा चुनाव चिन्ह भी मटकी था। मैंने कहा कि मटकी पानी पिलायेगी लेकिन उस बड़ी मटकी को खाली करने का काम कर रहे हैं, उसको भरने का काम भी हमें करना पड़ेगा। हम मटकी तो खाली कर रहे हैं लेकिन उसको भरने का काम भी हमें करना पड़ेगा। भारत सरकार में जेजेएम के तहत वाटर स्ट्रक्चर्स का भी प्रावधान है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब तक जगह-जगह वाटर हार्वेस्टिंग का काम नहीं करायेंगे, जमीन में पानी का दोहन जिस गति के साथ हो रहा है और अब जेजेएम के तहत इसकी गति इतनी बढ़ जायेगी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कुछ समय के लिये हम खुश हो जायेंगे लेकिन इसके लिये हमें स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके लिये वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की एक विस्तृत योजना बनाई जाय। जिलेवाइज, ब्लाकवाइज सर्वे करवाकर तुरंत इसी मानसून से पूर्व अगर इस कार्य को हम गति प्रदान कर देते हैं तो जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, जहां नदी नाले हैं, वहां पर आप यह काम आसानी से कर सकते हैं। जब तक हमारा पानी रिचार्ज नहीं होगा तब तक हमें इसका स्थायी समाधान नहीं मिल पायेगा।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि पाली जिले में अधिकांश ड्रिंकिंग वाटर के लिये 5-7 तहसीलों में जवाई पेयजल योजना है, उस जवाई पेयजल में पानी बढ़ाने के लिये कार्य बहुत प्रगति से चल रहा है। उस टनल को बड़ी बनाने का काम चल रहा है। उसके आगे कोटड़ा बांध के

(श्री खुशवीरसिंह)

लिये भी 1800 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है, इससे फायदा तो होगा। सभापति महोदय, मैं इसके साथ यह चाहूंगा कि चंबल का पानी के सर्वे करवाया जाय। मैं जब प्रथम बार विधायक चुन कर आया, 27 जनवरी, 2004 को मैंने पहली बार सदन में इस बात को रखा था कि भीलवाड़ा होते हुए चंबल का पानी राजसमन्द जिले के देवगढ़ और देवगढ़ से पाली की नदियों में डाला जा सकता है। उसका सी-लेवल काफी नीचे है और पानी व्यर्थ बहकर चला जाता है। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसकी डीपीआर बनवायी जाय, सर्वे करवाया जाय और अगर सर्वे होने के बाद यहां पर पानी ला सकते हैं....

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): जो बात मैंने आज से 18 वर्ष पहले कही थी, वह बात सार्थक हो गई है और देवगढ़ तक चंबल का पानी पहुंच चुका है। सभापति महोदय, वहां से तो ढलान है। हमारा कम से कम 300 फीट नीचे सी-लेवल है, तो पाली की नदियों में पानी डाला जा सकता है। मंत्री महोदय, मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इसका सर्वे करवाया जाय, इसकी भी संभावना तलाशी जाय और देवगढ़ तक पानी आया तो नीचे भी पानी आ सकता है। मात्र जवाई पेयजल पर ही हम निर्भर नहीं रह सकते हैं। घर-घर जल योजना से जिस गति से पानी की डिमांड बढ़ेगी, हमें पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होगी। मेरा अनुरोध है कि इस संभावना की ओर आप ध्यान दें।

दूसरा, नदियों में जिस गति से बजरी का दोहन हो रहा है। नदियों के माध्यम से ही हमारे जमीन में पानी चार्ज होता है, दूसरी जगह से पानी चार्ज हो नहीं सकता है। नदियों में से जिस गति के साथ बजरी निकाली जा रही है, उसकी सिस्टेमेटिकली कुछ ऐसी व्यवस्था की जाय और बीच-बीच में ट्रेंच बनाकर नदी का खनन किया जाय ताकि पानी वापस उसमें रीचार्ज होता रहे। इसके बारे में भी मेरा सुझाव है कि आप कुछ विचार करें।

दूसरा मेरा अनुरोध है कि जिन गांवों में पेयजल योजना है और वहां पर जितने भी ओवर हैड टैंक, जीएलआर बने हुए हैं, सभापति महोदय, वहां आटो स्टार्टर लगे हुए हैं। वहां पानी ओवरफ्लो होकर व्यर्थ चलता ही रहता है, कोई बंद करने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है मंत्री महोदय, जो हमारा पानी व्यर्थ बहकर जा रहा है, उस पानी को रोकने के बारे में भी आप विचार करें, धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री अविनाश गहलोत (अनुपस्थित), श्री मोहन राम चौधरी।

**श्री मोहन राम चौधरी** (नागौर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 - पेयजल पर बोलने के लिये अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, अभी जिस हिसाब से सब विधायकों ने विषय रखा है, चाहे वे सत्ता पक्ष में हों, चाहे वे विपक्ष में हों, सबको देखते हुए यही लगता है कि राजस्थान में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल के बिना जीवन की कल्पना करना तक सम्भव नहीं है। हमारे शरीर में भी 70 प्रतिशत पानी है। हर प्राणी की पहली आवश्यकता पानी ही है। इतना महत्वपूर्ण है तो फिर हमें यह जानकारी होनी चाहिये कि हम जो उपयोग कर रहे हैं वह पानी कैसा है। माननीय सभापति महोदय, हमारे नागौर जिले में एक क्षेत्र कूबड़ा पट्टी ऐसा है जिसके बारे में पूर्व माननीय मंत्री जितेन्द्र सिंह जी ने वर्णन किया।

महोदय, ऐसे ही हमारे मेड़ता के अन्दर जो पानी सरकार की योजना से दिया जा रहा था, परन्तु कई वर्षों तक देने के बाद, हमारे पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वर्गीय भंवर सिंह जी डांगावास ने उस पानी का लैबोरेट्री टेस्ट करवाया और वे कोर्ट में गये। कोर्ट ने सरकार को यह कहा कि यह पानी पीने योग्य नहीं है, यह जनता को नहीं दिया जाये। उस समय की सब योजनाओं पर सरकार के हाथ-पैर फूल गये। कहने का अर्थ यह है कि सरकार के द्वारा पानी जिस हिसाब से जनता को दिया जा रहा है, हर व्यक्ति को मालूम नहीं है कि इसमें कितनी गुणवत्ता है, कितना फ्लोराइड है, कितना टीडीएस है, परन्तु हम देते जा रहे हैं। यह भी एक सोचने का विषय है।

सभापति महोदय, आजादी के तीन दशक बाद तक हमारे यहां पर पानी की दो तरह की व्यवस्था थी। नाली, तालाब, झरना तथा नदियां। दूसरी थी, ओपन वैल, कुएं तथा बावड़ियां। नाली, तालाब और झरने की व्यवस्था वहां के नागरिक स्वयं देखते थे। वहां जो पानी का कैचमेंट एरिया होता था, उसमें तो शौच तो क्या, उसमें किसी को पेशाब तक करने नहीं देते थे। वर्ष में आवश्यकता के अनुसार इकट्ठा होकर श्रमदान करते थे और उसे ठीक रखते थे। वास्तव में, सरकार द्वारा अभी जो पानी दिया जा रहा है, वह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। कुछ अंश तक ही पानी दे पाते हैं, लेकिन गांव के लोग ओपन वैल के

(श्री मोहन राम चौधरी)

द्वारा अपनी व्यवस्थाएं स्वयं करते हैं। मई-जून में कुओं में पानी सूख जाता है, उस समय बड़ी कठिनाई होती है। 1965 में एक बार जब मैं बीकानेर जिले के पास चिताना गांव गया था, मुझे जिससे मिलना था, उसके बारे में पूछा तो बोले कि उन्हें तीन दिन हुए हैं वे पानी लेने के लिए गये हुए हैं। मैंने कहा कि वापस कब आयेंगे तो बोले कि कल या परसों नम्बर आ सकता है, आ सकते हैं। गांवों की यह स्थिति है।

माननीय सभापति जी, हमें सबसे खराब पानी तब मिलने लगता है, जब ये बोरिंग जिस हिसाब की होती है और सरकार की योजना से ही बोरिंग किये जाते हैं। बहुत गहरा होने की वजह से नीचे से फ्लोराइड युक्त पानी आता है, उससे हमें नुकसान होता है। हम चार प्रकार का पानी काम में लेते हैं। पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर, जो बोतल बंद है और आरओ से प्रोसेस्ड होता है। दूसरा, पैक्ड मिनरल वाटर, जो आरओ से प्रोसेस्ड होता ही है, लेकिन उसमें अलग से कुछ मिनरल्स मिलाये जाते हैं। तीसरा नेचुरल मिनरल वाटर है, यह नेचुरल सोर्सेस से प्राप्त होता है। चौथा, हम घरों में योजनाओं में नलों के द्वारा देते हैं। जो आरओ का पानी है, अधिकांश जगह पर ड्रिंकिंग वाटर की बोतलें मिलती रहती हैं, लोग लेते रहते हैं, पीते रहते हैं, परन्तु यह भी हमारे बहुत हानिकारक है। उसमें से अपशिष्टों को निकाला जाता है, उसके साथ गुणवत्ता के तत्व भी निकल जाते हैं, जिससे पानी हमारे लिये लाभदायक नहीं रहता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। दूसरी तरफ ईवीएन कम्पनी की 750 एमएल की मिनरल वाटर की बोतल जो कि 800 रुपये में आती है, जिसको नेता और खिलाड़ी काम में लेते हैं, वह हमारे यहां पर नहीं बनती है, वह आयात की जाती है। दूसरी तरफ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। नेचुरल मिनरल वाटर सबसे अच्छा और सस्ता है, परन्तु इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। जैसे ही वह पानी तालाबों में इकट्ठा होता है, उसका उपयोग करते हैं, हमें शुद्ध जल मिलता है।

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री मोहन राम चौधरी** (नागौर): परन्तु अभी हमारे यहां पर जो जेजेएम की योजना लागू हुई है और उधर से नागौर जिले में जो पानी आ रहा है, वहां नागौर विधान सभा क्षेत्र पहला क्षेत्र है। इसे 2024 में पूरा करना है,

(श्री मोहन राम चौधरी)

परन्तु अभी तक इसकी जिस हिसाब से टंकियां बननी हैं, अभी किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो पाया है। लोगों को लगता है कि हमारे यहां पर हो गयी, परन्तु मुझे नहीं लगता कि ये 2024 तक कर पायेंगे। चुनाव आने तक यदि ध्यान नहीं दिया गया तो सत्ता पक्ष के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि उस समय पानी की बहुत किल्लत रहेगी। अभी जिस हिसाब से बोरिंग कर रखे हैं। जैसे रोहिणी के अन्दर ट्यूबवैल बोरिंग कर रखा है, तीन महीने हो गये हैं, ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा है। वहां पर जो चार मोटरें लगी हुई हैं, उनमें से दो जली हुई हैं। ऐसे ही दो ट्रांसफार्मर हैं, जले हुए हैं।

अभी जिस हिसाब से पानी दिया जा रहा है। जैसे कालड़ी में पानी आता है, जो कि खड़काली से आता है। पूरे गांव को एक हाइड्रेंट दे रखा है। सवेरे 50 टैंकर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, मुश्किल से 10-15 टैंकर भर पाते हैं, बाकी सब को ऐसे ही लौटना पड़ता है। यही स्थिति जोसियाद की है। ननवाड़ी से पानी आता है, परन्तु दो दिन में पानी आता है और वह भी 15-20 मिनट के लिए आता है। गर्मी आने वाली है, अभी जो ट्यूबवैल हैं, उनको तुरन्त तैयार किया जाये। जो पानी सप्लाई करने में लगे हुए हैं, उनमें जो मोटरें लगी हुई हैं, उन मोटरों को हम बदलेंगे नहीं, सिस्टम को नया नहीं करेंगे तो गर्मी के अन्दर ज्यादा तकलीफ हो जायेगी। नागौर शहर में जो पानी की व्यवस्था है, उसे नगर परिषद् को दे रखी है। समस्या यह है कि उसे ठीक नहीं कर पाते हैं। मेरा यह कहना है कि इसे पीएचईडी को हैंडओवर करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर की पानी की व्यवस्था पीएचईडी को दी जाये। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्रीमती गायत्री त्रिवेदी।

**श्रीमती गायत्री त्रिवेदी** (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27 पर चर्चा हो रही है। पानी जीवन के लिए बहुत अमूल्य चीज है, पानी के बिना कुछ भी नहीं है। वेदों, पुराणों और शास्त्रों में पानी के महत्व को समझाया गया है। उस समय से चाहे हिन्दू, चाहे मुस्लिम समाज हो, हिन्दू निर्जला ग्यारस करते हैं और मुसलमान रोजे में पानी की बूंद तक नहीं गटकते हैं।

"जल का कोई मूल्य नहीं होता है,
कभी प्यासे से पूछना यह तो अमूल्य होता है,
जब सारी नदियां और कुएं सूख जायेंगे,

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

तब शायद इंसान पानी की कीमत समझ जायेंगे,
हर कोई जल बचा सकता है,
बूंद-बूंद से सागर बना सकता है।''

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की हालत अभी भी खराब चल रही है। जिले में सबसे ज्यादा पानी की समस्या सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में ही आती है। मेरे क्षेत्र में फ्लोराइड युक्त पानी है। जल स्तर बहुत ही नीचे चला गया है। खेतों में यदि सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो जाती है तो ग्रामीणों का पलायन रुकेगा, साथ ही क्षेत्र में विकास भी होगा। दिवंगत विधायक कैलाश चन्द्र जी त्रिवेदी का सपना था कि सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक घर तक पानी की आपूर्ति हो। इसके लिए मुख्य मंत्री जी द्वारा विशेष सहयोग किया जा रहा है। गत बजट में भी सहाड़ा-कोसीथल पोटला के लिए चार करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की थी। उसके लिए मुख्य मंत्री जी को पुन: धन्यवाद देती हूं। आज महिला दिवस है और पानी के लिए महिलाओं को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट 2022-23 पेयजल पर विशेष ध्यान दिया, फोकस दिया। इसके लिए 60 हजार 600 करोड़ रुपये की लागत से परियोजनाएं स्वीकृत की हैं जिनसे 35 हजार 776 गांव लाभान्वित होंगे तथा 86 लाख 21 हजार घरों में नल कनेक्शन दिये जायेंगे।

वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ही 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की 36 वृहद् पेयजल परियोजनाओं के कार्य भी प्रस्तावित किये हैं। इनके माध्यम से लगभग 5 हजार 500 गांवों के लगभग 20 लाख घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन देने हेतु परियोजना का कार्य प्रारम्भ होने से लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध हो सकेगा। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चम्बल प्रोजेक्ट के तहत पानी पहुंचाने का जिस फर्म द्वारा कार्य किया जा रहा है, वह बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। इस कारण हर बार डैडलाइन क्रॉस की जा रही है। अब गर्मी का समय प्रारम्भ हो चुका है, आम जनता को पानी के लिए परेशानी हो रही है। उसमें अभी करीब-करीब आधा काम बाकी है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि इस कार्य को गति दें और गति देने के साथ ही समयबद्ध तरीके से इस कार्य को पूर्ण करावें।

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

जल जीवन मिशन के तहत 100 से अधिक आबादी में पानी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन कई ढाणियां और मजरे ऐसे हैं जो 100 से कम आबादी के हैं, उन ग्रामीणों को भी पानी की आपूर्ति हो। मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करती हूं कि 100 से कम आबादी क्षेत्र में सोलर पनघट हैण्डपम्प, ट्यूबवैल की स्वीकृति जारी हो जाए तो पानी की समस्या से अतिशीघ्र निजात मिल सकती है। धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री सभापति**: श्री फूल सिंह मीणा।

**श्री फूल सिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): आदरणीय सभापति महोदय, मेरे को मांग संख्या 27-पेयजल पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, बड़े दु:ख के साथ में कहना पड़ रहा है कि 2018-19, 2019-20, 2020-21 में जो घोषणा हुई सौर ऊर्जा की पनघटें आज दिन तक पूरी नहीं हुई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 26 सौर ऊर्जा की पनघटें दी थीं। उनमें 21 में ड्रिल हुए हैं अब तक 15 में इंस्ट्रूमेंट लग गये हैं, 6 में बाकी हैं और 5 के तो अभी तक बोर होना भी बाकी हैं। इस काम में गति कब होगी? मेरे सत्ता पक्ष के विधायक भी इस बात को कह रहे हैं कि या तो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं या मानिटरिंग नहीं हो रही है या पैसे नहीं आ रहे हैं। इसका क्या होगा? मैं कहना चाहता हूं कि तुरंत प्रभाव से इन सौर ऊर्जा की पनघटों को भी देवें और गत वर्ष 40 हैण्डपम्प दिए थे, उसमें से एक हैण्डपम्प तक नहीं लगा है, एक हैण्डपम्प भी। अभी मैंने अधिकारियों से पूछा है कि 32 हैण्डपम्पों की वित्तीय स्वीकृति मिली है और 8 की आज भी बाकी है। इस कमी की कौन पूर्ति करेगा? एक साल के अन्दर एक हैण्डपम्प नहीं लगता है इस बजट घोषणा के ऊपर, इससे बड़ा दु:ख क्या हो सकता है? इसमें सुधार करें।

सभापति महोदय, ये मुख्य मंत्री जी की घोषणा है, 'गुरुवार 27 फरवरी, 2020 उदयपुर शहर की वर्तमान जनसंख्या 5.78 लाख के लिए दैनिक जल मांग 114.5 एम एल डी है। जयसमन्द झील से उदयपुर शहर हेतु पानी की वर्तमान उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पेयजल योजना के लिए 215 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त योजना के क्रियान्वयन के अनुसार उदयपुर शहर हेतु वर्तमान जल मांग की आपूर्ति की जा सकेगी। वर्ष 2020-21 में इस हेतु 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।' मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपकी मांग में लिखा है और मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी। 30 करोड़

(श्री फूल सिंह मीणा)

की जगह 3 पैसा भी नहीं लगा। यह घोषणा क्यों करवाते हैं? फिर कहते हैं कि हमारी सारी घोषणाएं हो गयी हैं। यह कागज निकालकर लाया हूं। दो घंटे लगे हैं इस कागज को ढूंढने में।

सभापति महोदय, मेरे पुरोहितों की मादड़ी, हिरणमगरी, मनवा का खेड़ा, कानपुर और कानपुर खेड़ा से पानी आ रहा है, उसमें फ्लोराइड बहुत ज्यादा है। इसको जयसमन्द से या मानसी वाकल से जोड़ने के लिए कोई न कोई ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि इनको शुद्ध जल मिल सके। वर्ष 2018-2019 में हमने, पूर्व सरकार ने 1 करोड़ 73 लाख रुपये नाई पंचायत को दिये थे। एकलिंगपुरा और कलड़वास में 3.30 करोड़ के अंदाजे में दिया था, पानी की टंकी और कनेक्शन के लिए। कानपुर में 1.70 करोड़ रुपये दिये थे। बजट घोषणा 2018 की भी अभी तक यह योजना पूरी नहीं हुई है। यह कछुआ चाल रेंगती हुई कैसे यह सरकार मेरी योजना को पूरी करेगी? मंत्री महोदय, ये बताएं कि मुख्य मंत्री जी ने, गहलोत जी ने घोषणा की थी, उसका भी नहीं हुआ। अधिकारियों को कहते हैं तो पैसे नहीं हैं, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। दूसरा ठेका बदलते हैं। बार-बार ये ठेका बदलना, ये करते-करते एक साल हो जाएगा। हो सकता है कि इस योजना को हमारी सरकार आकर पूरी करे, इसलिए अभी भी चेत जाओ।

सभापति महोदय, हैण्डपम्प मिस्त्री, 1996 में भर्ती हुए थे। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 17 मिस्त्री के पद वहां पर सृजित हैं जिनमें से 5 तो रिटायर हो गये और 5 और होने वाले हैं। हैण्डपम्प ठीक करने वाले कोई नहीं हैं। इनकी भी भर्ती करवाकर हमारे हैण्डपम्पों को ठीक करवाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पैरीफेरी एरिया में यू आई टी कालोनियां बहुत बस गयी हैं। पैसा भी आबंटन हो गया है। वह आंकड़ा भी बता रहा हूं। दक्षिण विस्तार योजना, पन्नाधाय नगर योजना, राशि 15.60 करोड़ रुपया; मेघा आवास योजना, बेडवास, राशि 4.93 करोड़ रुपया; एफोर्डेबल आवासीय योजना, गोकुल विलेज की नगरी, 2.3 करोड़ रुपये; एफोर्डेबल आवासीय योजना, डांगियों की पचोली, 67.72 करोड़ रुपये; नगर विकास प्रन्यास, बड़ी, प्रथम-द्वितीय चरण, राशि 2.11 करोड़ रुपये; एफोर्डेबल आवासीय योजना, उमेडा, 67.35 लाख; बेड़वास नाकोडा नगर, प्रथम-द्वितीय और तृतीय, सौभाग्य नगर, नाकोडापुरम, आदर्श सोसायटी, गायत्री नगर, रतनपुरा, बेडवास एवं रूपांतरित कालोनियां 10.6 करोड़ रुपये; आदिनाथ नगर,

(श्री फूल सिंह मीणा)

शांति नगर, गांधी नगर, हिरण मगरी सैक्टर 14 में 7.72 लाख रुपये। कान नगर, जे पी नगर, सैक्टर 8 एवं विधायक नगर, हिरण मगरी सैक्टर 12 में राशि 65.90 लाख रुपये।

ग्राम पंचायत तितरड़ी के अन्दर पानी की बहुत पुरानी सीमेंट लाइन डाली हुई है। वह जगह-जगह से टूटकर क्षतिग्रस्त हो गयी है इसलिए उसको बदला जाए। श्रीनाथ नगर, प्रेम नगर, बजरंग नगर, श्रीनाथ कालोनी, जय श्री नगर और अम्बा माता की गाठी एवं अन्य कालोनियों में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने की कृपा करें। निवेदन है कि ग्राम पंचायत तितरड़ी की समस्त जलापूर्ति को जलदाय विभाग को सुपुर्द किया जाए। सभापति महोदय, वहां पर पंचायत को पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी दे रखी है।

**श्री सभापति**: समाप्त कीजिए।

**श्री फूल सिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): मगर पंचायत भेदभाव रखती है और बराबर पानी उपलब्ध नहीं करवा रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसको जलदाय विभाग को दे दिया जाए। साथ ही जिस योजना के पैसे दे रखे हैं, उस योजना को तुरंत प्रभाव से कम्पलीट करवाने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में अनेक जनता जल योजनाएं प्रस्तुत हैं और चल रही हैं परन्तु उनका बिजली का बिल इतना आ रहा है और पैरीफेरी एरिया के अन्दर, पंचायत के पास बजट नहीं होता है। जिससे आये दिन कनेक्शन कटते हैं। मेरे पहले भी, सदस्यगण ने इसके बारे में कहा है। इसका पीएचईडी को देकर, या इसके बजट को भी कहीं न कहीं सरकार में प्रावधान रखें, बिल जमा कराने की सुविधा करायें।

भुवाणा पंचायत की यूआईटी, गोल्डन लीफ कालोनी, कोटाबावड़ी, 11 वर्ष से बसी हुई हैं मगर वहां यूआईटी कालोनी की, कन्वर्ट कालोनी होते हुए भी, वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है।

सभापति महोदय, पुरानी कालीमगरी, नई, वहां रूपनगर, रामनगर, रानवावड़ी, मीरानगर आदि, इस पंचाचत की आबादी कम से कम 30 हजार से ऊपर है। वहां पानी की भारी समस्या है। हमारी मानसी वाकल की टनल निकली हुई है, इसके 300 मीटर गहरी होने की वजह से गर्मी के दिनों में वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है। बछार पंचायत, डोडावली पंचायत, अलसीगेड, कालीवाज, पोपलटीपाई, उंदरी, चोखडया, भूजरा, इन पंचायतों में पानी की भारी समस्या है।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री फूल सिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): जलदाय विभाग के द्वारा, केन्द्र की...

**श्री सभापति**: श्री मनोज कुमार।

**श्री फूल सिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): जनता जल योजना नहीं, हमारी जल जीवन योजना से जोड़कर इनको पानी दिया जाये।

**श्री सभापति**: विराजिये।

**श्री फूल सिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मैं यही मांग करता हूं कि...

**श्री सभापति**: विराजिये, विराजिये।

**श्री फूल सिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, एक मिनट। मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की है, जो बजट दिया है, उसको जल्दी से जल्दी जनता के लिये लागू करवायें और काम को कम्पलीट करवायें। धन्यवाद, जय भारत, जय हिन्द।

**श्री सभापति**: श्री मनोज कुमार।

**श्री मनोज कुमार** (सुजानगढ़): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27 पर बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि सुजानगढ़ की पेयजल समस्या, जो बहुत बड़ी समस्या थी, पिछले कार्यकाल में उन्होंने आपणी योजना के माध्यम से, गांव-गांव व शहर में, मीठा पानी पहुंचाया। उसके लिये मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं।

इस कार्यकाल में भी जेजेएम के माध्यम से जो योजना स्वीकृत हुई है, उसमें पहले चरण में करीब 30 गांवों में आज काम चल रहा है। शेष गांवों के लिये भी, 150 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं, उसमें भी अब काम शुरू हो चुका है, उसके लिये भी, मैं मुख्य मंत्री जी का और पीएचईडी मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसमें मेरे क्षेत्र में 20 पानी की टंकियां बनाई जा रही हैं। पानी की टंकी की जहां तक बात है, आज से 60 साल पहले सुजानगढ़ में भामाशाह के सहयोग से, खेतान जल प्रदाय योजना आयी, जिसमें पानी की टंकी सबसे पहले बनी। आज भी वह इस शहर की लाइफ लाइन है। जितनी भी योजनाएं हैं, वे उसी टंकी से जुड़ी हुई हैं। उसके माध्यम से ही बाकी सब जगह सप्लाई है। बहुत से गांव वहां भी उसके माध्यम से, जो मेन लाइनें हैं, वे जुड़ी हुई हैं। आज 60 साल के बाद, उसकी हालत खराब हो रही

(श्री मनोज कुमार)

है। जर्जर अवस्था में आ गयी है। विभाग ने अब उसकी मरम्मत के लिये मना कर दिया है। पीडब्ल्यूडी ने भी उसको कंडम घोषित कर दिया है। विभाग की बहुत बड़ी समस्या है कि वह उसको बन्द नहीं कर सकता, क्योंकि उसके माध्यम से ही गांव की और टंकियां, बहुत सी लाइनें हैं, जो वहीं से जुड़ी हुई हैं। आपणी योजना का पानी भी, वहीं से आकर आगे सप्लाई हो रहा है। मेरे ख्याल से, इतनी पुरानी टंकी, राजस्थान में और कहीं नहीं होगी। मैंने विभाग को पहले भी लिखा। आज सभापति महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि इतनी पुरानी टंकी है, उसको ढहाकर, उसकी जगह नई टंकी बनायी जाये। एक उसके बाद बनी हुई है 30 साल पहले, वह 30 साल पहले बनी, लेकिन इससे पहले जर्जर होकर गिर गई है। ये दो टंकियां शहर में हैं। कभी भी यह टंकी गिर सकती है। विभाग इसको बन्द नहीं कर पा रहा है। सारा सिस्टम इससे जुड़ा हुआ है, इसलिये इस टंकी की जगह, दूसरी टंकी निर्माण की आप स्वीकृति दें। मेरी यह बहुत बड़ी मांग है।

जेजेएम के काम चल रहे हैं, सही बात है। उससे पहले आपणी योजना के माध्यम से, पानी गांव-गांव में पहुंच गया। पानी तो पहुंच गया, पर उसकी मानिटरिंग का सिस्टम आज बहुत कमजोर है। पूरा आपरेशन, मेंटिनेंस प्राइवेट कम्पनी के हाथ में है। वह बताते हैं कि 100 से ज्यादा हैल्पर, टेक्नीशियन हैं, पर उसकी मानिटरिंग कौन करे। सरकारी योजना है, कोई प्राइवेट योजना नहीं है। सरकारी योजना में, सरकार की मानिटरिंग होनी चाहिये। किससे बात की जाये, आज सिर्फ एक एक्स.ईएन. के भरोसे है। न तो उनके पास एईएन है, न जेईएन है, न कोई मानिटरिंग करने वाला जिसके पास पूरी तहसील को पानी पिलाने की जिम्मेदारी है। हालत यह है कि उसको खुद को पानी पिलाने के लिये, उसके पास फोर्थ क्लास नहीं है।

सिस्टम आपने कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हैल्पर रखो, टेक्नीशियन रखो, आप मरम्मत के लिये रखो, पर सरकार की मानिटरिंग जरूरी है। जनप्रतिनिधि, जनता किससे बात करे? सरकारी दफ्तर में जायेगी, वहां उसको कोई नहीं मिलेगा। यह जो सिस्टम है, इसमें सरकार पूरी मानिटरिंग अपने पास रखे। बाकी, भले ही आपने कम्पनी को दे रखा है दस साल के लिये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है पर मानिटरिंग को आप रखें। एईएन, जेईएन के पद हैं, उनको भरें या और बढ़ायें, पर यह करना बहुत जरूरी है।

(श्री मनोज कुमार)

दूसरा, अभी घर-घर तक पहुंचाने के लिये हम जेजेएम के माध्यम से जा रहे हैं। पहले भी आपणी योजना के माध्यम से पानी आया। उस समय जो भी नेचुरल, पुराने सोर्सेज थे, जिनके माध्यम से, वर्षों से शहर व गांव के लोग पानी पी रहे हैं, उनको बन्द नहीं किया गया था। वे लगातार चल रहे थे। चाहे ट्यूबवैल के माध्यम से हो, वह सप्लाई चालू रही। जहां हैण्डपम्प हैं, वे चालू रहे। पर एक साल से, मुख्य मंत्री जी की बहुत बड़ी मंशा है पीएचईडी मंत्री जी की बहुत बड़ी मंशा है, कि घर-घर पानी पहुंचे, सप्लाई हो। पर, विभाग का एक अजीब जवाब आ रहा है कि अब जेजेएम आ रहा है, घर-घर पानी आयेगा, इसलिये अब कोई हैण्डपम्प और टयूबवैल सैंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, इनको सैंक्शन मत करो, इसके माध्यम से पहुंचा दो।

वर्तमान में हैण्डपम्प व टयूबवैलों की पूर्ति हो रही है। जो फेल हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उनकी मरम्मत के प्रस्ताव क्यों रोके जा रहे हैं? क्या उनकी पूर्ति जेजेएम आने से हो जायेगी? क्या पानी एक्स्ट्रा आ जायेगा? आप एक्स्ट्रा पानी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वह दे नहीं सकते, उसकी एक लिमिटेशन है। जैसे-तैसे पुराने सोर्सेज पूर्ति कर रहे हैं, चाहे हैण्डपम्प हों, टयूबवैल हों, उनकी मरम्मत को क्यों रोका जा रहा है? अगर वह फेल हो रहा है तो उसके अगेंस्ट नया टयूबवैल देने में क्या दिक्कत आ रही है? वह इस योजना की मदद ही कर रहे हैं। उनके कारण ही आज लोग...

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री मनोज कुमार** (सुजानगढ़): दो मिनट की बात है। आज ट्यूबवैल, जिनके माध्यम से पूर्ति हो रही है। नहरबन्दी होने जा रही है। नहरबन्दी हमेशा इसी टाइम होती है। जब पानी की जरूरत ज्यादा बढ़ती है, उसी समय नहरबन्दी आती है। नहरबन्दी में पानी की वैसे ही शोर्टेज होगी। आपके ट्यूबवैल जो बन्द हो गये या फेल हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप दूसरा नहीं देना चाह रहे, या उसको ठीक नहीं कराना चाह रहे तो कैसे यह गर्मी के दिन निकलेंगे?

सभापति महोदय, मेरी विशेष मांग यही है कि अपने जो पुराने सोर्सेज हैं, इनको बन्द नहीं किया जाये। इनको बराबर चलाया जाये ताकि विभाग पर भी जोर नहीं आये और जनता भी परेशान नहीं हो।

सिंगल फेज ट्यूबवैलों की बात आती है, जिनके बिल अब पीएचईडी भरने से मना कर रहा है, कनेक्शन काटने जा रहा है, बिलकुल आप काट

(श्री मनोज कुमार)

दीजिए, बिजली का बिल भी मत भरिये, पंचायतों को हैण्डओवर कर दीजिए पर आप पंचायती राज विभाग से बात करके एक कोई सर्कुलर निकाल दीजिए, एक लेटर निकाल दीजिए जिसमें यह तय हो जाये कि पंचायती राज विभाग इसको लेगा। सरपंच जब उसकी मरम्मत करवा रहा है उस हैण्डपम्प या ट्यूबवैल की तो उसके उन बिलों को पास नहीं होने दे रहा, वे बिल अटके पड़े हैं। एक बार तो उसने करवा दी और दुबारा कोई हाथ नहीं लगा रहा है। दोनों विभाग मिलकर एक सर्कुलर निकाल दे, एक आदेश निकाल दिया जाए कि अब से पंचायती राज विभाग के, जो ग्राम पंचायत है, वह इस ट्यूबवैल की मरम्मत करेगी, इसकी मेंटिनेंस करेगी, इसका रख-रखाव होगा, बिजली का बिल भरेगी। उसके बाद में ग्राम पंचायत यह कैसे करती है, कैसे यह व्यवस्था करती है, पैसा है या नहीं है वह अलग बात है पर जहां पर व्यवस्था है, वह भी नहीं कर पा रहे हैं, वह भी हाथ नहीं लगा पा रहे क्योंकि उनके पास कोई आदेश नहीं है। बी.डी.ओ. भी मना करते हैं, जिला परिषद् को भी लिखकर दिया, वह भी मना करते हैं कि ऐसा हमारे पास कोई आदेश नहीं है।

**श्री सभापति**: समाप्त करें। श्री अमृतलाल मीणा।

**श्री मनोज कुमार** (सुजानगढ़): धन्यवाद।

**श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल की मांग को लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि 2021-22 के जो माननीय मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, पूर्व मंत्री कल्ला साहब, उन्होंने अपनी मुख वाणी से कहा कि हम चालीस हैण्डपम्प देंगे और दस सोलर पम्प। इसमें उससे पहले के भी हैण्डपम्प नहीं खुदे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। उनके बदले अब पी.एच.ई.डी. मंत्री हमारे बीच में अभी दूसरे हैं।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि माही का जो पानी व्यर्थ बहकर जा रहा है उसको रोककर नागल्या डैम जो धरियावद में है और ग्रेविटी से जाखम का पानी जयसमन्द में डाला जाये जिसकी वजह से हमारा सराड़ा का भाग, सलूम्बर का भाग, लसाड़िया का भाग और उदयपुर, कुरावड़, भीण्डर और वल्लभनगर और मावली तक ले जाया जा सकता है क्योंकि जयसमन्द झील बहुत बड़ी झील है। 1711 में यह शुरू हुई और 1731 में यह बनकर तैयार हुई थी, जिससे आस-पास के सभी गांवों, ढाणियों, मजरों को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा।

(श्री अमृतलाल मीणा)

उदयपुर ग्रामीण विधायक महोदय ने जो कहा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2021-22 में 27 फरवरी को घोषणा की कि 215 करोड़ रुपये से हमारे जयसमन्द की उदयपुर पाइप लाइन आ रही है और उसको सुधारने की बात भी कही, लेकिन अभी तक पैसा नहीं लगा। यह सदन, यहां के मंत्री, मुख्य मंत्री की एक बहुत बड़ी पावर होती है इमेज होती है, इज्जत होती है। जिनके मुंह से अगर वाणी निकल जाये और उसके बाद मैदान पर नहीं उतरे तो यह एक बहुत ही गम्भीरता का विषय है।

मेरा यह निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में 93 विलेज हैं और जो पानी जयसमन्द झील की परिधि में है उनको आज तक पानी उपलब्ध नहीं हुआ है। 72 गांव तो सलूम्बर उपखण्ड के हैं और 21 गांव लसाड़िया के हैं उनको भी पानी देने की हमारी पूरी मांग है। मेरा आपसे यह निवेदन है, अभी पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी हमारे बीच में नहीं दिख रहे हैं, वे जवान हैं, उनका बहुत लगाव है, इंटरेस्ट भी रख रहे हैं। चाहे वह पाइप लाइन की बात हो, टंकियों की बात हो, गांवों को पानी से जोड़ने की बात हो, मेरा आपसे यह निवेदन है कि सलूम्बर नगरपालिका क्षेत्र में स्वच्छ, शुद्ध पेयजल के लिए 497 लाख रुपये की जो स्कीम आपके विभाग में पिछले दो साल से पड़ी है, पाइप लाइन को चेंज करने का, चार टंकियों का निर्माण के लिए भी मेरा आपसे आग्रह है।

हमारे वहां पर देवेन्द्र एनीकट है जो सराड़ा तहसील क्षेत्र के 27 गांवों को शुद्ध पेयजल पिलाने के लिए विचाराधीन है, उसको भी लागू करें। सोम-कमला-अम्बा बांध से इटाली खेड़ा और उसके आस-पास के क्षेत्र के गांवों को जोड़ें। मेरा यह भी निवेदन है कि टी.एस.पी. क्षेत्र में पाइप स्कीम स्वीकृति हेतु अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम की आबादी दो हजार तक का मापदंड रखा जाये और रखा भी है। टीडी नदी पर वर्षा का पानी व्यर्थ बहकर जाने वाले को रोककर डाया डैम को भरा जाये, ताकि भविष्य में उस क्षेत्र को, उदयपुर को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नजदीक से की जाये। घावरडिया, डांगी खेड़ा, कबितीखेड़ा, माताजी खेड़ा, सर्सिया, बोवस, मौहल्ला डिंगरि आदि क्षेत्रों को भी पानी मिले।

माननीय सभापति महोदय, पुन: मेरा आपसे यह निवेदन है कि पांच मिनट और हैं, पूरा बोलने का समय दें। नदियों पर जैसे सोम नदी है, झामरी नदी है, गोमती नदी है, जाखम नदी है तो इन नदियों पर छोटे-छोटे एनीकट, जीरो लेवल के एनीकट बनाकर पानी रोका जाये ताकि पानी का वाटर लेवल ऊंचा रहे।

सबसे बड़ी बात जनता जल योजना, ग्राम पंचायत में जो जनता जल

(श्री अमृतलाल मीणा)

योजना है करीब-करीब वह फेल हो चुकी है क्योंकि बिल भरा नहीं जाता है। लोग चक्कर काट रहे हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि जलदाय विभाग द्वारा छोटी-बड़ी मजदूरी करने वाले ठेकेदारों का समयावधि प्रकरण के कारण हजारों ठेकेदारों के प्रकरण यहां कमेटी में चीफ इंजीनियर के मार्फत से दस से पन्द्रह वर्षों से लम्बित हैं। इससे अन्तिम बिल का भुगतान नहीं हो पाता है जिसके कारण भी हमें बाधा होती है। समयावधि के अनुसार पैनल्टी फिक्स करके एक्स.ईएन. लेवल पर ही उसका समाधान किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, जब विलम्ब समय और पैनल्टी की राशि पूर्व की निर्धारित है, विभाग और ठेकेदार के मध्य करार स्पष्ट होता है तो एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जितने भी अभी जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत, मेरी आपसे यह विनम्र प्रार्थना है, मंत्रीजी से भी प्रार्थना है कि आप सत्ता पक्ष के हमारे माननीय सदस्यगण जो बता रहे हैं कि 90:10 की स्कीम की जाये, लेकिन भारत के प्रधान मंत्रीजी मोदीजी का तो कभी फोटो लगाया नहीं और न ही केन्द्रीय मंत्रीजी का फोटो लगाया है। अगर आप इसका जो विज्ञापन है, जो भी स्कीम यह है उसके अन्दर आप यह लगाते तो हम विचार भी करते, ताकि आज 90:10 की राशि हमारे इस क्षेत्र राजस्थान को मिल जाये।

पेयजल पर चर्चा के लिए जल जीवन मिशन की इन विभिन्न कम्पनियों द्वारा आज पाइप की कीमत बहुत ज्यादा हो गयी है, दुगुनी हो गयी है। चाहे वह लोहे के पाइप हों या प्लास्टिक के पाइप हों, हर प्रकार का हो, आप उस पर भी विचार करें। जल जीवन मिशन में विद्युत बिलों के भुगतान हेतु अलग से फंड तैयार किया जाये। अगर यह स्कीम निर्धारित की है तो उसको भी अलग से किया जाये और विद्युत बिलों का बोझ ग्राम पंचायतों पर नहीं पड़े। सलूम्बर नगरपालिका में पेयजल हेतु आवश्यक सुधार के लिए अण्डर ग्राउण्ड पाइप लाइन बिछायी जाये। मेरा आपसे यह निवेदन है कि संवेदकों को आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़े, विभागीय स्रोतों से यह हो।

इसके अलावा, मेरा आपसे यह निवेदन है, पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी विराजमान हैं, हम उस क्षेत्र से आते हैं जो पूरा पहाड़ी इलाका है। मंत्री साहब, पी.एच.ई.डी. मंत्री साहब, ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सुनो।

**श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): पी.एच.ई.डी. मंत्री साहब।

**श्री सभापति**: वे सुन रहे हैं, आप बोलिये।

**श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): अच्छा, कल्ला साहब, आप ही सुन लें। पी.एच.ई.डी. के पूर्व मंत्री साहब, और तो क्या करें जब वर्तमान मंत्री नहीं सुन रहे हैं तो आप सुन लें।

**श्री सभापति**: कृपया, दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): मेरा आपसे यह निवेदन है कि अधिक से अधिक आप हैण्डपम्प दें। 150 से अधिक हैण्डपम्प दें हमारे क्षेत्र में और 20 से ज्यादा सोलर पम्प कर दें। पूर्व समय के मंत्री कल्ला साहब बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत कम बोलते हैं और आप भी कम बोलते हैं। आज तक हमारे ध्यान में आया है, मेरी समझ से आया है तब से लेकर माननीय धारीवाल साहब ने तो एक ही विभाग ले रखा है वह माल वाला, कौनसा, नगरीय विकास विभाग। इसके अलावा आज तक मेरी समझ में नहीं आया। मैं भी 63 साल की उम्र का हो गया, जब भी मैंने सुना है, धारीवाल साहब ने नगरीय विभाग ही लिया है ताकि वह वाकई में आपका जानकार का मामला है लेकिन पड़ोस में जिन्होंने सोलर पम्प की पिछली बार घोषणा की है और अभी तक सभी माननीय सदस्यों के सोलर पम्प नहीं लगे हैं। हमारे यह जो शिक्षा मंत्रीजी हैं, बहुत सज्जन हैं, उम्रदराज हैं, इन्होंने पिछली बार सदन में घोषणा की थी, इनकी बात को सत्य रखते हुए अविलम्ब चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर, एस.ई. और एक्स.ईएन., सबको निर्देश दें ताकि पिछली बार जो 10-10 सोलर पम्प दिये और 40 हैण्डपम्प दिये, वे खुद जाएं। अभी घोषणा करें, यही मेरा निवेदन है। मेरे यहां जितनी भी बावड़ियां है, नाड़ियां हैं, नाके हैं और बांध हैं, इनको सुधार करके पेयजल के स्तर को ऊंचा उठायें। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। जय हिन्द, जय राजस्थान।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

## सूचना

### मारवाड़ जंक्शन में ओलावृष्टि से फसल को नुकसान

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी बरसात हुई है, ओले गिरे हैं बहुत जबरदस्त। फसल पूरी चौपट हो गयी है मारवाड़ विधान सभा क्षेत्र में।

**श्री सभापति**: सरकार के संज्ञान में आ गया। विराजिए आप। मेह तो बरस्यां भला और होनी हो सो होय।

श्रीमती निर्मला सहरिया।

# अनुदान की मांग

## मांग संख्या 27 पर विचार

**श्रीमती निर्मला सहरिया** (किशनगंज): धन्यवाद सभापति महोदय, आज अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक बधाई देती हूं। माननीय पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी का जन्म दिन है, मैं उनको तहेदिल से बधाई देती हूं और नमन करती हूं।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। बजट घोषणा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में बराना, जलवाड़ा, नाहरगढ़ होते हुए पार्वती नदी पर उच्च पुल बनाने की घोषणा की और साथ ही शाहबाद पंचायत समिति में कृषि कालेज खोलने की घोषणा की, उसके लिए मैं उनको तहेदिल से धन्यवाद देती हूं। साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की पंचायत समिति शाहबाद में जल स्तर काफी गिर गया है। वहां पर ट्यूबवैल और हैण्डपम्प नहीं चल पाते हैं। विभाग की तरफ से ट्यूबवैल और हैण्डपम्प लगाने के लिए पांच सौ और तीन सौ की स्वीकृति है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि मेरे यहां शाहबाद की तलहटी में कुओं के लिए स्वीकृत करें क्योंकि वहां पर ट्यूबवैल और हैण्डपम्प सक्सेस नहीं होते हैं। वहां पर कुएं ही सक्सेस हैं। कुओं पर मोटर लगाने की घोषणा करें। मैंने पिछली बार भी पेयजल पर ही बोला था, मेरे किशनगंज में खांकरा, जैसवा के लिए, यहां की भी हालत जनवरी से ही खराब हो जाती है। तो यहां के लिए भी कुएं और ट्यूबवैल की व्यवस्था करें।

साथ ही मेरे क्षेत्र से पार्वती नदी, कूनू नदी निकलती हैं। इन पर छोटे-छोटे एनिकट बना दिए जाएं तो जल स्तर का भराव अधिक होगा और जनवरी और फरवरी में जो पानी की समस्या मेरे क्षेत्र में आती है, उसके लिए हमें काफी फायदा मिलेगा। आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री सभापति**: श्रीमती गंगा देवी।

**श्रीमती गंगा देवी** (बगरू): सभापति महोदय, मुझे आपने पानी पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी को भी ध्यान है, राजधानी के नजदीक है, पानी की बहुत समस्या है। मेरी 31 पंचायतें और एक नगरपालिका है। मेरे आसपास के सभी विधान सभा क्षेत्रों

(श्रीमती गंगा देवी)

में दूदू, चाकसू, बस्सी में, सभी जगह नावां, कुचामन तक बीसलपुर का पानी गया और राजधानी के नजदीक बगरू है, बगरू की जनता पानी के लिए बेचैन बैठी है।

बगरू के लिए मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी की घोषणा है कि जल्दी से जल्दी बीसलपुर का पानी बगरू में पहुंचे। हैण्डपम्प देते हैं तो सवा लाख रुपया सरकार का लगता है एक हैण्डपम्प का। उसमें भी खारा पानी नहीं, कड़वा पानी आता है। वह पानी यदि हाथ पैरों के लगता है तो खुजली हो जाती है इसलिए बीसलपुर का पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें। सभी अधिकारीगण बैठे हैं। जल्दी करें। गर्मी के अन्दर बहुत परेशानी होती है।

**श्री सभापति**: मंत्री जी को साथ ले जाओ और वहीं पिलाओ वही पानी।

**श्रीमती गंगा देवी** (बगरू): गंगा को भागीरथ लाया था या फिर गहलोत साहब लाये थे। अब मंत्री जी ही लायेंगे बगरू की जनता को पानी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री अमर सिंह।

**श्री अमर सिंह** (बयाना): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27 - पेयजल पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो तो लगे उस जैसा, पानी ही जीवन है और जान है और जान नहीं है तो खुला कब्रिस्तान है।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना और रूपवास में आदरणीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने 2013 में चम्बल प्रोजेक्ट के माध्यम से नींव लगायी थी फर्स्ट फेज में 28 और सैकण्ड फेज में 113 गांवों के लिए, लेकिन आज तक आधे ही गांवों में पानी पहुंचा है। मेरा विधान सभा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। अधिकांश क्षेत्र में अभी तक पानी की बहुत किल्लत है। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि रूपवास में आधे गांवों में पानी नहीं पहुंचा है। भीषण गर्मी आने वाली है इसलिए वहां पर शीघ्र पानी पहुंचाया जाए।

साथ ही, मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना में चम्बल प्रोजेक्ट के तहत आकाशीय टंकियां बनी हुई हैं। लम्बे समय से वे आकाशीय टंकियां यह देख रही हैं कि मुझमें कब पानी आयेगा और कब मैं इस क्षेत्र की जनता को पानी पिला सकूं। अगर यही स्थिति रही तो एक-आध साल में वह डेमेज हो जाएंगी।

(श्री अमर सिंह)

रूपवास के अन्दर जो चम्बल प्रोजेक्ट के पाइंट लगे हुए हैं, उनके लिए नियम बना हुआ है कि आबादी के अनुसार पाइंट लगाये जाएंगे। क्षेत्र की जनता के लिए मैं भी अभिशंसा करता हूं, उप खण्ड अधिकारी को भी लिखता हूं लेकिन उनके कहने से भी आज तक एक भी पाइंट नहीं लगा, वहां के सम्बन्धित अधिकारी जे.ईएन., लाइनमैन के भी प्रशासन गांवों के संग कार्यक्रम में मैंने कहा था। मैं यह लेकर आया हूं, मैंने अभिशंसा की थी 5.11.2021 को, लेकिन उनका कहना है कि अगर आप विधायक से लिखवाकर लायेंगे, एसडीएम साहब से कहलवायेंगे तो हम पाइंट नहीं लगायेंगे। वह कौनसी योजना है। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच की जाए कि वे कनेक्शन, कौनसी योजना से लगाये जा रहे हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। उप खण्ड अधिकारी के कहने से नहीं, विधायक के कहने से नहीं, ऐसा क्यों? इस पर विशेष ध्यान दें।

**(समय: 19.00 बजे)**

इसी के साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भरतपुर जिले का एक बहुत बड़ा बांध है, चम्बल प्रोजेक्ट से लिफ्ट के माध्यम से अगर उस बंध-बरेठा में पानी आता है तो सटा हुआ क्षेत्र नदबई विधान सभा और वैर विधान सभा के लाखों की संख्या में पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए गांव के लोग अपनी प्यास बुझा सकते हैं।

इसी के साथ-साथ, भरतपुर जिले में एक हमारी राष्ट्रीय धरोहर जो केवलादेव के नाम से जाना जाता है, वहां पर घाघरा नदी से भद्रावती में पानी पहुंचाकर पांचना बांध लेजाकर गम्भीरी नदी में डाला जाए तो हमारे केवलादेव और भरतपुर शहर के लिये पानी की किल्लत मिट सकती है।

इसी के साथ-साथ, आदरणीय मुख्य मंत्री साहब ने घोषणा की थी साढ़े सात सौ करोड़ रुपये की, पर अभी तक भी भरतपुर के लिये डी.पी.आर. तैयार नहीं हुई है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसको शीघ्र तैयार करें जिससे कि भरतपुर की जो समस्या है, वह मिट सके।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो पानी की किल्लत है, जे.जे.वाई.एम. स्कीम के तहत, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस की सरकार को, आदरणीय मुख्य मंत्री साहब को, कि उन्होंने बयाना ब्लाक में जो

(श्री अमर सिंह)

जे.जे.वाई.एम. के तहत काम चल रहे हैं, वह गर्मी को देखते हुए धीमी गति से काम न चलाकर जल्दी से जल्दी काम की चाल बढ़ा दी जाए तो जितना भी पहाड़ी क्षेत्र है, वह पानी की किल्लत से जूझ रहा है, उससे निजात मिल सकेगी। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मुझे मालूम है कि समय पीछे वालों को कम ही मिलता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बयाना विधान सभा के अन्दर दो नगरपालिकाएं हैं- बयाना और रूपवास, बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जो नई कालोनियां बन रही हैं वहां पर भी पानी की समस्या है। उन लोगों को भी पानी चाहिए इसलिए नगरपालिकाओं के लिए डी.पी.आर. बनाकर तैयार करें जिससे कि जो नई कालोनियां बनी हैं, वे भी पानी पी सकें।

इसी तरीके से नई नगरपालिका रूपवास बनी है, वहां भी पानी की बहुत भारी किल्लत है। वहां भी कोई भी योजनाबद्ध तरीके से योजना तैयार करें जिससे कि नगरपालिका की जो बढ़ती हुई आबादी है, समय-समय पर वहां के लोग कहते हैं कि सबसे पहले हमें पानी की आवश्यकता है। अगर हमारे पानी की जो किल्लत है, उसको दूर कर दिया जाए तो यह समस्या मिट जाएगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी-अभी बताया था कि बंध-बरेठा वह जगह है, पूरे ही भरतपुर में वह एक बहुत बड़ा बांध है। अगर उसके अन्दर चम्बल प्रोजेक्ट से पानी डाला जाता है तो तीनों ही विधान सभा क्षेत्र व केवलादेव, भरतपुर शहर और उत्तर प्रदेश भी सटा हुआ है, इसलिए वहां पानी डाला जाए।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि चम्बल का पानी बंध-बरेठा में जरूर डालें और इससे लाखों लोगों की भरपाई हो। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री सभापति**: श्री अमीन खां।

**श्री अमीन खां** (शिव): माननीय सभापति महोदय, जलदाय विभाग ने राजस्थान में बहुत विस्तार से काम फैलाया है, लेकिन अभी तक भी कुछ इलाके ऐसे हैं जिनके नीचे पानी का अभाव है, उनकी मुश्किलें बरकरार हैं। मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि सारे राजस्थान में एक जैसा पैटर्न आप इस्तेमाल मत करो। अलवर, भरतपुर, जयपुर और दौसा में एक असिस्टेंट इंजीनियर दो क्षेत्रों

(श्री अमीन खां)

में भी काम सम्भाल सकता है, क्योंकि यह एरिया छोटे हैं। आज बाड़मेर जिला 28 हजार वर्ग किलोमीटर में है और वह भी डेजर्ट रेगिस्तानी एरिया है। मंत्रीजी, मैं आपसे दो बार मिला हूं। पिछले दो महीनों से रामसर खण्ड के एक्स.ईएन. की जगह खाली है। गडरा रोड के पी.एच.ई.डी. ए.ईएन. की जगह खाली है। शिव में ए.ईएन. की पोस्ट खाली है, रामसर में ए.ईएन. की पोस्ट खाली है। आप अनुमान करो, इतने बड़े विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र में असिस्टेंट इंजीनियर मौके पर नहीं हैं तो वहां जलदाय विभाग की स्कीमों की क्या हालत होगी? इसलिए, मेहरबानी करके हमें ज्यादा परेशान न करें। हम आपसे तीसरी बार और मिल जाएंगे, लेकिन यह खाली जगह भर दो। हमारी कोई यह शिकायत नहीं है कि फलां अफसर को हटा दो, फलां अफसर को बुला दो। जो कोई भी है, उसको लगा दो।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने एक नीति बना दी है कि यह सरकारी कर्मचारी साइट पर रखें तो सरकार पर खर्चे का भारी बोझ पड़ जाएगा। इन स्कीमों को चलाने के लिए ठेकेदारी व्यवस्था शुरू कर दें ताकि कम पैसों से काम चल जाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। ठेकेदार नाम के जो चलते-फिरते आदमी हैं, वह उन दो-चार लोगों के टांके में पानी डाल देते हैं और वह अपने बिल पास कराकर पैसे ले जाते हैं। सारी पुरानी स्कीमों के पाइप चोरी करके लोग ले गये। जी.एल.आर. सारे टूट गये। बगैर आदमी के वहां पर कौन देखेगा?

माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की नीति है कि लेबर को हम सपोर्ट करेंगे। लेबर को रोकना, न तो लेबर के हित की पालिसी सही है और न गांव में स्कीमें चलेंगी। आज आपका एक ट्यूबवैल है, 20 लाख रुपया खर्च करके आप डेजर्ट में एक ट्यूबवैल चालू करते हो और उस पर कोई आदमी ही नहीं है। मोटर जल गयी, ट्यूबवैल खराब हो गया तो इन 20 लाख रुपयों की आप इन ठेकेदारों के बचाव के पैसों की कितनी पूर्ति करोगे? यह बिलकुल गलत है। हां, परमानेंट मत करो, लेकिन अस्थायी मजदूर भी सरकारी रखो और हर पांच किलोमीटर पर एक आदमी होना चाहिए। आज मेरे क्षेत्र में एक स्कीम है, इसकी लम्बाई है 70 किलोमीटर और 70 किलोमीटर पर एक भी आदमी नहीं है तो कैसे काम चल पाएगा? कम से कम सरकार ने पैसे खर्च करने में कोई कंजूसी नहीं रखी है। 100-150 ट्यूबवैल हैं और उन ट्यूबवैलों पर एक भी आदमी नहीं है। गांव के अनजान आदमी जाते हैं, कोई चालू कर देते हैं तो बन्द करने वाला कोई नहीं होता। वहां मिट्टी में

(श्री अमीन खां)

दनादन पानी जा रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। किसी की मोटर जल जाती है, तो हमारा आपसे निवेदन है कि हर जगह जमीन एक जैसी नहीं है। गर्मी के मौसम में कम-से-कम असिस्टेंट इंजीनियर के पास एक गाड़ी होनी चाहिए और गाड़ी असिस्टेंट इंजीनियर के पास बराबर नहीं हुई तो वह स्कीमें सफल ढंग से नहीं चलेंगी, लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।

दूसरा, मेरा यह सुझाव है कि जो नलकूप खोदे गये हैं, उनको आप मेहरबानी करके आवारा ना छोड़ें। हमारे यहां पीने का पानी 2 नहरों का आ रहा है। एक तो नर्मदा नहर से आ रहा है और एक इन्दिरा गांधी नहर से आ रहा है। इस पर सरकार ने भी पैसों की कोई कमी नहीं रखी है लेकिन काम की रफ्तार बहुत धीमी और बेकार है, जहां 8 साल से 8 गांव इन्होंने कमीशन नहीं किये।

मोहनगढ़ लिफ्ट से पानी बाड़मेर आता है। बायतू, बाड़मेर के तो सैकड़ों गांवों में पानी पहुंच गया। शिव तहसील पहले आती है। शिव तहसील में 118 गांव हैं। उसमें सिर्फ 8 गांवों में उस कैनाल का पानी मिलता है। मैं इसको लापरवाही भी मानता हूं और पक्षपात की बात भी मानता हूं। आप मेहरबानी करके इस पक्षपात को रोकें और लापरवाही को भी रोकें।

दूसरा, इसके साथ मैं यह चाहूंगा कि जो नर्मदा प्रोजेक्ट है उसमें चौहटन तहसील का कोई गांव नहीं लिया है। सिर्फ तहसील गडरा रोड और रामसर का लिया है। चौहटन तहसील में हमारे से लगता हुआ इलाका वीडीआरआई सर्किल की 18 पंचायतें हैं, इनमें जमीन के नीचे पानी नहीं है। बाकी जो चौहटन और धौरीमन्ना का एरिया है, उसमें जमीन में पानी खूब है। वाटर वर्क्स अगर सुचारु रूप से नहीं चलावें तो भी लोगों के घर-घर में, खेत-खेत में ट्यूबवैल है। पानी की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारा जो एरिया है, इसमें नर्मदा प्रोजेक्ट में चौहटन की यह 18 पंचायतें शामिल की जायें। इसका युद्ध स्तर पर काम चालू करके तहसील गडरा रोड और तहसील रामसर का काम पूरा किया जाये।

सभापति महोदय, आपके इन कर्मचारी, अधिकारियों को, आपसे खुद से मिलने के बाद, 3-3 बार कहने के बाद में भी नहीं लगाते हैं तो हमको आखिर में मजबूर होकर मुख्य मंत्री के पास जाना पड़ेगा और आपकी यह लापरवाही सारी कहनी पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री सभापति**: प्रभारी मंत्री।

**डा. महेश जोशी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की अनुदान की मांगों पर 306 कटौती प्रस्ताव आये। मैं सभी माननीय सदस्यों जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं, को विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र उनके कटौती प्रस्तावों के जवाब उन तक पहुंच जायेंगे। राठौड़ साहब, आम तौर पर तो यह कटौती प्रस्ताव ज्यादा आया करते हैं, लेकिन शायद लगता है कि आप सहित काफी माननीय सदस्य इस बात को महसूस कर रहे हैं कि पेयजल की समस्या से निपटने में राजस्थान में थोड़ी ज्यादा रुचि दिखायी जा रही है।

मैं उन सभी 36 माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने अपने भाषण, अपनी तहरीर के माध्यम से यहां अपनी बात रखी। उनके बहुमूल्य सुझाव हमें दिशा दिखायेंगे। मैं उन सभी का एक-एक करके जवाब देने की बजाय उन सब को भी लिखित में जवाब भेजूंगा और यह विश्वास दिलाता हूं कि बिना किसी भेदभाव के जो समस्याएं समाधान होने की स्थिति में होंगी उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा।

माननीय नेता, प्रतिपक्ष महोदय, इस सदन में आपका सम्मान बहुत बड़ा है। आप सबसे वरिष्ठ सदस्य भी हैं। हम सब आपसे प्रेरणा भी पाते हैं, चाहे पक्ष के लोग हों चाहे प्रतिपक्ष के लोग हों। हमारी विचारधारा में विरोध हो सकता है लेकिन आपके प्रति या आपके जैसे और वरिष्ठ सदस्य चाहे उधर के हों, चाहे इधर के हों, उनके प्रति सम्मान में कमी कभी रहती नहीं है। लेकिन हम आपसे भी यह उम्मीद करते हैं कि जहां राजस्थान के हितों की बात हो, हमें कहीं न कही तो अपने मन की बात कहनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, 2013-2014 तक जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हुआ करते थे, उन कार्यक्रमों के लिये कहीं 90 प्रतिशत और कहीं 100 प्रतिशत सहायता मिला करती थी। आप बार-बार प्रधान मंत्री जी का जिक्र कर रहे हैं। हम पर केन्द्र सरकार ने कोई बहुत भारी एहसान कर दिया हो कि उस 90 प्रतिशत, 100 प्रतिशत को घटाकर पहले तो 60 और 40 किया और अब केन्द्र की योजनाओं में 50:50 प्रतिशत का अनुपात कर दिया। यह कहां का न्याय है?

राजस्थान एक विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला राज्य है, यह सब जानते है। बड़ा मरुस्थल यहां है, छितरायी हुई आबादी है। हमारे यहां प्रति कनेक्शन अगर हम जेजेएम की बात करें, क्योंकि आज लगभग यह लग रहा है कि जेजेएम ही पीएचईडी है, इतनी बड़ी 63 हजार करोड़ के करीब की परियोजना है, उस 63 हजार के अलावा आज हमने 90 अरब की जो आपके

(डा. महेश जोशी)

सामने डिमांड रखी है, वह अलग है लेकिन लगता है कि जेजेएम ही पीएचईडी है, जेजेएम में 50:50 का रेश्यो क्या उचित है?

माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि अगर राजस्थान की जनता को 90 प्रतिशत की या 100 प्रतिशत की सहायता मिलेगी तो आप नाराज होंगे या खुश होंगे? एक भी माननीय सदस्य ने सामने से यह नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राज्यपालों के सम्मेलन में महामहिम राज्यपाल महोदय ने यह 90 प्रतिशत सहायता देने की बात उठायी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो बार इस सम्बन्ध में पत्र लिखा। माननीय गजेन्द्र सिंह जी शेखावत जो हमारे अपने यहां के राजस्थान से सांसद हैं और संयोग से देश के जल संसाधन मंत्री भी हैं, मैंने भी उनको पत्र लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राठौड़ साहब, अगर 90 प्रतिशत सहायता हो जायेगी तो राजस्थान को खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर खुश होना चाहिए तो आपका सहयोग इसमें क्यों नहीं है?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): आपने कौनसे दिन सहयोग मांगा?

**डा. महेश जोशी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): हम तो रोज ही सहयोग मांगते हैं। आप डरते हैं अपने हाईकमान से। आपकी जुबान नहीं निकलती।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): आपके वह प्रियंका गांधी कल क्या आ गयीं, आपके सदन के नेता को बुखार चढ़ गया। मुझे अभी-अभी मालूम पड़ा है।

**श्री सभापति**: कोई अंकित नहीं होगा।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अगर आपने हमें कभी यह कहा हो कि हमारी समस्या के लिये हमारे साथ चलो और हमने ना कहा हो तो बताओ।

**डा. महेश जोशी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय नेता महोदय, हमने तो कभी आपसे यह भी नहीं कहा कि आप 50 प्रतिशत को जस्टिफाई करो। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप जस्टिफाई करो।

**श्री सभापति**: शान्त रहें।

**डा. महेश जोशी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): इतने माननीय सदस्य बोले ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: एक मिनट। प्लीज, प्लीज। माननीय नेता, प्रतिपक्ष और मंत्री यदि इतने बड़े मसले पर हैं तो क्या आप गम्भीर नहीं हैं? बहुत गम्भीर मसला है। आपको इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री महोदय और माननीय नेता, प्रतिपक्ष यदि इस बात में सहमति व्यक्त करके भारत सरकार से इमदाद लाते हैं तो पूरे राजस्थान का भला होगा।

मैं सभी माननीय सदस्यों से, जो बैठे हुए हैं, उनसे यह अपेक्षा करता हूं। कोई वाद-विवाद का विषय नहीं है। मैं इसको स्वयं भी नहीं बनाना चाहता। आसन इस बात की कतई इजाजत नहीं देता कि जब मंत्री कोई अपना वक्तव्य दे रहे हैं तब यह वाद-विवाद का विषय बने। चूंकि गंभीर मसला है, आसन भी यह चाहता है, आसन भी दोनों पक्षों से चाहता है कि यदि इस मसले का समाधान होकर के यदि भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच कोई सहमति बनती है तो यह पूरे राजस्थान का भला है। कोई माननीय सदस्य बीच में इंटरवीन नहीं करेगा, यह मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं।

**डा. महेश जोशी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। पूरे दिन भर में मैं एक शब्द नहीं बोला हूं किसी भी माननीय सदस्य ने कुछ भी कहा हो, मैं एक भी शब्द पूरे दिन भर नहीं बोला हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे भी शान्ति के साथ सुनने की कृपा करें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): आप तो अपनी बात कहो।

**डा. महेश जोशी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैं बैठ जाऊं? बोलूं नहीं? मैं बैठ जाऊं?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): बैठ जाओ चाहे।

**डा. महेश जोशी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): बोलूं नहीं?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): मत बोलो।

**श्री सभापति**: प्लीज।

**डा. महेश जोशी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): इस पर वोटिंग करवा लेते हैं कि मुझे बोलना है कि नहीं बोलना है। इस पर वोटिंग करवा लेते हैं सदन में।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): कराओ, कराओ।

**श्री सभापति**: माननीय मंत्री महोदय, आप आसन की तरफ देखें।

**डा. महेश जोशी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): फिर आप वाकआउट कर जाओगे।

**श्री सभापति**: कोई अंकित नहीं होगा, कुछ भी अंकित नहीं होगा इसमें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): 000

**श्री सभापति**: माननीय उप नेता महोदय, प्लीज सहयोग करें, विराजिये आप।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): 000

**श्री सभापति**: आप दोनों की चुहलबाजी को आपके पीछे बैठे सदस्य तो समझ नहीं रहे हैं। आप तो चुहलबाजी कर रहे हो। बाकी के समझें कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इन दोनों के बीच में ऐसा संवाद होता रहता है हमेशा ही। आप तालियां मत पीटो। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी आपसी वार्ता बन्द करेंगें। माननीय मंत्री महोदय, आप आसन से मुखातिब होंगे।

माननीय मंत्री महोदय, जो पक्ष आपने अपना रखा है और जो अपेक्षा आप माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय से कर रहे है, अच्छा यह रहेगा, आसन यह व्यवस्था देता है कि इस पर आप और नेता प्रतिपक्ष, दोनों एक साथ बैठकर इस पर निर्णय करेंगे और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को अवगत करायेंगे।

...(व्यवधान) कृपया शान्त रहें। आपका विषय नहीं है ये।

**डा. महेश जोशी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस हाईकमान पर लगातार प्रहार किये जाते हैं। लगातार किये जाते हैं। मेरे मित्र क्यों बोल रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं। मेरे अलावा कोई इनको नहीं समझेगा।

**श्री सभापति**: माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि आप माननीय उप नेता प्रतिपक्ष की ओर नहीं देखेंगे।

**डा. महेश जोशी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैंने तो मित्र बोला है। उप नेता तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने तो उप नेता बोला ही नहीं।

**श्री सभापति**: माननीय मंत्री महोदय, आप अपना वक्तव्य होने के बाद वार्ता करें।

**डा. महेश जोशी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैंने तो उप नेता बोला ही नहीं। मैंने तो बोला मेरे 'मित्र'। मैंने 'उप नेता' नहीं बोला।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): मैं आपका मित्र नहीं हूं, यह भी तय कर दो आज आप। आपका मित्र नहीं हूं, कह दो कि मित्र नहीं हूं।

**डा. महेश जोशी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मेरे तो प्रताप जी भी मित्र हैं, महेन्द्र जी भी मित्र हैं।

**श्री सभापति**: मैं फिर 'हां' या 'ना' करवा रहा हूं?

**डा. महेश जोशी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, स्थिति यह हो गयी है। (व्यवधान) मैं बोलूं?

**श्री सभापति**: हां, बोलें।

**डॉ. महेश जोशी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को उनके बारे में क्या धारणा रखता है, एक शेर के माध्यम से मैं बयां करना चाहता हूं।

''कमीज न सही, पैरों से पेट ढंक लेंगे,
कितने मुनासिब हैं ये लोग इस सफर के लिए''

कोई हैसियत नहीं समझता है हाईकमान, जिनको राजस्थान की जनता ने 25 सांसदों को चुनकर भेजा, कोई हैसियत नहीं समझता। एक बार भी एक एमपी आज तक राजस्थान के हितों के लिए नहीं बोला। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने ये बात रखी है कि आप हमसे कहेंगे तो हम चलने को तैयार हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी यह बात निवेदन करूंगा, आपकी भावनाओं से अवगत करवाऊंगा। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से 50:50 के अनुपात को जस्टिफाई करने की कोशिश की, मैं समझता हूं कि वो राजस्थान के हित में नहीं है। राजस्थान के हितों की रक्षा करने के लिए सिर्फ हम कहेंगे उसी रास्ते पर प्रतिपक्ष चलेगा क्या? प्रतिपक्ष को अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी? यही कारण है कि राजस्थान की जनता देख रही है कि राजस्थान का प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है इसीलिए वो असफल हो रहा है। चाहे प्रतिपक्ष के नेता महोदय हों, चाहे उप नेता महोदय हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों, इतना मैं कहूंगा कि असफल तो हैं ही, अहम भी बहुत है। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, महिलाओं के प्रति तो बिलकुल ही सम्मान नहीं है। हमारे किसी नेता का बर्थडे हो, मैं सदन की बात कह रहा हूं, राठौड़ साहब, मैं भी नहीं बोला, आप क्या बोलते हो, मैं भी नहीं बोलता। आप मुझे सुनें कृपया। आज भारतीय जनता पार्टी की नेता, वसुन्धरा राजे जी का जन्म दिन था, एक भी पुरुष सदस्य, भारतीय जनता पार्टी का, उसने यहां सदन में उनको बधाई नहीं दी, सिर्फ महिलाओं ने उनको बधाई दी है। इतना अन्तर

(डा. महेश जोशी)

सोच में, महिलाओं के प्रति ये सम्मान है तो ये राजस्थान की जनता के बारे में क्या सोचेंगे माननीय सभापति महोदय?

माननीय सभापति महोदय, मैं कोई बहुत ज्यादा लम्बी बात भी नहीं कहूंगा। बहुत शॉर्ट में अपनी बात कहूंगा कि जल ही जीवन है। यह सब लोग कहते हैं, हमारे पुराणों में लिखा है, आप तो ज्ञाता हैं, कल्लाजी यहां नहीं है, वो भी बड़े ज्ञाता हैं। माननीय नेता महोदय का भी ज्ञान असीमित है। पहला जो अवतार हुआ हिन्दू धर्म में वह मत्स्यावतार हुआ। इसका मतलब यह कि जीव की उत्पत्ति जल से है और सिर्फ पुराणों की ही बात नहीं कर रहे हैं हम माननीय सभापति महोदय, आज के वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष को देखते हैं तो जब किसी दूसरे ग्रह से कोई चीज सामने आती है, कोई फोटो आती है या कोई नमूने आते हैं और उनको जीव तलाश करना होता है तो वो सबसे पहले इस बात को तलाश करते हैं कि इसके अन्दर पानी है या नहीं, पानी होगा तभी जीव होगा। यह पानी की महत्ता को स्थापित करता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय उप नेता महोदय को एक कोटेशन बताना चाहता हूं- "The earth, the air, the land and the water are not an inheritance from our forefathers but on loan from our children. So we have to handover to them at least as it was handed over to us." यानी पृथ्वी, वायु, भूमि और जल हमारे लिए पूर्वजों की विरासत नहीं है बल्कि यह हमारे ऊपर हमारे बच्चों का ऋण है। हमें ये सब बच्चों को उसी रूप में वापस सौंपना है जिस रूप में हमें ये प्राप्त हुए हैं। यह महात्मा गांधी का कथन, इसकी कसौटी पर हमको खुद को परख कर देखना चाहिए, यह कोई पक्ष या प्रतिपक्ष की बात नहीं है, एक सामान्य बात है। हम किस प्रकार भावी पीढ़ियों के साथ न्याय कर पायेंगे, आज जल दोहन की क्या स्थिति हो रही है?

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन कैपटाउन में अनाउन्स करके पानी के दुरुपयोग को रोकने की बातें हो रही हैं। कितनी भयावह स्थिति है? माननीय सभापति महोदय, अगर हम नहीं चेते तो वह स्थिति राजस्थान में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से और पूरी राजस्थान की जनता से अपील करना चाहता हूं कि अगर हमें पृथ्वी पर जीवन को बचाना है तो हमें जल को बचाना होगा। जल के प्रति अपनी महती जिम्मेदारी को निभाना होगा।

मुझे बहुत अच्छे लगे सुझाव जब हम राजनीति में होते हैं, अपनी व्यक्तिगत बातें भी करते हैं, सार्वजनिक बातें भी करते हैं लेकिन बहुत सारे

(डा. महेश जोशी)

माननीय सदस्यों ने इस सबसे ऊपर उठकर मानवता का संदेश देने की भी कोशिश की है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के लिए कह रहा था कि हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मैं बहुत माफी के साथ कहना चाहता हूं कि जब बात करते हैं, माननीय नेता महोदय अगली पीढ़ियों की बात करते हैं। हम अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जायेंगे, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं इनसे, मैं तो बहुत जूनियर हूं मेरे से सीनियर लोग हैं, धारीवालजी जैसे लोग भी माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय से सीखते हैं जबकि ये खुद भी बहुत वरिष्ठ हैं। लेकिन मुझे एक जगह बहुत ज्यादा दुख हुआ, जब ओल्ड पेंशन स्कीम की बात आयी और पेंशन की स्कीम मेरे डिपार्टमेंट से भी जुड़ी है, मेरे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को भी पेंशन मिली। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने क्या कहा, उन्होंने हंसी उड़ाने वाले अन्दाज में कहा, ''किसने देखा है 2030-32, कौन रहेगा, कौन जायेगा?'', जहां हम बात करते हैं अगली पीढ़ियों की, वहां हम 2030-32 के बारे में चिन्ता करने लग गये? सभापति महोदय, यदि आजादी की लड़ाई इस भावना से लड़ी गयी होती कि आजादी कौन देखेगा और कौन नहीं देखेगा तो देश आजाद नहीं होता। इसमें भी मैं एक शेर के माध्यम से अपनी भावनाओं को बयां करना चाहता हूं-

''तामीरों की खातिर कब देखे हैं हमने ख्वाब,
तामीरें दुनियां देखेगी, हम देखेंगे ख्वाब।।''

मैं बहुत अदब और सम्मान के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम यह सोचेंगे कि आगे क्या होगा, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसे लाभ होगा, किसे लाभ नहीं होगा तो मैं समझता हूं, हम न्याय नहीं करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी बातें आयीं। मैं आभारी हूं उन बातों के लिये जो अभी नेता प्रतिपक्ष महोदय और उप-नेता महोदय ने कहीं। हम आपसे भी आग्रह करेंगे, राज्यपाल महोदय से भी हमने आग्रह किया कि 90 प्रतिशत और 100 प्रतिशत का शेयर दिलवाने की कृपा करें।

बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपनी बातें लिखित में भी दी हैं और उनका जवाब भी मैंने देने के लिये कहा है, लेकिन चन्द बातों की तरफ मैं जरूर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। मुख्य मंत्री बजट घोषणा ''आम जन को राहत पहुंचाने के लिये मैं प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार 40 हैण्डपम्प और 10 ट्यूबवैल्स लगवाये जाने की घोषणा करता हूं।'', इसके तहत 133 विधान सभा क्षेत्रों में 5405 हैंडपम्प एवं 31 विधान सभा क्षेत्रों में 825 नलकूप स्वीकृत किये गये हैं। आज तक 2016 हैण्डपम्प खोदे जा चुके हैं, जिनमें

(डा. महेश जोशी)

से 1533 कमीशन किये जा चुके हैं। इसी प्रकार से 433 नलकूप खोदे जा चुके हैं, जिनमें से 226 कमीशन किये जा चुके हैं।

माननीय सभापति महोदय, हैण्डपम्प और बोरिंग के बारे में आगे के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि हैण्डमम्प स्थापित करने के कुछ मापदण्ड हैं। जनसंख्या प्रति सौ व्यक्तियों पर एक हैंडपम्प लगाने का प्रावधान है। ट्राइबल, डांग क्षेत्र में प्रति पचास व्यक्तियों पर हैण्डपम्प लगाने का प्रावधान है। यदि हैण्डपम्प स्थापित करने के स्थान से सौ मीटर की दूरी पर अन्य स्रोत नहीं हैं, यानी उस स्थान से सौ मीटर की दूरी तक स्रोत उपलब्ध नहीं हैं तो हैण्डपम्प लगाया जा सकता है। टाइम फ्रेम, जनसंख्या एवं दूरी के इन प्रावधानों के अलावा यदि किसी स्थान पर पानी लाने में 30 मिनट से अधिक समय लगता हो तो भी दूसरा हैण्डपम्प उस क्षेत्र में लगाया जा सकता है।

ट्यूबवैल लगाने के भी मापदण्ड हैं। हाइड्रोलॉजिस्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट होनी चाहिये, पोटेबल वाटर होना चाहिये और पावर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिये। चाहे पक्ष के हों अथवा विपक्ष के, मैं सभी माननीय सदस्यों, को यह विश्वास दिलाता हूं कि इन मापदण्डों को पूरा करने वाली मांगों पर मैं बिना किसी भेदभाव के विचार करूंगा। (व्यवधान) विचार करूंगा तो मैं कर दूंगा, यही मानें आप। आपको शिकायत नहीं रहेगी कि कोई भेदभाव हुआ है। यह मैं विश्वास दिलाता हूं।

एक आपने हैंडपम्प मरम्मत की बात कही, उसके लिये मैं यह कह सकता हूं कि हमें जो दिक्कत आती है हैण्डमम्प मरम्मत में, उसके लिये गाड़ी और लेबर चार माह के लिये उपलब्ध होती है। हम कोशिश करेंगे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की अनुमति लेकर, अगर वे अनुमति देते हैं तो चार माह से अधिक वाहन और लेबर लेने के प्रयास करेंगे। इससे हैण्डपम्प की मरम्मत की स्थिति में सुधार आयेगा।

कुछ प्रशासनिक मुद्दे हैं। भर्ती के सम्बन्ध में आपने मेरे सामने बात रखी। माननीय सभापति महोदय, जब मैंने मंत्री का प्रभार लिया था, उस समय 604 जे.ईएन. की विभाग में कमी थी। ए.ईएन. की भी कमी थी। हमने कल रात को ही काफी आर्डर्स जारी किये हैं। मैं कुल-मिलाकर आपको स्थिति बताता हूं। विभाग में लम्बे समय से सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता के पद रिक्त चल रहे हैं। सरकार द्वारा इन पदों को भरने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित किये गये 312 सहायक

(डा. महेश जोशी)

अभियन्ताओं में से 267 को नियुक्तियां दी जाकर पदस्थापन किया जा चुका है। यह आज की स्थिति है। यदि कल सुबह आपने पता किया हो तो हो सकता है उसमें अन्तर हो, क्योंकि इनमें से काफी आदेश रात को भी जारी हुए हैं। इसके अलावा सहायक अभियन्ताओं के 368 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को भिजवाये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। मैं उम्मीद करके चलता हूं कि इन 368 में हम 93-94 और पद बढ़ायेंगे और कोशिश करेंगे कि ये भर्तियां जुलाई-अगस्त तक लगभग-लगभग पूरी हो जाएं। मैं जुलाई-अगस्त तक की उम्मीद करके चलता हूं, आप मान लीजिये सितम्बर तक।

यह जो जे.ईएन. की पुरानी कमी थी, उस कमी को हम लगभग-लगभग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो स्थिति है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा चयनित कनिष्ठ अभियन्ताओं के विभाग में 177 रिक्त पदों पर भर्ती अन्तर्गत अब तक 173 कनिष्ठ अभियन्ताओं को नियुक्ति दी जाकर, जिसमें कल रात की भी नियुक्तियां शामिल हैं, पदस्थापन किया जा चुका है। इसके अलावा विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं के 367 रिक्त पदों पर, जैसा मैंने बताया, इसकी 17.01.2022 को विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। उपरोक्त सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों को सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता के पदों पर नियुक्तियां दी जाकर विभाग में अभियन्ताओं के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जा सकेगा। 93 पदों के लिये मैंने बता दिया। अराजपत्रित अधीनस्थ संवर्ग में लगभग 400 पदों पर अनुकम्पात्मक नियुक्तियां प्रदान की गयी हैं। इसके अलावा मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ संवर्ग में 420 पदों- कनिष्ठ सहायक 262, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक 18, प्रयोगशाला परिचायक 45, शीघ्रलिपिक 95 पर भर्ती हेतु अभ्यर्थना दिनांक 08.02.2022 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को प्रेषित की जा चुकी है।

सरकार द्वारा हमेशा ही कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा गया है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित कर कार्मिकों को पदोन्नति दिये जाने हेतु सरकार द्वारा गम्भीरता से प्रयास किये जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि विभाग में सौ से अधिक लम्बित डीपीसी आयोजित कर राज सेवकों को पदोन्नतियां दी गयी हैं। राजपत्रित संवर्ग में सहायक अभियन्ताओं से अधिशासी अभियन्ता स्तर तक के सभी पदों हेतु वर्तमान वर्ष 2021-22 तक की डीपीसी आयोजित की जा चुकी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सहायक अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता के पदों पर 73 राज सेवकों को पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है।

(डा. महेश जोशी)

इस प्रकार अराजपत्रित अधीनस्थ संवर्ग की भी गत वर्षों की बकाया डीपीसी के अलावा वर्तमान वर्ष 2021-22 में भी समस्त पदों हेतु डीपीसी आयोजित कर 1639 राज सेवकों को पदोन्नतियां प्रदान की गयी हैं, जो एक अभूतपूर्व कदम है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ और भी बातें आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। आरओ. बन्द होने की जांच करायी जायेगी। जैसा अभी माननीय सदस्यों ने आर.ओ. के बारे में शिकायत की, हम उसकी जांच करायेंगे, कारणों का पता लगायेंगे, उनका निराकरण करेंगे, उन्हें चालू करेंगे। अगर कोई कम्पनी दोषी पायी जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे।

रिक्त पदों को शीघ्र भरा जायेगा। जिस हैल्पर संवर्ग की आपने बात की, माननीय सभापति महोदय, 2013 से वह भर्तियां रुकी हुई हैं। 2013 में विज्ञप्ति निकाली पर किन्हीं कारणों से वह भर्ती नहीं हो पायी, लम्बित हो गयी। उसके बाद चूंकि हम जानते हैं कि रिजर्वेशन और कई मुद्दे ऐसे-ऐसे होते हैं जिनमें समय के साथ-साथ परिवर्तन आता रहता है। अब हमने इस बात को तय किया है, हमने कर्मचारी चयन बोर्ड को यह कहा है कि अगर सम्भव हो तो कानूनी राय लेकर उस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है उसको रद्द करके नयी नीति के हिसाब से नयी नियुक्तियों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाये। अगर हमें लॉ डिपार्टमेंट से अनुमति मिल गयी तो हम नयी विज्ञप्ति निकालेंगे और वे शायद 1309 पद हैं, उनकी भी भर्तियां हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर हमारा इस बात पर जोर है कि विभाग में कर्मचारियों, अधिकारियों, इंजीनियर्स की कमी को हम पूरा कर सकें।

डाक्टर जितेन्द्र सिंह जी ने बड़ी भावुक बात कही कि झुन्झुनूं वीरों की, शहीदों की वीरभूमि है। वहां पर परम्परागत योजनाओं से काम नहीं चलेगा। डाक्टर साहब, आपका आदेश शिरोधार्य है, हम कोशिश करेंगे कि अगर परम्परागत योजनाओं से काम नहीं चल रहा है तो वहां हम कोई नवाचार कर सकें।

जल की गुणवत्ता पर पूरा जोर रहेगा। इसके लिए हमने 9150 ग्राम पंचायतों को फील्ड टेस्टिंग किट वितरित कर लगभग 14 हजार महिलाओं को उनके प्रयोग हेतु प्रशिक्षण दे दिया है। मैं खुद भीलवाड़ा एक कार्यक्रम में गया था तो वहां सामने उन्होंने टेस्ट कराया और उसका रिजल्ट हाथ की हाथ आया, सामान्य टेस्ट था। अगर उसके अन्दर कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो हमने 33 के 33 जिलों में 16 बिन्दुओं पर जल की गुणवत्ता की जांच के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त लैब स्थापित किये हैं, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। पूरे 33 जिलों में हमने वह लैबोरेट्री स्थापित की है। सामान्य जांच ग्राम स्तर पर हो

(डा. महेश जोशी)

जायेगी। उसमें चार-चार महिलाओं के ग्रुप को ट्रेनिंग दी गयी है कि कैसे वहां पानी की जांच करनी है। वहां अगर गड़बड़ी पायी जाती है तो जिला स्तर पर उसकी जांच होगी, लेकिन पानी की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। हम हर हाल में शुद्ध पेयजल राजस्थान की जनता को पिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं।

अनेक माननीय सदस्यों ने नये खण्ड खोले जाने की भी इच्छा जताई है। इसमें जो व्यावहारिक रूप से सम्भव होंगे, उनको हम कंसीडर करके उस पर भी निर्णय लेंगे।

कृषि भूमि पर बसी कालोनी और फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए पहले भी पालिसी बनी थी, लेकिन न तो कृषि भूमि पर रहने वाले लोगों ने उस पालिसी को एक्सेप्ट किया और न फ्लैट में रहने वालों ने। मैंने अपने विभाग के अधिकारियों से यह कहा है कि यह जो पालिसी बनी हुई है इसको व्यावहारिक बनाया जाये और ऐसी पालिसी बने कि किसी को शिकायत नहीं हो और लोग इसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। क्योंकि, माननीय सभापति महोदय, व्यक्ति कहीं भी बसा हुआ है तो उसको पानी पिलाना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है और हम इस प्राथमिकता को हर हाल में पूरा करेंगे।

एक बात यह आयी कि जहां अभी जेजेएम का कार्य पूरा नहीं हुआ है वहां चालू वैकल्पिक व्यवस्था यदि कोई है तो जब तक जेजेएम का पानी नहीं मिल जाता, हम उस चालू वैकल्पिक व्यवस्था को जारी रखेंगे और जहां अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो कोई न कोई इंतजाम करने की हम हर सम्भव कोशिश करेंगे। जेजेएम के तहत लगाये जाने वाले नल कनेक्शनों में भी पानी मिल सके।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी योजना बना दी और प्रधान मंत्री जी ने खुद 2018 में राजस्थान आकर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की घोषणा की, एक बार नहीं दो बार की, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। उस घोषणा को लगता है प्रधान मंत्री जी भूल गये। मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से और सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा और 25 सांसदों ने याद नहीं दिलाया। मैंने कहा कि संयोग से, सौभाग्य से जल संसाधन मंत्री भी राजस्थान के हैं, उन्होंने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो राठौड़ साहब, आप मुझे टोक दें, प्रधान मंत्री जी की घोषणा को पूरा करना पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है। आपकी भी है, आपकी भी है और हमारी भी है। आप शायद इसको पूरा नहीं कर रहे, लेकिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी कर रहे हैं। नवनेरा लिंक योजना जो

(डा. महेश जोशी)

इस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 9600 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है। आप प्रधान मंत्री जी से आग्रह करें कि आकर इस योजना का भी शुभारम्भ, शिलान्यास करें और साथ में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की भी राष्ट्रीय परियोजना की यहां घोषणा करके जाएं तो आप और हम सभी उनके आभारी होंगे। आप कोशिश तो करें, एक बार कहें, आग्रह करें। आप मांग नहीं करेंगे, मांग तो हम करेंगे, आप प्रधान मंत्री जी से आग्रह करें। सुना नहीं जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ, व्यर्थ बहने वाले पानी को रोकने के हर सम्भव प्रयास होंगे और हमने छीजत को काफी हद तक कम भी किया है। जो पानी व्यर्थ जाता है, कई बार हमने देखा है कि कच्ची बस्तियों में भी पानी व्यर्थ जाता है। प्रताप सिंह जी और मेरी कांस्टीट्यूएंसी में तो जयपुर की लगभग-लगभग सारी कच्ची बस्तियां हैं। सभापति महोदय, पाइप डला हुआ है, जिसको जितना पानी लेना है उतना ले लिया और बाकी पानी बहता रहता है, तो हम पानी के इस व्यर्थ बहने को भी रोकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि आज महिला दिवस है और मैं सभी नारी शक्ति का सम्मान करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। इस उपलक्ष्य पर मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में पिंक डिवीजन खोले जाने की घोषणा करता हूं। पिंक डिवीजन का मतलब, राठौड़ साहब, आपके पिंक कपड़ों से नहीं है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में सभी भर्तियों में 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा चुका है। महिला सशक्तीकरण को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सम्भागीय मुख्यालयों पर स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों, मतलब एडिशनल चीफ इंजीनियर के कार्यालयों के अन्तर्गत एक डिवीजन कार्यालय को पिंक डिवीजन में परिवर्तित किये जाने की घोषणा करता हूं, जिस पूरे पिंक डिवीजन में हर पद पर महिला होगी। यह नारी शक्ति के प्रति हमारा सम्मान है।

अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए 31 दिसम्बर, 2021 तक बकाया जल प्रभार शुल्क को 31 मार्च, 2022 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट दी है। यह अपने आप में एक बड़ी राहत है।

माननीय सभापति महोदय, किसी इण्डस्ट्री को कोई परमिशन भूजल के सम्बन्ध में लेनी हो तो दिल्ली में केन्द्रीय भूजल बोर्ड के पास जाना पड़ता है, प्राधिकरण के पास जाना पड़ता है। उसमें समय भी लगता है और

(डा. महेश जोशी)

अनावश्यक शुल्क वहां पर जमा होता है। अब माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा की है। हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया और राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबन्धन प्राधिकरण बनाये जाने की माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में भी घोषणा की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कोई बहुत अधिक लम्बी बात नहीं कहते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप और हम सब मिलकर चलेंगे तो राजस्थान की प्यासी जनता की बहुत अधिक सेवा कर पायेंगे। मैं इन्हीं सब बातों के साथ में जो बजटीय घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्री जी 23 फरवरी को अपने बजट भाषण में कही थी वे और बजट बहस के बाद मुख्य मंत्री जी ने 3 मार्च को जो घोषणाएं की थीं वे, सब पढ़ने के बजाय मैं टेबल करता हूं जिससे आपका समय बचे। मुझे उम्मीद थी कि आप इस पर ताली जरूर बजायेंगे।

**(सदन पटल पर रखी गयी घोषणाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें)**

जेजेएम के बारे में एक बात और कहकर कि राठौड़ साहब, मैंने जैसे स्वीकार किया और मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि जहां कमी है तो हम कमी को स्वीकार करते हैं। जेजेएम में शुरू में हमारी स्पीड धीमी रही, लेकिन अब हमने काफी हद तक स्पीड बढ़ाने की कोशिश की है। हमने जल संबंध स्थापित करने की लगभग 97 प्रतिशत योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। जेजेएम से जुड़ने वाले लगभग सभी गांवों के लिए हमने विलेज वाटर सप्लाई कमेटी का गठन कर दिया है और इसमें हम देश में प्रथम हैं। विलेज एक्शन प्लान की स्वीकृति में भी हम अन्य राज्यों के मुकाबले काफी आगे हैं। पहले तो हमारे कनेक्शन कम थे।

माननीय प्रतिपक्ष नेता महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब हम लगभग 5 हजार कनेक्शन प्रतिदिन दे रहे हैं और हम इस स्पीड को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम त्रैमासिक लक्ष्य लेकर, नये तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तीन-तीन महीने के लक्ष्य हम निर्धारित कर रहे हैं। डिपार्टमेंट में हमारी इस बारे में बात हुई है, योजना बनायी है और उन लक्ष्यों को हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी दो साल का समय हमारे पास शेष है, निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा टास्क है। किसी भी राज्य के लिये और हमारे राज्य के लिए बड़ा टास्क इसलिए है, क्योंकि दूसरे राज्यों में तो प्रति कनेक्शन कम पैसा खर्च होता है। सभापति महोदय, हमारे यहां 72 हजार रुपये प्रति कनेक्शन खर्च हो रहा है। विषम भौगोलिक परिरिथितियां हैं,

(डा. महेश जोशी)

छितरायी हुई आबादी है, पैसे की भी परेशानी आती है, बहुत सारी बातें हैं। कभी नीचे पत्थर आ जाता है, कभी दुबारा खुदाई करनी पड़ती है, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा विभाग इस बात के लिये संकल्पित है कि हम हर सम्भव कोशिश करेंगे कि जेजेएम का मार्च, 2024 का जो लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त कर सकें।

कुछ और हमने काम किये हैं, कुछ ग्रामीण इलाकों के लिये किये हैं, कुछ शहरी इलाकों के लिये किये हैं। अगर आप अनुमति दें तो पूरा पढ़ूं, नहीं तो टेबल कर दूं। बोलो राठौड़ साहब, नहीं ऐसा मत करो, इनके साथ आपकी थोड़े, ही दुश्मनी है, पढ़ देता हूं। टेबल करूं? ये लो आपमें ही मतभेद हो गये।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे इस भाषण को भी टेबल करता हूं।

**(सदन पटल पर रखे गये शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें)**

माननीय सभापति महोदय मैं एक बात जरूर निवेदन करूंगा, एक समाचार पत्र का जिक्र हुआ लक्ष्मण डूंगरी नाम से। मैं निवेदन करना चाहता हूं सबको बताना चाहता हूं कि सिर्फ लक्ष्मण डूंगरी की योजना जयपुर में मंजूर नहीं हुई है। जयपुर में खोह नागोरियान हेतु बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना फेज द्वितीय का 133 करोड़ 24 लाख रुपये की लागत से कार्य करवाया जायेगा। जगतपुरा, प्रताप नगर एवं महल रोड, जयपुर के आस-पास के क्षेत्र हेतु बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना फेज द्वितीय का 184 करोड़ 89 लाख रुपये की लागत से कार्य करवाया जायेगा। पृथ्वीराज नगर, जयपुर हेतु बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना फेज प्रथम, स्टेज द्वितीय एवं फेज द्वितीय का 600 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाये जायेंगे।

शहरी जल योजना, यह दौसा की है। इसके बाद में जयपुर जिले के लिये ईसरदा बांध परियोजना से जमवारामगढ़ में पानी लाकर पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा। जयपुर के बस्सी ग्रामीण की जल प्रदाय योजना को शहरी जल प्रदाय योजना में क्रमोन्नत किया जाकर पेयजल की समुचित व्यवस्था की जायेगी, इस पर लगभग 19 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इतनी ही लागत कुल मिलाकर लक्ष्मण डूंगरी योजना की है, वह बहुत बड़ी योजना नहीं है। झोटवाड़ा, जयपुर के उद्योग नगर क्षेत्र में पेयजल हेतु 2 हजार किलोलीटर क्षमता की टंकी बनाकर जल प्रदाय की समुचित व्यवस्था की जायेगी। इस पर लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय होंगे। जयपुर की योजनाओं में अन्तिम लक्ष्मण डूंगरी की है, वह 20 करोड़ की योजना है।

जयपुर के लिये इसके अलावा भी हमने माननीय मुख्य मंत्री महोदय

(डा. महेश जोशी)

से आग्रह किया और फाइनेंस डिपार्टमेन्ट में भी हमने प्रस्ताव भेजा है कि जयपुर परकोटा क्षेत्र में आने वाली, जो जीर्ण-शीर्ण पाइपलाइनें हैं। उनसे अनेक बार गन्दा पानी भी आता है, चिन्ता बनी रहती है, किसी की तबीयत खराब न हो जाय, कोई दुर्घटना नहीं हो जाय, उसको बदलने के लिये भी शायद हमने लगभग 253 करोड़ या एग्जेक्ट मैं नहीं कह सकता लेकिन लगभग 200 करोड़ की योजना है। उसको हमने एफडी में भेजा है। हम उम्मीद करके चलते हैं कि आने वाले समय में सम्भवत: उस योजना को भी हम मंजूर करा पायेंगे तो जयपुर में यह जो दूषित पानी की समस्या बार-बार समाचार पत्रों में भी छपती हैं। हमें भी बुरा लगता है, अगर कहीं दूषित पानी आता है। पानी एक जगह आता है और शिकायत उसकी दस जगह दर्ज हो जाती है। बात यह नहीं है कि दस जगह दर्ज होती है, चिन्ता का विषय है, एक जगह भी क्यों आये।

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): राजस्थान के बारे में बोलें।

**श्री सभापति**: कृपया शान्त रहें।

**डॉ. महेश जोशी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): राजस्थान की मैं टेबल कर रहा हूं।

**(सदन पटल पर रखे गये शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें।)**

इसी के साथ सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-27 पेयजल योजना पारित की जाय।

## मांग संख्या 27 का पारण

**श्री सभापति**: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 90,09,63,76,000/- (नब्बे अरब नौ करोड़ तिरसठ लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक बुधवार दिनांक 09 मार्च, 2022 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 19.56 बजे बुधवार, दिनांक 09 मार्च 2022 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)**

# अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

## खानपुर में अतिवृष्टि से फसल खराबे का मुआवजा

**196. श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में अतिवृष्टि होने व समय पर बरसात नहीं होने के कारण सोयाबीन, उड़द, मक्का व धान की फसलों का किन-किन पंचायतों में कितना खराबा हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा फसलों के अलावा अतिवृष्टि के कारण से व्यापारियों को हुए नुकसान का भी सर्वे किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के किसानों व व्यापारियों को हुए नुकसान का मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में बाढ़ से खरीफ फसल संवत् 2078 में सोयाबीन, उड़द, मक्का, धान व अन्य खराब हुई फसलों का पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राज्य आपदा मोचन निधि के नोर्म्स के अनुसार व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नुकसान होने पर सहायता देने का प्रावधान नहीं है।

(3) खरीफ फसल संवत् 2078 में बाढ़ से खानपुर विधान सभा क्षेत्र के कुल 104950 प्रभावित कृषकों में से 58650 कृषकों को 3041.61 लाख रुपये का कृषि आदान-अनुदान का भुगतान कर दिया गया है। शेष 46300 कृषकों को कृषि आदान-अनुदान भुगतान करने हेतु संबंधित तहसीलदारों द्वारा लाभार्थियों के दस्तावेज प्राप्त किये जाकर फीडिंग की कार्यवाही की जा रही है।

राज्य आपदा मोचन निधि के नोर्म्स के अनुसार व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नुकसान होने पर सहायता देने का प्रावधान नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## शुभ शक्ति योजना के लाभार्थी

**200. श्री गोपाल लाल शर्मा** (माण्डलगढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि विभाग के माध्यम से चलाई जा रही शुभ शक्ति योजना के तहत हिताधिकारी श्रमिकों की बालिकाओं को कौशल विकास, स्वयं के व्यवसाय, शिक्षा तथा विवाह के हेतु 55000 रुपये की राशि सहायतार्थ प्रदान की जाती है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में उक्त योजना के तहत कितने श्रमिक लाभान्वित हुए व उन्हें कुल कितनी राशि दी गई तथा कितने आवेदन वर्तमान में लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना के शेष रहे आवेदकों को भुगतान करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। विगत 3 वर्षो में माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में शुभ शक्ति योजना के अन्तर्गत दो आवेदन स्वीकृत कर राशि रुपये 1,10,000 से लाभान्वित किया गया। माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में शुभ शक्ति योजना के विभाग स्तर पर 97 एवं आक्षेपपूर्ति हेतु हिताधिकारी के स्तर पर 217 आवेदन लम्बित हैं।

(2) माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसरण में शुभ शक्ति योजना के आवेदनों के निस्तारण की प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

## संस्कृत महाविद्यालयों में रिक्त पद

**202. श्री सतीश पूनियां** (आमेर): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विभाग के अन्तर्गत आचार्य एवं शास्त्री स्तर के कितने महाविद्यालय कहां-कहां संचालित हैं? प्रत्येक महाविद्यालय में श्रेणीवार कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद कब से रिक्त हैं तथा उक्त रिक्त पदों को अब कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त रिक्त पदों को इसलिये नहीं भरा जा रहा है कि महाविद्यालय सेवा नियम बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है?

(3) क्या सरकार महाविद्यालय सेवा नियम बनाकर उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1.) प्रदेश में संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 13 राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय एवं 18 राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय संचालित है।

महाविद्यालय में श्रेणीवार स्वीकृत, रिक्त एवं कब से रिक्त का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

महाविद्यालय सेवा नियम लागू होते ही रिक्त पदों की पूर्ति किया जाना सम्भव है।

वर्तमान में संस्कृत शिक्षा में व्याख्याता के रिक्त पदों पर विद्या सम्बल योजनान्तर्गत 17 सेवानिवृत्त व्याख्याता/प्रोफेसर के नियुक्ति आदेश दिनांक 08.02.2022 को जारी कर दिये गये हैं। महाविद्यालयवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। महाविद्यालय सेवा नियम बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सेवानियम प्रकाशन उपरान्त ही भर्ती किया जाना सम्भव है।

वर्तमान में संस्कृत शिक्षा में व्याख्याता के रिक्त पदों पर विद्या सम्बल योजनान्तर्गत 17 सेवानिवृत्त व्याख्याता/प्रोफेसर के नियुक्ति आदेश दिनांक 08.02.2022 को जारी कर दिये गये हैं।

**(विवरण एवं सूची पुस्तकालय में रखे गये)**

## पीतांबर की गाल, सिलोरा (किशनगढ़) एवं अन्य पर्यटक स्थलों पर विकास कार्य

**206. श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में पर्यटन विकास की दृष्टि से पीतांबर की गाल, सिलोरा एवं अन्य पर्यटक स्थलों पर विकास कार्य करवाये जाने की आवश्यकता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पर्यटन स्थलों का विकास एवं जीर्णोद्धार हेतु राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विगत वर्षों में पीतांबर की गाल, सिलोरा में सरकार द्वारा कुछ विकास कार्य हेतु राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में पर्यटन विकास की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजनान्तर्गत राशि 41.91 लाख रुपये व्यय करके पीतांबर की गाल, सिलोरा में जीर्णोद्धार कार्य कराये गये थे, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

वर्तमान में पीतांबर की गाल, सिलोरा एवं अन्य पर्यटक स्थलों का विकास एवं जीर्णोद्धार हेतु कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजनान्तर्गत पीतांबर की गाल, सिलोरा का जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत किये गये विकास कार्यों पर व्यय हुई राशि का कार्यवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों की फसलों व आवासों का मुआवजा

**207. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों में जिला बून्दी में बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलों, आवासों व आम जनता को अनेक प्रकार के नुकसान हुए हैं? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में मुआवजा हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए व कितनों में मुआवजा दे दिया गया तथा कितने शेष हैं? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी हां। विगत तीन वर्षों में जिला बून्दी में अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से आवासों, झोंपड़ी व कैटल शैड, जनहानि एवं पशुहानि का नुकसान होने पर सहायता हेतु प्राप्त आवेदनों एवं उनको दी गई सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

खरीफ फसल वर्ष 2019 में बाढ़ से, रबी फसल वर्ष 2019-20 में ओलावृष्टि से एवं खरीफ फसल वर्ष 2021 में बाढ़ से फसलों में क्षति होने पर किसानों को उपलब्ध कराई गई कृषि आदान-अनुदान राशि, लाभान्वित किसानों एवं शेष कृषकों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण

**182. श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के किन-किन थानों में विगत पांच वर्षों के दौरान बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह कराने वाले माता-पिता व अन्य लोगों के विरुद्ध कितने प्रकरण दर्ज किये गये? वर्षवार व जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में पुलिस द्वारा चालान पेश किये गये तथा कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई? वर्षवार व जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश के विभिन्न थानों में विगत 5 वर्षों के दौरान बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत कुल 46 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनका संख्यात्मक वर्षवार एवं जिलेवार विवरण कालम संख्या 5 पर परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में कुल 35 चालान पेश किये गये जिनका विवरण कालम संख्या 8 पर तथा कुल 153 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण कालम संख्या 6 व 7 पर परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## झालावाड़ में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के दर्ज प्रकरण

**183. श्री गोविन्द प्रसाद** (मनोहर थाना): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला झालावाड़ में वर्ष 2019, 2020, 2021, 2022 में एससी, एसटी अत्याचार के कितने प्रकरण दर्ज हुए व कितनों में चालान पेश किया गया व कितने असत्य पाये गये? थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है असत्य प्रकरणों पर धारा 182, 211 सीआर. पी. सी. के तहत कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो वर्ष 2019, 2020,

(श्री गोविन्द प्रसाद)

2021, 2022 में असत्य प्रकरणों में से कितनों पर कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जिला झालावाड़ में वर्ष 2019, 2020, 2021 व 31 जनवरी, 2022 तक एससी/एसटी अत्याचार के कुल 633 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें से 409 प्रकरणों में चालान तथा 181 प्रकरणों में एफआर (नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन) दी गई, 43 प्रकरण पेण्डिंग अनुसंधान है। कुल 354 प्रकरणों में चालान पेश न्यायालय में पेश किया गया है तथा 135 प्रकरण अनुसंधान से असत्य पाये गये हैं। वर्षवार एवं थानेवार विवरण परिशिष्ट "अ", "ब", "स", "द" पर संलग्न है।

(2) हां। यह सही है कि असत्य प्रकरणों में धारा 182, 211 भा.द.स. के तहत कार्यवाही की गई है। वर्ष 2019, 2020, 2021, 2022 में अनुसंधान से असत्य पाये गये 135 प्रकरणों में से कुल 48 प्रकरणों में धारा 182, 211 भा.द.स. के तहत कार्यवाही की गई है, 04 प्रकरणों में पुन: अनुसंधान जारी है। 83 प्रकरणों में माननीय न्यायालय से पत्रावली एफ.आर. स्वीकार होकर प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी। की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)**

## पुलिस दूरसंचार कार्मिकों के रिक्त पद

**184. श्री राजकुमार रोत** (चौरासी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस में दूरसंचार की अलग ही भर्ती निकलती है? यदि हां, तो उक्त की विगत तीन वर्षों की विज्ञप्ति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विभाग की भर्ती में अनुसूचित क्षेत्र (TSP) के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया जाता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त भर्तियों में अनुसूचित क्षेत्र (TSP) के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजकुमार रोत)

(4) उक्त विभाग में दूरसंचार कार्मिकों के कितने पद स्वीकृत हैं व उनमें से कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां।

1. राजस्थान पुलिस में पुलिस दूरसंचार का अलग सेवा संवर्ग है। इस सेवा संवर्ग के पदों (कांस्टेबल व उपनिरीक्षक) की भर्ती/विज्ञप्ति क्रमशः भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर व राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है।
2. विगत 03 वर्षों में उपनिरीक्षक (दूरसंचार) पद की सीधी भर्ती का आयोजन नहीं किया गया है।
3. पुलिस दूरसंचार में कांस्टेबल दूरसंचार की सीधी भर्ती समस्त जिला/यूनिटों के साथ ही पुलिस मुख्यालय द्वारा आयोजित की जाती है। पुलिस दूरसंचार में कांस्टेबल दूरसंचार पद पर वर्ष 2019 एवं 2020 में सीधी भर्ती का आयोजन नहीं किया गया है। वर्ष 2021 में कांस्टेबल (दूरसंचार) के 154 पदों के लिए विज्ञप्ति भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गई है। उक्त भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा चुके हैं। विज्ञप्ति की प्रति **परिशिष्ट-अ** पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। पुलिस विभाग की दूरसंचार की भर्ती में अनुसूचित क्षेत्र (TSP) में आरक्षण का नियमानुसार प्रावधान लागू है।

(3) पुलिस विभाग में दूरसंचार की निकलने वाली भर्तियों में अनुसूचित क्षेत्र (TSP) के लिए आरक्षण व्यवस्था पूर्व से ही लागू है।

(4) पुलिस के दूरसंचार विभाग में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ब पर सलंग्न है।

**(प्रति एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)**

## मृत पुलिस कर्मियों के परिजनों को दयामूलक अनुदान

**185. श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सुरेश टाक)

(1) सरकार द्वारा दयामूलक अनुदान किन कारणों से दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा जनवरी, 2019 से अब तक किन-किन पुलिसकर्मियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना दयामूलक अनुदान जारी किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पुलिस चौकी सिरस थाना बरौनी जिला टोंक में कार्यरत सहायक उप निरीक्षक की सेवा में रहते हुए दिनांक 13 जून, 2019 को मृत्यु होने पर उसकी पत्नी द्वारा दिनांक 11 नवम्बर, 2019 को पुलिस अधीक्षक टोंक को उक्त अनुदान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी सरकार द्वारा अब तक उक्त अनुदान जारी नहीं किया गया है? यदि हां, तो किन कारणों से व सरकार द्वारा अब कब तक अनुदान राशि जारी कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 75 के तहत सरकारी कर्मचारी के कुटुम्ब को अनुग्रह अनुदान-

1. इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिसकी ड्यूटी पर रहते हुए निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी परिस्थिति में मृत्यु हो जाये, के कुटुम्ब को उप-नियम (2) के अधीन अनुग्रह अनुदान अनुज्ञेय होगा, अर्थात् :-

(क) किसी दुर्घटना में,

(ख) उसके पदीय कर्तव्यों के सम्यक पालन के परिणामस्वरूप साशय पहुंचायी गयी या कारित क्षति के कारण,

(ग) उसकी पदीय स्थिति के परिणामस्वरूप साशय पहुंचायी गयी या कारित क्षति के कारण,

(घ) उसकी सेवा से संबंधित कारणों से हुई मानी जा सकने वाली हिंसा द्वारा या

(ङ) विशेष कर्तव्यभार जैसे "निर्वाचन ड्यूटी", "जनगणना कार्य" और/या ऐसे अन्य कर्तव्यभार, जो सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद के सामान्य कर्तव्यों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, के संबंध में।

(गृह मंत्री)

2. किसी सरकारी कर्मचारी, जिसकी मृत्यु उप-नियम (1) में उल्लिखित परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में हो जाये, के कुटुम्ब को आनुग्रहिक अनुदान की रकम निम्नानुसार होगी :-

उप नियम (1) के खण्ड (क) से (घ) के अधीन आनुग्रहिक अनुदान राशि रुपये 20.00 लाख,

उप-नियम (1) के खण्ड (ङ) के अधीन

1. पदधारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु की दशा में आनुग्रहिक अनुदान राशि रुपये 20.00 लाख, एवं
2. यदि मृत्यु उग्रवादी या असामाजिक तत्वों के किन्हीं हिंसक कृत्यों जैसे सड़क सुरंगों, बम विस्फोटकों, सशस्त्र आक्रमणों आदि के कारण दुर्भाग्यवश कारित हुई है, में आनुग्रहिक अनुदान राशि रुपये 30.00 लाख रुपये।

कोविड-19 के अन्तर्गत ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने तथा इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर राशि रुपये 50.00 लाख की सहायता राशि दी जाती है। अनुग्रह अनुदान की राशि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियमों में किये जाने वाले प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत की जाती है। वर्तमान में अनुग्रह अनुदान दिये जाने के प्रावधान उक्तानुसार है। नियमों की प्रतियां परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जनवरी, 2019 से अब तक कुल 107 मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को दयामूलक अनुदान जारी किया गया है, जिनका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि पुलिस चौकी सिरस थाना बरौनी जिला टोंक में कार्यरत सहायक उप निरीक्षक की सेवा में रहते हुए दिनांक 13 जून, 2019 को मृत्यु होने पर उसकी पत्नी ने दिनांक 11 नवम्बर, 2019 को पुलिस अधीक्षक, टोंक को दयामूलक अनुदान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, परन्तु श्री रामदेव, सहायक उप निरीक्षक की मृत्यु बिन्दु संख्या 1 में वर्णित परिस्थितियों में नहीं होकर तबीयत खराब होने से हुई थी जिसके कारण स्व. श्री रामदेव, सहायक उप निरीक्षक के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया। पुलिस मुख्यालय के पत्र की प्रति दिनांक 16.01.2020 परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

**(प्रतियां एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)**

## जयपुर में ऑनलाइन ठगी के प्रकरण

**186. श्रीमती सफिया जुबेर** (रामगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर जिले में ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ठगी के कितने मामले, परिवाद माह सितम्बर, 2021 में ज्योतिनगर थाने में दर्ज हुए? उक्त के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार उक्त अपराधियों से राशि वसूल करवाने तथा उन्हें गिरफ्तार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार थाना स्तर पर कम्प्यूटर व साइबर में प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) थाना ज्योतिनगर जिला जयपुर दक्षिण में ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ठगी का माह सितम्बर 2021 में 01 परिवाद दर्ज हुआ है। उक्त परिवाद में परिवादी के बयान लेखबद्ध किये गये हैं तथा परिवादी के क्रेडिट कार्ड से संबंधित साइबर सैल से तकनीकी सहायता प्राप्त कर रिकार्ड प्राप्त किया गया है। परिवाद में क्रेडिट कार्ड से ठगी करने वाले अज्ञात व्यक्ति के मोबाइल नम्बरों की सीडीआर प्राप्त की गई। प्राप्त रिकार्ड के आधार पर अपराधी की पहचान कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (परिशिष्ट-अ)

(2) वर्तमान में साइबर अपराध से निपटने के लिए जयपुर में अलग से साइबर थाना खोला हुआ है जिसमें तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी/ अधिकारीगण कार्यरत हैं। साथ ही वर्ष 2022-23 में प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस थाने स्थापित किये जायेंगे, जिनमें प्रशिक्षित पुलिसकर्मी पदस्थापित किये जायेंगे।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## सर्किट हाउसों में ठहरने हेतु श्रेणी का निर्धारण

**187. श्री सुरेश सिंह रावत** (पुष्कर): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में संचालित सर्किट हाउस कहां-कहां व कब से स्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त में ठहरने हेतु श्रेणियां निर्धारित की

(श्री सुरेश सिंह रावत)

गई हैं? यदि हां, तो किस-किस को ठहराने के क्या-क्या प्रावधान हैं? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश में कुल 34 सर्किट हाउस स्थापित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। सर्किट हाउस में ठहरने हेतु राजस्थान सर्किट हाउस मैन्युअल, 2017 में पृष्ठ संख्या 1 से 4 तक श्रेणियां निर्धारित है, जिनका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। राजस्थान सर्किट हाउस मैन्युअल, 2017 के प्रकाशित होने के पश्चात् हुए संशोधनों की प्रतियां परिशिष्ट "स", "द", "य", "र", "ल" पर संलग्न है।

**(प्रतियां एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)**

## डग के विद्यालयों का परीक्षा परिणाम

**188. श्री कालूराम** (डग): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2019-20 से 2021-22 में कक्षा 10 एवं 12 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित हिन्दी माध्यम के कितने राजकीय एवं निजी विद्यालयों के कुल कितने-कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी? विधान सभा क्षेत्र डग के ऐसे राजकीय विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों का परीक्षा परिणाम कितना-कितना प्रतिशत रहा? वर्षवार, संकायवार, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजकीय विद्यालयों की अपेक्षा निजी विद्यालयों का परिणाम श्रेष्ठ रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में वर्ष 2019-20 व 2020-21 में हिन्दी माध्यम से परीक्षा में प्रविष्ट विद्यार्थियों की सूची निम्नानुसार है:-

| Session | Class/ Faculty | Govt. Schools | Students Appeared | Pvt. Schools | Student Appeared |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Secondary | 14314 | 572023 | 12525 | 464000 |
| | SRS (Arts) | 10233 | 356399 | 6137 | 214052 |
| | SRS (Commerce) | 838 | 10263 | 1148 | 13688 |
| | SRS (Science) | 2290 | 63337 | 3380 | 131290 |

(शिक्षा मंत्री)

| Session | Class/ Faculty | Govt. Schools | Students Appeared | Pvt. Schools | Student Appeared |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Secondary | 14481 | 695083 | 12449 | 430275 |
| | SRS (Arts) | 10379 | 388169 | 6189 | 195355 |
| | SRS (Commerce) | 820 | 10074 | 1047 | 10153 |
| | SRS (Science) | 2340 | 73695 | 3517 | 127473 |

माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डग जिला झालावाड़ में वर्ष 2019, वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 की अवधि में सरकारी विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों का बोर्ड परीक्षा परिणाम का वर्षवार संकायवार विवरण परिशिष्ट क-1 से क-2 पर संलग्न है।

(2) डग में वर्ष 2019 एवं 2020 में राजकीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम निजी विद्यालयों की तुलना में आंशिक रूप से कुछ प्रतिशत कम रहा है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)**

## राजकीय विद्यालयों में पदों का पुनर्निर्धारण

**189. श्री नरेन्द्र बुड़ानिया** (तारानगर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रारंभिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न पुनर्निर्धारण कर आरटीई नोर्म्स एवं नामांकन के अनुसार पदों का पुनर्निर्धारण किया गया है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में कितनी बार व कब-कब किया गया?

(2) माध्यमिक शिक्षा में नामांकन एवं मापदण्ड आधारित पदों का पुनर्निर्धारण अन्तिम बार कब किया गया था? मापदण्डानुसार इसका पुनर्निर्धारण कितने समयान्तराल से किया जाना निर्धारित है? निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में विगत तीन वर्षों में नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है? क्या सरकार बढ़े हुए नामांकन के आधार पर पदों के पुनर्निर्धारण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में उल्लेखित विद्यालय के मान एवं मानक तथा विभाग के आदेश दिनांक 28.02.2019 में प्रदत्त विस्तृत दिशा-निर्देश के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अधीन समस्त राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गत तीन वर्ष में दो बार नामांकन के अनुसार पदों का पुनर्निर्धारण किया गया है।

सत्र 2018-19 में सत्रांत के नामांकन के आधार पर दिनांक 02.07.2019 को इसे शाला दर्पण पोर्टल पर लाइव किया गया। इसी क्रम में तत्पश्चात् विभागीय आदेश दिनांक 28.05.2019 एवं संशोधित आदेश दिनांक 19.01.2021 में प्रदत्त निर्देशानुसार दिनांक 13.10.2021 के नामांकन के आधार पर विद्यालयवार, श्रेणीवार, लेवलवार एवं विषयवार शिक्षकों एवं शैक्षणिक कार्मिकों के पदों का पुनर्निर्धारण कर स्टाफिंग प्रक्रिया वर्ष 2021 दिनांक 28.12.2021 को शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से लाइव प्रदर्शित किया गया।

(2) शिक्षा विभाग अन्तर्गत विद्यालयों में पदों का निर्धारण स्टाफिंग पैटर्न संबंधी विभाग के पत्र दिनांक 30.04.2015 के अनुसार दिनांक 19.06.2015 को किया गया है। इसी क्रम में नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि होने के कारण वर्तमान नामांकन के आधार पर पदों की पुनर्गणना हेतु विभाग के पत्र दिनांक 27.12.2021 के द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। उक्त मानदण्डानुसार पुनर्निर्धारण हेतु प्रत्येक 02 वर्ष में एक बार का समय अन्तराल निर्धारित किया गया है।

(3) जी हां। शेष भाग बिन्दु संख्या 02 के अनुसार।

## निवाई में विद्यालयों का क्रमोन्नयन

**190. श्री प्रशान्त बैरवा** (निवाई): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र निवाई में वर्ष 2019 से 2021 तक कितने विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया? विद्यालयवार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

विधान सभा क्षेत्र निवाई में वर्ष 2019 से 2021 तक प्रारम्भिक

(शिक्षा मंत्री)

शिक्षान्तर्गत क्रमोन्नत किये गये राजकीय विद्यालयों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है-

1. राप्रावि गहलोद ब्लाक निवाई - राउप्रावि स्तर वर्ष 2019-20
2. राप्रावि राजधानपुरा दत्तवास - राउप्रावि स्तर वर्ष 2020-21
3. राप्रावि खेड़ूल्या ब्लाक पीपलू - राउप्रावि स्तर वर्ष 2020-21

इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षान्तर्गत क्रमोन्नत किये गये राजकीय विद्यालयों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है -

1. राउप्रावि भगवतपुरा, ब्लाक निवाई - मावि स्तर वर्ष 2019-20
2. राउप्रावि रामनगर, ब्लाक निवाई - मावि स्तर वर्ष 2019-20
3. रामावि नला, ब्लाक निवाई - उमावि स्तर वर्ष 2019-20
4. रामावि प्रतापपुरा, ब्लाक निवाई - उमावि स्तर वर्ष 2019-20

## माध्यमिक शिक्षा में ड्रापआउट रोकने की कार्ययोजना

**191. श्रीमती सूर्यकांता व्यास** (सूरसागर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा से उच्च स्तर की शिक्षा में ड्रापआउट को रोकने एवं मेधावी व प्रतिभावान छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा सरकारी विद्यालय की बालिकाओं को लैपटॉप वितरित किये जाते हैं? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सत्र 2019-20 की उच्च माध्यमिक शिक्षा की मेधावी एवं प्रतिभावान छात्राओं को उक्त योजना में लैपटॉप का वितरण अब तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो अब कब तक कर दिया जायेगा? समयबद्ध कार्ययोजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। मेधावी और प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु लैपटॉप योजना का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। कोविड-19 से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों के कारण सत्र 2019-20 एवं 2020-21 में लैपटॉप का वितरण नहीं किया जा सका है।

सत्र 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में राजकीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों हेतु लैपटाप क्रय किये जाने हेतु उपापन समिति का गठन किया जाकर लैपटाप क्रय किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## समायोजित संस्कृत शिक्षकों का वेतन नियतन

**192. श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के आधार पर राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में प्राचार्य, प्रोफेसर एवं व्याख्याताओं का समायोजन किया गया है? यदि हां, तो पदवार समायोजित शिक्षकों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) संस्कृत महाविद्यालयों में समायोजित कितने शिक्षकों का वेतन नियतन यूजीसी वेतनमान के अनुसार किया गया है व कितनों का शेष है?

(3) क्या समायोजन से पहले अनुदानित महाविद्यालय में कार्यरत व्याख्याता व राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में कार्यरत समकक्ष व्याख्याता के वेतनमान में कोई अंतर था?

(4) क्या संस्कृत महाविद्यालयों में समायोजित शिक्षकों को अन्य शिक्षकों की भांति रिफ्रेशर कोर्स करने की अनुमति है?

**उत्तर**

(1) जी हां। पदवार समायोजित शिक्षकों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) संस्कृत महाविद्यालयों में समायोजित सभी शिक्षकों का वेतन नियतन यूजीसी वेतनमान के अनुसार कर दिया गया है। इसमें किसी भी शिक्षक का बकाया नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जयपुर के लाजपत नगर में सड़क की मरम्मत

**193. श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के जगतपुरा स्थित लाजपत नगर में पेयजल की पाइप लाइन डालने के कारण सड़क को खोदा गया है? यदि हां, तो कब व कितनी दूरी में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त सड़क का निर्माण, मरम्मत करा दी गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सड़क का निर्माण व मरम्मत कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई व अब कब तक उक्त सड़क का निर्माण व मरम्मत करा दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**(स्थगित)**

## जालौर नगर परिषद् में रिक्त पद

**194. श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर परिषद् जालौर में विभिन्न स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) नगर परिषद् जालौर में विभिन्न स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत पद और उनमें से कितने पद कब-कब से रिक्त हैं, का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा नगरीय निकायों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में की गई कार्यवाही/प्रक्रियाधीन भर्ती संबंधी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। शेष रिक्त पदों को कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर स्थानान्तरण के माध्यम से भरा जावेगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)**

## जयपुर नगर निगम में हैल्थ आफिसर्स के रिक्त पद

**195. श्री पब्बाराम** (फलौदी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर निगम हेरिटेज एवं नगर निगम ग्रेटर (जयपुर) में हैल्थ आफिसर्स के कितने पद स्वीकृत हैं व इनकी सरकार द्वारा क्या योग्यता निर्धारित की गई है?

(श्री पब्बाराम)

(2) वर्तमान में हेरिटेज एवं ग्रेटर नगर निगम (जयपुर) में कार्यरत हैल्थ आफिसर्स कब से कार्यरत हैं? क्या उक्त अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो उक्त का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है व उक्त के स्थान पर नये हैल्थ आफिसर कब तक लगा दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) नगर निगम हेरिटेज एवं नगर निगम ग्रेटर (जयपुर) में हैल्थ आफिसर्स के स्वीकृत पद, कार्यरत एवं योग्यता का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में हेरिटेज एवं ग्रेटर नगर निगम (जयपुर) में कार्यरत हैल्थ आफिसर्स का विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है। प्रतिनियुक्ति पर कोई भी स्वास्थ्य अधिकारी कार्यरत नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## मुण्डावर के कस्बों में नगरपालिका की स्थापना

**196. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट 2020-21 में मुख्य मंत्री द्वारा नयी नगरपालिकाओं की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नवीन नगरपालिकाओं को किन-किन मापदण्डों के आधार पर बनाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के तीन बड़े कस्बों मुण्डावर, शाहजहांपुर व नीमराना को नगरपालिका बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। जिन-जिन कस्बों को नगरपालिका बनाया गया, का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) नई नगरपालिका गठन के मापदण्ड की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) जिला कलक्टर, अलवर से मुण्डावर को नगरपालिका बनाए जाने हेतु स्पष्ट राय/अभिशंषा चाही गई है। संलग्न परिशिष्ट "ब" के मापदण्डों के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। ग्राम पंचायत शाहजहांपुर एवं नीमराना को नगरपालिका बनाए जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**(विवरण एवं प्रति पुस्तकालय में रखे गये।)**

## इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

**197. श्रीमती मीना कंवर** (शेरगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के बजट 2021 में विशेष कोविड पैकेज के तहत इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो उक्त योजना के मापदण्ड क्या हैं? मापदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना में जरूरतमंदों द्वारा ऋण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये? यदि हां, तो कितने? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में प्राप्त आवेदनों में से कितनों को ऋण की राशि स्वीकृत की गई व कितने प्रकरण शेष हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त बकाया प्रकरणों को शीघ्र स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। योजना के मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किये जा रहे हैं। जिलेवार आवेदकों की संख्या का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) दिनांक 03.02.2022 तक पोर्टल के माध्यम से कुल 2,40,009

(स्वायत्त शासन मंत्री)

आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4,566 आवेदकों को ऋण वितरण किया जा चुका है। 2,35,443 आवेदन शेष हैं। जिलेवार संख्या का विवरण परिशिष्ट "ब" में अंकित है।

(4) बकाया ऋण वितरण करवाने हेतु विभाग स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं प्रमुख बैंकों के साथ नियमित रूप से बैठक कर लक्ष्यानुसार ऋण वितरण करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

**(प्रति एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)**

## प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सेवण घास का उत्पादन

**198. श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में ओरण-गौचर के संरक्षण हेतु क्या नीति है?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर, जैसलमेर सहित सीमावर्ती जिलों में ओरण-गौचर एवं चरागाह के लिए बड़ी मात्रा में जमीन उपलब्ध है व सेवण घास हेतु जलवायु भी अनुकूल है?

(3) क्या यह भी सही है कि पूर्व में उक्त भूमि पर सेवण घास उत्पादन हेतु बजट का प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बाड़मेर सहित सीमावर्ती जिलों में महानरेगा एवं अन्य योजनाओं से सेवण घास उत्पादन हेतु कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) ओरण भूमि को पूर्व में चरागाह भूमि के समतुल्य माना जाकर संरक्षण के संबंध में कार्यवाही की जाती रही है। हाल ही में टी.एन. गोदावर्मन बनाम भारत संघ व अन्य में रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 मे राजस्थान राज्य में वन के चिन्हीकरण के संबंध में दायर की गई Interlocutory Application (I.A.) में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय आदेश दिनांक 03.07.2018 में गै.मु. ओरण भूमि को वन भूमि माना गया है। उक्त के दृष्टिगत ओरण भूमि के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान प्रभावी होंगे।

(राजस्व मंत्री)

चरागाह भूमि के संरक्षण के क्रम में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमियों के विरुद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जाती है।

डी.बी. सिविल रिट पीटिशन सं. 10819/2018 जगदीश प्रसाद मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2019 की अनुपालना में समस्त जिलों में संबंधित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में PLPC (पब्लिक लेण्ड प्रोटेक्शन सैल) का गठन किया गया है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की शामलात/सार्वजनिक भूमियां इत्यादि के अतिक्रमण के संबंध में प्राप्त शिकायतों के समुचित निस्तारण एवं अतिक्रमण के हटाने संबंधी कार्यवाही करती है।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम-165 में पंचायतों में चरागाह भूमि पर अतिक्रमणों को हटाने का प्रावधान निहित है। पंचायतों में आयोजित होने वाली बैठकों एवं ग्राम सभाओं में चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(2) जी हां। बाड़मेर, जैसलमेर सहित सीमावर्ती जिलों में ओरण एवं चरागाह भूमि उपलब्ध है। उक्त क्षेत्र की जलवायु सेवण घास हेतु अनुकूल है।

(3) कृषि विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में सेवण घास के उत्पादन/विकास हेतु बजट प्रावधान किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट 1 एवं 2 पर संलग्न है।

वित्त (बजट) विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा पृथक से बजट का प्रावधान नहीं किया गया है।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) जयपुर से प्राप्त सूचनानुसार-

1. सेवण घास के बीज एकत्रीकरण हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में निम्नानुसार बजट आबंटन किया गया था:-

**मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | उप वन संरक्षक, जोधपुर | 10 लाख |
| 2 | उप वन संरक्षक, डीडीपी, जैसलमेर | 12 लाख |
| 3 | उप वन संरक्षक, बाड़मेर | 10 लाख |

(राजस्व मंत्री)

**मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | उप वन संरक्षक, हनुमानगढ | 0.60 लाख |
| 2 | उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर | 0.60 लाख |

2. जोधपुर संभागाधीन वन मण्डल जैसलमेर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत चरागाह विकास के लिए वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत चरागाह विकास के विभिन्न कार्यों के लिये, जिसमें सेवण घास का रोपण भी शामिल था, के लिये 1400 हैक्टर वन भूमि एवं 560 हैक्टर राजस्व भूमि सहित कुल 1960 हैक्टर भूमि में चरागाह विकास कार्य करवाये गये जिस हेतु राशि रु. 683.90 लाख का प्रावधान था, जिसमें से कुल राशि रु. 573.03 का व्यय किया गया।

सीमावर्ती जिले बाड़मेर (वन मण्डल बाड़मेर) में ओरण-गोचर एवं चरागाह भूमि पर वन विभाग द्वारा सेवण घास उत्पादन संबंधी कार्य नहीं करवाये गये हैं।

3. उप वन संरक्षक वन्य जीव जैसलमेर के अन्तर्गत राष्ट्रीय मरू उद्यान अभयारण्य क्षेत्र एवं सेटेलाइट रेंज वन्य जीव पोकरण में कुल 72 एन्क्लोजर्स 17355 हैक्टर में है जिसमें सभी क्लोजरों में सेवण घास की बीजाई की हुई है। वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा-76 Desert National Park और उसके आस-पास के क्षेत्र में राज्य पक्षी गोडावण (Great Indian Bustard) के संरक्षण हेतु स्थानीय ग्रामवासियों के सहयोग से Grassland का विकास किया जायेगा। उक्त योजना कुल 1000 लाख रुपये की 5 वर्ष हेतु स्वीकृत की गई थी, प्रतिवर्ष 200 लाख रु. की राशि चरागाह विकास हेतु आबंटित की गई थी। वर्तमान में इस योजना का अंतिम बजट वर्ष है। ग्रासलैण्ड परियोजना से अभयारण्य में स्थित 1990 के दशक में बने 1610 हैक्टर क्षेत्रफल में फैले पुराने क्लोजरों का पुनरुद्धार का कार्य करवाया गया। साथ ही नये चरागाह का विकास करने हेतु कुल 1350 हैक्टर भूमि में गोडावण हेतु महत्वपूर्ण नये एन्क्लोजर्स का निर्माण करवाया गया है।

4. बीकानेर संभागाधीन जिला हनुमानगढ एवं सीमावर्ती जिले बीकानेर में सेवण घास उत्पादन हेतु निम्नानुसार बजट प्रावधान किया गया है-

(राजस्व मंत्री)

जिला बीकानेर में बी.ए.डी.पी. योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में 110 हैक्टर भूमि के लिए रु. 35.00 लाख एवं वर्ष 2013-14 में 240 हैक्टर के लिए रु. 75 लाख का प्रावधान रखा गया।

कैम्पा योजना अन्तर्गत बाड़मेर एवं सीमावर्ती जिलों में वन क्षेत्र में स्थित घास बीड़ों के पुनरुद्धार हेतु Silvi Pastoral मॉडल में घास के विकास करने हेतु वर्ष 2020-21 में 835 हैक्टर में 157.53 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसके विरुद्ध 134.88 लाख रुपये का व्यय किया गया। वर्ष 2021-22 में 985 हैक्टेर में अग्रिम मृदा कार्य व रोपण कार्य के लिए 2055.34 लाख रुपये का प्रावधान किया गया।

(4) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत चरागाह भूमि विकास/चारा फार्म विकास के कार्य कराये जाना अनुमत गतिविधियां हैं। योजनान्तर्गत नियमानुसार वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित चरागाह विकास के कार्यो के तहत उद्‌यानिकी पौधों का रोपण एवं बारहमासी घास मय सेवण घास उगाने के कार्य करवाने का प्रावधान है।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन-बल प्रमुख) जयपुर से प्राप्त सूचनानुसार वर्तमान में वन विभाग द्‌वारा विशेष रूप से सेवण घास उत्पादन हेतु कार्यवाही नहीं की जा रही है। सामान्यतः विभागीय योजनाओं में वृक्षारोपणों में सेवण घास एवं अन्य घास प्रजातियों को लगाया जाता है।

वन विभाग द्‌वारा राज्य के लिए 19 जिलों (बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली एवं जालौर भी सम्मिलित है) में एक नवीन परियोजना राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता में संरक्षण परियोजना (आर.ए.बी.सी.पी.) का प्रस्ताव बनाकर जायका द्‌वारा वित्तपोषित करने हेतु भिजवाया जा चुका है। इस परियोजना अन्तर्गत राज्य के मरुस्थलीय जिलों में 9 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में घास उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किये जायेगे। यह परियोजना वर्ष 2023-24 में शुरू होने का अनुमान है।

कैम्पा योजना अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में बाड़मेर एवं सीमावर्ती जिलों में वन क्षेत्र में स्थित घास बीड़ों के पुनरुद्धार हेतु Silvi Pastoral मॉडल में घास के विकास करने हेतु 1345 हैक्टर में अग्रिम मृदा कार्य, घास रोपण तथा संधारण कार्य हेतु 194.94 लाख रुपये का कार्य प्रस्तावित है। अभी स्वीकृत नहीं हुआ है।

(राजस्व मंत्री)

जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग अन्तर्गत संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जलग्रहण घटक) के अन्तर्गत स्वीकृत होने वाली परियोजनाओं में वृक्षारोपण के साथ सेवण घास लगाना भी अनुमत है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार छठे राज्य वित्त आयोग एवं 15वें वित्त आयोग अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों में वर्तमान में सेवण घास उत्पादन कार्य अनुमत नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)**

## आरटीडीसी की बंद होटलों का पुन: संचालन

**199. श्री धर्मनारायण जोशी** (मावली): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की कितनी होटलें कब से बंद हैं? उक्त की सुरक्षा पर कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बंद होटलों को पुन: संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम की बंद होटलों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त बन्द होटलों पर चौकीदार व सुरक्षा पर विगत चार वर्षों (माह जनवरी, 2022 तक) में राशि रु. 1.76 करोड़ का व्यय किया गया है।

(2) जी हां। बंद होटलों को कार्यशील बनाने के लिए उनकी स्थिति का अध्ययन कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पीडीकोर लिमिटेड को सलाहकार नियुक्त किया गया है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जमवारामगढ़ में आगजनी की घटनाओं में सहायता

**200. श्री गोपाल लाल मीना** (जमवारामगढ़): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्ष 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक कितने लोगों के द्वारा कच्चे या पक्के मकान व झोंपड़े में आग

(श्री गोपाल लाल मीना)

लगने के कारण सहायता हेतु आवेदन किया गया तथा उक्त में से सरकार द्वारा कितने लोगों को सहायता राशि दी गई? ग्रामवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त आगजनी की घटनाओं में अपने घर जल जाने के बाद कितने लोगों के सहायता राशि प्राप्त करने हेतु कितने आवेदन कब से लम्बित हैं? क्या सरकार उक्त आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कर मुआवजा राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार आगजनी पर दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्ष 2019 से 2021 तक कच्चे/पक्के मकान व झोंपड़ों में आग लगने से हुई क्षति के कारण प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत आवेदनों एवं अस्वीकृत आवेदनों का वर्षवार एवं ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-"अ", "ब" तथा "स" पर संलग्न है।

माह जनवरी, 2022 में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) उक्त क्षेत्र में आलोच्य अवधि के दौरान कोई भी पात्र प्रभावित सहायता से वंचित नहीं है। सभी पात्र प्रभावितों को राज्य आपदा मोचन निधि के नोर्म्स अनुसार सहायता राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(3) विभाग द्वारा आगजनी की घटनाओं में प्रभावितों को राज्य आपदा मोचन निधि के नोर्म्स के अनुसार सहायता दी जाती है। राज्य आपदा मोचन निधि से प्रदान की जाने वाली सहायता राशि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)**

## कोटा में ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का मुआवजा

**201. श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला कोटा में वर्ष 2021-2022 में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं तूफान के कारण किसानों की फसलें नष्ट

(श्री संदीप शर्मा)

होने के पश्चात् भी किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार संबंधित किसानों को मुआवजे के साथ बीमा क्लेम का भी भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) खरीफ फसल वर्ष 2021 में बाढ़ से फसल खराबा होने पर 41,583 कृषकों को 25.12 करोड़ रुपये का कृषि आदान-अनुदान का भुगतान कर दिया गया है। बाढ़ से प्रभावित शेष कृषकों का डाटा ऑनलाइन फीडिंग का कार्य प्रक्रियाधीन है।

माह जनवरी, 2022 में पाला, शीतलहर एवं ओलावृष्टि से फसल खराबे की गिरदावरी का कार्य प्रक्रियाधीन है। रबी फसल की गिरदावरी होने के पश्चात् ही खराबे की वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सकेगी।

जिले से गिरदावरी में 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबे की रिपोर्ट प्राप्त होने पर एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत कोटा जिले में खरीफ 2021 में अतिवृष्टि के कारण फसल की प्रारम्भिक अवस्था में अंकुरण बाधित होने के कारण 1,31,238 फसल बीमा पालिसीधारक पात्र किसानों को 48.39 करोड़ रुपये के फसल बीमा क्लेम का भुगतान संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत कोटा जिले में विभिन्न प्राकृतिक कारणों से उपज में क्षति होने पर खरीफ 2021 के लिये फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज परिणाम के आधार पर 14,906 फसल बीमा पालिसी-धारक पात्र किसानों को 6.82 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम का भुगतान संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा किया गया है।

रबी 2021-22 में ओलावृष्टि के कारण कोटा में बीमित फसल के किसानों द्वारा स्थानिक आपदा के अन्तर्गत 244 इन्टीमेशन बीमा कम्पनी को दी गई है, जिनका सर्वेक्षण करा लिया गया है। उक्त इन्टीमेशन का मिलान

(आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री)

राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल से किया जा रहा है। तदुपरान्त राज्यांश एवं केन्द्रीयांश प्रीमियम की प्राप्ति के पश्चात् संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा फसल बीमा पालिसीधारक पात्र किसानों को बीमा क्लेम का भुगतान किया जायेगा।

## जैतारण कृषि उपज मण्डी समिति में किसान सहायता के आवेदन

**202. श्री अविनाश** (जैतारण): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कृषि कार्य करते समय किसान के घायल होने या मृत्यु हो जाने पर कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो वर्ष 2018 से अब तक कृषि उपज मण्डी समिति जैतारण द्वारा कितने किसानों को सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में वर्ष 2018 से जनवरी, 2022 तक सहायता राशि के कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? उक्त आवेदनों में से कुल कितने आवेदन स्वीकृत किये गये व कितने अस्वीकृत किये गये तथा कुल कितने स्वीकृति हेतु शेष हैं व उक्त का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति, जैतारण द्वारा 01 जनवरी, 2018 से 03 मार्च, 2022 तक राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजनान्तर्गत उपलब्ध कराई गई सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में 01 जनवरी, 2018 से 31 जनवरी, 2022 तक राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजनान्तर्गत कुल 101 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 64 आवेदन स्वीकृत, 31 आवेदन अस्वीकृत किये गये तथा 6 आवेदन पत्र लम्बित हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट "ब", उपलब्ध कराई गई सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट "स", अस्वीकृत आवेदन पत्रों का कारण सहित विवरण परिशिष्ट "द" एवं लम्बित आवेदन पत्रों तथा उनके निस्तारण के संबंध में की जा रही कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "य" पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)**

## पिलानी कृषि उपज मण्डी समिति हेतु भूमि का आबंटन

**203. श्री जे. पी. चन्देलिया** (पिलानी): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पिलानी में कृषि उपज मण्डी समिति बनाने की घोषणा बजट भाषण में की गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त घोषणा की क्रियान्विति के लिए सरकार द्वारा कृषि ऊपज मण्डी समिति पिलानी के लिए कितनी भूमि किस स्थान पर आबंटित की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त मण्डी समिति के लिए अब कब तक भूमि आबंटित कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) बजट वर्ष 2020-21 में दिनांक 27.02.2021 को कृषि उपज मण्डी समिति सूरजगढ़ के गौण मण्डी यार्ड पिलानी को स्वतंत्र मण्डी बनाये जाने की घोषणा की गई थी।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून के क्रम में राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम में संशोधन किये जाने से राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों का प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य मण्डी/गौण मण्डी प्रांगण तक ही सीमित रह जाने से कृषि उपज मण्डी समितियों की आय में विपरीत प्रभाव होने के फलस्वरूप नवीन स्वतंत्र मण्डियों की स्थापना की कार्यवाही को उपादेयता, औचित्य व आवश्यकता के आधार पर विस्तृत आंकलन एवं विश्लेषण कर चरणबद्ध तरीके से करने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापिस लिये जाने के फलरूवरूप मण्डी अधिनियम के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन के उपरान्त मण्डी समितियों की आय में वृद्धि सम्भावित है। इसके पश्चात् चरणबद्ध रूप से पिलानी सहित बजट में घोषित सभी गौण मण्डियों को स्वतंत्र मण्डी बनाने एवं मण्डी के लिए उपयुक्त भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

## नागौर में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता

**204. श्री चेतन सिंह चौधरी** (डीडवाना): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को मासिक भत्ता दिया जा रहा है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

(2) जिला नागौर में जनवरी, 2018 से जनवरी, 2022 तक कितने शिक्षित बेरोजगारों ने आवेदन किया तथा कितने लोगों को भुगतान किया गया? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि शिक्षित बेरोजगारों को मासिक भत्ता समय पर नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला नागौर में शिक्षित बेरोजगारों के द्वारा किये गये आवेदनों की दिनांक एवं भुगतान की दिनांक सहित अयोग्य फार्म का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा पात्र शिक्षित स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगारों को मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना अन्तर्गत मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2021 के अन्तर्गत पुरुष आशार्थियों को 4000 रुपये एवं महिला, नि:शक्तजन व ट्रांसजेण्डर आशार्थियों को 4500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। नवीन योजना 01 जनवरी, 2022 से संचालित है।

(2) नागौर जिले में जनवरी, 2018 से जनवरी, 2022 तक 39,494 बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना में आवेदन किया है तथा 23,502 बेरोजगारों को भुगतान किया गया है। तहसीलवार प्राप्त आवेदन एवं लाभान्वित निम्नानुसार है-

| **तहसील** | **प्राप्त आवेदन** | **लाभान्वित** |
|---|---|---|
| नागौर | 4443 | 2708 |
| खींवसर | 1325 | 679 |
| मेड़ता सिटी | 5301 | 3224 |
| डेगाना | 4133 | 2537 |
| डीडवाना | 8537 | 5464 |
| लाडनूं | 3002 | 1683 |
| परबतसर | 2291 | 1284 |
| मकराना | 2304 | 1156 |
| जायल | 3874 | 2368 |

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता)

| तहसील | प्राप्त आवेदन | लाभान्वित |
|---|---|---|
| नावां | 4267 | 2389 |
| मूण्डवा | 17 | 10 |
| | **39494** | **23502** |

(3) जी नहीं। शिक्षित बेरोजगारों को समय पर भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में माह दिसम्बर, 2021 तक का भुगतान कर दिया गया है।

(4) नागौर जिले मे शिक्षित बेरोजगारों द्वारा योजना प्रारम्भ 01 फरवरी, 2019 से सतत आवेदन किया जा रहा है। दिनांक 31.01.2022 तक 39,494 बेरोजगारों ने बेरोजगारी भत्ते हेतु आवेदन किया है। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना मे अधिकतम लाभार्थियों की एक समय में सीमा 1 लाख 60 हजार थी, जिसे 01 जनवरी, 2022 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। इसलिए 2 लाख की सीमा तक दिनांक 15.10.2020 तक वैरिफाइड 23,502 आवेदकों को माह दिसम्बर, 2021 तक का भुगतान कर दिया गया है। शेष आवेदकों को नियमानुसार एप्रूवल की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभिन्न कारणों से अपात्र आवेदकों की संख्या 1274 है।

## भोपालगढ़ में संचालित कौशल विकास केन्द्र

**205. श्री पुखराज** (भोपालगढ़): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में कौशल विकास केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं? यदि हां, तो कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में उक्त केन्द्र कहां-कहां पर संचालित हैं? उक्त केन्द्रों में विगत तीन वर्षों में अब तक कितने लाभार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रशिक्षित लाभार्थियों में से कितनों को रोजगार प्राप्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना किसी कंपनी के माध्यम से संचालित की जाती है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त केन्द्रों का संचालन का दायित्व किसके पास है व उसका कार्य क्षेत्र क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) द्वारा प्रदेश में विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत कौशल विकास केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में क्रियाशील कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

(2) कौशल विकास केन्द्र का आबंटन विधान सभा क्षेत्रवार/ब्लाकवार नहीं कर जिलेवार किया जाता है। विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ मे कोई कौशल विकास केन्द्र संचालित नही है। विगत तीन वर्षो में कोई केन्द्र संचालित नहीं होने से सूचना शून्य है।

(3) आरएसएलडीसी द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ईओआई के माध्यम से निजी क्षेत्र के कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों को सूचीबद्ध किया जाकर सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए कौशल प्रशिक्षण के लक्ष्य आबंटित किये जाते हैं। इन सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों द्वारा आबंटित जिलों में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इन प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन का दायित्व संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों का है, जिनकी मॉनिटरिंग का कार्य निगम, जिला एवं राज्य स्तरीय टीम द्वारा किया जाता है। कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों द्वारा राज्य के किसी भी जिले से युवाओं को मोबिलाइज कर आबंटित कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षित किया जा सकता है। विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में वर्तमान में कोई कौशल विकास केन्द्र संचालित नहीं है।

**(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)**

## सोजत में खेल मैदानों हेतु भूमि का आबंटन

**206. श्रीमती शोभा चौहान** (सोजत): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सोजत के पांच गांवों में खेल मैदानों हेतु भूमि आबंटित है? यदि हां, तो उक्त खेल मैदानों को सरकार कब तक विकसित करने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा स्वीकृत राशि इक्कीस लाख रुपये को कब तक व्यय किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती शोभा चौहान)

(3) सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में खेलों के विकास हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) पाली जिले के सोजत विधान सभा क्षेत्र में पांच गांवों में खेल मैदान हेतु भूमि आबंटित है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

1. ग्राम पंचायत झूंठा के खसरा नं. 217/5 में 2.25 हैक्टर भूमि।
2. ग्राम पंचायत कुशालपुरा के खसरा नं. 215 में 2.25 हैक्टर भूमि।
3. ग्राम पंचायत देवलीकलां के खसरा नं. 1915 में 2.25 हैक्टर भूमि।
4. ग्राम पंचायत कपूरडी के खसरा नं. 2016 रकबा 25-10 बीघा भूमि स्टेडियम निर्माण हेतु आबंटित है।
5. सोजत सिटी के पटवार हल्का सोजत चक-2 स्थित खसरा नं. 587/1 रकबा 3.00 गै.मु. गोचर भूमि युवा मामले एवं खेल विभाग को जमीन निमली नाडी आई. टी. आई. रोड पर आबंटित की गई है।

माननीय मुख्य मंत्री जी की बजट घोषणा वर्ष 2021 में ग्राम कपूरडी में रु. 25.00 लाख की राशि स्टेडियम निर्माण व विकास हेतु आबंटित कर दी गई है। कार्यकारी एजेन्सी आर.एस.आर.डी.सी. लिमिटेड जोधपुर शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू करेगी।

बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर स्टेडियम निर्माण का विचार किया जाता है।

(2) जिला परिषद् पाली (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा आवास विकास लिमिटेड जोधपुर को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त करते हुए खेल स्टेडियम निर्माण कार्य हेतु सोजत सिटी में 21 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। आवास विकास लिमिटेड, जोधपुर द्वारा उक्त स्वीकृत राशि से निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है।

(3) बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर खेलों के विकास कार्य करवाने का विचार किया जाता है।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## बाड़मेर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिन्दी संकाय की स्थापना

**207. श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाड़मेर में स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी विषय नहीं होने के कारण छात्रों को जिले से बाहर अध्ययन हेतु जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में हिन्दी विषय प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिला मुख्यालय पर स्थित एमबीसी राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़मेर में स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान एवं कृषि विज्ञान विषय सृजन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) बाड़मेर जिले के राजकीय कन्या महाविद्यालय, बालोतरा में स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी साहित्य विषय संचालित है जिसमें सत्र 2021-22 में 29 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

वर्तमान में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाड़मेर में स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी साहित्य विषय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्तमान में जिला मुख्यालय पर स्थित एमबीसी राजकीय कन्या महाविद्यालय, बाड़मेर में स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान एवं कृषि विज्ञान विषय सृजन किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## सूरतगढ़ व राजियासर में कन्या महाविद्यालय की स्थापना

**208. श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 11वीं व 12वीं कक्षा में 500 से अधिक बालिकाएं अध्ययनरत होने पर बजट में कन्या महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के कौन-कौन से विद्यालय उक्त श्रेणी में आते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

(2) क्या उक्त योजना में सूरतगढ़ व राजियासर को सम्मिलित कर उक्त क्षेत्रों में कन्या महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्थानों पर उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कितनी-कितनी बालिकाएं अध्ययनरत हैं? अध्ययनरत बालिकाओं का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। बजट भाषण वर्ष 2021-22 में "आगामी वर्ष में प्रदेश में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 11वीं व 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत होने पर उस विद्यालय को क्रमोन्नत करते हुए कन्या महाविद्यालय स्थापित किया जावेगा" की घोषणा की गई है।

उक्त घोषणा की अनुपालना में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें 11वीं व 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं, की सूची में सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र का कोई विद्यालय सम्मिलित नहीं है।

(2) जी नहीं। उक्त घोषणा के अनुपालना में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें 11वीं व 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं, की सूची में सूरतगढ़ एवं राजियासर का कोई विद्यालय सम्मिलित नहीं है। अत: सूरतगढ़ एवं राजियासर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

(3) सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सूरतगढ़ व राजियासर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## डूंगरपुर में बंजर भूमि पर वृक्षारोपण

**209. श्री गणेश घोघरा** (डूंगरपुर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की बंजर वन भूमि पर

(श्री गणेश घोघरा)

वृक्षारोपण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के बिछीवाड़ा ब्लाक में ज्यादा वन क्षेत्र है व उक्त वन क्षेत्र में पहाड़, नदी, नाले एवं झरने हैं? क्या सरकार उक्त वन क्षेत्र में जंगली जानवरों के पीने के पानी की कमी को दूर करने हेतु छोटे-छोटे एनिकट, तालाब बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वन भूमि के चारों तरफ चारदीवारी का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र की बंजर वन भूमि पर बजट उपलब्धता अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवाये जाते हैं। वर्ष 2019-20 में 105 हैक्टेयर, 2020-21 में 207.58 हैक्टेयर एवं 2021-22 में 203.87 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की बिछीवाड़ा रेन्ज का कुल वन क्षेत्र 14576.576 हैक्टेयर है तथा उक्त क्षेत्र में पहाड़ी, नदी, नाले एवं झरने हैं। बिछीवाड़ा रेन्ज में 2 पक्के एनिकट एवं 144 छोटे-छोटे मिनी परकोलेशन टैंक का कार्य वर्ष 2021-22 हेतु प्रगतिरत है।

(3) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के बिछीवाड़ा रेन्ज में वर्ष 2019 20 में 200 रनिंग मीटर एवं वर्ष 2020-21 में 500 रनिंग मीटर 4 फीट ऊंचाई की पक्की दीवार का कार्य कराया गया एवं प्रत्येक वर्ष विभाग द्वारा आबंटित बजट अनुसार कार्य कराया जाता है।

## आसपुर में चारदीवारी व चैक डैम का निर्माण

**210. श्री गोपीचंद मीणा** (आसपुर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आसपुर में विभाग द्वारा वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में चारदीवारी, एनिकट, चैक डैम कहां-कहां बनाये गये हैं एवं उक्त कार्यों पर कितना व्यय किया गया है? वित्तीय वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपीचंद मीणा)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2019-20 से जनवरी, 2022 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र आसपुर में विभाग द्वारा वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कराये गये निर्माण कार्य (चारदीवारी, एनिकट, चैक डैम इत्यादि) आबंटित एवं व्यय राशि का वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट ''ए'' अनुसार है।

(2) विधान सभा क्षेत्र आसपुर में विभाग द्वारा सभी योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2019-20 से जनवरी 2022 तक सम्पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट-''बी'' अनुसार है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)**

## सारस का संरक्षण

**211. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (सांगोद): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सारस किन-किन जिलों में पाये जाते हैं तथा उक्त की कुल संख्या कितनी है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त की संख्या लगातार घट रही है तथा प्रदेश में अब यह लुप्त होने के कगार पर है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के संरक्षण के प्रति गम्भीर है व अब तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में गठित वैटलैण्ड अथोरिटी द्वारा सारस व अन्य पक्षियों के संरक्षण के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में समस्त वैटलैण्ड जो सारस व अन्य पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है, की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश में सारस की जिलेवार अनुमानित संख्या की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। सारस की कुल संख्या के संबंध में विभाग द्वारा कोई वैज्ञानिक आंकलन नहीं किया जाता है।

(वन मंत्री)

(2) सारस की संख्या घटने के संबंध में राज्य में कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है।

(3) वैटलैण्ड अथोरिटी द्वारा आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। वैटलैण्ड अथोरिटी द्वारा वर्तमान में सारस व अन्य पक्षियों के संरक्षण के संबंध में कोई निर्देश अथवा कार्यवाही नही की गई है।

(4) इस संबंध में कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नही है। वन विभाग में वन क्षेत्रों व संरक्षित क्षेत्रों में पड़ने वाले वैटलैण्ड जिनमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, उम्मेदगंज पक्षी विहार कन्जर्वेशन रिजर्व कोटा व जयसमन्द अभयारण्य आदि सारस व अन्य पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखी गयी।)**

# परिशिष्ट-01

## मांग संख्या 27 - पेयजल योजना पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या **27 - पेयजल योजना** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

**श्री छगनसिंह** (आहोर)

1. विधान सभा क्षेत्र आहोर में पी.एच.ई.डी. में सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति देते हुए भाद्राजून में नया सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने के साथ सभी रिक्त पदों को भरने हेतु चर्चा के लिए।
2. जल जीवन मिशन के तहत नर्मदा के FR प्रोजेक्ट एवं ER क्लस्टर का कार्य शीघ्र शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र आहोर में पेयजल हेतु 20 नये सोलर पम्प की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री गणेश घोघरा** (डूंगरपुर)

4. TSP क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आदिवासी परिवारों की अंशदान राशि माफ करने अथवा TAD से वहन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री रामलाल मीणा** (प्रतापगढ़)

5. TSP क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आदिवासियों की अंशदान राशि माफ करने अथवा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से अंशदान राशि वहन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. प्रतापगढ़ जिले में पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए वर्षा जल को एकत्रित करने हेतु मोंका टोक, देवकुंड, चुम्मडेम, देवदकराडिया डेम, केरिया डेम, चोरापता तालाब, पाटा वाला खोरा, सवनीपखा, अमृतिया बावजी, जैसे छोटे-छोटे बांधों का जल जीवन मिशन के अर्न्तगत निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. जाखम बांध से प्रतापगढ़, अरनाड, दलोट, सुहागपुरा, धमोतर के 524 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत हो चुकी योजना के लिए

अतिशीघ्र निविदा आमंत्रित कर कार्य प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री सुभाष पूनिया** (सूरजगढ़)

8. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पेयजल हेतु नये ट्यूबवैल लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा हेतु।

9. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में जनता जल योजन्तर्गत ट्यूबवैल्स के निर्माण करवाये जाने एवं बिलों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने से हो रही समस्या पर चर्चा के लिए।

11. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पेयजल आपूर्ति के लिए कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन की आवश्यकता पर चर्चा हेतु।

12. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में ट्यूबवैल्स के सूख जाने से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा करने हेतु।

**श्री जगदीश चन्द्र** (सादुलशहर)

13. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के गांवों में पेयजल की व्यवस्था करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री जगसी राम** (रेवदर)

14. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की विकट पेयजल समस्या के समाधान हेतु कन्टींजेंसी प्लान में अपर्याप्त राशि प्रस्तावित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

15. प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रेवदर के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में वर्ष 2019 से फरवरी, 2022 की अवधि के दौरान जल जीवन मिशन योजना के तहत रजिस्टर्ड परिवारों को पेयजल उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

17. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की बंद पड़ी पेयजल योजनाओं के कारण

अपर्याप्त पेयजल सप्लाई, दूरदराज में पेयजल उपलब्ध नहीं होने एवं बन्द पड़े हैण्डपम्पों के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां)

18. विधान सभा क्षेत्र ओसियां की ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री सुरेश सिंह रावत** (पुष्कर)

19. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में हर घर जल कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर)

20. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में विभिन्न गांवों में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के तखतगढ़ व सुमेरपुर शहरों में जल जीवन मिशन योजना लागू कर SR, GLR व पाइपलाइन डालकर हर घर पेयजल हेतु घरेलू कनेक्शन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में विभिन्न गांवों में भयंकर पेयजल संकट होने के कारण 100 ट्यूबवैल व 100 हैण्डपम्प खोदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की विभिन्न ढाणियों में पेयजल की सुविधा हेतु 25 सौर ऊर्जा हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. जोधपुर से पाली तक पाइपलाइन डालकर पाली शहर, पाली पंचायत समिति के गांवों व रोहट के गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर)

25. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में अधिशासी अधिकारी कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. विधान सभा क्षेत्र खानपुर की बकानी तहसील में ग्राम पंचायत

आगरिया, कुशलपुरा, बढ़ाप, मोड़ी के सभी गांवों में छापी योजना से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के खानपुर उपखण्ड मुख्यालय पर सभी कालोनियों में लाइन बिछाकर पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के तारज कस्बे में पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में गत बजट घोषणान्तर्गत लगने वाले हैण्डपम्पों को तुरन्त लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर)

30. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर को चम्बल पेयजल परियोजना में जुड़वाने व चम्बल व ईसरदा परियोजना के सर्वे में शामिल करवाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ईसरदा बांध परियोजना में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में चल रहे पेयजल योजना के कार्यों को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में स्वीकृत दस ट्यूबवैल नहीं लगने से आमजन को हो रही परेशानियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में विकट जल संकट को देखते हुए नवीन जल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री हरेन्द्र निनामा** (घाटोल)

35. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में पडोली राठौड़, ओडवाडिया में हर घर नल योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. विधान सभा क्षेत्र घाटोल की गनोडा पंचायत मुख्यालय पर पाइप लाइन बदलकर घरों तक पानी की व्यवस्था करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. जनता जल योजना को P.H.E.D. द्वारा संचालित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के पीपलखूंट क्षेत्र में सार्वजनिक कूप निर्माण

स्वीकृत कर जनता को पेयजल उपलबध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में हर घर जल योजना लागू कर पेयजल उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री बलजीत यादव** (बहरोड़)

40. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में पेयजल हेतु यमुना का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में जनता जल मिशन योजना के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत होने के उपरान्त भी कार्य शुरू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री वाजिब अली** (नगर)

42. विधान सभा क्षेत्र नगर के वार्डों में पेयजल की पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र नगर की उप तहसील जनूथर में जलदाय विभाग का कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. विधान सभा क्षेत्र नगर (भरतपुर) में स्वीकृत जनता जल मिशन योजनाओं के टेंडर शीघ्र करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. विधान सभा क्षेत्र नगर के कस्बा सीकरी में पेयजल की पाइपलाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्रीमती गायत्री देवी त्रिवेदी** (सहाड़ा)

46. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य पूर्ण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़)

47. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में नव विकसित कालोनियों एवं आबादी विस्तार क्षेत्र में जिन स्थानों पर शहरी जल योजना के तहत पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है, उन स्थानों पर पाइप लाइन बिछाई जाने की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों की वर्तमान पेयजल मांग

12 एम.एल.डी. को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अतिरिक्त जल मांग 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर लगभग 16 एम.एल.डी. पानी उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में कनिष्ठ एवं सहायक अभियंताओं के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में जनता जल मिशन के अन्तर्गत संवेदक द्वारा किए जा रहे कार्यों में लापरवाही करने एवं खोदी गयी सड़कों का पुनर्निर्माण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में जनता जल मिशन के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत होने के उपरांत भी कार्य शुरू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री संजय शर्मा** (अलवर शहर)

52. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में पेयजल व्यवस्था हेतु अलवर-चंबल योजना का कार्य शीघ्र करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. पेयजल हेतु ईसरदा बांध परियोजना का कार्य शीघ्र करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. अलवर सहित 13 जिलों की पेयजल के लिए ईस्टर्न कैनाल परियोजना शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. नटनी का बारां (बारां बियर) से जाने वाले पानी को भरतपुर जिले के मुकाबले अलवर को पेयजल हेतु अधिक आपूर्ति किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

56. सिलीसेढ़ बांध से अलवर शहर को पेयजल हेतु पानी की सप्लाई शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री अशोक** (खण्डार)

57. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में संचालित जनता जल मिशन योजना से संचालित स्कीम को विभागीय योजना में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में फ्लोराइड युक्त पेयजल से निजात दिलाने एवं इसके निस्तारण हेतु नवीन स्कीम स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के ग्राम घमूण खुर्द, कावड़ एवं हलौंदा की पूर्व में निर्मित पेयजल योजनाओं में व्याप्त कमियों एवं अनियमितताओं की जांच करवाने एवं नवीन स्कीम स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर)

60. जयपुर शहर की कई कालोनियां, जो बीसलपुर परियोजना से जुड़ी हुई नही हैं, को जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. बीसलपुर बांध से पानी की आवक हेतु मानसून पर निर्भरता को कम करने हेतु ब्राह्मणी नदी से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. जयपुर शहर में स्थित बहुमंजिली इमारतों में पेयजल कनेक्शन सामान्य दर पर दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर के कई क्षेत्रों में जर्जर पेयजल पाइप लाइनों को हटाकर नई पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री कालूराम** (डग)

64. विधान सभा क्षेत्र डग (झालावाड़) में जल जीवन मिशन योजना के तहत पुरानी लाइनों में ही नल कनेक्शन देने से क्षेत्र में पानी की पर्याप्त सप्लाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

65. विधान सभा क्षेत्र डग (झालावाड़) की रेवा, राजगढ़ भिमनी माधवी, गागरीन पेयजल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

66. विधान सभा क्षेत्र डग (झालावाड़) में वर्ष 2020-21 में स्वीकृत सोलर पम्प व ट्यूबवैल पूर्ण रूप से नहीं लगने व उनमें सुचारु रूप से पानी की सप्लाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र डग में भवानी मण्डी को राजगढ़ पेयजल परियोजना से नहीं जोड़ने व जनता जल योजना तथा पम्पटेंक योजना के बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र डग (झालावाड़) में कन्टींजेंसी प्लान के तहत

पेयजल के कराये जाने वाले कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर)

69. जलदाय विभाग में पर्याप्त संख्या में तकनीकी सहायकों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र जालौर में स्वजल धारा योजना एवं जनता जल योजना से लाभान्वित गांवों को जल जीवन मिशन से लाभन्वित कर दोनों योजनाओं को बंद कर उनमें कार्यरत कार्मिकों को विभाग में समायोजित करने के संबंध में चर्चा हेतु।

71. जालौर जिले में FR प्रोजेक्ट से लाभान्वित गांवों को आबादी एवं पशुधन के हिसाब से निर्धारित मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के लिए हर गांव में फ्लो मीटर लगवाकर मानिटरिंग करने की आवश्यकता पर चर्चा हेतु।

72. विधान सभा क्षेत्र जालौर में आगामी गर्मी के मौसम में जनता को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु कंटींजेंसी प्लान बनाकर लागू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. नर्मदा पेयजल योजना के ER प्रोजेक्ट के अन्तर्गत आने वाले जालौर विधान सभा क्षेत्र के गांवों को उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री ललित कुमार ओस्तवाल** (बड़ी सादड़ी)

74. नगरपालिका बड़ी सादड़ी में नवीन पाइप लाइन डालकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं)

75. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के आस्टी, हस्तेड़ा, किशनमानपुरा, मोकल गोविन्द आदि ग्राम पंचायतों व नगरपालिका चौमूं को भी बीसलपुर योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं की निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति की चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में ग्राम पंचायतों में पंचायत समिति व जिला

परिषद् से हुए सिंगल फेज बोरिंगों के कनेक्शन नहीं होने व ग्रामीणों को पानी का लाभ बिना मिले ही ठेकेदारों को किये गये भुगतान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा।

78. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम पंचायत अनन्तपुरा-जैतपुरा, गोविन्दगढ़, उदयपुरिया, कालाडेरा, किशनमानपुरा, आस्टी, सावतसर, लोहरवाड़ा, टांकरड़ा, चीथवाड़ी, फतेहपुरा, सामोद, सींगोद कला, ढोढसर, आदि में पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

79. नगरपालिका चौमूं द्वारा पेयजल समस्या के समाधान के लिए डाली गई पाइप लाइन में हुए भ्रष्टाचार व अनियमितता की जिला स्तरीय कमेटी से जांच कराने व पानी की बिना आवश्यकता डाली गई पाइप लाइन में हुए धन के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा)

80. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की पेयजल योजनाओं की पुरानी एवं क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को बदलकर नई पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में दूरदराज की ढाणियों को नर्मदा डी.आर. प्रोजेक्ट से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. वर्ष 2021-22 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र हेतु 10 ट्यूबवैल एवं 40 हैण्डपम्प की बजट घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में ट्यूबवैल एवं हैण्डपम्प स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में बन्द पड़ी पी एण्ड टी पेयजल योजनाओं को पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली)

85. विधान सभा क्षेत्र पाली में सौर ऊर्जा आधारित ट्यूबवैल पर सौर ऊर्जा नहीं लगने से उत्पन्न सिथति पर चर्चा के लिए।

86. पाली शहर की बसी नई आबादी की बस्तियों में रूडिप द्वारा पाइप लाइन बिछाई जाकर पेयजल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

87. पाली जिले की रोहट तहसील के गांवों में पशुओं हेतु भी पेयजल योजना से अतिरिक्त पानी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. पाली जिले की रोहट तहसील के गांवों में बंद पड़े आर.ओ. प्लांट को पुन: प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. जोधपुर से रोहट (पाली) तक पाइप लाइन बिछाकर पेयजल हेतु राजीव गांधी कैनाल का पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा)

90. विधान सभा क्षेत्र नोखा में फेल हो गये नलकूपों के स्थान पर नये ट्यूबवैलों के प्रस्ताव स्वीकृत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र नोखा के जलदाय विभाग के जिला ग्रामीण खण्ड-प्रथम, बीकानेर में समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. नोखा तहसील के समस्त गांव, ढाणियों एवं कस्बों को जल जीवन मिशन के तहत नहरी पेयजल परियोजना के हो चुके टेण्डर के तुरन्त वर्क आर्डर जारी करके काम शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. नोखा शहर की पेयजल सप्लाई को नगरपालिका के संचालन से मुक्त कर पुन: जलदाय विभाग के अधीन लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. जिला बीकानेर में जल जीवन मिशन के तहत प्रस्तावित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु संभाग मुख्यालय बीकानेर में एक मुख्य अभियन्ता का पद स्वीकृत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**सुश्री रीटा चौधरी** (मण्डावा)

95. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में जल जीवन मिशन के तहत अलसीसर ब्लाक में कार्य की धीमी गति के कारण पीने के पानी के संकट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत** (वल्लभनगर)

96. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर (उदयपुर) में शहरी जल योजना भीण्डर

के पुनर्गठन की स्वीकृति एवं पेयजल के लिए जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा)

97. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में रिफाइनरी मुख्यालय मडापुरा-पचपदरा एवं शहरी क्षेत्र बालोतरा में बढ़ी आबादी को जलापूर्ति हेतु आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु आवश्यक राशि का आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में बालोतरा या आसपास के क्षेत्र में प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति हेतु पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा परियोजना पर वृहद जलाशय के निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के पंचायत समिति कल्याणपुर मुख्यालय पर सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग का कार्यालय सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. बाड़मेर जिले की पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना एवं उम्मेदसागर वृहद् पेयजल योजना के रखरखाव और नियंत्रण हेतु विभिन्न श्रेणी के तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकारियों एवं कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. बाड़मेर जिले की पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना वृहद पेयजल योजना में मांग अनुसार राशि आबंटन कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में बकाया कार्य पूर्ण कर परियोजना का कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण)

102. कोटा की आवासीय कालोनियों व बहुमंजिला इमारतों में फ्लोराइड मुक्त पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. कोटा शहर की 40 साल पुरानी जीर्णशीर्ण पाइप लाइनों को बदलकर नई पाइप लाइन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्रीमती मीना कंवर** (शेरगढ़)

104. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के सभी ग्रामों में पेयजल उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री कान्ति प्रसाद** (थानागाजी)

105. सरकार द्वारा जल जीवन मिशन में स्वीकृत योजनाओं का कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री हाकम अली खां** (फतेहपुर)

106. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या से निजात दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

107. J J Y योजना के बिजली के बिल जमा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में बन्द पड़े कुओं के स्थान पर ट्यूबवैल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में पानी की समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री गोपी चन्द मीणा** (जहाजपुर)

110. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के नगरपालिका क्षेत्र के ग्राम बोरानी का बाण, सैलादाता एवं लक्ष्मीपुरा में पुरानी खराब पाइप लाइन के स्थान पर नई पाइप लाइन की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के पारोली कस्बे के पास गेहु ली माताजी के स्थान पर बनाज शाहपुरा पाइप लाइन से कनेक्शन करने एवं पानी की टंकी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के जल जीवन मिशन योजना में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा तोड़ी गई सी.सी. सड़कों का पुन: निर्माण करने के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम रूबिया बरड़ा एवं भवानीपुरा में उच्च जलाशय क्षमता की टंकी का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में वर्षा की कमी के कारण नये 50 हैण्डपम्पों की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री गिरधारीलाल** (डूंगरगढ़)

115. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत

आई.जी.एन.पी. की मुख्य नहर के.आर.डी. 609 से आउट लेट लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में पेयजल हेतु नई पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ की जलदाय योजनाओं में कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में ट्यूबवैलों की खराब पड़ी मोटरों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में नये ट्यूबवैल की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्रीमती संतोष** (अनूपगढ़)

120. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में पेयजल के लिये उपलब्ध डिग्गियों की समय पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. प्रदेश में जनता जल योजना में कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. अनूपगढ़ में अधीक्षण अभियंता कार्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

123. अनूपगढ़ शहर में पेयजल की सुचारु व्यवस्था के लिये नये जल संग्रहण व टंकी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के रावला, घड़साना एवं उप तहसील 2 के.एल.डी. में पेयजल स्टोरेज एवं वितरण के लिये नवीन टंकी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री अविनाश** (जैतारण)

125. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पेयजल की सप्लाई 8-10 दिनों में किये जाने से उत्पन्न स्थिति के समाधान एवं गर्मी के मौसम में प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में एवं जैतारण शहर में प्रति दूसरे दिन पानी की नियमित सप्लाई करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या के

समाधान के लिए सम्पूर्ण क्षेत्र में R.O. प्लांट लगाये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

127. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में जवाई योजना का कार्य पूरा नहीं होने से क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल की समस्या एवं जवाई पुनर्भरण योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र जैतारण की ग्राम पंचायतों के सभी ग्रामों में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना का कार्य शीघ्र पूरा करने एवं संवेदक द्वारा पुरानी पाइप लाइनों में ही नये कनेक्शन देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129. विधान सभा क्षेत्र जैतारण की नगरपालिका क्षेत्र जैतारण के सभी 25 वार्डों में अत्यधिक पुरानी पाइप लाइन की जगह नवीन पाइपलाइन व वंचित वार्डों की कॉलोनियों व बेरों पर नवीन पाइप लाइन की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री लक्ष्मण मीणा** (बस्सी)

130. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में जल जीवन मिशन के तहत कराये जा रहे कार्यों को निर्धारित मापदण्डों तथा गुणवत्ता के तहत कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

131. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के 126 गांवों की पेयजल योजना स्वीकृत कर कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के नगरपालिका क्षेत्र बस्सी, बांसखोह, कानोता, तूंगा, माधोगढ़, जटवाड़ा की पेयजल योजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्विति के संबंध में चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में हर घर नल के लिये जे.जे.एम. योजना में बीसलपुर बांध से 7 एम.एल.डी. अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

134. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के कस्बा माधोगढ़ की जे.जे.एम. योजना के तहत पेयजल योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन)

135. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में सोलर पम्प सैट लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में पेयजल हेतु जनता जल योजना के संबंध में चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में जल जीवन मिशन योजना से वंचित आबादी को जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़)

138. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में जनता जल योजना की प्रभावी मानिटरिंग के अभाव में आमजन को हो रही समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में सोमासर स्कीम एवं जैसावरी स्कीम से अंतिम छोर के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन)

140. विधान सभा क्षेत्र कपासन के भदेसर स्थित सहायक अभियन्ता कार्यालय में रिक्त सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता के पदों को भरने तथा उपखण्ड मुख्यालय राशमी में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

141. विधान सभा क्षेत्र कपासन में लगे आर.ओ. को नियमित रूप से चालू रखने एवं बन्द आर.ओ. को ठीक करवाने सहित आबादी क्षेत्र से दूर लगे हुए आरओ. को आबादी क्षेत्र में लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र कपासन के आकोला तहसील भोपालसागर तथा पहुंना तहसील राशमी में क्षतिग्रस्त टंकी को गिराकर नवीन टंकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143. विधान सभा क्षेत्र कपासन के मुरोली एवं आरनी तहसील राशमी, करजाली तहसील कपासन, निलोद एवं कानाखेड़ा तहसील भोपालसागर में जे.जे.एम. योजना में स्वीकृत पेयजल योजनाओं का कार्य प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144. विधान सभा क्षेत्र कपासन के सभी गांवों के पानी में फ्लोराइड होने से माही बांध या चम्बल बांध से पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री धर्मेन्द्र कुमार** (पीलीबंगा)

145. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के गैर आबादी चकों, ढाणियों को जे.जे.एम. योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की KWD नहर से मुख्य वाटर वर्क्स रावतसर में बंद पाइप लाइनों को चालू कर पेयजल हेतु पानी लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में आपणी योजना के तहत चकों व ढाणियों में पाइप लाइन का विस्तार व उच्च जलाशय बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

148. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की पेयजल योजनाओं में भूमिगत ट्यूबवैलों का फ्लोराइडयुक्त पानी का वितरण बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में पेयजल की पाइप लाइन में लीकेज होने के कारण आम जनता को गंदा पानी सप्लाई होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री हमीर सिंह भायल** (सिवाना)

150. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पोकरण-फलसूंड़, बायतू-बालोतरा, सिवाना पेयजल योजना में रिक्त पदों को भरकर योजना का कार्य पूर्ण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. विधान सभा क्षेत्र सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर अधिशासी अभियंता कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. सिणधरी उपखण्ड क्षेत्र के गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 100 नये हैण्डपम्प खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. उम्मेद सागर-धवा समदड़ी खण्ड परियोजना का पानी 24 एम.एल.डी. पूरा नहीं मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

154. सिणधरी उपखण्ड मुख्यालय के नर्मदा प्रोजेक्ट से जुड़े गांवों को समय

पर पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति तथा बाड़मेर लिफ्ट कैनाल का पानी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री फूल सिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण)

155. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पैरीफैरी एरिया की यू.आई.टी. कालोनियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

156. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में ग्राम पंचायत तीतरड़ी की यू.आई.टी. कालोनियों को जयसमन्द से या मानसी वाकल द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में खराब हैण्डपम्पों को ठीक करवाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

158. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में बैड़वास यू.आई.टी. मेगा आवास योजना में पेयजल नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जनता जल योजना को चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री बलवान पूनियां** (भादरा)

160. विधान सभा क्षेत्र भादरा के सभी गांवों की ढाणियों का सर्वे करवाकर जल जीवन मिशन में जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

161. विधान सभा क्षेत्र भादरा में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र भादरा में जनता जल योजना के कर्मचारियों को स्थायी व नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री सतीश पूनियां** (आमेर)

163. विधान सभा क्षेत्र आमेर को ईसरदा बांध परियोजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164. विधान सभा क्षेत्र आमेर की पंचायत समिति जालसू में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का सहायक अभियंता कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र आमेर में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत कार्यों का

संपादन त्वरित गति से कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र आमेर के शहरी वार्ड 1, 2, 3 एवं 4 की कालोनियां/ ढाणियां, जो पुनर्गठित शहरी जल योजना आमेर में सम्मिलित नहीं की गई है, को अविलम्ब पुनर्गठित शहरी जल योजना, आमेर में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र आमेर में खराब नलकूप/हैण्डपम्प को आमजन हित में अविलम्ब दुरुस्त करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री छगनसिंह** (आहोर)

168. विधान सभा क्षेत्र आहोर के 22 गांव- बागरा, सियाणा, आडवाड़ा, आकोली, डुडसी, देलदरी, काणदर, भेटाला, रायपुरिया, चांदना, बिबलसर, दीगांव, नागणी, मेड़ा उपरला, मेड़ा नीचला, मायलावास, बारलावास, नबी, सिवना, सुमेरगढ़ खेड़ा, देवदा, देवाड़ा गांवों में नये ट्यूबवैल एवं कन्टींजेंसी प्लान बनाकर पेयजल की समस्या से निजात दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र आहोर में नर्मदा के ER एवं FR के क्लस्टर प्रोजेक्ट के कई गांवों में उच्च जलाशय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द)

170. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की भुरवाड़ा (चौकड़ी) मालीखेड़ा (गिलुण्ड), राज्यावास, एमडी, पीपली आचार्यन, केरिंगजी का खेड़ा (पड़ासली), निजरना (बोरंग), गावलिया (मुन्ड़ोल), वासालोन (भाणा) श्मशान घाट, आवासन बोर्ड कालोनी पर सौर ऊर्जा चलित पनघट स्थापना के प्रस्तावों पर चर्चा के लिए।

171. राजसमन्द झील में जल आवक स्रोत बढ़ाने एवं माही नदी घाटी और देवास परियोजना से जल परावर्तन पर चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में नल योजना से वंचित गांवों में पाइप लाइन डालने एवं हर घर नल योजना की क्रियान्विति के संबंध में चर्चा के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के नगर परिषद् क्षेत्र एवं प्रत्येक पंचायत

में हर घर नल योजना से जल कनेक्शन से जुड़े घरों की संख्या एवं इससे वंचित घरों की संख्या एवं कार्ययोजना पर चर्चा के लिए।

174. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में प्रारम्भ नई पाइप लाइन डालने और पाइप लाइन विस्तार एवं उच्च जलाशयों के निर्माण कार्य की प्रगति एवं उस पर किये गये परिव्ययों पर चर्चा के लिए।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण)

175. अजमेर शहर में पेयजल लाइन के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु विभाग द्वारा ओ एण्ड एम (आपरेशन एण्ड मेंटिनेंस) के लिए निजी कम्पनी से करार/समझौता करने के बावजूद भी नसीराबाद सेवन नम्बर टैंक से आने वाली मुख्य पाइप लाइन के बार-बार टूटने से कार्यरत एजेन्सी की जांच कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176. अजमेर दक्षिण में स्थित अजयनगर (जाग्रति नगर) की पेयजल समस्या के निदान हेतु पूर्ववर्ती सरकार के समय बजट में स्वीकृत उच्च जलाशय के निर्माण की निविदाएं शीघ्र ही आमंत्रित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

177. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में वर्ष 2020-21 व 2021-22 में सूख चुके नलकूप/कुओं एवं हैण्डपम्प की पुन: स्वीकृति जारी नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

178. अजमेर जिले की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को निर्बाध रूप से बनाये जाने हेतु बीसलपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के 2021 में पूरा होने के पश्चात् आगामी तृतीय फेज को अविलम्ब स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. सरकार की घोषणा अनुसार अजमेर शहर में चौबीस घंटे के अन्तराल से नियमित पेयजल आपूर्ति किए जाने हेतु 224 एमएल पानी की व्यवस्था एवं वर्तमान आधारभूत ढांचे की सक्षमता वर्धन हेतु बजट आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष)

180. उदयपुर सम्भाग के आदिवासी क्षेत्रों में जनता जल योजना में पर्याप्त

धनराशि एवं स्वीकृतियां जारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

181. उदयपुर स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर कोट के अन्दर स्थित बस्ती को 24 घंटे पानी देने की योजना का लाभ लम्बे समय पश्चात् भी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

182. उदयपुर शहर के नगर निगम, यू.आई.टी., विधायक, सांसद निधि एवं राज्य सरकार से मिली राशि का वर्ष 2014 से लेकर अब तक स्वीकृत हु ए कार्यों का लाभ जनता को नहीं मिलने से उत्फ्न्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

183. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर की पेयजल योजना से वंचित बस्तियों के संबंध में चर्चा के लिए।

184. उदयपुर जिले की जयसमन्द योजना हेतु पर्याप्त बजट प्रावधान होने के बावजूद भी कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्रीमती निर्मला सहरिया** (किशनगंज)

185. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में पानी की समस्या को दूर करने के लिए नये कुएं के निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

186. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में पेयजल हेतु बोरिंग व्यवस्था को चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

187. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में पानी की टंकी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री पुखराज** (भोपालगढ़)

188. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में जे.जे.एम. में कनेक्शन तथा ढाणियों में पेयजल सप्लाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर)

189. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में बाड़मेर लिफ्ट कैनाल पार्ट 'ब' के तहत सरणू, सांजरा, आदर्श चवा, चवा, गंगासरा, बेटीबालातरा, गालाबेरी, भुरटिया तथा मगने की ढाणी सहित दर्जन भर गांवों में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

190. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में 50 नवीन हैण्डपम्प एवं 10 नवीन ट्यूबवैल स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

191. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में हर घर जल कनेक्शन के तहत स्वीकृत कार्य को शीघ्रता से प्रारम्भ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

192. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में तकनीकी सहायकों, हैल्परों तथा फिटर्स इत्यादि के रिक्त पदों पर भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

193. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जनता जल योजनाओं को पंचायती राज से पीएचईडी को दिये जाने संबंधी चर्चा के लिए।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन)

194. विधान सभा क्षेत्र पाली में पेयजल आपूर्ति हेतु चम्बल से पानी की सप्लाई के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर)

195. अजमेर जिले को बीसलपुर बांध से 3.7 टीएमसी अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

196. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के निवासियों को निर्बाध रूप से पेयजल आपूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

197. विधान सभा क्षेत्र अजमेर में स्मार्ट मीटर लगवाकर वंचित उपभोक्ताओं को भी प्रतिमाह 15,000 लीटर पानी नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

198. अजमेर जिले के विस्तार को देखते हुए नियमित एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति हेतु बीसलपुर बांध के अलावा अन्य विकल्पों पर भी परियोजना बनाकर कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

199. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु पुरानी पानी की लाइनों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा)

200. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल में पी.एच.ई.डी में कनिष्ठ अभियंता का पद गत तीन वर्ष से रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

201. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर में नया अधिशासी अभियंता कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

202. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्र में बीसलपुर परियोजना से आबंटित पानी की आपूर्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

203. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में दूदू-सांभर बीसलपुर परियोजना की पाइप लाइन जर्जर होने से पर्याप्त मात्रा में पेयजल सप्लाई नहीं होने तथा नई पाइप लाइन डालने के संबंध में चर्चा के लिए।

204. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की बीसलपुर परियोजना का कार्य तय समय पर पूर्ण नहीं होने एवं कार्य की धीमी गति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

**अशोक लाहोटी** (सांगानेर)

205. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में विगत तीन वर्षों में किये गये बोरिंग निर्माण कार्यों में पाइप टेण्डरों की शर्तों के अनुसार पूर्ण नहीं होने तथा घटिया पाइप डालने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

206. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में विगत दो वर्षों में किये गये बोरिंग निर्माण हेतु घटिया पाइप व मोटर पम्प निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं होने तथा घटिया सामग्री उपयोग में ली जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

207. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में टैंकरों द्वारा केमिकलयुक्त एवं गंदे पानी की सप्लाई की लैबोरेट्री जांच नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

208. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में बीसलपुर परियोजना से पीने का पानी उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री मनोज कुमार** (सुजानगढ़)

209. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के क्षतिग्रस्त उच्च जलाशय को तोड़कर नया उच्च जलाशय बनवाने एवं नई बसी आबादी के विस्तारित क्षेत्र में नये जलाशय बनाने एवं नवीन पाइप लाइन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री गोविन्द प्रसाद** (मनोहर थाना)

210. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में पेयजल हेतु मध्य प्रदेश सरकार से समन्वय की पहल किये जाने तथा मोहनपुरा डैम से योजना बनाकर ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या को दूर किये जाने संबंधी चर्चा के लिए।

211. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में पहाड़ी क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए विशेष हैण्डपम्प व ट्यूबवैल स्वीकृत कराये जाने संबंधी चर्चा के लिए।

212. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना हेतु पेयजल के संबंध में विशेष प्लान बनाकर पेयजल संकट को दूर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

213. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में स्थित कालीखाड़ डैम, गुलेण्डी डैम व छापी डैम से पेयजल योजना का विस्तार किये जाने संबंधी चर्चा के लिए।

214. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में ग्राम पंचायत टोडरी जगन्नाथ के ग्राम गोरियाखेड़ा व अन्य समीपवर्ती गांवों में पेयजल हेतु परवन नदी पर बने एनिकट की ऊंचाई बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री लाखन सिंह** (करौली)

215. विधान सभा क्षेत्र करौली में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत शेष रही स्कीमों को स्वीकृत करने, ग्रामीण क्षेत्र में जनता जल योजनाओं का संचालन पीएचईडी विभाग को देने एवं ग्राम कटकड में पीएचईडी का उपखण्ड कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री पानाचन्द मेघवाल** (बारां-अटरू)

216. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के गांवों में पीने के पानी में अत्यधिक फ्लोराइड होने के कारण गांवों में आर.ओ. प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

217. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में बजट घोषणा 2021-2022 में स्वीकृत किये गये 10 ट्यूबवैल एवं 40 हैण्डपम्प नहीं लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

218. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के अन्तर्गत नगरपालिका अटरू में

पेयजल हेतु पुरानी पाइप लाइन के स्थान पर नवीन पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

219. बारां नगर परिषद् क्षेत्र के ग्यारह गांव एवं कच्ची बस्तियों में पीने के पानी की पाइप लाइन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री अमित चाचाण** (नोहर)

220. विधान सभा क्षेत्र नोहर में स्वच्छ जल देने वाले फिल्टर प्लांट व पम्प फिटर चालकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

221. विधान सभा क्षेत्र नोहर में पेयजल विभाग के सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

222. विधान सभा क्षेत्र नोहर में क्लस्टर योजना के द्वारा स्वरूपदेसर एवं लेघा की ढाणी से गांवों में पेयजल आपूर्ति हेतु उच्च जलाशयों के प्रस्तावों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री पूराराम चौधरी** (भीनमाल)

223. बजट 2020-2021 में स्वीकृत नर्मदा ई.आर. प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

224. बजट 2020-2021 में स्वीकृत नगरपालिका भीनमाल की पेयजल योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री रामनारायण मीना** (पीपल्दा)

225. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के डूंगरली (इटावा), जिला कोटा में पेयजल आपूर्ति के लिये निर्मित कुएं एवं ट्यूबवैल की मरम्मत एवं उसके ढकान के लिये कार्य में किये जा रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

226. कोटा जिले के ग्राम झौंपडिया (जटवाडा), नीमोला, आसीदा (बालूपा), कुनेठिया (लाखसनीजा) में पेयजल समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

227. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के बूढादीत क्षेत्र के पंचमुखी हनुमान मंदिर एवं देदियाहेडी में पेयजल की सुचारु व्यवस्था करने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिए।

228. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में खराब गुणवत्ता के पानी वाले ग्रामों में गुणवत्तायुक्त पेयजल आपूर्ति के लिये कार्यवाही में तीव्रता लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

229. कोटा जिले के पेयजल की घटिया क्वालिटी वाले अयाना, ईटावा, गेंता, बातोंली, पीपल्दा कलां, केधूदा, सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली, बाडौली, सुल्तानपुर एवं बडौद में वर्तमान जनसंख्या के अनुपात में पेयजल पाइप लाइन एवं उच्च जलाशय निर्माण तथा पेयजल आपूर्ति में विभागीय उदासीनता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री अमीन खां** (शिव)

230. बाड़मेर जिले के नर्मदा नहर का पानी तहसील रामसर-गडरा रोड के गांवों में पेयजल की आपूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

231. बाड़मेर जिले की नर्मदा प्रोजेक्ट से पराडीय पंचायत के गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

232. राज्य जलदाय विभाग में पाइप लाइन एवं नलकूपों पर कार्मिकों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

233. बाड़मेर जिले की तहसील शिव के समस्त गांवों को इन्दिरा गांधी नहर द्वारा पेयजल पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री कैलाश चन्द मीणा** (गढ़ी)

234. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के समस्त ग्राम पंचायतों के लिये जनता जल मिशन योजना के तहत पेयजल उपलब्ध कराने एवं नवीन हैण्डपम्प खोदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्रीमती शोभा चौहान** (सोजत)

235. विधान सभा क्षेत्र सोजत के गांवों व ढाणियों में पेयजल हेतु पाइप लाइन बिछाकर मीठा पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

236. विधान सभा क्षेत्र सोजत के मगरा क्षेत्र की पंचायतों में प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

237. विधान सभा क्षेत्र सोजत की पश्चिमी क्षेत्र की 15 पंचायतों को दांतीवाड़ा प्रोजेक्ट से जोड़कर पेयजल उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री गोपी चन्द मीणा** (आसपुर)

238. विधान सभा क्षेत्र आसपुर में जल शक्ति योजना से वंचित गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री समाराम गरासिया** (पिण्डवाडा-आबू)

239. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में पेयजल हेतु 100 हैण्डपम्प एवं 20 ट्यूबवैल स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा हेतु।

240. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू की पिण्डवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र के झाडौली, सरूपगंज, भारजा, नितोडा, अजारी गांवों में दो ओवरहैड टंकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू)

241. बांसवाडा जिले के माही बांध के अधिशेष पानी को 100 किलोमीटर जमीन के अन्दर पाइप लाइन डालकर चित्तौड़गढ़ के गंभीरी बांध में भरकर बीसलपुर बांध तक पहुंचाकर जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर व टोंक, अजमेर जिले के लिये पेयजल की स्थायी व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

242. विधान सभा क्षेत्र दूदू में जल जीवन मिशन योजना में स्वीकृत कार्यों का पुन: सर्वे कराकर आवश्यकता के अनुसार उच्च जलाशय व लोकल सोर्स से पेयजल उपलब्ध कराने के लिये कुएं व ट्यूबवैल स्वीकृत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

243. विधान सभा क्षेत्र दूदू में पूर्व में पेयजल हेतु चलाई जा रही स्वीकृत समस्त योजनाओं को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

244. सूरजपुरा से सांभर मुख्य लाइन टी.एम.आई. कार्य शीघ्र प्रारम्भ करके क्षतिग्रस्त मुख्य लाइन से निकल रहे पानी को पेयजल हेतु उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

245. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम फेज में जयपुर जिले के छापरवाड़ा बांध को पेयजल के लिये शामिल करने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री पदमाराम** (चौहटन)

246. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नर्मदा नहर पेयजल योजना को शीघ्र प्रारंभ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती सूर्यकांता व्यास** (सूरसागर)

247. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में पूर्वी पाल रोड विस्तार योजना में पेयजल की टंकी निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

248. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में माता का कुण्ड, चांदपोल के बाहर पेयजल हेतु नवीन पाइप लाइन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

249. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में न्यू भैंरूनाथ भील बस्ती में पेयजल हेतु नवीन पाइप लाइन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

250. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में बडी भील बस्ती में पेयजल हेतु पाइप लाइन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

251. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में वर्षों पुरानी पेयजल की पाइप लाइन को नवीन पाइप लाइन में बदलने एवं वांछित क्षेत्रों में नवीन पाइप लाइन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री विजयपाल मिर्धा** (डेगाना)

252. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में नहरी पेयजल से वंचित ढाणियों व गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**गोपाल लाल शर्मा** (माण्डलगढ़)

253. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में चम्बल योजना से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु पाइप लाइन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

254. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ के छोटे गांव व ढाणियों में पेयजल हेतु ट्यूबवैल व हैण्डपम्प स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड** (चूरू)

255. विधान सभा क्षेत्र चूरू के लिये करमसाना रिजरवायर से तय आबंटित पेयजल नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

256. विधान सभा क्षेत्र चूरू में पेयजल हेतु बने कुओं में बिजली कनेक्शन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

257. चूरू जिले के स्थानीय विधायकों को एमएलए लैड से आबंटित राशि से कुएं तथा हैण्डपम्प नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

258. विधान सभा क्षेत्र चूरू के गांव जोहड़ी चलकोई, इन्द्रपुरा, मठोड़ी,

मोटवाड़ताल, कोरवाद नाथोतान व धमीरी सहित विभिन्न गांवों में आपणी योजना का पानी नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

259. विधान सभा क्षेत्र चूरू में बने विभिन्न उच्च जलाशयों को मुख्य स्रोत से नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हेतु।

**श्री राजकुमार रोत** (चौरासी)

260. डूंगरपुर जिले में हैण्डपम्प मैकेनिकों की पर्याप्त संख्या में कमी होने से आमजन को हो रही परेशानियों के संबंध में चर्चा के लिये।

261. कडाणा बैंक वाटर से गेजी घाटा तक स्वीकृत पेयजल परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू करने एवं विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पूर्व संचालित सभी पेयजल परियोजना को इनसे जोडे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

262. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के अन्तर्गत समस्त विद्यालय, आंगनबाडी, मां-बाड़ी व उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर पेयजल हेतु सोलर पम्प लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

263. डूंगरपुर जिले में पेयजल के लिए छोटे-छोटे प्रोजेक्टों के लिए टेण्डर की जटिल प्रक्रिया एवं शर्तों में शिथिलता प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

264. विधान सभा क्षेत्र चौरासी की ग्राम पंचायत चौकी, खरवर खुणिया, रेटाजूडा को जल जीवन मिशन के तहत जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्रीमती सफिया जुबेर** (रामगढ़)

265. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ (अलवर) को चम्बल का पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

266. रामगढ़ (अलवर) के ग्राम-खानपुर कला में पेयजल समस्या से निजात दिलाने हेतु योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल** (शाहपुरा)

267. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (बनेड़ा) में चम्बल परियोजना से जोड़े गये पेयजल पाइप लाइन के पम्प स्टेशनों को पानी के समुचित दवाब पर निर्धारित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

268. भीलवाड़ा जिले के उपखण्ड फूलिया कलां कस्बे के भीतरी स्थानों पर कम दबाव से पानी आने के कारण हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति के संबंधों में चर्चा के लिए।

269. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (बनेड़ा) में स्थापित हैण्डपम्पों और टंकियों की नियमित मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

270. भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा बनेड़ा में विभिन्न स्रोतों से पेयजल की उपलब्धता में छूटी हुई ढाणियों और मजरों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

271. भीलवाड़ा जिले की जनता को विभिन्न स्रोतो से उपलब्ध कराये जा रहे पीने के पानी की स्वच्छता की नियमित परीक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती इन्दिरा देवी** (मेड़ता)

272. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्राम पंचायत रेण की पंचकुटा की ढाणी, डारा की ढाणी तथा गांव भूरियासनी के बावरियों की ढाणी में बने GLR में पानी की आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

273. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कर्मचारियों और अभियन्ताओं के रिक्त पड़े पदों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

274. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में नहरी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी के लगाये गये PSP पाइंट में पानी की सुचारु सप्लाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

275. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्राम पंचायत बीटन की बावरियों की ढाणी चौहान नगर व ग्राम पंचायत गगराना की बावरियों की ढाणी लूणियास फांटा बायड़ में पीने के पानी की सप्लाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

276. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की छोटी-छोटी ढाणियों में हैण्डपम्प खुदवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री रामप्रसाद** (सागवाड़ा)

277. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में सौर ऊर्जा पनघट योजना में अब तक सोलर पैनल नहीं लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

278. सागवाड़ा में जनता जल योजना में चल रही मोटर के बिजली बिल व संचालन का खर्चा विभाग द्वारा वहन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

279. सागवाड़ा व गलियाकोट ब्लाक में कडाणा बैक वाटर से पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री नारायण बेनीवाल** (खींवसर)

280. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में नहरी पानी पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित हो चुके गांवों व ढाणियों में निर्धारित समय पर आवश्यकता व मांग से कम पेयजल आपूर्ति होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

281. नागौर जिले में पेयजल वितरण हेतु कार्यरत निजी कंपनियों द्वारा समुचित रूप से कार्य नहीं करने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

282. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में जल जीवन मिशन से वंचित ढाणियों तथा गांवों में नये नलकूपों की स्वीकृति व फैलियर नलकूपों को दुरुस्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

283. नागौर जिले में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमों व मापदंडों को दरकिनार करके गुणवत्ता रहित किए जा रहे कार्यों की जांच करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

284. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के गांवों में पेयजल योजनाओं के लिये डलवाई गई पाइप लाइन के लिए तोड़ी गई सड़कों को दुरुस्त करवाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी)

285. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के सैपऊ क्षेत्र के चम्बल परियोजना से शेष रहे गांवों में पेयजल आपूर्ति के संबंध में चर्चा के लिए।

286. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के डांग क्षेत्र में पेयजल हेतु हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री हरीश चन्द्र मीना** (देवली-उनियारा)

287. विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा को बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

288. विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या दूर करने के लिए नवीन योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री अमर सिंह** (बयाना)

289. विधान सभा क्षेत्र बयाना के नहरी क्षेत्र में पेयजल से वंचित गांवों में पेयजल आपूर्ति की ठोस कार्ययोजना बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

290. विधान सभा क्षेत्र बयाना के वंचित क्षेत्रों में चम्बल लिफ्ट पेयजल योजना से पेयजल आपूर्ति करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

291. विधान सभा क्षेत्र बयाना में चम्बल पेयजल योजनान्तर्गत निर्मित टंकियों में पानी की आपूर्ति न किये जाने से क्षेत्र में हो रही पेयजल समस्या के संबंध में चर्चा के लिए।

292. विधान सभा क्षेत्र बयाना के बारैठा बांध में चम्बल लिफ्ट परियोजना से पानी की आपूर्ति कर क्षेत्र में पेयजल की समस्या का निवारण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

293. विधान सभा क्षेत्र बयाना के डांग क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की ठोस कार्ययोजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर)

294. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर (जयपुर) के दिल्ली रोड पर बसी कालोनियों में बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नयी योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

295. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर (जयपुर) के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल हेतु बोरिंग खुदवाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

296. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर (जयपुर) की आगरा रोड पर पेयजल योजना से संबंधित कार्य शीघ्र पूरा करने के सम्बंध में चर्चा के लिए।

297. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर (जयपुर) के संपूर्ण क्षेत्र में बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री सुमित गोदारा** (लूणकरणसर)

298. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के कल्याणसर, रामसर, राजेरा, गारबदेसर, खरड़ा, चक नोहड़ा, शेखसर, बेलासर, नौरंगदेसर, अमरपुरा गांवों में ट्यूबवैल फेल होने पर नये ट्यूबवैल (Against Failure Scheme) स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

299. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए ट्यूबवैल को विद्युत आपूर्ति करने वाली खराब हो चुकी केबल की जगह नई केबल हेतु बजट आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

300. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के मोलाणिया, मालासर, करणीसर बोकान, बंधा गांवों को जल जीवन मिशन योजना के तहत नहरी पानी से आपूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

301. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के बीकानेर तहसील में जलदाय विभाग में कार्यरत अधिशासी अभियंता द्वारा कार्य में लापरवाही किये जाने के कारण नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

302. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के राजासर उर्फ करणीसर, शेखसर, खोड़ाला, ढाणी पांडसर, मनाफरसर, घीरदान गांवों में नहरी पेयजल से जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़)

303. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के ग्रामीण अंचल में आपणी योजना के सर्वे में वंचित गांवों व ढाणियों का नये सिरे से सर्वे करवाकर वहां बसे लोगों को आपणी योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति करवाने के सबंध में चर्चा के लिए।

304. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के गांव आलसर, अणखोल्या, भोजासर, चारणवासी, प्रेमनगर, नीमड़ी, लोणा, कुसुमदेसर, टाड़ा, सांवतिया, रिणवां की ढाणी, रामपुर, परसनेऊ, तोलियासर, कनवारी, जिनरासर व कादिया आदि ग्रामों में आपणी योजनान्तर्गत पी.एस.पी. स्टैण्ड बढ़ाने के सबंध में चर्चा के लिए।

305. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में आपणी योजना के तहत हर घर नल का कनेक्शन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

306. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के गांव चारणवासी, छाबड़ी मीठी, पाना की ढाणी, मैणासर, लूणासर, कुसुमदेसर, सांवतिया, इकलाई तलाई व ढाकावाली आदि में आपणी योजना के तहत पेयजल सप्लाई करने के संबंध में चर्चा के लिए।

# परिशिष्ट-02

## डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) द्वारा मांग संख्या 27-पेयजल पर सदन पटल पर रखा गया शेष वक्तव्य

## वर्ष 2022-23 की बजट घोषणाएं

प्रदेश के आमजन को शहरी क्षेत्र में और बेहतर जल वितरण किये जाने के लिए मा. मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 11 विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति की घोषणा की गई है, जिनका विवरण भी सदन के पटल पर रखता हूं।

### प्रशासनिक मुद्दे

**नियुक्तियां**

विभाग में लम्बे समय से सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता के पद रिक्त चल रहे हैं। सरकार द्वारा इन पदों को भरने के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित किये गये 312 सहायक अभियंताओं में से 267 को नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन किया जा चुका है। इसके अलावा सहायक अभियंता के 386 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा चयनित कनिष्ठ अभियंताओं के विभाग में 177 रिक्त पदों पर भर्ती अंतर्गत अब तक 173 कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति दी जाकर इनका पदस्थापन किया जा चुका है। इसके अलावा विभाग में कनिष्ठ अभियंता के 368 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा दिनांक 17.01.2022 को विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है।

  उपरोक्तानुसार सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों को सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्ति दी जाकर विभाग में अभियंताओं के रिक्त पदों को शीघ्र ही भरा जा सकेगा।

  इसके अतिरिक्त कनिष्ठ अभियंता के 93 पदों को वर्तमान में वित्त विभाग द्वारा Kept in abeyance रखा गया है, जिन्हें वित्त विभाग से पुनः बहाल (Restore) कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

  अराजपत्रित/अधीनस्थ संवर्ग में लगभग 400 पदों पर अनुकम्पात्मक

नियुक्तियां प्रदान की गयी हैं। इसके अलावा मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ संवर्ग में 420 पदों (कनिष्ठ सहायक-262, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक-18, प्रयोगशाला परिचायक-45, शीघ्रलिपिक-95) पर भर्ती हेतु अभ्यर्थना दिनांक 08.02.2022 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को प्रेषित की जा चुकी है।

**पदोन्नतियां** :-

सरकार द्वारा हमेशा ही कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक कार्य किया गया है। इसी के मद्देनजर विभाग में काफी समय से लम्बित चल रही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित कर कार्मिकों को पदोन्नति दिये जाने हेतु सरकार द्वारा गंभीरता से प्रयास किये गये हैं। इसी का नतीजा है कि विभाग में 100 से अधिक लम्बित डी.पी.सी. आयोजित कर राजसेवकों को पदोन्नतियां दी गयी हैं। राजपत्रित संवर्ग में सहायक अभियंता से अधिशाषी अभियंता स्तर तक के सभी पदों हेतु वर्तमान वर्ष 2021-2022 तक की डीपीसी आयोजित की जा चुकी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सहायक अभियंता से मुख्य अभियंता के पदों पर 73 राजसेवकों को पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है। इसी प्रकार अराजपत्रित/अधीनस्थ संवर्ग में गत वर्षों की बकाया डी.पी.सी. के अलावा वर्तमान वर्ष 2021-2022 तक की समस्त पदों हेतु डी.पी.सी. आयोजित कर 1639 राजसेवकों को पदोन्नतियां प्रदान की गयी हैं जो एक अभूतपूर्व कदम है।

**नवीन घोषणा**

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति का सम्मान करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं और इस उपलक्ष्य में नारी शक्ति का सम्मान करते हुए मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में ''पिंक डिवीजन'' खोले जाने की घोषणा करता हूं।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में सभी भर्तियों में 30 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया जा चुका है। महिला सशक्तीकरण को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन विद्यमान एक डिवीजन कार्यालय को ''पिंक डिवीजन'' में परिवर्तित किये जाने की घोषणा करता हूं।

'पिंक डिवीजन' एवं इसके अधीन समस्त सब-डिवीजन कार्यालयों में

समस्त अभियंता यथा अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता एवं अन्य कर्मचारी भी यथा संभव, महिलाएं ही पदस्थापित की जायेंगी।

मैं आशा करता हूं कि आगामी मानसून में वर्षा जल समस्त राज्य में भरपूर बरसे एवं हमारे कोई भी नदी, तालाब, बांध आदि खाली नहीं रहे। साथ ही मैं सभी सदस्यगणों, पक्ष एवम् विपक्ष दोनों, से यह आह्वान करता हूं कि आप आगामी मानसून में वर्षा जल के संचयन हेतु व्यक्तिगत प्रयास करंगे। हमारे पारम्परिक जल के स्रोत जैसे कुएं, बावड़ी आदि के पुनरूत्थान के कार्य के साथ-साथ वर्षा जल कुएं, संरक्षण संरचना का निर्माण कार्य भी एम.एल.ए. फण्ड से करवायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां इतनी विषम है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो जल कनेक्शन दिये जा रहे हैं उनके लिए कनेक्शन की जो दर है वह प्रति कनेक्शन 72,000 रुपये के करीब आती है जो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बात यहीं पूरी नहीं होती, स्थिति तो इससे भी आगे बढ़ी हुई है। 2018 में जब प्रधान मंत्री जी राजस्थान आते हैं और दो बार ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) को राष्ट्रीय योजना घोषित करने की घोषणा करते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं करते और स्थिति यह हो जाती है कि भाजपा का कोई नेता प्रधान मंत्री जी को यह याद दिलाने की हिम्मत नहीं करता कि प्रधान मंत्री जी आपने जो घोषणा की थी, उसे पूरा करने की कोशिश करो। इसीलिए मैंने राजस्थान के भाजपा नेताओं के बारे में अपने उपरोक्त शेर के माध्यम से राय व्यक्त की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से प्रधान मंत्री जी से मांग करता हूं कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाये। माननीय नेता प्रतिपक्ष उठकर यह कहें कि इस ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलना चाहिये कि नहीं?

अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी ने हिम्मत दिखाते हुए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में अपनी भागीदारी प्रदर्शित करते हुए नवनेरा लिंक के लिए 9,600 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान रखा है। हमारे मुख्य मंत्री जी तो फिर भी बहुत बड़े दिल के हैं प्रधान मंत्री जी ने तो कुछ भी नहीं किया। चूंकि घोषणा उन्होंने की थी, यदि प्रधान मंत्री जी यह इच्छा व्यक्त करें तो हमारे मुख्य मंत्री जी उन्हें नवनेरा लिंक के शुभारम्भ के लिए भी सादर आमंत्रित कर लेंगे। यदि प्रधान मंत्री जी में राजस्थान के प्रति थोड़ी भी

सहानुभूति है, तो ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं और मैं ही नहीं, पूरा सदन आपका सम्मान करता है। आप सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। आप अनेक बार अपने भाषणों में आने वाली नई नस्लों, पीढ़ियों व युवाओं के लिए कोई बात करते हैं तो अच्छा लगता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, लेकिन आज स्तब्ध हूं कि आप जैसा व्यक्ति ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में यह कहे कि यह किसने देखा है कि 2030-32 में कौन रहेगा।

माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, सपने तो उनके लिए भी देखे जाते हैं जो इस संसार में नहीं आये हैं। हम आने वाली पीढ़ियों को क्या विरासत सौंपकर जायेंगे? माननीय नेता प्रतिपक्ष, आजादी की लड़ाई यदि इसी भाव से लड़ी जाती तो हम आज यह दिन नहीं देख पाते।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का इतिहास त्याग और बलिदान का रहा है जब राजस्थान की महत्वाकांक्षी माही जल परियोजना की अवधारणा की जा रही थी, तब तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी को लोगों ने यह कहा कि यदि यहां माही डैम का निर्माण किया गया तो आपका गांव पानी में डूब जायेगा। इस पर हमारे नेता का यह कहना था कि गांव डूब जाये कोई बात नहीं, लेकिन प्रदेश के हित को सर्वोपरि रखकर इसका निर्माण किया जायेगा। उन्होंने अपने निजी हित का त्याग कर राजस्थान का हित सर्वोपरि रखा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष से यह कहना चाहूंगा कि आप जिस विचारधारा से आते हैं वह विचारधारा आजादी की लड़ाई से जुड़ी हुई नहीं है। कांग्रेस आजादी की लड़ाई से जुड़ी हुई है इसीलिए हम फक्र से कहते हैं कि-

"तामीरों की खातिर कब देखे हैं हमने ख्वाब
तामीरें दुनिया देखेगी और हम देखेंगे ख्वाब"

आज पूरे सदन को उठकर खड़ा होना चाहिए और राजस्थान के हक के लिए सारे लोगों को सर्वसम्मत मांग करनी चाहिए कि राजस्थान को जलदाय योजनाओं के अंतर्गत 90:10 का अनुपात किया जाए, जो कि पहले था। अध्यक्ष महोदय, 2013 से पूर्व मरुस्थलीय जिलों में केन्द्र का 100 परसेंट हिस्सा था, हम तो 90:10 के अनुपात की ही मांग कर रहे हैं और यदि ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय योजना का दर्जा मिले तो निश्चित रूप से राजस्थान का भला होगा और राजस्थान पेयजल योजना में कहीं भी पीछे नहीं रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा अपने बजट

भाषण के दौरान एवं सरकारी जवाब के समय कुल मिलाकर 38 हजार 100 करोड़ की 83 घोषणाओं की सूची सदन के पटल पर रखता हूं।

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य में पेयजल की विकट स्थिति उत्पन्न न होने पाए, इसके लिए, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग प्रतिबद्ध है और प्रभावी कदम उठाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है।

इस पृष्ठभूमि के साथ वर्ष 2022-23 की अनुदान मांग पर सदन के समक्ष विभागीय प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर अनुरोध करता हूं कि अनुदान की मांग संख्या 27 - पेयजल योजना को पारित किया जाये।

धन्यवाद।

आर.ओ. बंद होने की जांच कराई जायेगी। कारणों का पता लगाकर उनका निवारण किया जायेगा। यदि कंपनी दोषी पाई जायेगी तो कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

रिक्त पदों को शीघ्र भरा जायेगा। हैल्पर आदि की कमी 2013 से अब तक बनी हुई है। हमारा प्रयास है कि शीघ्र भर्ती कर इस कमी को दूर किया जायेगा।

खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य डा. जितेन्द्र सिंह जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वीरों, फौजियों और शहीदों की वीर भूमि झुंझनूं का पूरा ध्यान रखा जायेगा। जहां परम्परागत योजनाओं से काम नहीं चलेगा, हम वहां पर नवाचार करेंगे।

जल की गुणवत्ता पर पूरा जोर रहेगा। इसके लिए 9150 ग्राम पंचायतों को फील्ड टेस्टिंग किट वितरित कर लगभग 14,000 महिलाओं को उनके प्रयोग हेतु प्रशिक्षण दे दिया गया है।

अनेक माननीय सदस्यों ने नये खण्ड खोले जाने की भी इच्छा जताई है, मैं इसे भी दिखवाउंगा।

कृषि भूमि पर बसी कालोनियों और फ्लैट में रहने वालों के लिए पालिसी बनायेंगे।

जहां पानी की समस्या है और जे.जे.एम. का कार्य पूरा नहीं हो पाया है, वहां पेयजल उपलब्ध कराने के लिए चालू वैकल्पिक व्यवस्था को चालू रखने के प्रयास किये जायेंगे अथवा अन्य कोई इंतजाम करने की कोशिश की जायेगी।

जे.जे.एम. के तहत लगाये जाने वाले जल कनेक्शन में पानी उपलब्ध कराने के हर सम्भव प्रयास होंगे।

व्यर्थ बहने वाले पानी को रोकने का हर सम्भव प्रयास रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति का सम्मान करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं और इस उपलक्ष्य पर मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में "पिंक डिविजन" खोले जाने की घोषणा करता हूं।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में सभी भर्तियों में 30 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया जा चुका है। महिला सशक्तिकरण को एक कदम और आगे बढाते हुए संभागीय मुख्यालयों पर स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन विद्यमान एक डिवीजन कार्यालय को 'पिंक डिविजन' में परिवर्तित किये जाने की घोषणा करता हूं।

समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं से राहत प्रदान करते हुए 31 दिसम्बर, 2021 तक बकाया जल प्रभार शुल्क को एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज शास्ति में शत प्रतिशत छूट (31 मार्च, 2022 तक जमा कराने पर)।

भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण बनाये जाने की घोषणा।

**पेयजल एवं जल संसाधन :**

86. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश का लगभग सम्पूर्ण भू-भाग जल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता की दृष्टि से विपरीत परिस्थिति से ग्रसित है। घर-घर जल पहुंचाने के महत्व को देखते हुए कोरोना काल के बावजूद भी हमने अपना बराबर का हिस्सा उपलब्ध कराते हुए योजना के कार्यों को तीव्र गति से (Fast Track कर) implement किया है। सदन को जानकर प्रसन्नता होगी कि 60 हजार 600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की परियोजनायें स्वीकृत की गयी है, जिनसे 35 हजार 776 गांव लाभान्वित होंगे। इस योजना में 86 लाख 21 हजार घरों में नल कनेक्शन दिये जायेंगे।

87. जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन देने हेतु 35 परियोजनाओं की DPR बनाने की घोषणा की गई थी। इनमें से 11 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है। आगामी वर्ष में लगभग 13 हजार 921 करोड़ रुपये की 24 परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जायेगा, जिससे प्रदेश के 5 हजार 833 गांवों के 12 लाख 24 हजार से ज्यादा घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। ये परियोजनाएं हैं-

| क्र. सं. | पेयजल परियोजना | लागत |
|---|---|---|
| 1 | परवन पेयजल परियोजना- हाड़ौती संभाग के बारां-अटरू, छबड़ा, किशनगंज, अंता-जिला बारां, सांगोद, पीपल्दा-जिला कोटा, खानपुर व मनोहर थाना-जिला झालावाड़ | 3 हजार 523 करोड़ रुपये |
| 2 | नवनेरा बैराज से कोटा-बूंदी एवं बारां की पेयजल परियोजना | 1 हजार 661 करोड़ रुपये |
| 3 | पार्वती बांध आधारित पेयजल परियोजना-बसेड़ी, सरमथुरा, जिला धौलपुर | 87 करोड़ रुपये |
| 4 | चंबल-धौलपुर-भरतपुर वृहद् पेयजल परियोजना फेज-प्रथम, पार्ट-प्रथम व द्वितीय | 3 हजार 106 करोड़ रुपये |
| 5 | बाडमेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-ब' (बाड़मेर-बायतू-सिणधरी) जिला बाड़मेर | 155 करोड़ रुपये |
| 6 | क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना फलौदी हैडवर्क्स-बावडीकला-खारा जालौड़ा, जिला जोधपुर | 238 करोड़ रुपये |
| 7 | राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल RD-42 घाटौर-कानासर-बाप (बाप, फलौदी. लोहावट), जिला जोधपुर | 92 करोड़ रुपये |
| 8 | मलार-जोड़-हिंडाल गोल (बाप, फलौदी), जिला जोधपुर | 21 करोड़ रुपये |
| 9 | क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना मंडली, जैतपुर, पुख्तारी (रोहट), जिला पाली | 310 करोड़ रुपये |
| 10 | नर्मदा एफआर (जालौर, सांचौर, चितलवाना बागौड़ा, आहोर, सायला), जिला जालौर | 536 करोड़ रुपये |
| 11 | नर्मदा डीआर क्लस्टर (जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, सांचोर, सरनऊ), जिला जालौर | 261 करोड़ रुपये |
| 12 | कोलायत जल प्रदाय योजना (गजनेर लिफ्ट), जिला बीकानेर | 82 करोड़ रुपये |
| 13 | आपणी योजना एवं सरदारशहर संवर्धन पेयजल परियोजना, जिला चूरू एवं हनुमानगढ़ | 847 करोड़ रुपये |
| 14 | गुलण्डी जल प्रदाय परियोजना, जिला झालावाड़ | 34 करोड़ रुपये |

| क्र. सं. | पेयजल परियोजना | लागत |
|---|---|---|
| 15 | कालीखाड जल प्रदाय योजना, जिला झालावाड़ | 35 करोड़ रुपये |
| 16 | पीपलाद पेयजल परियोजना जिला झालावाड़ | 9 करोड़ रुपये |
| 17 | चंबल बूंदी क्लस्टर पेयजल परियोजना, जिला बूंदी | 29 करोड़ रुपये |
| 18 | सिंगोला पेयजल परियोजना, जिला बारां | 34 करोड़ रुपये |
| 19 | बोरावास मंडाना पेयजल परियोजना, जिला कोटा | 88 करोड़ रुपये |
| 20 | छापी-झालावाड़-झालरापाटन पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़ | 151 करोड़ रुपये |
| 21 | जवाई क्लस्टर प्रथम पेयजल परियोजना, जिला पाली | 128 करोड़ रुपये |
| 22 | बूंगी-राजगढ़ पेयजल परियोजना, जिला चूरू | 173 करोड़ रुपये |
| 23 | कोलायत जलप्रदाय परियोजना, जिला बीकानेर | 75 करोड़ रुपये |
| 24 | चंबल नदी से बेगूं, निम्बाहेड़ा एवं चित्तौड़गढ़ पेयजल परियोजना, जिला चित्तौड़गढ़ | 2 हजार 245 करोड़ रुपये |

88. वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की 36 वृहद् पेयजल परियोजनाओं के कार्य प्रारम्भ किया जाना भी प्रस्तावित करता हूं। इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 5 हजार 500 गांवों के लगभग 20 लाख घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। ये परियोजनाएं हैं-

| क्र.सं. | पेयजल परियोजना | लागत |
|---|---|---|
| 1 | चाकन बांध से इंदरगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बूंदी | 27 करोड़ 26 लाख रुपये |
| 2 | जावर चांदीपुर पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़ | 18 करोड़ 7 लाख रुपये |

| क्र.सं. | पेयजल परियोजना | लागत |
|---|---|---|
| 3 | पोकरण- फलसूंड-बालोतरा-सिवाना पेयजल परियोजना पैकेज-4बी, जिला बाड़मेर | 245 करोड़ 76 लाख रुपये |
| 4 | 350 MH और 1439 OH BLWSP चरण-द्वितीय भाग-सी, जिला बाड़मेर | 497 करोड़ 41 लाख रुपये |
| 5 | नर्मदा आधारित शिव-रामसर पेयजल परियोजना, जिला बाड़मेर | 283 करोड़ 34 लाख रुपये |
| 6 | तिवरी-मथानिया-ओसियां-बावड़ी-भोपालगढ़ पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर | 224 करोड़ 65 लाख रुपये |
| 7 | माणकलाव-खांगता पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर | 84 करोड़ 59 लाख रुपये |
| 8 | मोरिया आऊ चाम्पासर 87 MH, 352 OH IGNP पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर | 274 करोड़ 34 लाख रुपये |
| 9 | जाम्बा घंटियाली बुन्गरी 80 MH, IGNP पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर | 224 करोड़ 81 लाख रुपये |
| 10 | नर्मदा कैनाल आधारित सिलू जैसला बड़की परियोजना, जिला जालौर | 74 करोड़ 66 लाख रुपये |
| 11 | सुरवानिया बांध से बागीदौरा, बांसवाड़ा और तलवाड़ा ब्लौक पेयजल परियोजना, जिला बांसवाड़ा | 130 करोड़ 4 लाख रुपये |
| 12 | ब्यावर-जवाजा पेयजल परियोजना, जिला अजमेर | 175 करोड़ 82 लाख रुपये |
| 13 | राजाखेड़ा एवं धौलपुर पेयजल परियोजना, जिला धौलपुर | 343 करोड़ 39 लाख रुपये |
| 14 | पोकरण-फलसूंड पेयजल परियोजना पैकेज-3 (अ), जिला जैसलमेर | 211 करोड़ 85 लाख रुपये |
| 15 | माधवी पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़ | 14 करोड़ 24 लाख रुपये |
| 16 | रायपुर-पिड़ावा- चांवली पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़ | 27 करोड़ 33 लाख रुपये |

| क्र.सं. | पेयजल परियोजना | लागत |
|---|---|---|
| 17 | छापी विस्तार पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़ | 121 करोड़ 99 लाख रुपये |
| 18 | गरड़दा पेयजल परियोजना, जिला बूंदी | 238 करोड़ 25 लाख रुपये |
| 19 | रामगंज मंडी-पंचपहाड़ पेयजल परियोजना, जिला कोटा | 169 करोड़ 51 लाख रुपये |
| 20 | माही बांध से बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ की पेयजल परियोजना | 430 करोड़ 85 लाख रुपये |
| 21 | सोम कमला अम्बा बांध से आसपुर पेयजल परियोजना, जिला डूंगरपुर | 104 करोड़ 49 लाख रुपये |
| 22 | इंदिरा गांधी नहर पर एस्केप रिजरवायर के निर्माण की परियोजना | 1274 करोड़ 26 लाख रुपये |
| 23 | माही बांध से कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बांसवाड़ा | 211 करोड़ 60 लाख रुपये |
| 24 | देवनिया-नाथरू पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर | 330 करोड़ 92 लाख रुपये |
| 25 | भिनाय-मसूदा वृहद् पेयजल परियोजना, जिला अजमेर | 425 करोड़ रुपये |
| 26 | अराई-किशनगढ़ वृहद् पेयजल परियोजना, जिला अजमेर | 419 करोड़ 72 लाख रुपये |
| 27 | नसीराबाद वृहद् पेयजल परियोजना, जिला अजमेर | 163 करोड़ रुपये |
| 28 | चिखली, सीमलवाड़ा एवं झोंतरी की सतही स्रोत माही नदी पेयजल परियोजना, जिला डूंगरपुर | 885 करोड़ 56 लाख रुपये |
| 29 | आनन्दपुरी एवं गांगडतलाई की सतही स्रोत माही नदी पेयजल परियोजना, जिला बांसवाड़ा | 710 करोड़ 42 लाख रुपये |
| 30 | माही बांध पेयजल परियोजना, जिला बांसवाड़ा | 620 करोड़ 76 लाख रुपये |

| क्र.सं. | पेयजल परियोजना | लागत |
|---|---|---|
| 31 | बेणेश्वर एनिकट से साबला एवं सागवाड़ा की पेयजल परियोजना, जिला डूंगरपुर | 427 करोड़ 69 लाख रुपये |
| 32 | डेगाना-भैरूण्दा-रिया एवं जायल की पेयजल परियोजना (नागौर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण, CDS-04), जिला नागौर | 108 करोड़ 31 लाख रुपये |
| 33 | डेगाना-भैरूण्दा-रिया एवं जायल की पेयजल परियोजना (नागौर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण, CDS-03), जिला नागौर | 97 करोड़ 70 लाख रुपये |
| 34 | नागौर, खींवसर एवं मूण्डवा की पेयजल परियोजना (नागौर लिफ्ट परियोजना, प्रथम चरण, पैकेज द्वितीय), जिला नागौर | 418 करोड़ 37 लाख रुपये |
| 35 | बूंदी क्लस्टर जलप्रदाय परियोजना (चंबल भीलवाड़ा डब्ल्यूएसपी का विस्तार), जिला बूंदी | 76 करोड़ 69 लाख रुपये |
| 36 | भीमनी पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़ | 21 करोड़ 66 लाख रुपये |

89. इसी तरह जल जीवन मिशन के अंतर्गत जाखम बांध से प्रतापगढ़, अरनोद एवं पीपलखूंट क्षेत्र-प्रतापगढ़ के 554 गांवों को घर-घर जल उपलब्ध कराने हेतु आगामी वर्ष में क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना की DPR तैयार कर कार्य कराया जाना प्रस्तावित करता हूं। इस परियोजना पर लगभग एक हजार 620 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

90. वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल कनेक्शन के कार्य द्वारा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद जिलों के एक हजार 899 गांवों की आबादी को लाभान्वित करने के लिए क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना की DPR तैयार की जायेगी।

91. पाली व सिरोही जिलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु उदयपुर की कोटड़ा तहसील में बुजा तथा चक सांडमारिया बांधों का एक हजार 800 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाने की घोषणा करता हूं। इन बांधों से जवाई बांध तक पानी लाने हेतु एक हजार 200 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

92. माउण्ट आबू शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत सालगांव-सिरोही में बांध निर्माण सहित अन्य कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। साथ ही, निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ में पेयजल हेतु 106 करोड़ रुपये के कार्य करवाये जायेंगे।

**पेयजल एवं भूजल :**

31. आमजन को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न पेयजल योजनाओं के कार्य करवाये जायेंगे, ये कार्य हैं-

I. खो-नागोरियान-जयपुर हेतु बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना फेज-द्वितीय का 133 करोड़ 24 लाख रुपये लागत से कार्य करवाया जायेगा।

II. जगतपुरा, प्रताप नगर एवं महल रोड, जयपुर के आस-पास के क्षेत्र हेतु बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना फेज-द्वितीय का 184 करोड़ 89 लाख रुपये की लागत से कार्य करवाया जायेगा।

III. पृथ्वीराज नगर, जयपुर हेतु बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना, फेज प्रथम, स्टेज-द्वितीय एवं फेज-द्वितीय के 600 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाये जायेंगे।

IV. शहरी जल योजना, दौसा के संवर्धन हेतु 126 करोड़ 87 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे।

V. महवा शहरी जल योजना के संवर्धन हेतु 62 करोड़ 46 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

VI. नवगठित नगरपालिका थानागाजी-अलवर में ग्रामीण जलप्रदाय योजना को शहरी जलप्रदाय योजना में क्रमोन्नत किया जाकर पेयजल की समुचित व्यवस्था की जायेगी। इस पर 21 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत आयेगी।

VII. ईसरदा बांध परियोजना से जमवारामगढ़ में पानी लाकर पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा।

VIII. बिलाड़ा-जोधपुर में दांतीवाड़ा परियोजना के अंतर्गत देवलिया ग्राम से जोलेजी फोजदारा तक बड़ी पाइप लाइन जोड़कर पेयजल उपलब्ध कराने की DPR बनायी जायेगी।

IX. बस्सी-जयपुर की ग्रामीण जलप्रदाय योजना को शहरी जलप्रदाय

योजना में क्रमोन्नत किया जाकर पेयजल की समुचित व्यवस्था की जायेगी। इस पर लगभग 19 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

X. झोटवाड़ा-जयपुर के उद्योग नगर क्षेत्र में पेयजल हेतु 2 हजार किलोलीटर क्षमता की टंकी बनाकर जलप्रदाय की समुचित व्यवस्था की जायेगी। इस पर लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

XI. लक्ष्मण डूंगरी-जयपुर में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु वर्तमान जल प्रणाली में सुधार किया जायेगा। इस पर लगभग 20 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

XII. ब्लाक रोहट- पाली में पेयजल की व्यवस्था हेतु लगभग 28 करोड़ रुपये की लागत से जोधपुर से रोहट-पाली तक पाइप लाइन का कार्य किया जायेगा।

XIII. गुढ़ामालानी एवं चौहटन-बाड़मेर के 7 ब्लॉकों की 1 हजार 42 बस्तियों में 425 आर.ओ. प्लांट लगाये जाकर शुद्ध पीने योग्य जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु 120 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

XIV. शहरी जल योजना भिण्डर-उदयपुर का 25 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्गठन किया जायेगा।

XV. श्रीमाधोपुर सीकर में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु कार्य हाथ में लिया जायेगा।

32. मेरे द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में वर्ष 2013-14 तथा अब वर्ष 2019-20 के बजट में बाड़मेर जिले के चौहटन, गुढामालानी, धोरीमन्ना व सिणधरी के 889 गांवों तथा झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी एवं सूरजगढ़ के 921 गांवों व इनकी ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु परियोजना लागू करने की घोषणा की गई थी। हमने अब 4 हजार 765 करोड़ रुपये का JICA से ऋण लेते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इस परियोजना की तकनीकी DPR अंतिम चरण में है। शीघ्र ही तकनीकी स्वीकृति जारी कर आगामी वर्ष में प्राथमिकता से कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

33. वर्ष 2021-22 के बजट में कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से सीकर जिले की तहसील धोद, सीकर, खण्डेला, दांतारामगढ़, श्रीमाधोपुर व नीम का थाना के शेष रहे 864 गांव व 13 कस्बों तथा झुंझुनूं जिले की तहसील

चिड़ावा, नवलगढ़ के 269 गांव एवं 5 कस्बों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ करना प्रस्तावित किया गया था। इस परियोजना की नई BSR के अनुसार लगभग 8 हजार 780 करोड़ रुपये की संशोधित DPR अंतिम चरण में है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, इस परियोजना के लिए IGNP के साथ-साथ यमुना से जल उपलब्धता भी आवश्यक रहेगी, जिसके लिए हम केन्द्र सरकार के स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। आगामी वर्ष इस योजना का कार्य प्रारम्भ करने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

34. मेरे द्वारा भादरा, नोहर तथा तारानगर के कुल 30 बारानी गांवों के लिए सिद्धमुख नहर व साहवा लिफ्ट कैनाल से सिंचित कर नहरी क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए Technical Assessment/सर्वे एवं Viability हेतु विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाये जाने की बजट घोषणा की गयी थी। पूर्व में इस क्षेत्र में फिजिबिलिटी के कई बिन्दु सामने आये। अब विशेषज्ञों द्वारा Assess कर बतायी गई Feasibility के आधार पर इन गांवों की सिंचाई के कार्य प्राथमिकता से हाथ में लिये जायेंगे। इस परियोजना के लिए आगामी वर्ष 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

35. समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 31 दिसम्बर, 2021 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क को 31 मार्च, 2022 तक एकमुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट दिये जाने की घोषणा करता हूं।

36. राज्य में भू-जल के समुचित उपयोग तथा राज्य की औद्योगिक इकाइयों की सुविधा हेतु भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जायेगा।

37. कठूमर-अलवर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का नवीन अधिशासी अभियंता कार्यालय खोला जायेगा।